सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील/शिकायत/ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गाइड

शैलेश गांधी
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त

डॉ. नीरज कुमार
'ए' ग्रेड सर्टिफाइड ट्रेनर
डीओपीटी भारत सरकार
लखनऊ – 226018

© Publisher

अस्वीकरण: यद्यपि इस पुस्तक को प्रकाशित करने में उचित सावधानी बरती गई है, यह प्रकाशन सशर्त है और इस समझ पर आधारित है कि लेखक, मुद्रक, प्रकाशक और विक्रेता, ऐसी किसी भी त्रुटि या चूक के कारण, कोई भी ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कार्रवाई के कारण होने वाली क्षति या हानि जो अनजाने में किसी भी व्यक्ति के कारण हो सकती है, चाहे वह खरीदार हो या इस प्रकाशन में हो या नहीं। कृपया ऐसी किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगतियों की रिपोर्ट करें ताकि अगले संस्करण में उनका ध्यान रखा जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके। सभी विवाद केवल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

Regarding copyright

Please Copy

All my writings are in Public Domain.
I encourage everyone to copy, quote, translate or print in whole or in part
without any reference to me. I will be grateful to them.

लेखक परिचय

शैलेश गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को आरटीआई द्वारा सशक्त नागरिक कहना पसंद करता है, आरटीआई के लिए देश की अग्रणी आवाजों में से एक है।

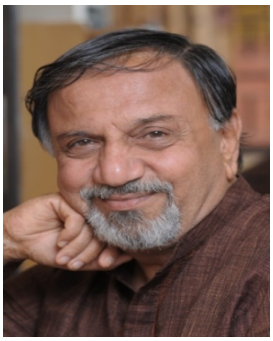

शैलेश गांधी (7 जुलाई, 1947 को जन्म) पहली पीढ़ी के उद्यमी और आईआईटी बॉम्बे के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं। श्री शैलेश गांधी ने अपना बी.टेक पूरा किया। 1969 में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। 1980 में, उन्होंने क्लियर प्लास्टिक लिमिटेड की स्थापना की, जो 500 लोगों को रोजगार देने वाले एक महत्वपूर्ण आकार तक बढ़ गया और केवल स्वदेशी मशीनरी का इस्तेमाल किया। हालाँकि, 2003 में, उन्होंने व्यवसाय को बेच दिया और सूचना के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तब से, उन्होंने और जोश के साथ इसका प्रचार किया है। शैलेश राष्ट्रीय आरटीआई आंदोलन का हिस्सा थे जो राष्ट्रीय अधिनियम का मसौदा तैयार करने में शामिल था। वह लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) के संयोजक थे। उन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करने के लिए 1000 से अधिक कार्यशालाओं में कई नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र आरटीआई कार्यकर्ता, (कार्यकालः 18–10–2009 से 06–07–2012)। उन्होंने 3 साल और 9 महीनों में 20,000 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड निपटाया और यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश मामलों का निर्णय 90 दिनों से कम समय में हो। उन्होंने आयोग में पहला डिजिटल पेपर–रहित कार्यालय आयोजित करने के अलावा, आरटीआई पर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए। 2010 में, IIT कानपुर ने उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने और सूचना के अधिकार अभियान का नेतृत्व करने में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए सबसे प्रतिष्ठित सत्येंद्र के. दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया।

वह अब आरटीआई को और गहरा करने के लिए मुंबई में अपने घर पर हैं। वह एक समयबद्ध न्याय वितरण प्रणाली के लिए तरीके विकसित करने और शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए जुनून से आगे बढ़ रहे हैं। कई पुरस्कारों के बीच, उन्हें नानी पालकीवाला सिविल लिबर्टीज पुरस्कार और एम आर पाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की हैः RTI Act - Authentic Interpretation of the Statute और आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करने वाला एक पेपर। अरुणा रॉय के अलावा उन्होंने स्वर्गीय प्रकाश कर्दले से बहुत प्रेरणा ली, जो महाराष्ट्र में आरटीआई आंदोलन के प्रमुख्श्री शैलेश गांधी ने अपना बीटेक पूरा किया।

1969 में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। 1980 में, उन्होंने क्लियर प्लास्टिक लिमिटेड की स्थापना की, जो 500 लोगों को रोजगार देने वाले एक महत्वपूर्ण आकार तक बढ़ गया और केवल स्वदेशी मशीनरी का इस्तेमाल किया। हालाँकि, 2003 में, उन्होंने व्यवसाय को बेच दिया और सूचना के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तब से, उन्होंने जोश और जोश के साथ इसका प्रचार किया है। वह सूचना का अधिकार अधिनियम की स्थापना के पीछे प्रमुख प्रेरकों में से एक हैं।

श्री शैलेश गांधी दृढ़ता से मानते हैं कि "लोकतंत्र का सार एक अवधारणा है जहां प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक संप्रभु है, जो राज्य को अपनी संप्रभुता का हिस्सा देता है, जिसके बदले में उसे कानून का शासन मिलता है।"

पीएच.एच.एफ. डॉ नीरज कुमार एम.कॉम (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एम. बी. ए.), एलएल.बी., पीएच.डी. (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन), बी.आई.ए.एम. (कोल।), एमडी (एएम) संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका, मध्य अमेरिका, ए.एम.एस.पी.आई., एफ.एम.एस.पी.आई., एफ.ए.आई.एम. सी., स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पॉल हैरिस फेलो है।

आरटीआई और ई–गवर्नेंस के लिए सरकार भारत की डीओपीटी द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रमाणित 'ए' ग्रेड, प्रशिक्षक है।

डॉ. नीरज कुमार (बी. 1952) पूर्व निदेशक और प्रमुख, व्यवसाय प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हैं। वह कोलंबिया होलिस्टिक यूनिवर्सिटी, कैलिफ़ोर्निया, यूएसए, प्राइस वाटरहाउस कूपर, यू.एस.ए. इंटरएक्टिव मीडिया इंटरनेशनल, लुइसियाना, यू.एस.ए., बेस्ट मॉडल टैलेंट, लास वेगास, यू.एस.ए., मैनेजमेंट स्टडीज प्रमोशन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, एन.एन.डब्ल्यू के समाचार एजेंसी, दिल्ली, ज्यूचे अध्ययन के लिए एशियाई क्षेत्रीय संस्थान, मुख्यालय। टोक्यो, विजाड्र्स बिजनेस मशीन्स (पी) लिमिटेड यूएसए, नेशनल इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लखनऊ, नेशनल करियर इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, एमिगो ट्रेडिंग एंड सप्लाईज कंपनी लिमिटेड हांगकांग, बेस्ट हाउस, बैंकॉक, थाईलैंड, निदेशक, रोटरी क्लब (लखनऊ) पश्चिम)। इंटरएक्टिव मीडिया इंटरनेशनल, यू.एस.ए., इमेजउवकमसजंसमदजण्बवउ, लास वेगास, यू.एस.ए. यू.पी. अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन संगठन (आईएओ), ह्यूस्टन, यू.एस.ए. सलाहकार/परामर्शदाता/निदेशक हैं।

उन्होंने कानून और चिकित्सा की डिग्री रखने के अलावा व्यवसाय प्रशासन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें रोटरी इंटरनेशनल, यूएसए के पॉल हैरिस फेलो–1996 से सम्मानित किया गया है। डॉ नीरज कुमार को कोलंबिया होलिस्टिक यूनिवर्सिटी, यूएसए एक्सीलेंट सर्विसेज अवार्ड – 1977 द्वारा सीनियर सिटीजन मेडिकेयर एंड रिहैबिलिटेशन फेडरेशन, नई दिल्ली द्वारा सुपर ब्रेन अवार्ड – 1988, अखिल भारतीय प्रबंधन परिषद, नई दिल्ली द्वारा सुपर इंटेलेक्चुअल अवार्ड – 1977 से भी सम्मानित किया गया है। बेस्ट सिटिजन ऑफ इंडिया – 1998 ग्लोबल पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया –1998 मैनेजमेंट स्टडीज प्रमोशन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, जेम ऑफ इंडिया – 1998 ऑल इंडिया मैनेजमेंट काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा, रोटरी फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सर्विस अवार्ड – 1997 रोटरी इंटरनेशनल, यूएसए, एल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एप्रिसिएशन अवार्ड – 1984 अखिल भारतीय अगीत परिषद, लखनऊ, LUATW द्वारा कर्मचारी संघ स्वर्ण पदक – 1974, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन मेरिट प्लाक – 1973 और कई और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ।

उन्होंने प्रशासन में कदाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई को एक टोल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका उपयोग करने के लिए 500 से अधिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। वह लखनऊ में स्थित एक अखिल भारतीय प्रतिष्ठित आरटीआई कार्यकर्ता हैं।

उनकी पुस्तक, "Treatise on Right to Information Act, 2005" को संयुक्त राष्ट्र, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से संबद्ध शब्द शांति (AEWP) के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड के "सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन का पुरस्कार" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व प्रबंधन कांग्रेस समिति, उच्च शिक्षा और विकास (HEAD) शिखर सम्मेलन और भारतीय विश्वविद्यालयों का परिसंघ। सूचना प्रसार और जागरूकता के क्षेत्र में, 29 से 31 दिसंबर 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व प्रबंधन कांग्रेस 2011 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विषय सार (Synopsis)

लेखक परिचय III
उपक्षेप 1

भाग 1

धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत? 5
धारा–18 के अंतर्गत शिकायत और धारा–19 (3) के अंतर्गत दूसरी अपील के बीच अंतर 6
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत करने का आधार 10
धारा 18 के अंतर्गत शिकायत जमा करने की समय सीमा? 12
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य 12
धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील दायर करने के लिए आधार 14
आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय 16
प्रथम अपील दायर करना 18
आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 के बीच तुलना का सारांश 21

भाग 2

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील कैसे दर्ज करें 22
सीआईसी या एसआईसी ऑफलाइन से पहले आरटीआई के अंतर्गत दूसरी अपील कैसे दर्ज करें: चरण दर चरण प्रक्रिया 22
सीआईसी के समक्ष दूसरी अपील का प्रारूप 24
सूचना आयोगों के समक्ष धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए आधार 26
धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 28
धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोगों की शक्ति 29
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें? : चरण दर चरण प्रक्रिया 30
शिकायत लिखने के लिए सामान्य बिंदु: 32
प्रार्थना या राहत मांगी गई: 35
प्रार्थना या राहत के लिए आधार: 35

भाग 3

आरटीआई के अंतर्गत पहली अपीलः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील कैसे दर्ज करें? 39
अपील शुल्क और प्रारूप 43
नमूना तथ्य और प्रथम अपील के लिए आधार 43
आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील कौन कर सकता है? 47
आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील कब दाखिल करें: (पहली अपील दायर करने की समय सीमा) 48
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील कैसे दर्ज करें 50
आरटीआई के अंतर्गत पहली अपीलः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील ऑफलाइन कैसे दर्ज करें? 51
व्यक्तिगत सुनवाई 53
अपीलकर्ता का विवरण 54
प्रथम अपील का निपटारा 55
क्या आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है? 58
यदि आपको निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या आपको अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त होता है लेकिन आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें? 59
द्वितीय अपील कब दाखिल करें (द्वितीय अपील दायर करने की समय सीमा)? 62

भाग 4

आरटीआई समय सीमा 63
आरटीआई उत्तर समयः विभिन्न मामलों में आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा 64
आरटीआई उत्तर समयः विशेष मामलों में आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा 68
विभिन्न मामलों में प्रथम अपील की समय सीमा 69
विशेष मामलों में आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा 73
आरटीआई समय सीमाः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील के निपटान की समय सीमा 75

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील के लिए समय सीमा.....76

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा.....77

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के निर्णय प्राप्त करने की समय सीमा 77

भाग 5

आरटीआई अनुरोध की अस्वीकृति के लिए आधार.....83

धारा 8 के अंतर्गत सूचना का खंडन.....85

भाग 6

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम या वैधानिक नियम 94

प्रतिनिधिक दायित्व 95

अपील के लिए विस्तृत सामान्य आधार..... 100

दूसरी अपील के लिए अन्य आधार, तथ्य, संदर्भ 104

अपील में प्रार्थना..... 107

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत समग्र याचिका ;ब्वउचवेपजम च्मजपजपवदद्ध 110

भाग 7

1. आरटीआई अपील (अपीलों) को प्रभावी ढंग से दायर करने के लिए अपील के प्रारूप का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शिका..... 113
2. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देता है..... 114
3. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ गोपनीय या संवेदनशील सूचना बताते हुए सूचना से इनकार करता हैः 115
4. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप उपयुक्त सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है या जब सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि सूचना पीआईओ के विभाग में उपलब्ध नहीं थी या मकसद घोषित नहीं किया गया था 116
5. आरटीआई के लिए अपील का प्रारूप जब सूचना को इस दावे से खारिज किया जाता है कि सूचना पीआईओ के विभाग के पास नहीं है..... 118

6. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस आधार पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है कि धारा 6 (3) केवल एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरण की परिकल्पना करती है 118
7. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप जब सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि सवाल प्रश्नों के रूप में हैं अथवा वे क्यों, कब या कैसे शब्दों से शुरू होते हैं 126
8. धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना का हस्तांतरण नहीं होने पर अपील का प्रारूप 133
9. अपील का प्रारूप यदि आरटीआई दायर की जाती है और 30 दिनों में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है – धारा 7 के अंतर्गत इनकार माना जाता है..... 135
10. अपील का प्रारूप यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह गोपनीय या संवेदनशील है – धारा 8..... 135
11. यदि सूचना देने से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप धारा 8(1)(ए) के अनुसार छूट प्राप्त है। 137
12. यदि सूचना से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप यह कहकर छूट का दावा करता है कि मामला धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत न्यायाधीन है। 170
13. धारा 8(1)(ब) के अंतर्गत छूट बताते हुए सूचना देने से मना करने पर अपील का प्रारूप..... 174
14. धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली सूचना को अस्वीकार करने पर अपील का प्रारूप 178
15. अपील का प्रारूप यदि सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया हो कि यह एक प्रत्ययी संबंध में है और धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत छूट प्राप्त है 195
16. अपील का प्रारूप यदि सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है कि उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है 233
17. धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत छूट बताते हुए सूचना देने से इनकार करने पर अपील का मसौदा..... 234
18 यदि सूचना देने से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप धारा 8(1)(एच) के अनुसार छूट प्राप्त है – सामयिक इनकार..... 245

19. अपील का मसौदा यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक से संबंधित है और कैबिनेट नोट और विधेयक से संबंधित कागजात की सूचना धारा 8(1)(प) का हवाला देते हुए अस्वीकार की जाती है।.....246

20. अपील का प्रारूप यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह व्यक्तिगत सूचना है, और धारा 8(1)(जे) द्वारा अनिवार्य रूप से कोई बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित नहीं किया गया है।.....255

21. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ सूचना से इनकार करता है तो यह दावा करता है कि यह तीसरे पक्ष की सूचना है या आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के कारण इनकार कर रहा है या कह रहा है कि वह धारा 11 के आधार पर सूचना से इनकार कर रहा है.....276

भाग 8

अपील के लिए सामान्य आधार.....284

कृपया अपनी अपील के लिए प्रासंगिक बिंदुओं का चयन करें.....284

दूसरी अपील के लिए अन्य आधार, तथ्य, संदर्भ.....288

अपील में प्रार्थना.....291

भाग 9

प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ कारण.....294

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएँ जिसके अंतर्गत पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के खिलाफ दर्ज की जा सकती है।.....296

भाग 10

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रारूप.....310

भाग 11

असद्भावना से की गयी कार्य वाहियां और दंड विधान.....314

भाग 12

क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को दंडित किया जा सकता है?.....317

आरटीआई अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी परेशानी, बोझिल और समय लेने वाले तरीके से जानकारी प्रदान करना है।.....319

उपक्षेप

सूचना का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। 2005 में आरटीआई अधिनियम पारित करते समय यह परिकल्पना की गई थी कि धारा 4 में नागरिकों को अधिकांश जानकारी स्वतः मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कानून – संवैधानिक जनादेश के अनुरूप, – यह मानता है कि स्वतः ही सूचना का प्रकटीकरण होना चाहिए। केवल धारा 8 या 9 के अंतर्गत छूट प्राप्त जानकारी से इनकार करने के अधीन नहीं, कई न्यायनिर्णायक अपने प्रावधानों के घोर दुरुपयोग से नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो अक्सर प्रदर्शित नहीं करते हैं विचार। अधिकांश नागरिक इस स्तर पर हार मान लेते हैं क्योंकि उनके लिए अपील का मसौदा तैयार करना और कानून के संदर्भ में मामले पर बहस करना मुश्किल होता है।

अतैव कुछ अन्य तथ्य/संदर्भ, बिंदुओं को अपील में रखे जाने की आवश्यकता हैं और हमने उन पर नीचे चर्चा की हैः

किसी भी कानून में प्रावधानों या व्याख्याओं के अंतर को कानून की प्रस्तावना से ही दूर किया जा सकता है जो उस कानून का निष्कर्ष है। जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 एआईआर 1643, 1967 एससीआर (2) 762 और इरु बेरुबारी बनाम भारत सरकार, एआईआर 1960 एससी 845, 1960 3 एससीआर 250 में ऐतिहासिक विवरण देते हुए इसका उल्लेख किया है। संविधान पर निर्णय, जो अभी भी प्रभावी है।

अतः अपीलार्थी आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य पर निर्भर हैं, जिसके प्रभावी अनुपालन के लिए इस अपील की विषय वस्तु भी सीधे जनहित से संबंधित है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताता है किः

"प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों की जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, 'भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह बनाना अनिवार्य है', 'लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता बनाए रखना'।

टेलर बनाम टेलर (1 ch. D426 1876) के निर्णय के बाद से यह एक समय–सम्मानित सिद्धांत रहा है कि यदि अधिनियम किसी कार्य को करने का एक

विशिष्ट तरीका निर्धारित करता है, तो उस कार्य को केवल किया जाना कहा जाता था। निर्दिष्ट तरीके से किया गया मान्य होगा और अन्य सभी तरीके निषिद्ध होंगे। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीप चंद बनाम राजस्थान राज्य, 1966 क्रिएलजे 54, 1966 (1), डब्ल्यूएलसी 572 और यूपी राज्य बनाम सिंघारा सिंह, 1963 एआईआर 358, 1964 एससीआर (4), 485 में भी उपरोक्त सिद्धांत को मान्यता दी है। यानी जो तरीका कानून के खिलाफ है वह मनमाना होगा और कानून के सामने समानता के खिलाफ होगा. इस संबंध में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 एआईआर 597, 1978 एससीआर (2) 621 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है।

इसलिए अपीलकर्ता जनहित में आपत्ति दर्ज करता है, क्योंकि प्रतिवादी लोक सेवक द्वारा अपनाई गई मनमानी पद्धति कानून में नहीं है। चूंकि इन सिविल सेवकों के प्रशिक्षण पर सरकारी पैसा खर्च किया जाता है, जिन्हें संबंधित कानून की जानकारी नहीं होने की कोई छूट नहीं मिल सकती है, क्योंकि वे प्रशिक्षण में जानकारी देने की प्रक्रिया सीखते हैं, मना करने के लिए नहीं। जिससे अपीलकर्ता सहित जानकारी मांगने वाले नागरिकों का पैसा, श्रम और समय बर्बाद हो रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय जे.के. कॉटन मिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1961, एआईआर 1170 में "न्यायालय ने हमेशा यह माना है कि विधायिका ने प्रत्येक भाग को एक उद्देश्य से जोड़ा है और विधायी इरादा यह है कि कानून का हर हिस्सा प्रभावी होना चाहिए।" और आयुक्त सूचना आयोग, मणिपुर बनाम मणिपुर राज्य, एआईआर 2012 एससी 864 में "यह सर्वविदित है कि विधायिका शब्दों को बर्बाद करने या व्यर्थ या बिना उद्देश्य के बोलने के लिए कुछ भी नहीं करती है।" संसद ने एक जागरूक नागरिक के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम बनाया, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार और उसके उपकरणों को जवाबदेह बनाने के लिए सूचना की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम सरकार के परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए है ताकि नागरिकों के अधिकारों के साथ संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को संरक्षित किया जा सके ताकि सरकारी प्रक्रिया के कामकाज को जानने के लिए लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरि उपस्थिति हो सके। प्रस्तावना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अधिनियम खुले समाज की अवधारणा पर आधारित है। संवैधानिक पीठों के उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार, 2005 का अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इसलिए, अपीलकर्ता आरटीआई अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान पर निर्भर है जहां सूचना लोक सूचना अधिकारी को धारा 7(1) के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी है या धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए है। मनमाना प्रक्रिया जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डीओपीटी में चेतावनी दी है कि सरकार का कोई भी स्तर अनुरोध को संभालने के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों से अधिक नहीं है।

अतैव अपीलकर्ता ने प्रचलित आरटीआई अधिनियम के अलावा, केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई अपील/आपत्ति/पुनर्विचार शेष नहीं है, जो एकमात्र वैध कानून है।

इसलिए, जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक लोक सेवक और पूरी कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम का अक्षरशः पालन करे। सूचना का अधिकार अधिनियम एक चयनात्मक कानून है जिसमें लोक सूचना अधिकारी पर दंड एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, साथ ही किसी कानूनी त्रुटि को दूर करने के लिए प्रथम अपील उसी लोक प्राधिकरण में की गई है, ताकि उसके अनुसार उद्देश्य, सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में सुधार किया जा सकता है। पारदर्शिता हो। यही कारण है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगल राम जाट बनाम पीआईओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, निर्णय संख्या सीआईसी/ ओके/ए/2008/00860/एसजी/0809 के निर्णय में लिखा है किः

"आयोग, जिसे अधिनियम में एक निर्णायक निकाय के रूप में बनाया गया है, के पास नई छूट लागू करने का कोई अधिकार नहीं है और इस प्रक्रिया में नागरिकों के सूचना के मूल अधिकार को सीमित करता है।"

इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिए गए प्रावधानों को ईमानदारी से, ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। तथा लोक प्राधिकारियों में किसी भी रूप में रखी गई सूचना आवेदकों को समय–सीमा में उपलब्ध करायी जाय तथा विस्तृत सूचना का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाय। शासन से लोगों के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा।

अतः अपीलार्थी जो शपथ पत्र में भी यह स्वीकार करता है कि आपके प्राधिकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जो स्वयं को तथा अपने साथियों को बचाने के लिए सूचना न देकर प्राइवेसी (स्वकीयता) बनाये रखता है तथा कानूनी शास्ति देने से नहीं

हिचकिचाएगा। जिस पर अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी कहा कि ''हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार वहीं होता है जहां प्राइवेसी (स्वकीयता) होती है।''

अपील दायर करना आसान बनाने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है। इन्हें विशिष्ट मामले के आधार पर सीधे या संशोधित किया जा सकता है। अगर कोई खामियां या गलतियां हैं तो मुझे बताएं। ये सामान्यीकृत मामलों के लिए हैं। अपना विवरण अवश्य जोड़ें।

शैलेश गांधी नीरज कुमार

भाग 1

धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत?

प्रत्येक अधिनियम या कानून में गैर–अनुपालन के खिलाफ इसके प्रावधानों की सुरक्षा के लिए खंड शामिल है, और इसी तरह आरटीआई अधिनियम, 2005 भी है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग (बाद में सीआईसी के रूप में संदर्भित) कोया एसआईसी, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की रक्षा के लिए कर्तव्य और शक्ति प्रदान करती है। हम कह सकते हैं, सीआईसी या एसआईसी आरटीआई अधिनियम के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहां हम बताते हैं कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कब शिकायत दर्ज करनी है और कैसे शिकायत दर्ज करनी है।

हम में से कई लोगों को लगता है कि धारा 18 और धारा 19(3) दोनों ही नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हमारे कानून एक शब्द भी बर्बाद नहीं करते हैं। दोनों खंड अंतर उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। हम एक को दूसरे के लिए स्थानापन्न नहीं कर सकते।

इन दो धाराओं के अंतर्गत सूचना आयोगों (केंद्र या राज्य) के पास अलग–अलग शक्तियां हैं। इस प्रकार, हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम किस खंड को प्राथमिकता देंगे? धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत? हम उन स्थितियों का विश्लेषण करेंगे जिनमें हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत, और इन दो धाराओं के अंतर्गत सूचना आयोग की शक्तियां।

संज्ञा के रूप में शिकायत और अपील के बीच का अंतर यह है कि शिकायत एक शिकायत, समस्या, कठिनाई या चिंता है; अपील करते समय शिकायत करने का कार्य (कानूनी) है (ए) किसी वरिष्ठ न्यायाधीश या अदालत से किसी कारण या मुकदमे को फिर से परीक्षा या समीक्षा के लिए हटाने के लिए एक आवेदन (बी) कार्यवाही का तरीका जिसके द्वारा इस तरह का निष्कासन है प्रभावी (सी) अपील का अधिकार (डी) एक आरोप; एक प्रक्रिया जिसे पूर्व में किसी जघन्य अपराध के लिए किसी जघन्य अपराध के लिए एक निजी व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ स्थापित किया जा सकता है,

जो कि जनता के खिलाफ अपराध के बजाय विशेष चोट के लिए सजा की मांग करता है (ई) उसके एक साथी द्वारा आम कानून में एक गुंडागर्दी का आरोप, जिसके साथी को तब अनुमोदक कहा जाता था।

आपको इस बात की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए कि धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत कौन सी धारा अधिक उपयुक्त है? पहले हम आपको दोनों वर्गों को अलग–अलग समझाएंगे और फिर तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करेंगे।

धारा–18 के अंतर्गत शिकायत और धारा–19 (3) के अंतर्गत दूसरी अपील के बीच अंतर

अक्सर धारा–18 के अंतर्गत शिकायत और धारा–19 (3) के अंतर्गत दूसरी अपील के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। इन दोनों वर्गों के पीछे दो अलग–अलग विधायी इरादे हैं।

धारा–18 शिकायतों को प्राप्त करने और अधिनियम के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीआईसी या एसआईसी पर एक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाला प्रावधान है। यह प्रकृति में पर्यवेक्षी है, जबकि धारा–19 के अंतर्गत प्रावधान एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो केवल प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई अपील से उत्पन्न होता है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर तय किया जाता है या नहीं। धारा–18 और 19 दोनों में, सीआईसी या एसआईसी के पास सीपीआईओ/एसपीआईओ के खिलाफ दंड लगाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। इन धाराओं में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहने पर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर एफएए या लोक प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। धारा 19(3) के अंतर्गत अपील में, सीआईसी या एसआईसी के लिए अपने निर्णय की सूचना देना अनिवार्य है, जबकि धारा–18 के अंतर्गत शिकायत में ऐसा निर्णय नोटिस स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है, हालांकि सीआईसी/एसआईसी इस पर कार्रवाई कर सकता है। शिकायत।

धारा–18 उन मामलों में लागू की जा सकती है जहां–

- सीपीआईओ /एसपीआईओ की नियुक्ति लोक प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है,

- सीपीआईओ / एसपीआईओ ने सूचना के लिए धारा–6 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है,

सीपीआईओ / एसपीआईओ ने सीपीआईओ / एसपीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सीआईसी / एसआईसी को अग्रेषित करने के लिए धारा–19(1), (2) और (3) के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

- इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध की गई किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार,
- समय सीमा के भीतर सूचना या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया
- शुल्क की राशि को अनुचित माना जाता है,
- अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी प्रदान की गई है।

धारा–18 के अंतर्गत शिकायत करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है, जबकि सीआईसी / एसआईसी को धारा–19 (3) के अंतर्गत अपील करने की समय सीमा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तारीख से 90 दिनों या आवेदन जमा करने की तारीख से 120 दिनों की समय सीमा है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील, जहां एफएए का कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है।

धारा–18 के अंतर्गत, सीआईसी या एसआईसी को जांच शुरू करने की शक्ति है, अगर यह संतुष्ट है कि उपर्युक्त मामलों की जांच करने के लिए उचित आधार हैं। ब्ब या ैप्ब को सिविल कोर्ट की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जब वे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं –

- गवाहों को बुलाना और उन्हें हाजिर कराना, उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना, दस्तावेज या चीजें पेश करना।
- दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण
- हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना

गवाह या दस्तावेजों या किसी अन्य निर्धारित मामले की जांच के लिए समन जारी करना।

सीआईसी या एसआईसी, धारा–18 के अंतर्गत किसी भी शिकायत की जांच के दौरान किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जिस पर आरटीआई अधिनियम लागू होता है और जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है। इससे किसी भी आधार पर इस तरह के किसी भी रिकॉर्ड को रोका नहीं जा सकता है।

धारा–18 सीआईसी या एसआईसी पर स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को अपने निर्णय की सूचना देने या शिकायतकर्ता को सूचना के प्रसार का आदेश देने के लिए सीआईसी या एसआईसी को कोई अधिकार देने के लिए बाध्यता नहीं है।

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए धारा–18 के अंतर्गत प्रावधान पूरी तरह से पर्यवेक्षी प्रकृति का है। हालांकि, पूछताछ पर, सीआईसी या एसआईसी सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद धारा 20(1) के अंतर्गत दंड लगा सकती है और/या धारा 20(2) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

धारा–19(3) तब लागू की जा सकती है जब –

जहां धारा–19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई है, जिसका निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है या नहीं किया जाता है।

सीआईसी/एसआईसी की धारा–19(3) के अंतर्गत अपील की समय सीमा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तिथि से 90 दिनों की या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत करने की तिथि से 120 दिनों की है (जहां एफएए का कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है))

धारा–19 सीआईसी या एसआईसी को अपीलकर्ता द्वारा दी गई अपील में शामिल मुद्दे को तय करने और अपना बाध्यकारी निर्णय देने का अधिकार देता है; और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण बनाएं जैसे ::

- सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए (यदि किसी विशेष रूप में आवश्यक हो),
- सीपीआईओ या एसपीआईओ नियुक्त करें
- सूचना की एक निश्चित श्रेणी को प्रकाशित करने के लिए
- प्रबंधन और अभिलेखों को नष्ट करने के अपने अभ्यास में परिवर्तन करना
- अपने अधिकारियों के लिए आरटीआई पर प्रशिक्षण के प्रावधान में वृद्धि

- शिकायतकर्ता को हुई हानि या हानि के लिए मुआवजे का आदेश देना;
- पीआईओ, एफएए और सहायक अधिकारी पर धारा 20 के अंतर्गत कोई जुर्माना लगाना।
- आवेदन को अस्वीकार करें (अपील)
- अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को निर्णय की सूचना दें।

इस धारा के अंतर्गत अपील पर धारा 27(2)(ई) के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त प्रावधानों और एससी निर्णय दिनांकः 12/12/2011 और दिल्ली एचसी निर्णय दिनांक 23/10/13 को देखते हुए –

- सीआईसी/एसआईसी धारा–18 के अंतर्गत शिकायत का निपटारा करते समय सूचना की आपूर्ति का आदेश नहीं दे सकता है।
- सीआईसी/एसआईसी को योग्यता के आधार पर धारा–18 के अंतर्गत शिकायत का फैसला करना है।

सीआईसी/एसआईसी के अधिकार क्षेत्र को लागू करके जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपीलकर्ता को सीआईसी/एसआईसी के समक्ष अधिनियम की धारा–19(3) के अंतर्गत दूसरी अपील दायर करनी होगी।

धारा–19(3) के अंतर्गत अपील में, आवेदक को दंड लगाने के लिए सीआईसी/एसआईसी के समक्ष विशिष्ट प्रार्थना करनी चाहिए (एस.20(1)) और/या पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए (एस.20(2))) अन्य प्रार्थनाओं के बीच अधिनियम की धारा–19 (8) (बी) के अंतर्गत धारा–19 (8) (सी) और / या मुआवजा देने के संदर्भ में।

आवेदक एक ही आरटीआई आवेदन के संबंध में धारा–18 के साथ–साथ धारा–19 (3) के अंतर्गत अलग–अलग शिकायत दर्ज कर सकता है, यदि दोनों के लिए आधार हैं – और सीआईसी / एसआईसी को योग्यता के आधार पर दोनों का फैसला करना चाहिए।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा–18 के प्रावधानों की व्याख्या की और कहा कि सीआईसी या एसआईसी के पास इस धारा के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति का आदेश देने की शक्ति है, जो अधिनियम का उद्देश्य और विधायी मंशा है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 12/12/2011, मणिपुर राज्य बनाम मणिपुर राज्य द्वारा यह माना कि सीआईसी/एसआईसी धारा–18 के अंतर्गत शिकायत पर विचार करते समय सूचना की आपूर्ति का आदेश नहीं दे सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28/10/13, प्रतिष्ठित धारा–18 और 19(3) के माध्यम से कहा और कहा कि – यह उम्मीद की जाती है कि आयोग (सीआईसी) सीपीआईओ को सूचना प्रदान करने के निर्देश देने के बजाय योग्यता के आधार पर शिकायतों का फैसला करेगा। जिसकी शिकायतकर्ता ने मांग की थी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत करने का आधार

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें, यह समझाने से पहले, मैं आपको शिकायत के लिए आधार प्रदान करता हूं। आप निम्नलिखित परिस्थितियों में, जैसा भी मामला हो, धारा 18 के अंतर्गत सीआईसी या एसआईसी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

(ए) आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी (इसके बाद सीपीआईओ या एसपीआईओ के रूप में संदर्भित) को आरटीआई आवेदन जमा करने में असमर्थ रहे हैं, जैसा भी मामला हो, निम्न कारणों में से किसी के कारण:

(i) लोक प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ नियुक्त नहीं किया गया है; या

(ii) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने सूचना के लिए आपका अनुरोध प्राप्त करने से इनकार कर दिया है; या

(iii) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी (बाद में सीएपीआईओ या एसएपीआईओ के रूप में संदर्भित), जैसा भी मामला हो, ने आरटीआई आवेदन को सीपीआईओ या एसपीआईओ, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। .

(ch) आप धारा 19(1) या 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (बाद में एफएए के रूप में संदर्भित) को निम्नलिखित कारणों से प्रथम अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं:

(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई एफएए नियुक्त नहीं किया गया है; या

(ii) एफएए ने आपकी पहली अपील प्राप्त करने से इनकार कर दिया है; या

(iii) सीएपीआईओ या एसएपीआईओ, जैसा भी मामला हो, ने एफएए को अग्रेषित करने के लिए आपकी पहली अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

(सी) आप सीआईसी या एसआईसी को धारा 19(3) के अंतर्गत दूसरी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, जैसा भी मामला हो, क्योंकि सीएपीआईओ या एसएपीआईओ ने सीआईसी या एसआईसी को अग्रेषित करने के लिए आपकी दूसरी अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

(डी) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने सूचना के अनुरोध या प्रथम अपील, जैसा भी मामला हो, को दुर्भावनापूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है;

(ई) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर आपके आरटीआई आवेदन या पहली अपील, जैसा भी मामला हो, का जवाब नहीं दिया है;

(एफ) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने आपसे शुल्क की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है, जिसे आप अनुचित मानते हैं;

(जी) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने इस अधिनियम के अंतर्गत अधूरी, भ्रामक या गलत जानकारी प्रदान की है;

(एच) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने दुर्भावनापूर्ण रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों के निरीक्षण से इनकार कर दिया है या अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान उचित सहयोग नहीं दिया है;

(आई) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए या कोई अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से धमकाता है या दुर्व्यवहार करता है या आप पर दबाव डालता है या आपको आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है;

(जे) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए या सार्वजनिक प्राधिकरण सीआईसी या एसआईसी के आदेशों की अवहेलना करते हैं;

(के) सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (सक्रिय प्रकटीकरण) के प्रावधानों के लिए बाध्य नहीं है;

(एल) कोई अन्य स्थिति जब आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गलत तरीके से प्रतिबंधित किया गया है/उस सूचना तक पहुंच से इनकार किया गया है जिसके लिए आप हकदार हैं; तथा

(एम) CAPIO या SAPIO या CPIO या SPIO या FAA या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन।

धारा 18 के अंतर्गत शिकायत जमा करने की समय सीमा?

आरटीआई अधिनियम, 2005 कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर आपको धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी होगी। आप 'आरटीआई आवेदन दाखिल करने से पहले' से लेकर 'सीआईसी या एसआईसी के निर्णय के बाद' तक विभिन्न चरणों में शिकायत जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उपरोक्त बिंदुओं (ए), (आई), (के), (एल), और (एम) के अंतर्गत उल्लिखित स्थितियों में आरटीआई आवेदन दाखिल करने से पहले शिकायत जमा कर सकते हैं; या आप बिंदु (जे) के अंतर्गत उल्लिखित स्थितियों में सीआईसी या एसआईसी के निर्णय के बाद शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप प्रथम अपील दायर किए बिना शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, आपको उचित समय के भीतर शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए। बाद में इस लेख में, मैं विस्तार से बताऊंगा कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य

धारा 18 के अंतर्गत, सीआईसी या एसआईसी जांच शुरू कर सकता है, और एसएपीआईओ या सीएपीआईओ या एसपीआईओ या सीपीआईओ या एफएए या सार्वजनिक प्राधिकरण या आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति पर दंड लगा सकता है, लेकिन सीपीआईओ या एसपीआईओ को निर्देश नहीं दे सकता जानकारी प्रस्तुत करना। धारा 18 सीआईसी या एसआईसी को आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन से बचाने के लिए सीआईसी या

एसआईसी को कर्तव्य सौंपकर आरटीआई अधिनियम का संरक्षक बनाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई आरटीआई अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना करता है, तो सीआईसी या एसआईसी जांच शुरू कर सकता है और धारा 20 के अनुसार उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकता है।

धारा 18 के अंतर्गत, उपरोक्त स्थितियों में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना सीआईसी या एसआईसी का कर्तव्य है। शिकायत प्राप्त करने के बाद, यदि सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है। आप देख सकते हैं कि "पूछताछ" का दायरा "सुनवाई" की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

धारा 18 के अंतर्गत, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, धारा 20 के अनुसार केवल पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को दंडित कर सकता है, लेकिन पीआईओ को सूचना प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इस प्रकार, आपको केवल तभी शिकायत दर्ज करनी चाहिए जब आप पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड का आश्वासन देना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं चाहते हैं।

धारा 18 के अंतर्गत, सीआईसी या एसआईसी जांच शुरू कर सकता है, और एसएपीआईओ या सीएपीआईओ या एसपीआईओ या सीपीआईओ या एफएए या सार्वजनिक प्राधिकरण या आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकता है, लेकिन सीपीआईओ या एसपीआईओ जानकारी देने का निर्देश नहीं दे सकता। धारा 18 सीआईसी या एसआईसी को आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन से सीआईसी या एसआईसी को बचाने के लिए कर्तव्य सौंपकर सीआईसी या एसआईसी को आरटीआई अधिनियम का संरक्षक बनाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आरटीआई अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना करता है, तो सीआईसी या एसआईसी जांच शुरू कर सकता है और उस व्यक्ति पर धारा 20 के अनुसार जुर्माना लगा सकता है।

धारा 18 के अंतर्गत, उपरोक्त स्थितियों में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना सीआईसी या एसआईसी का कर्तव्य है। शिकायत प्राप्त करने के बाद, यदि सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि मामले की जांच के लिए उचित आधार हैं, तो वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है। आप देख सकते हैं कि "पूछताछ" का दायरा "सुनवाई" की तुलना में बहुत व्यापक है।

मामले की जांच करते समय, सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दीवानी अदालत में निहित समान शक्तियां होंगी। निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

व्यक्तियों (कोई भी व्यक्ति, न केवल सीपीआईओ या एसपीआईओ) को बुलाना और उन्हें उपस्थित कराना और उन्हें शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए मजबूर करना;

- दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता;
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना;
- गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना;
- किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को उसके सामने रखने का आह्वान करना (न केवल शिकायतकर्ता के आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी; और
- कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

इस तरह, सीआईसी या एसआईसी को उल्लंघन के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। अब, आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें।

धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील दायर करने के लिए आधार

यदि आपको धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील पर धारा 19 की उप–धारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, या धारा 19(1) के अंतर्गत उल्लिखित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित हैं, तो मामला हो सकता है, आप केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जिस पर निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था।

इस धारा की उप–धारा (1) में उल्लिखित आधारों पर अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत और दूसरी अपील के बीच मुख्य अंतर यह है कि अपील के मामले में, यह आयोग सीपीआईओ को उपयुक्त मामलों में अपीलकर्ता को अनुरोधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकता है, जबकि इस तरह के आदेश शिकायत से निपटने के दौरान पारित नहीं किए जा सकते हैं।

आरटीआई अधिनियम का कोई भी उल्लंघन, कहते हैं,

- किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण की वेबसाइट में पीआईओ/एफएए संपर्कों का खुलासा न करना,
- पीआईओ हमारे आरटीआई, आदि प्राप्त करने पर पावती प्रदान नहीं कर रहा है,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दोषी अधिकारी/लोक प्राधिकरण के खिलाफ सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है।

एक शिकायत धारा 18 के अंतर्गत है। यह ठीक से जवाब नहीं देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है। इस धारा के अंतर्गत किसी मामले में आयोग सूचना देने का निर्देश नहीं दे सकता है। (सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसएलपी (सी) नंबर 32768 – 32769/2010 में)। यह केवल यह तय कर सकता है कि लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जाना है या नहीं।

यदि आवेदक आरटीआई प्रतिक्रिया, प्रथम अपील प्रतिक्रिया, या पीआईओ/एपीआईओ के साथ असंतुष्ट है, तो वह सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

आरटीआई के लिए शुरुआती प्रतिक्रिया मिलने के बाद भी ऐसा किया जा सकता है।

धारा 18 की शिकायत या तो आरटीआई का जवाब मिलने के बाद या पहली अपील का जवाब मिलने के बाद की जा सकती है। हालांकि, पहली अपील (यदि संभव हो) के बाद शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे मामला मजबूत हो सकता है। हालांकि शिकायत को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि पहली अपील नहीं की गई है।

साथ ही, कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर शिकायत करने की आवश्यकता है। धारा 18 शिकायत आरटीआई प्रतिक्रिया, या प्रथम अपील प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद कभी भी की जा सकती है।

धारा 18 की शिकायत मुझे सूचना आयोग से करनी है। राज्य सरकार के विभागों के लिए राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) से संपर्क करने की जरूरत है और केंद्र सरकार के विभागों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संपर्क करने की जरूरत है।

एक और अंतर यह है कि पहली अपील दायर किए बिना भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तथापि, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने का उपाय समाप्त होने के बाद ही द्वितीय अपील दायर की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

सीआईसी और एनआर बनाम मणिपुर और एनआर राज्य के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 18 और धारा 19 के बीच के अंतर को विस्तार से स्पष्ट किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

> "35..... उक्त अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया काफी अलग है। धारा 18 के अंतर्गत शक्ति की प्रकृति पर्यवेक्षी प्रकृति की है जबकि धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया एक अपीलीय प्रक्रिया है और एक व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करने से इनकार करने से व्यथित है, वह केवल क़ानून में प्रदान किए गए तरीके से निवारण की मांग कर सकता है। अर्थात्, धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करके। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि धारा 19 के साथ पढ़ी गई धारा 7 उस व्यक्ति को एक पूर्ण वैधानिक तंत्र प्रदान करती है जो सूचना प्राप्त करने से इनकार करने से व्यथित है। ऐसे व्यक्ति को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन कर सूचना प्राप्त करनी होती है। अपीलकर्ता का यह तर्क कि धारा 18 के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है, अधिनियम की धारा 19 के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत है। यह सर्वविदित है कि जब कोई प्रक्रिया वैधानिक रूप से निर्धारित की जाती है और उक्त वैधानिक प्रक्रिया को कोई चुनौती नहीं होती है, तो न्यायालय को व्याख्या के नाम पर ऐसी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करनी चाहिए जो व्यक्त वैधानिक प्रावधान के विपरीत हो। टेलर बनाम टेलर ((1876) 1 च. डी. 426) कि जहां क़ानून किसी विशेष तरीके से कुछ करने का प्रावधान करता है, वह अकेले उस तरीके से किया जा सकता है और प्रदर्शन के अन्य सभी तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं।
>
> "36 यह न्यायालय अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करता है कि कोई अन्य निर्माण अधिनियम की धारा 19(8) के प्रावधान को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। यह व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है कि किसी भी क़ानून की इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि उसके एक हिस्से को बेमानी या अधिशेष बना दिया जाए।

37. हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 18 और 19 दो अलग–अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और दो अलग–अलग प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं और वे दो अलग–अलग उपचार प्रदान करती हैं। एक दूसरे का स्थानापन्न नहीं हो सकता।

42. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया, जब धारा 18 की तुलना में, उस व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय हैं, जिन्हें उसके द्वारा मांगी गई जानकारी से इनकार कर दिया गया है। इस संबंध में धारा 19(5) का उल्लेख किया जा सकता है। धारा 19(5) सूचना अधिकारी पर अनुरोध को अस्वीकार करने को सही ठहराने का दायित्व डालती है। इसलिए, यह अधिकारी के लिए इनकार को सही ठहराने के लिए है। धारा 18 में ऐसा कोई बचाव नहीं है। इसके अलावा धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया एक समयबद्ध है लेकिन धारा 18 के अंतर्गत कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए दो प्रक्रियाओं में से, धारा 18 और धारा 19 के बीच, धारा 19 के अंतर्गत एक उस व्यक्ति के लिए अधिक फायदेमंद है जिसे सूचना तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।

43. एक दूसरा पहलू भी है। धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया एक अपीलीय प्रक्रिया है। अपील का अधिकार हमेशा क़ानून का प्राणी होता है। अपील का अधिकार एक बेहतर फोरम में प्रवेश करने का अधिकार है, जो कि अवर फोरम की त्रुटियों को ठीक करने के लिए उसकी सहायता और अंतर्विरोध का आह्वान करता है। यह एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है। इसलिए, जब क़ानून अपील का ऐसा अधिकार प्रदान करता है जिसका प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो सूचना देने से इनकार करने के कारण व्यथित है।

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस धारा को लागू करना है: धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत? मैं धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत के विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं?

इस प्रकार, धारा 18 के अंतर्गत, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, केवल पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को धारा 20 के अनुसार दंडित कर सकता है, लेकिन पीआईओ को सूचना प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इस प्रकार, आपको केवल तभी शिकायत दर्ज करनी चाहिए जब आप पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड का आश्वासन देना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं चाहते हैं।

धारा 19 के अंतर्गत, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, पीआईओ को सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है (धारा 19(8)(ए)(प), धारा 20 के अंतर्गत पीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। 19(8)(सी)), प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने के लिए (धारा 19(8)(बी))। इस प्रकार, धारा 19 के अंतर्गत, आप धारा 18 के अंतर्गत जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा आप जानकारी और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं (दंड पीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह प्रावधान करता है कि जो आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्राप्त करने में विफल रहते हैं या लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें दो स्तरों पर अपील दायर करने का अवसर मिलता है। प्रथम अपील संबंधित लोक प्राधिकरण/संगठन के भीतर दायर की जा सकती है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को संगठन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है।

प्रथम अपील दायर करना

अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, वह प्रथम अपील कर सकता है। प्रथम अपील ऐसे अधिकारी को की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पद से वरिष्ठ हो और जिसे लोक प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया हो। (धारा 19(1))

प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा (30 दिन): सूचना प्राप्त होने की तिथि या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर पहली अपील की जा सकती है।

हालाँकि, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

पीआईओ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में, पहली अपील 30 दिनों के बाद और आरटीआई दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर लागू करनी होगी।

पीआईओ से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में, पीआईओ से प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील लागू करनी होगी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए प्रथम अपीलों के निस्तारण की समय–सीमा निर्धारित की गई है। वह अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या फाइलिंग की तारीख से कुल पैंतालीस दिनों से अधिक की विस्तारित अवधि के भीतर पहली अपील का निपटान करेगा। (धारा 19(6))

केंद्रीय सूचना आयोग ने देरी के मामलों में कुछ प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण में एफएए के एक आदेश के खिलाफ एक दूसरी अपील दायर की जाती है या जब एफएए निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय नहीं लेता है।

यदि आपको प्रथम अपील दायर करने के 30 दिनों के बाद भी पीआईओ/एफएए से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आपको 30 दिनों के बाद और पहली अपील दायर करने के 60 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग/केंद्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील दायर करनी होगी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए प्रथम अपीलों के निस्तारण की समय–सीमा निर्धारित की गई है। वह अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या फाइलिंग की तारीख से कुल पैंतालीस दिनों से अधिक की विस्तारित अवधि के भीतर पहली अपील का निपटान करेगा। (धारा 19(6))

केंद्रीय सूचना आयोग ने देरी के मामलों में कुछ प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण में एफएए के एक आदेश के खिलाफ एक दूसरी अपील दायर की जाती है या जब एफएए निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय नहीं लेता है।

यदि आपको प्रथम अपील दायर करने के 30 दिनों के बाद भी पीआईओ/एफएए से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आपको 30 दिनों के बाद और पहली अपील दायर करने के 60 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग/केंद्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील दायर करनी होगी।

द्वितीय अपील में वह होती है जिसमें लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती दी जाती है। ऐसे मामले में, आयोग सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, अगर उसे पता चलता है कि जानकारी को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। आयोग द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए भी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध आरटीआई के अंतर्गत याचिका के निस्तारण में किसी प्रकार की कमियां पाये जाने पर कार्यवाही कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, हमें उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर करनी चाहिए, जिस तारीख को प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय होना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

बशर्ते कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

दूसरी अपील सूचना आयोग में दायर की जानी है। केंद्र सरकार के विभागों के लिए, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का गठन किया गया है और राज्य सरकार के विभागों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) का गठन किया गया है।

दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दायर की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने क्रमशः अधिनियम की धारा 12 और 15 के प्रावधानों के अनुसार अपने संबंधित आयोगों का गठन किया है।

केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे आयोग स्थापित करने का अधिकार नहीं है।

एक आवेदक धारा 19(1) के अंतर्गत पहली अपील दायर करने के बाद ही दूसरी अपील कर सकता है।

दूसरी अपील अंतिम अपील संभव है और आरटीआई के अंतर्गत आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस धारा को लागू करना हैः धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत? आइए अब धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत के विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं?

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस धारा को लागू करना हैः धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत? मैं धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत के विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं?

आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 के बीच तुलना का सारांश

पैरामीटर	धारा 18	धारा 19
कवरेज	संकीर्ण	ब्रॉड
प्रकृति	शिकायत (प्रकृति में पर्यवेक्षी)	द्वितीय अपील (अपील प्रक्रिया)
क्या हमें मुआवजा मिल सकता है?	नहीं (धारा 18 के अंतर्गत मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है)	हां (सूचना आयोग लोक प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है कि वह अपीलकर्ता को सूचना न देने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करे)
क्या हमें जानकारी मिल सकती है?	नहीं (सूचना आयोग सूचना देने के लिए पीआईओ को निर्देश नहीं दे सकता है। यह केवल आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पीआईओ को दंडित कर सकता है)	हां (सूचना आयोग पीआईओ को सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। यह प्रावधानों के अनुपालन के लिए पीआईओ को दंडित भी कर सकता है। आरटीआई अधिनियम के अधीन)
प्रथम अपील की आवश्यकता है?	नहीं	हाँ (अनिवार्य)
समय सीमा	नहीं	हाँ (90 दिनों के भीतर)

उपरोक्त सारांश धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत का त्वरित अवलोकन देता है? यदि आपको अभी भी यह समझने में कोई संदेह है कि आपके मामले के लिए कौन अधिक उपयुक्त है: धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत?

भाग 2

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील कैसे दर्ज करें

आप दूसरी अपील ऑनलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी अपील दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा केवल केंद्रीय लोक प्राधिकरण और कुछ राज्य लोक प्राधिकरणों के खिलाफ ही उपलब्ध है। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, आपको केवल दूसरी अपील ऑफलाइन ही जमा करनी होगी।

सीआईसी या एसआईसी ऑनलाइन से पहले आरटीआई के अंतर्गत दूसरी अपील कैसे दर्ज करें?

केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील ऑनलाइन जमा करने के लिए, सीआईसी के समक्ष फ़ाइल द्वितीय अपील लिंक का अनुसरण करें।

यदि आप राज्य सूचना आयोगों के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके लिए ऑनलाइन फाइलिंग लिंक का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको द्वितीय अपील केवल ऑफलाइन दर्ज करनी होगी। यह जानने के लिए कि दूसरी अपील ऑफलाइन कैसे जमा करें, नीचे बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करें।

सीआईसी या एसआईसी ऑफलाइन से पहले आरटीआई के अंतर्गत दूसरी अपील कैसे दर्ज करें: चरण दर चरण प्रक्रिया

चरण–1: द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो) का विवरण (पता) प्राप्त करें:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (इसके बाद एफएए के रूप में संदर्भित) प्रथम अपील पर प्रत्येक निर्णय में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करेगा। इस प्रकार, यदि आपको एफएए का निर्णय प्राप्त हुआ है, तो उत्तर से द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का विवरण लें। लेकिन, यदि एफएए ने उत्तर में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान नहीं किया है, या एफएए ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना निर्णय नहीं

दिया है, तो आप द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो) का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है) निम्नलिखित तरीकों सेः

(i) सीआईसी या संबंधित एसआईसी की वेबसाइट से, जैसा भी मामला हो, सीआईसी या एसआईसी का पता प्राप्त करें।

(ii) फोन कॉल या ई–मेल के माध्यम से एफएए के कार्यालय से सीआईसी या एसआईसी का पता पूछें।

(iii) यदि एफएए का कार्यालय आपके घर के नजदीक है, तो आप द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पता प्राप्त करने के लिए वहां जा सकते हैं।

(iv) धारा 5(2) के अनुसार, लोक प्राधिकरण केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (ब।च्प्) या एक राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ै।च्प्), जैसा भी मामला हो, प्रत्येक उप–मंडल स्तर या अन्य उप–जिले में नियुक्त करेगा। स्तर, इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उप–धारा (1) या सीआईसी या एसआईसी के अंतर्गत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत अग्रेषित करने के लिए, के रूप में मामला हो सकता है।

तदनुसार, यदि आपको किसी भी तरह से द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पता नहीं मिलता है, तो आप अपनी दूसरी अपील सीएपीआईओ या एसएपीआईओ, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जो आपकी दूसरी अपील को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को तुरंत भेज देगा।

चरण–2: संबंधित सूचना आयोग (केंद्र या राज्य) की अपील प्रक्रिया की जाँच करें:

कोई समान या सामान्य अपील प्रक्रिया नहीं है जिसमें सीआईसी और एसआईसी के समक्ष दूसरी अपील दायर करने के लिए शुल्क विवरण और प्रारूप शामिल हो। इस प्रकार, सीआईसी या एसआईसी को दूसरी अपील का मसौदा तैयार करने से पहले, शुल्क के लिए सीआईसी या एसआईसी की अपील प्रक्रिया, और दूसरी अपील के प्रारूप (यदि कोई हो) के माध्यम से जाना।

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के लिए अपील प्रक्रिया नियम जानने के लिए, आप सीआईसी और एसआईसी के लिए अपील प्रक्रिया पर जा सकते हैं।

चरण–3: दूसरी अपील लिखें:

संबंधित सूचना आयोगों की अपील प्रक्रिया के अनुसार अपनी दूसरी अपील का मसौदा तैयार करें। यदि संबंधित सूचना आयोग कोई विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है, तो आप सीआईसी के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने के लिए अपील प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, जिसे मैंने नीचे विस्तार से प्रदान किया है। द्वितीय अपील का खाका प्राप्त करने के लिए आप नमूना द्वितीय अपील पर क्लिक कर सकते हैं।

सीआईसी के समक्ष दूसरी अपील का प्रारूप

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 8 के अनुसार, आपको सीआईसी के समक्ष आरटीआई के अंतर्गत अपनी दूसरी अपील में निम्नलिखित विवरण शामिल करने होंगे:

1. अपीलकर्ता का नाम और पता।
2. उस सीपीआईओ का नाम और पता जिसे आवेदन संबोधित किया गया था।
3. आवेदन का उत्तर देने वाले सीपीआईओ का नाम और पता।
4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता जिसने प्रथम अपील का निर्णय लिया।
5. आवेदन का विवरण।
6. आदेश (आदेशों) का विवरण (आरटीआई उत्तर, प्रथम अपील उत्तर, आदि) संख्या सहित, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
7. अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य
8. मांगी गई प्रार्थना या राहत
9. प्रार्थना या राहत के लिए आधार
10. अपील से संबंधित कोई अन्य जानकारी
11. अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन/प्रमाणीकरण

द्वितीय अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करनी चाहिए, जो आपके द्वारा विधिवत प्रमाणित और सत्यापित हैं, अर्थात्:

(i) आरटीआई आवेदन की एक प्रति, संलग्नक के साथ, सीपीआईओ को प्रस्तुत की गई;

(ii) सीपीआईओ से प्राप्त उत्तर की एक प्रति, यदि कोई हो;

(iii) एफएए में किए गए अनुलग्नकों के साथ प्रथम अपील की एक प्रति;

(iv) एफएए से प्राप्त आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो;

(v) अन्य दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है और जिन्हें आपकी अपील में संदर्भित किया गया है;

(vi) यदि आपको एफएए का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने के प्रमाण की एक प्रति;

(vii) द्वितीय अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों का एक सूचकांक; तथा

(viii) आरटीआई आवेदन का कालानुक्रमिक चार्ट

चरण–4: सभी कागजात (संलग्नक के साथ दूसरी अपील) को सूचकांक के अनुसार व्यवस्थित करें और फिर दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर सभी कागजात को क्रम से संख्या दें। यह द्वितीय अपील का एक मूल सेट है।

चरण–5: "सत्यापित" शब्द के अंतर्गत हस्ताक्षर करके संलग्नक के साथ मूल द्वितीय अपील के सभी पृष्ठों को स्वयं सत्यापित करें। मूल द्वितीय अपील की चार (4) सेट फोटो प्रति लें।

चरण–6: द्वितीय अपील प्रति का एक–एक सेट सीपीआईओ और एफएए को या तो हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करें। अगर आप हाथ से कॉपी जमा करते हैं तो सीपीआईओ और एफएए से पावती लेना कभी न भूलें। पावती की तीन (3) प्रतियां, यदि हाथ से जमा की जाती हैं, या डाक रसीदों की, यदि डाकघर के माध्यम से जमा की जाती हैं।

चरण–7: सीपीआईओ और एफएए को दूसरी अपील की प्रति की सेवा के प्रमाण के रूप में मूल और दूसरी अपील की दो शेष प्रतियों के साथ पावती या डाक रसीद की प्रति संलग्न करें।

चरण–8: द्वितीय अपील के सूचकांक और द्वितीय अपील के कालानुक्रमिक चार्ट में नए संलग्नक (पावती या डाक रसीद) की प्रविष्टियां करें।

चरण–9: मूल सेट और द्वितीय अपील का एक अतिरिक्त सेट द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, सीआईसी (केंद्र सरकार के मामले में) को या तो हाथ से या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करें। द्वितीय अपील भेजने के लिए निजी कुरियर सेवाओं से बचने का प्रयास करें। यदि आप हाथ से द्वितीय अपील प्रस्तुत करते हैं तो उस व्यक्ति से पावती लेना कभी न भूलें जिसने आपकी अपील प्राप्त की है। सीआईसी के मामले में, आप अपना दूसरा अपील सेट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

प्रति,

पंजीयक,

केंद्रीय सूचना आयोग,

दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन,

भीकाजी काम प्लेस,

नई दिल्ली – 110 066

चरण–10: सीआईसी को प्रस्तुत करने के प्रमाण के साथ, अपने संदर्भ के लिए दूसरी अपील का शेष एक सेट रखें। द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के बाद, आप संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपनी दूसरी अपील की पंजीकरण स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपकी दूसरी अपील पंजीकृत है तो पंजीकरण संख्या लें और इसे आरटीआई के अंतर्गत दूसरी अपील के अपने संदर्भ सेट पर नोट करें। यदि आपकी दूसरी अपील 15 दिनों के भीतर पंजीकृत नहीं है, तो आप ई–मेल या फोन नंबर के माध्यम से सूचना आयोग में रजिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं, और उन्हें अपनी दूसरी अपील का पता लगाने और उसे पंजीकृत करने के लिए कह सकते हैं।

सूचना आयोगों के समक्ष धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए आधार

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें, यह समझाने से पहले, मैं आपको शिकायत के लिए आधार प्रदान करता हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है:

(ए) आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी (बाद में सीपीआईओ या एसपीआईओ के रूप में संदर्भित) को आरटीआई

आवेदन जमा करने में असमर्थ रहे हैं, जैसा भी मामला हो, निम्न कारणों में से किसी के कारणः

(i) लोक प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ नियुक्त नहीं किया गया है; या

(ii) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने सूचना के लिए आपका अनुरोध प्राप्त करने से इनकार कर दिया है; या

(iii) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी (बाद में सीएपीआईओ या एसएपीआईओ के रूप में संदर्भित), जैसा भी मामला हो, ने आरटीआई आवेदन को सीपीआईओ या एसपीआईओ, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। .

(बी) आप धारा 19(1) या 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (बाद में एफएए के रूप में संदर्भित) को निम्नलिखित कारणों से प्रथम अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैंः

(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई एफएए नियुक्त नहीं किया गया है; या

(ii) एफएए ने आपकी पहली अपील प्राप्त करने से इनकार कर दिया है; या

(iii) सीएपीआईओ या एसएपीआईओ, जैसा भी मामला हो, ने एफएए को अग्रेषित करने के लिए आपकी पहली अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

(सी) आप सीआईसी या एसआईसी को धारा 19(3) के अंतर्गत दूसरी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, जैसा भी मामला हो, क्योंकि सीएपीआईओ या एसएपीआईओ ने सीआईसी या एसआईसी को अग्रेषित करने के लिए आपकी दूसरी अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

(डी) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने सूचना के अनुरोध या प्रथम अपील, जैसा भी मामला हो, को दुर्भावनापूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है;

(ई) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर आपके आरटीआई आवेदन या पहली अपील, जैसा भी मामला हो, का जवाब नहीं दिया है;

(एफ) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने आपसे शुल्क की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है, जिसे आप अनुचित मानते हैं;

(आई) सीपीआईओ या एसपीआईओ ने इस अधिनियम के अंतर्गत अधूरी, भ्रामक या गलत जानकारी प्रदान की है;

(जे) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए ने दुर्भावनापूर्ण रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों के निरीक्षण से इनकार कर दिया है या अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान उचित सहयोग नहीं दिया है;

(आई) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए या कोई अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से धमकाता है या दुर्व्यवहार करता है या आप पर दबाव डालता है या आपको आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है;

(जे) सीपीआईओ या एसपीआईओ या एफएए या सार्वजनिक प्राधिकरण सीआईसी या एसआईसी के आदेशों की अवहेलना करते हैं;

(के) सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (सक्रिय प्रकटीकरण) के प्रावधानों के लिए बाध्य नहीं है;

(एल) कोई अन्य स्थिति जब आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गलत तरीके से प्रतिबंधित किया गया है/उस सूचना तक पहुंच से इनकार किया गया है जिसके लिए आप हकदार हैं; तथा

(एम) CAPIO या SAPIO या CPIO या SPIO या FAA या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा त्ज्प् अधिनियम के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन।

धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा

आरटीआई अधिनियम, 2005 कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर आपको धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी होगी। आप 'आरटीआई आवेदन दाखिल करने से पहले' से लेकर 'सीआईसी या एसआईसी के निर्णय के बाद' तक विभिन्न चरणों में शिकायत जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उपरोक्त

बिंदुओं (ए), (आई), (के), (एल), और (एम) के अंतर्गत उल्लिखित स्थितियों में आरटीआई आवेदन दाखिल करने से पहले शिकायत जमा कर सकते हैं; या आप बिंदु (जे) के अंतर्गत उल्लिखित स्थितियों में सीआईसी या एसआईसी के निर्णय के बाद शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप प्रथम अपील दायर किए बिना शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, आपको उचित समय जैसे एक वर्ष के भीतर शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए। बाद में हम विस्तार से बताएंगे कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें।

धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोगों की शक्ति

धारा 18 के अंतर्गत, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, धारा 20 के अनुसार केवल पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को दंडित कर सकता है, लेकिन पीआईओ को सूचना प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इस प्रकार, आपको केवल तभी शिकायत दर्ज करनी चाहिए जब आप पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड का आश्वासन देना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं चाहते हैं।

धारा 18 के अंतर्गत, सीआईसी या एसआईसी जांच शुरू कर सकता है, और एसएपीआईओ या सीएपीआईओ या एसपीआईओ या सीपीआईओ या एफएए या सार्वजनिक प्राधिकरण या आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति पर दंड लगा सकता है, लेकिन सीपीआईओ या एसपीआईओ को निर्देश नहीं दे सकता जानकारी प्रस्तुत करना। धारा 18 सीआईसी या एसआईसी को आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन से बचाने के लिए सीआईसी या एसआईसी को कर्तव्य सौंपकर आरटीआई अधिनियम का संरक्षक बनाती है। इसका मतलब है कि यदि कोई आरटीआई अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना करता है, तो सीआईसी या एसआईसी धारा 20 के अनुसार उस व्यक्ति पर जांच शुरू कर सकता है और उस पर जुर्माना लगा सकता है।

धारा 18 के अंतर्गत, उपरोक्त स्थितियों में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना सीआईसी या एसआईसी का कर्तव्य है। शिकायत प्राप्त करने के बाद, यदि सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है। आप देख सकते हैं कि "पूछताछ" का दायरा "सुनवाई" की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

मामले की जांच करते समय, सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत मुकदमा चलाने के दौरान दीवानी अदालत में निहित समान शक्तियां होंगी। निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

- व्यक्तियों (कोई भी व्यक्ति, न केवल सीपीआईओ या एसपीआईओ) को बुलाना और उन्हें उपस्थित कराना और उन्हें शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए मजबूर करना;
- दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता;
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना;
- गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना;
- किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को उसके सामने रखने का आह्वान करना (न केवल शिकायतकर्ता के आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी; और
- कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

इस तरह, सीआईसी या एसआईसी को उल्लंघन के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। अब, आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें? : चरण दर चरण प्रक्रिया

प्रत्येक अधिनियम या कानून में गैर–अनुपालन के खिलाफ इसके प्रावधानों की सुरक्षा के लिए खंड शामिल है, और इसी तरह आरटीआई अधिनियम, 2005 भी है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग (बाद में सीआईसी के रूप में संदर्भित) को कर्तव्य और शक्ति प्रदान करती है। या एसआईसी), जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की रक्षा के लिए। हम कह सकते हैं, सीआईसी या एसआईसी आरटीआई अधिनियम के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहां हम बताते हैं कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कब शिकायत दर्ज करनी है और कैसे शिकायत दर्ज करनी है।

आप ऊपर बताए गए किसी भी आधार पर सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब, मैं बताऊंगा कि आरटीआई

अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें। आप सूचना आयोगों के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दी गई चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

चरण– I: सूचना आयोग का पता खोजें:

चरण– II: संबंधित सूचना आयोग के आरटीआई नियमों की जाँच करें:

शिकायत दर्ज करने का प्रारूप और शुल्क सीआईसी और एसआईसी के बीच एक समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, सीआईसी और कुछ एसआईसी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एसआईसी को शिकायत के साथ न्यूनतम दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। सीआईसी शिकायत के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है, लेकिन कुछ एसआईसी ऐसा करते हैं। इस प्रकार, शिकायत दर्ज करने से पहले, आपको संबंधित राज्य के आरटीआई नियमों की जांच करनी चाहिए। आपको केंद्र और राज्य के आरटीआई नियम केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के आरटीआई नियमों में मिल सकते हैं।

चरण–III: अपनी शिकायत लिखें:

संबंधित आरटीआई नियमों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी शिकायत लिखें। यदि कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर दिए गए प्रारूप में अपनी शिकायत लिख सकते हैं:

चरण– IV: संलग्नक के साथ शिकायत के सभी पृष्ठों को स्वयं सत्यापित करें:

संलग्नक के साथ शिकायत के सभी पृष्ठों पर "सत्यापित" शब्द लिखकर हस्ताक्षर करें। यह पुष्टि करने के लिए आवश्यक है कि आप शिकायत में प्रस्तुत सभी तथ्यों की सत्यता को सत्यापित करते हैं।

चरण–V: शिकायत की प्रति उन सभी व्यक्तियों को दें जिनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं:

संलग्नक के साथ अपनी शिकायत की उतनी ही प्रतियां लें, जितने व्यक्तियों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं प्लस टू (एक अपने लिए और दूसरी सूचना आयोग के लिए)। शिकायत की प्रति संलग्नक के साथ उन सभी व्यक्तियों को दें जिनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं और प्रस्तुत करने के प्रमाण को अपने पास सुरक्षित रखें। आप प्रतियां हाथ से या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं।

चरण–VI: सूचना आयोग के समक्ष शिकायत जमा करें:

आप अपनी मूल शिकायत + एक अतिरिक्त प्रति संलग्नक और शुल्क के साथ, यदि कोई हो, सीआईसी या एसआईसी को, जैसा भी मामला हो, हाथ से या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर आप अपनी शिकायत हाथ से जमा करते हैं तो कमीशन से पावती लेना कभी न भूलें।

चरण–VII: शिकायत की प्रति और प्रस्तुत करने के प्रमाण को सुरक्षित रखें, और बाद में सूचना आयोग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें:

संदर्भ के लिए संलग्नक के साथ शिकायत की प्रति अपने पास रखें। शिकायत दर्ज करने के एक सप्ताह के बाद, आप संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत की पंजीकरण स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत पंजीकृत है तो पंजीकरण संख्या लें और इसे अपनी शिकायत प्रति पर नोट करें। यदि आपकी शिकायत 15 दिनों के भीतर दर्ज नहीं की जाती है, तो आप ई–मेल या फोन नंबर के माध्यम से सूचना आयोग में रजिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपनी शिकायत का पता लगाने और उसे दर्ज करने के लिए कह सकते हैं।

अब तक आप समझ गए होंगे कि त्ज्प् ।बज के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। यदि आपको अभी भी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के बारे में कोई संदेह है।

शिकायत लिखने के लिए सामान्य बिंदु:

यहां, आप शिकायत दर्ज करने के मुख्य कारण का उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण:

(चूंकि मुझे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, या उत्तरदाताओं ने दुर्भावनापूर्ण रूप से जानकारी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, या प्रतिवादियों ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं इस शिकायत को आपके तरह के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता हूं।)

1. शिकायत की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य:

इस खंड में आप संक्षेप में शिकायत की पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए:

यदि सीपीआईओ/एसपीआईओ ने आपका आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया, तो आप निम्नलिखित विवरण लिख सकते हैं:

1.1. दिनांक …….. को, शिकायतकर्ता ने आवेदन दिनांक …….. (अनुलग्नक–ए) प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत किया, जिसने नियंत्रण संख्या …….. के अंतर्गत आरटीआई आवेदन पंजीकृत किया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उत्तर दिनांक ३३३.. (अनुलग्नक–बी) को …….. को भेजा। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने में 30 दिनों के बजाय लगभग ३३३.. (64 दिन) का समय लिया।

1.2. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 आरटीआई अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर अपना निर्णय देने में विफल रहा है, प्रतिवादी संख्या 1 को अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया माना गया है। अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (2) के अनुसार, जो नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

"(7) (1) धारा 5 की उप–धारा (2) या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, या तो ऐसे शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है या किसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में सेः

बशर्ते कि जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।"

(2) यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य जनता सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अनुरोध को अस्वीकार करने वाला माना जाएगा।"

यदि सीपीआईओ/एसपीआईओ ने बिना कारण बताए सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या 30 दिनों के भीतर गलत/भ्रामक सूचना प्रदान की है या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान नहीं किया है, तो आप निम्नलिखित विवरण लिख सकते हैंः

1.3. उत्तरदाताओं के उत्तरों का विश्लेषणः

इस खंड में, आप स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आपके अनुरोध का कौन सा हिस्सा सीपीआईओ/एसपीआईओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है या उत्तर का कौन सा हिस्सा झूठा या भ्रामक है। उदाहरण के लिएः

आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या (1) और (3): सीपीआईओ/एसपीआईओ ने सूचना प्रदान नहीं की या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया।

आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या (2): सीपीआईओ/एसपीआईओ ने गलत जानकारी दी है

1.4. आरटीआई अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (8) के अनुसार, जहां उप–धारा (1) के अंतर्गत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति से संवाद करें, –

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण;

(ii) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ अपील की जा सकती है; तथा

(iii) अपीलीय प्राधिकारी का विवरण।

सीपीआईओ/एसपीआईओ ने अस्वीकृति का कारण या अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नहीं बताकर आरटीआई अधिनियम की धारा 7(8) का उल्लंघन किया है।

आप सीपीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी के संपर्क विवरण प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं:

1.5. उत्तरदाताओं ने आरटीआई उत्तर में अपने टेलीफोन और फैक्स नंबरों का उल्लेख नहीं किया है। यह श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम गृह मंत्रालय, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के मामले में माननीय आयोग की पूर्ण पीठ की सिफारिश का अनुपालन नहीं है। उक्त मामले में माननीय आयोग की पूर्ण पीठ ने सिफारिश की थी। पैरा 11 में निम्नलिखित शब्दों के साथ:

> "11. आयोग सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों को अपने नाम, पदनाम और टेलीफोन और फैक्स नंबर का उल्लेख आरटीआई से संबंधित पत्राचार में करने का भी निर्देश देता है।"

1.6. आप आरटीआई अधिनियम की धारा को देखकर आरटीआई अधिनियम के प्रावधान का कोई अन्य उल्लंघन लिख सकते हैं।

इस शिकायत के पैरा (1) के अंतर्गत रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से आरटीआई अधिनियम को लागू करने में प्रतिवादियों के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता का दृढ़ विश्वास है कि प्रतिवादियों ने आरटीआई

अधिनियम को बहुत ही लापरवाही से लिया है। इसलिए, मैं यह शिकायत माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रार्थना या राहत मांगी गईः

शिकायतकर्ता प्रार्थना करता है कि माननीय आयोग की कृपा होः

- इस शिकायत को स्वीकार करें और आरटीआई अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसकी जांच करें;
- मामले की जांच करते समय, आरटीआई अधिनियम की धारा (18) (3) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करें (ए) उत्तरदाताओं की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने के लिए और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करें या चीज़ें; (ग) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना; या (च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है;
- प्रतिवादी को आरटीआई अधिनियम की धारा (7)(6) के अनुसार आरटीआई आवेदन जमा करते समय शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश देना;
- आरटीआई अधिनियम की धारा (20)(1) के अनुसार प्रतिवादियों पर जुर्माना लगाना और आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार प्रतिवादियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना;
- अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रतिवादियों की सर्विस बुक/वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रविष्टि करने का निर्देश देनाः और
- किसी अन्य निर्देश या सिफारिश को जारी करने के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें जैसा कि वह उचित समझे।

प्रार्थना या राहत के लिए आधारः

- शिकायतकर्ता माननीय केंद्रीय सूचना आयोग का ध्यान आरटीआई अधिनियम की धारा (18) के आधार पर उसमें निहित शक्ति की प्रकृति की ओर आकर्षित करना चाहता है। यह धारा किसी भी व्यक्ति को माननीय आयोग के सामने शिकायत

लाने की अनुमति देती है यदि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधित किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है या उसे इस के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के अनुरोध या जानकारी तक पहुंच का जवाब नहीं दिया गया है। अधिनियम या उसका मानना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत अभिलेखों तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में उसे अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, माननीय आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति से ऐसी शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे।

- शिकायतकर्ता का दृढ़ विश्वास है कि प्रतिवादी ने दुर्भावना से, बिना किसी उचित कारण के, सूचना के अनुरोध पर आरटीआई अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहा है। इस प्रकार, प्रतिवादी ने आरटीआई अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (2) के अनुसार अनुरोध को अस्वीकार कर दिया माना जाता है। फिर से, आरटीआई अधिनियम की धारा (7) की उप–धारा (6) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को मुफ्त में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

- रिकॉर्ड की सामग्री स्पष्ट रूप से आरटीआई अधिनियम को लागू करने में उत्तरदाताओं के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाती है। उत्तरदाताओं की ऐसी कार्रवाई आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुपालन में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने आरटीआई अधिनियम को बहुत ही लापरवाही से लिया है।

- सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तरदाताओं ने सूचना के अनुरोध को दुर्भावना से खारिज करके इसका उल्लंघन किया है। उत्तरदाताओं ने लगातार आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों और भावना को पराजित किया है, इस प्रकार, शिकायतकर्ता माननीय आयोग से सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि आरटीआई, अधिनियम की धारा 20 (2) के अनुसार प्रतिवादियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाए।

- चूंकि ये मामले सीधे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित हैं, शिकायतकर्ता बहुत ही आकस्मिक और अभावग्रस्त दृष्टिकोण के साथ आरटीआई अधिनियम को लागू करने के प्रतिवादी के नाजायज कृत्य को रोकने

के लिए इच्छुक है। इसके अलावा, अधिनियम के गैर–अनुपालन को नहीं रोकने से, सूचना का अधिकार अधिनियम के घोषित उद्देश्य, अर्थात् एक सूचित नागरिक बनाना और सरकार में पारदर्शिता के एक व्यावहारिक शासन की स्थापना सुनिश्चित करना विफल हो जाएगा।

- शिकायतकर्ता का मानना है कि उसके लिए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग को निवारण के लिए जाना उचित है क्योंकि माननीय आयोग को आरटीआई अधिनियम के गैर अनुपालन के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए पहली बार अधिकार दिया गया है।

- मुख्य सूचना आयुक्त और एक अन्य बनाम मणिपुर राज्य और एक अन्य (सिविल अपील संख्या 10787.10788 2011, निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य की पर्यवेक्षी शक्तियों पर ध्यान दिया निम्नलिखित शब्दों में उस अधिनियम की धारा (18) में निहित सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सूचना आयोगः

  "30... एकमात्र आदेश जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, धारा 18 के अंतर्गत धारा 20 के अंतर्गत प्रदान किया गया दंड का आदेश है ..."

  "35... इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया काफी अलग है। धारा 18 के अंतर्गत शक्ति की प्रकृति पर्यवेक्षी प्रकृति की है जबकि धारा 19 के अंतर्गत प्रक्रिया एक अपीलीय प्रक्रिया है..."

  "37. हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 18 और 19 दो अलग–अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और दो अलग–अलग प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं और वे दो अलग–अलग उपचार प्रदान करती हैं। एक दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता।"

- शिकायतकर्ता का मानना है कि अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति के संबंध में आरटीआई अधिनियम में और मार्गदर्शन उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत यदि केंद्रीय सूचना आयोग को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के अभ्यास के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण का अभ्यास इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो यह हो सकता है

प्राधिकरण को इस तरह की अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए एक सिफारिश दें।

4. शिकायतकर्ता इस शिकायत पत्र में मांगी गई प्रार्थनाओं या राहतों में कोई संशोधन करने या इस मामले में जब भी आवश्यक हो, अतिरिक्त तर्क और प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भाग 3

आरटीआई के अंतर्गत पहली अपीलः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील कैसे दर्ज करें?

किसी भी कानूनी प्रणाली में, अपील प्रक्रिया को पीड़ित आवेदक के हाथ में बहुत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मान्यता दी गई है और शामिल किया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 19 दो प्रकार की अपील प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 19(1) और धारा 19(2) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के आदेश के खिलाफ प्रथम अपील का प्रावधान करती है, (इसके बाद पीआईओ के रूप में संदर्भित)। आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) धारा 19(1) या 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील का प्रावधान करती है।

सीआईसी/एसआईसी की धारा–19(3) के अंतर्गत अपील की समय सीमा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तिथि से 90 दिनों की या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत करने की तिथि से 120 दिनों की है (जहां एफएए का कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है))

धारा–19 सीआईसी या एसआईसी को अपीलकर्ता द्वारा दी गई अपील में शामिल मुद्दे को तय करने और अपना बाध्यकारी निर्णय देने का अधिकार देता है; और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण बनाएं जैसे ::

- सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए (यदि किसी विशेष रूप में आवश्यक हो),
- सीपीआईओ या एसपीआईओ नियुक्त करें
- सूचना की एक निश्चित श्रेणी को प्रकाशित करने के लिए
- प्रबंधन और अभिलेखों को नष्ट करने के अपने अभ्यास में परिवर्तन करना
- अपने अधिकारियों के लिए आरटीआई पर प्रशिक्षण के प्रावधान में वृद्धि

- शिकायतकर्ता को हुई हानि या हानि के लिए मुआवजे का आदेश देना;
- पीआईओ, एफएए और सहायक अधिकारी पर धारा 20 के अंतर्गत कोई जुर्माना लगाना।
- आवेदन को अस्वीकार करें (अपील)
- अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को निर्णय की सूचना दें।
- इस धारा के अंतर्गत अपील पर धारा 27(2)(ई) के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

प्रथम अपील आरटीआई आवेदक के लिए उपलब्ध वैधानिक उपाय है, जब निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक सूचना अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है या पीआईओ का निर्णय संतोषजनक नहीं होता है या पीआईओ ने गलत / भ्रामक जानकारी की पेशकश / आपूर्ति की या अत्यधिक शुल्क आदि की मांग की। .

एक व्यक्ति जिसने एक आरटीआई आवेदन जमा किया है और कोई प्रतिक्रिया या असंतोषजनक उत्तर या गलत जानकारी से व्यथित है।

तृतीय पक्ष या पक्ष जिनसे मांगी गई जानकारी संबंधित है या आपूर्ति की गई है और गोपनीय मानी जाती है।

यदि आवेदक एफएए का विवरण या पता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो आवेदक प्रथम अपील को "आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, ... के कार्यालय के रूप में संबोधित कर सकता है, और इसे पते पर भेज सकता है। पीआईओ की।

एफएए को आगे जमा करने के लिए एपीआईओ को पहली अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रथम अपील दाखिल करने की स्थिति और निर्धारित समय सीमा

	प्रथम अपील दाखिल करने की स्थिति	प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा
1	पीआईओ ने अपने कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया।	पीआईओ ने अपने कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया।

2	एपीआईओ के माध्यम से आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन पीआईओ के कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया।	35 के बाद (डाक पारगमन समय के लिए +7 दिन) लेकिन पीआईओ कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर।
3	मूल लोक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य लोक प्राधिकरण (पीआईओ) को हस्तांतरित आरटीआई आवेदन, लेकिन स्थानांतरित पीआईओ ने आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया।	30 के बाद (पोस्टल ट्रांजिट समय के लिए +7 दिन) लेकिन ट्रांसफरी पीआईओ के कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर।
4	पीआईओ ने तीसरे पक्ष को धारा–11(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया, लेकिन आवेदन प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर उनके कार्यालय में आवेदन का फैसला नहीं किया।	40 के बाद (डाक पारगमन समय के लिए +7 दिन) लेकिन पीआईओ कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 70 दिनों के भीतर।
5	धारा–11(3) के अंतर्गत पीआईओ का निर्णय	पीआईओ के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
6	पीआईओ ने जवाब दिया लेकिन आवेदक पीआईओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या मांग की गई फीस अत्यधिक या गलत है, अधूरी जानकारी की आपूर्ति की जाती है आदि।	आवेदक द्वारा पीआईओ के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर।

अपील में क्या लिखें?

- संक्षिप्त तथ्यः संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन करें जो प्रथम अपील की ओर ले जाते हैं जैसे
- पीआईओ और उसकी तारीख से पहले आरटीआई आवेदन दाखिल करना
- क्या जानकारी मांगी गई थी / मांगी गई थी,

- पीआईओ का निर्णय या माना इनकार,
- क्या जानकारी दी गई थी/प्रदान की गई थी और
- क्या आपूर्ति नहीं की गई या क्यों व्यथित।

अपील के लिए आधारः ये तार्किक कारण हैं जो दर्शाते हैं कि पीआईओ ने अपने निर्णय में कैसे और क्यों गलती की। साथ ही, आवेदक के पक्ष या पीआईओ से अपेक्षित कार्रवाई के सही तरीके का समर्थन करने वाले नियमों के प्रावधान और ऐसी कार्रवाई को समर्थन देने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक बिंदु को एक अलग आधार के रूप में लिखा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत सुनवाईः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने के लिए एफएए आवश्यक है। एफएए द्वारा सुनवाई के लिए इच्छुक अपीलकर्ता अपील के अंत में इसका उल्लेख करेगा। यदि ऐसी सुनवाई में भाग लेना अपीलकर्ता के लिए सुविधाजनक नहीं है, तो वह इस तरह के अनुरोध को अपनी अपील में शामिल नहीं कर सकता है। प्रथम अपील की सुनवाई के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।

प्रार्थनाएंः अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से एफएए द्वारा दिए जाने वाले आवश्यक निर्णय का संकेत देना चाहिए। ऐसी ही कुछ प्रार्थनाएं हैं–

- अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करें;
- अपील पर निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दें;
- लोक सूचना अधिकारी को अपील के निर्णय की तारीख से 10 दिनों के भीतर सूचना देने का निर्देश देना;
- पीआईओ को निःशुल्क सूचना देने का निर्देश देना, क्योंकि पीआईओ 30 दिनों के भीतर सूचना देने में विफल रहा;
- पूरी और सही जानकारी देने के लिए पीआईओ को निर्देश देना; सूचना की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए पीआईओ को निर्देशित करना;
- पीआईओ के फैसले को कायम रखने और अपीलकर्ता आदि की प्रार्थनाओं को खारिज करने आदि के कारणों को रिकॉर्ड करना और आपूर्ति करना।

अपील पर दाहिनी ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करें।

अपील शुल्क और प्रारूप

केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों को प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क और विशिष्ट प्रारूप नहीं है।

हालांकि, कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए निर्धारित शुल्क और प्रारूप है। राज्यों के लिए पहली अपील का मसौदा तैयार करने से पहले, कृपया संबंधित राज्य के प्रथम अपील शुल्क, उसके भुगतान के तरीके के साथ–साथ अपील के निर्धारित प्रारूप (यदि कोई हो) के लिए आरटीआई नियम देखें।

प्रथम अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः

- आरटीआई आवेदन की स्वप्रमाणित फोटो प्रति,
- पीआईओ के उत्तर की स्वप्रमाणित प्रति (यदि कोई हो),
- अपील में आधारों और दलीलों का समर्थन करने वाला कोई अन्य दस्तावेज।

सेल्फ अटेस्टेड यानी फोटो कॉपी के नीचे 'अटेस्टेड' और उसके नीचे पूरा सिग्नेचर लिखें।

स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रथम अपील जमा करें। इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से डिलीवरी की स्थिति की जांच करें और डिलीवरी की स्थिति का एक प्रिंटआउट लें और इंडिया पोस्ट – ट्रैक कंसाइनमेंट पर रिकॉर्ड रखें।

आप व्यक्तिगत रूप से भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अपने सभी आरटीआई से संबंधित संचार को पंजीकृत डाक एडी या स्पीड पोस्ट द्वारा मेल करना हमेशा बेहतर होता है। आरटीआई दस्तावेज जमा करने के लिए कभी भी कूरियर सेवाओं का उपयोग न करें।

जब आप एक दिन में एक से अधिक प्रथम अपील भेजते हैं, तो उनमें से प्रत्येक पर एफएए की प्रतिक्रिया को अलग करने के लिए, कृपया उनमें से प्रत्येक पर अलग–अलग तिथि डालना सुनिश्चित करें।

अपील के एक सेट को उसके संलग्नकों, मूल डाक रसीद और एडी रसीद या स्पीड पोस्ट डिलीवरी स्थिति प्रिंट आउट के साथ एक गुच्छा/फ़ोल्डर में सुरक्षित रखें।

नमूना तथ्य और प्रथम अपील के लिए आधार

मामले के संक्षिप्त तथ्य

मैंने आवेदन दिनांकः ..... को प्राथमिकता दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के साथ पठित एसपीआईओ और ३३३३३ के अंतर्गत। ... और निम्नलिखित जानकारी की मांग की।

(1)……..

(2) ……..

(3) ……..

इस अपील के साथ आरटीआई आवेदन की प्रति अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न है।

कोई प्रतिक्रिया नहीं होने की स्थिति में: उक्त आवेदन को पीआईओ के कार्यालय द्वारा ३३३३३ को प्राप्त और स्वीकार किया गया था। इसकी प्राप्ति की तिथि। हालांकि, पीआईओ ने निर्धारित समय के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं किया।

या

अत्यधिक शुल्क के मामले में: एसपीआईओ ने अधिनियम की धारा–7 (1) के संदर्भ में उक्त आरटीआई आवेदन का निर्णय लिया और संचार के माध्यम से सूचना प्रदान करने के लिए आगे शुल्क की सूचना दीः ……. .. एसपीआईओ ने रुपये के आवेदन शुल्क की मांग की . 798 मामलों के लिए 7980 और रु। 798 पृष्ठों के दस्तावेज़ शुल्क के लिए 4788। एसपीआईओ द्वारा मांगा गया शुल्क अनुचित है और धारा–7(5) के अंतर्गत प्रावधान के पूर्ण उल्लंघन में है, जो यह निर्धारित करता है कि धारा–6 की उप–धारा (1) और उप–धारा (1) और (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क धारा–7 का उचित होगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति आरटीआई आवेदन और ए4 सूचना के प्रति पृष्ठ 2 रुपये है।

या

इनकार के मामले में: आवेदक ने सूचना के 3 काउंट की मांग की। सीपीआईओ ने आइटम नंबर 1 के संबंध में जानकारी से इनकार किया, यानी नियुक्ति के समय श्री ज़ायज़ द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, इस दलील के अंतर्गत कि जानकारी प्रकृति में व्यक्तिगत है और संबंधित कर्मचारी की गोपनीयता पर आक्रमण करेगी। यह विवाद पूरी तरह गलत है। पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहा कि भर्ती नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, जिसकी परिणति कर्मचारी

की नियुक्ति में हुई, व्यक्तिगत जानकारी है। पीआईओ का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और तर्क द्वारा समर्थित नहीं है।

अपील के आधार

कोई प्रतिक्रिया न होने की स्थिति में: अधिनियम की धारा 7(3)(ए) के साथ पठित धारा 7(1) के अनुसार सूचना देने के लिए पीआईओ के लिए उपलब्ध कुल समय 30 दिन है। हालांकि, पीआईओ ने न तो मेरे आरटीआई आवेदन पर अपने निर्णय की सूचना दी और न ही 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान की। पीआईओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अनुसार सूचना से इनकार माना जाता है।

या

अत्यधिक शुल्क के मामले में: मैंने एसपीआईओ से जो मांगा है वह 2010 से 2013 तक भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों की सूची है। ऐसी जानकारी को भूमि सुधार अधिनियम के अनुपालन में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। इसलिए एसपीआईओ द्वारा 3 मामलों में सूचना दिखाने वाली सूची की पेशकश की जानी आवश्यक थी। इसके बजाय, उसने आवेदक को आपके सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने से हतोत्साहित करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से आवेदन शुल्क और आगे शुल्क की अनुचित और अवैध मांग की।

एसपीआईओ ने भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग आरटीआई आवेदन के मामले के रूप में माना और 10/– रुपये के आवेदन शुल्क की मांग की। आरटीआई आवेदन की विषय वस्तु दिनांकः ..... केवल एक है और एक ही विषय पर तीन तरह की जानकारी मांगी है। इसलिए भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मामले को अलग आरटीआई आवेदन के रूप में मानने का कोई सवाल ही नहीं है।

एसपीआईओ के लिए रुपये के आवेदन शुल्क की मांग करने का कोई आधार नहीं है। भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 798 मामलों में से प्रत्येक के लिए 10/– रुपये, जिसकी सूचना उपलब्ध है और आवेदक को आपूर्ति के लिए तैयार है। एसपीआईओ भूमि सुधार अधिनियम में सूचीबद्ध 798 मामलों में से प्रत्येक को 7980/–

रुपये के आवेदन शुल्क की मांग के लिए एक अलग आरटीआई आवेदन के रूप में मानने के लिए कारण बताने में विफल रहा है।

चूंकि केवल एक ही आरटीआई आवेदन है जिसमें एक ही विषय पर तीन प्रकार की जानकारी मांगी गई है, एसपीआईओ ने आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 7980 रुपये जमा करने के लिए कहा।

एसपीआईओ द्वारा मांगा गया अतिरिक्त आवेदन शुल्क अवैध, अनुचित है और इस आवेदक को सूचना प्राप्त करने से हतोत्साहित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से है।

या

इनकार के मामले में: जाति प्रमाण पत्र कर्मचारी द्वारा भर्ती प्राधिकरण को उसके सार्वजनिक प्राधिकरण में रोजगार से बहुत पहले जमा किया गया था, जो नियुक्ति के बाद उसके सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। भर्ती एक सार्वजनिक गतिविधि है, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की भागीदारी और रुचि शामिल है। विचाराधीन जाति प्रमाण पत्र कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान बनाया गया दस्तावेज नहीं है, और इसलिए नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला नहीं है, बल्कि भर्ती की सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है और इसलिए धारा–8 (1) (जे) के प्रावधान नहीं हैं छूट का दावा करने में आकर्षित। धारा–8(1)(र) के अंतर्गत छूट का दावा केवल उन सूचनाओं के संबंध में किया जा सकता है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।

हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रकटीकरण का उस भर्ती से सीधा संबंध है जो एक सार्वजनिक गतिविधि थी और है और इसलिए पीआईओ ने धारा–8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट का दावा करने में गलती की है, यह मानते हुए कि जाति प्रमाण पत्र के प्रकटीकरण की गोपनीयता पर आक्रमण होगा कर्मचारी। इसे देखते हुए पीआईओ द्वारा दावा की गई छूट गलत है। मांगी गई जानकारी किसी छूट के लिए योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी को जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

निः शुल्कः पीआईओ 30 दिनों के भीतर सूचना की आपूर्ति करने में विफल रहा और इसलिए आवेदक अधिनियम की धारा–7 (6) के अनुसार निः शुल्क सूचना प्राप्त करने का हकदार है।

व्यक्तिगत सुनवाईः अपील पर निर्णय लेने से पहले आवेदक को इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुना जा सकता है।

प्रार्थना

- इस अपील के निर्णय से 10 दिनों की अवधि के भीतर एसपीआईओ को मेरे आरटीआई आवेदन दिनांकः ..... के अंतर्गत मांगी गई जानकारी की आपूर्ति करने का निर्देश दें।
- इस अपीलीय प्राधिकारी के ऊपर बताए गए निर्णय के अलावा किसी अन्य निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में (1), भूमि सुधार अधिनियम के संदर्भ में पीआईओ को सख्त सबूत के लिए रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से आवेदन शुल्क के लिए रु. 7890 / – की मांग और रु. सूचना के 798 पृष्ठों की ओर 4788 आरटीआई अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के ढांचे के भीतर है और यह माननीय अपीलीय प्राधिकारी इस अपीलकर्ता को धारा–19(5) के संदर्भ में रिकॉर्ड और आपूर्ति करने की कृपा कर सकते हैं। अधिनियम, इस अपीलीय प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया ऐसा सबूत, जिसने इस अपीलीय प्राधिकारी को भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से मुफ्त में जानकारी प्रदान करने के आदेश के अलावा किसी अन्य निर्णय पर पहुंचने का नेतृत्व किया।
- वर्तमान अपील का निपटारा इस माननीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा–19(6) के अंतर्गत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाता है।

आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील कौन कर सकता है?

आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) और धारा 19(2) दोनों में पीआईओ के आदेश के खिलाफ प्रथम अपील का प्रावधान है। एक आवेदक को अपील का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अन्य तीसरे पक्ष को (धारा 2(द) "तीसरे पक्ष" को 'एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न है और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है')।

आवेदक द्वारा पहली अपील (आरटीआई आवेदन दायर करने वाला नागरिक): कोई भी व्यक्ति, जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) या धारा 7(3)(ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पीआईओ का निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या पीआईओ के निर्णय से व्यथित होकर आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम अपीलः एक तृतीय पक्ष, धारा 11 के अंतर्गत, जिसकी इच्छा के विरुद्ध पीआईओ ने तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्णय लिया है और तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है, आवेदक को आरटीआई अधिनियम धारा 19 (2) के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत कर सकता है।

आरटीआई के अंतर्गत पहली अपील कब दाखिल करें: (पहली अपील दायर करने की समय सीमा)

यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की जिम्मेदारी है कि वह आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूरी जानकारी प्रदान करे। ऐसी संभावनाएं हैं कि एक सीपीआईओ इसके अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। अधिनियम के प्रावधान या आवेदक अन्यथा सीपीआईओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अधिनियम में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए दो अपीलों का प्रावधान है। पहली अपील संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा लोक प्राधिकरण के भीतर निहित है।

सूचना किसी भी रूप में कोई सामग्री नहीं है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी निजी निकाय से संबंधित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में रखे गए डेटा सामग्री शामिल हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी कानून के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लागू।

एक नागरिक को इस तरह की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है या डायन को उसके नियंत्रण में रखा जाता है। इस अधिकार में कार्य, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण शामिल है; दस्तावेज़ या रिकॉर्ड के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना; और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में रखी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

यह अधिनियम नागरिकों को संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के अनुसार सूचना का अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार, जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा। एक नागरिक को डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंट–आउट के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते ऐसी जानकारी पहले से ही कंप्यूटर या

किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत हो जिससे जानकारी को डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सकता है।

आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह मांगी गई है। तथापि, यदि किसी विशेष रूप से मांगी गई सूचना की आपूर्ति से सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुचित रूप से उपयोग होता है या अभिलेखों की सुरक्षा या संरक्षण को कोई नुकसान होता है, तो उसमें से सूचना की आपूर्ति से इनकार किया जा सकता है।

अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। यह निगमों, संघों, कंपनियों आदि को सूचना देने का प्रावधान नहीं करता है जो कानूनी संस्थाएं/व्यक्ति हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं। तथापि, यदि किसी निगम, संघ, कंपनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा अपना नाम दर्शाते हुए आवेदन किया जाता है और ऐसा कर्मचारी/पदाधिकारी भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना प्रदान की जा सकती है। ऐसे मामलों में यह माना जाएगा कि किसी नागरिक ने निगम आदि के पते पर जानकारी मांगी है।

अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना अधिनियम के दायरे से बाहर है; या जानकारी की व्याख्या करने के लिए; या आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने के लिए; या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए। प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी

अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) और धारा 9 में सूचना की उन श्रेणियों की गणना की गई है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। हालांकि, धारा 8 की उप–धारा (2) में प्रावधान है कि उप–धारा (1) के अंतर्गत छूट दी गई या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अंतर्गत छूट दी गई जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को नुकसान से अधिक है। इसके अलावा, धारा 8 की उप–धारा (3) में प्रावधान है कि उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी, इसके खंड (ए), ौ और (प) में प्रदान किए गए को छोड़कर, 20 वर्षों के बाद से छूट प्राप्त नहीं होगी। संबंधित घटना आदि के घटित होने की तिथि।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 8 (3) में सार्वजनिक अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

अभिलेखों को संबंधित लोक प्राधिकरण पर लागू अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार रखा जाना चाहिए। फ़ाइल में उत्पन्न जानकारी फ़ाइल/रिकॉर्ड के नष्ट होने के बाद भी ओएम या पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में जीवित रह सकती है। अधिनियम में 20 वर्षों की समाप्ति के बाद उपलब्ध जानकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, भले ही ऐसी जानकारी को धारा 8 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई हो। इसका मतलब है कि वह जानकारी, जो सामान्य रूप से, उप के अंतर्गत प्रकटीकरण से मुक्त है। अधिनियम की धारा 8 की –धारा (1) से छूट प्राप्त नहीं होगी यदि उस घटना के घटित होने के 20 वर्ष बीत चुके हैं जिससे सूचना संबंधित है। तथापि, निम्न प्रकार की सूचनाओं पर छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी नागरिक को यह जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी –

सूचना का प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध के लिए उकसाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा; सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा; या कैबिनेट के कागजात जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं, शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (प) के प्रावधान में हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत, एक नागरिक जिसे या तो पीआईओ से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, या पीआईओ के जवाब से व्यथित है ऐसी अवधि की समाप्ति से या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी से अपील करें जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में पीआईओ के रैंक में वरिष्ठ हो।

अब तक आप समझ गए होंगे कि त्ज्प् के अंतर्गत फर्स्ट अपील क्या है।

अब, मैं समझाता हूं कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील कैसे दर्ज की जाती है।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील कैसे दर्ज करें

नागरिक प्रथम अपील ऑनलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन, प्रथम अपील दायर करने की सुविधा बहुत सीमित हैः आप पहली अपील ऑनलाइन तभी जमा कर सकते हैं जब आपने अपना आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया हो। आप उन आरटीआई आवेदनों के खिलाफ पहली अपील ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते हैं जिन्हें आपने ऑफलाइन दायर किया था या यदि

आपने अपना आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दायर किया था लेकिन आपका आवेदन आरटीआई अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को भौतिक रूप से अग्रेषित किया गया था।

प्रथम अपील ऑनलाइन जमा करने की चरण–दर–चरण प्रक्रिया जानने के लिए, आप पहली अपील ऑनलाइन कैसे दर्ज करें (जल्द ही आ रहे हैं) पर जा सकते हैं। यह जानने के लिए कि प्रथम अपील को ऑफलाइन कैसे दर्ज किया जाए, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

आरटीआई के अंतर्गत पहली अपीलः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील ऑफलाइन कैसे दर्ज करें?

चरण– I: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्राप्त करें:

धारा 7(8) के साथ–साथ सूचना आयोग के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, पीआईओ को आरटीआई आवेदन के प्रत्येक उत्तर में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार, यदि आपको पीआईओ से उत्तर प्राप्त हुआ है, तो आरटीआई उत्तर से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण लें। लेकिन, यदि पीआईओ ने उत्तर में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान नहीं किया है, या पीआईओ ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्तर नहीं दिया है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं:

(i) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण लोक प्राधिकरण की वेबसाइट से प्राप्त करें।

(ii) पीआईओ के कार्यालय से फोन कॉल या ई–मेल के माध्यम से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण मांगें।

(iii) यदि लोक सूचना अधिकारी का कार्यालय आपके घर के निकट है, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्राप्त करने के लिए वहां जा सकते हैं।

(iv) धारा 5(2) के अनुसार, लोक प्राधिकरण केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (ब।च्प्ट) या एक राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी (SAPIO), जैसा भी मामला हो, प्रत्येक उप–मंडल स्तर या अन्य उप–जिले में नियुक्त करेगा। स्तर, इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए इसे तुरंत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो।

तदनुसार, यदि आपको प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नहीं मिलता है, तो आप अपनी पहली अपील सीएपीआईओ या एसएपीआईओ, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जो आपकी पहली अपील को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को तुरंत अग्रेषित करेगा।

(v) आप प्रथम अपील को "आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" के रूप में संबोधित करते हुए पीआईओ के कार्यालय में प्रथम अपील भेज सकते हैं। पीआईओ आपको प्रथम अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

चरण–2: संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण (केंद्र या राज्य) की अपील प्रक्रिया की जाँच करें:

सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों और राज्य लोक प्राधिकरणों के बीच कोई समान या सामान्य अपील प्रक्रिया नहीं है, जिसमें शुल्क विवरण और अपील दायर करने का प्रारूप शामिल हो। उदाहरण के लिए, केंद्रीय लोक प्राधिकरणों के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क और विशिष्ट प्रारूप नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों की अपील प्रक्रियाएं प्रथम अपील दायर करने के लिए शुल्क और प्रारूप निर्धारित करती हैं। इस प्रकार, इससे पहले कि आप राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रथम अपील का मसौदा तैयार करें, संबंधित राज्य की प्रथम अपील शुल्क और अपील के प्रारूप (यदि कोई हो) के लिए अपील प्रक्रियाओं को देखें।

चरण–3: प्रथम अपील लिखें:

इस धारा के अंतर्गत, अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले आवश्यक निर्णय को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। क्योंकि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि आवेदक या अपीलकर्ता को केवल वही प्रदान किया जाना चाहिए जो उसने मांगा है। इस प्रकार, यदि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करेंगे, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आपको प्रदान नहीं कर सकता है। आप जिन कुछ प्रार्थनाओं को शामिल कर सकते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- यदि आप अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के बाद अपील दायर कर रहे हैं, तो अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना करें;

- अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तारीख से 10 दिनों के भीतर पीआईओ को पूर्ण और सही जानकारी की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देना;
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना की आपूर्ति करने में विफल रहने के कारण, पीआईओ को निःशुल्क सूचना की आपूर्ति करने का निर्देश देना;
- पीआईओ के फैसले को बरकरार रखने और अपीलकर्ता की प्रार्थनाओं को खारिज करने आदि के कारणों को रिकॉर्ड करना और आपूर्ति करना।

व्यक्तिगत सुनवाई

इस खंड में, आपको प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान के दौरान व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी वरीयता लिखनी चाहिए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई देने के लिए बाध्य है। लेकिन, अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। अपीलकर्ता अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेना हमेशा अपीलकर्ता के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का अवसर मिलता है और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने की संभावना को अधिकतम करता है।

इस खंड के अंतर्गत आप अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के संबंध में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को उद्धृत कर सकते हैंः

श्री आर के जैन बनाम कानूनी मामलों के विभाग, भारत सरकार के मामले में फाइल नंबर सीआईसी/एसए/ए/2014/000254 के अंतर्गत पंजीकृत, माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः "14. आयोग ने देखाः सुनवाई के नोटिस या सुनवाई नोटिस भेजे बिना पहली अपील में आदेश पारित करना अवैध है और आदेश को अमान्य कर देगा। आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करने और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का मौका देने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से एक नया बचाव खड़ा कर दिया, जिसका कभी दावा नहीं किया गया था।

आयोग ने पाया कि यह कार्रवाई का पात्र है, हालांकि संबंधित अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और इस मामले में पूरी तरह से आरटीआई अधिनियम के खिलाफ कार्य करने के लिए संबंधित एफएओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की सिफारिश करता है।

अपीलकर्ता का विवरण

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम : .....,

पताः .....,

ईमेलः .....,

संपर्क नंबरः .....,

नोटः यदि आप एक ही दिन में एक ही अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक से अधिक प्रथम अपील प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की प्रतिक्रिया को अलग करने के लिए कृपया प्रत्येक प्रथम अपील पर अलग–अलग तिथि डालना सुनिश्चित करें।

चरण– IV: प्रथम अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें:

- आरटीआई आवेदन की प्रति
- पीआईओ से उत्तर की प्रति (यदि प्राप्त हो)
- आरटीआई आवेदन दाखिल करने के प्रमाण की प्रति (पीआईओ को आरटीआई आवेदन की डिलीवरी की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग/पीआईओ से पावती) (यदि पीआईओ ने जवाब नहीं दिया)
- आपके आधारों का समर्थन करने वाले और अपील में पैरवी करने वाले कोई अन्य दस्तावेज

चरण–V: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से (यदि अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय आपके स्थान के निकट है) या पावती देय / स्पीड पोस्ट के साथ पंजीकृत डाक द्वारा संलग्नक के साथ अपनी पहली अपील जमा करें। निजी कूरियर सेवाओं के माध्यम से कभी भी प्रथम अपील प्रस्तुत न करें।

नोटः प्रथम अपील प्रस्तुत करने से पहले, संदर्भ के लिए सभी अनुलग्नकों के साथ प्रथम अपील की प्रति ले लें।

(i) यदि आप हाथ से प्रथम अपील प्रस्तुत करते हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी से पावती लेना कभी न भूलें क्योंकि प्रस्तुत करने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है।

(ii) यदि आप डाकघर के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत करते हैं, तो निम्न कार्य करें:

(ए) प्रथम अपील भेजने के बाद डाकघर से प्राप्त होने वाली डाक रसीद अपने पास रखें।

(बी) निम्नलिखित लिंक पर प्रेषण के एक सप्ताह के बाद पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन ट्रैक डिलीवरी की स्थितिः

ट्रैक पंजीकृत पोस्ट

ट्रैक स्पीड पोस्ट

(iii) डिलीवरी की स्थिति का स्क्रीनशॉट/प्रिंट आउट लें, यदि यह वितरित किया गया है, तो इस बात के प्रमाण के रूप में कि अपीलीय प्राधिकारी को आपकी पहली अपील किस तारीख को प्राप्त हुई थी।

चरण–VI: अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर/निर्णय की प्रतीक्षा करें। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपना निर्णय देने की समय सीमा जानने के लिए, प्रथम अपील के निपटान के लिए समय सीमा पर जाएँ।

उपरोक्त चरण दर चरण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील को ऑफ़लाइन कैसे दर्ज किया जाए। यदि आपको आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील ऑफलाइन दर्ज करने के बारे में कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।

प्रथम अपील का निपटारा

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप–धारा (5) के अनुसार, यह साबित करने का दायित्व कि "अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था" अनुरोध को अस्वीकार करने वाले पीआईओ पर निर्भर है, "नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। अपील की सुनवाई "अपीलकर्ता" को।

इसी तरह, "तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी" के मामले में भी, अधिनियम के अनुसार, थ।। को उस "तीसरे पक्ष" को "सूचना" जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो उचित "सुनवाई का अवसर" प्रदान करता है।

हालांकि, जब "तीसरा पक्ष" पीआईओ के खिलाफ अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत "अपील" करता है (अर्थात, पीआईओ जिसने धारा 11 (2) के अंतर्गत उस "तृतीय पक्ष" द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व से इनकार किया है जिसे धारा 7 के साथ पढ़ा जाता है (7) अधिनियम के), ऐसी अपील पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एफएए को "अपील" पर निर्णय लेने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह केवल पीआईओ (अपील में "प्रतिवादी") से मांगा या पूछताछ या प्राप्त किया जाना है। इसलिए, एफएए को सूचना के आधार पर "अपील" पर निर्णय लेना है (ए) "अपीलकर्ता" द्वारा उसके "अपील के ज्ञापन (एमओए)" में प्रस्तुत किया गया है, या (बी) द्वारा प्रस्तुत या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया है केवल पीआईओ।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय एक अर्ध–न्यायिक कार्य है। अतः यह आवश्यक है कि अपीलीय प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि न्याय न केवल किया गया है बल्कि यह भी किया गया प्रतीत होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए जिसमें आने वाले निर्णय का औचित्य हो।

पीआईओ (लोक सूचना अधिकारी) या एए (अपील प्राधिकारी) को सूचना देने के लिए आपकी शारीरिक उपस्थिति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। वे आपको ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें आरटीआई आवेदन का जवाब लिखित तरीके से ही देना होगा।

हालाँकि यदि अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो वह प्राधिकारी को अपने प्रश्न से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम होगा।

प्रथम अपील आवेदक के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति बनाकर और सूचना के लिए अपनी मांग को न्यायोचित ठहराते हुए सूचना प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि, प्रथम अपील प्राप्त करने के बाद, कई बार एफएए अपीलकर्ता को सुनवाई या सुनवाई नोटिस भेजे बिना आदेश पारित करता है, जिससे अपीलकर्ता को खुद को सही ठहराने का अवसर खो देता है। इसलिए प्रश्न "क्या आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है?"

आरटीएल अधिनियम 2005 की धारा 19(6) में प्रावधान है कि अपीलों को अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर और

असाधारण मामलों में पैंतालीस दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, बशर्ते देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया गया हो। एमओ के अंतर्गत नामित अपीलीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सीपीएलओ के आदेशों के खिलाफ उनके द्वारा प्राप्त अपीलों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया जाता है। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकारियों के कार्य अर्ध–न्यायिक प्रकृति होने के कारण, अपीलों का निपटारा करते समय बोलने के आदेश पारित किए जाने चाहिए यदि कोई अपील प्राधिकारी, अपीलों का निपटारा करते समय, संबंधित सीपीआईओ को सूचना के अतिरिक्त, अपीलकर्ता को सूचना प्रदान करने का निर्देश देता है। पहले से ही प्रदान किया गया है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना सीपीआईओ द्वारा प्रदान की जाती है। बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी मामले में अपने द्वारा पारित आदेश के साथ सूचना स्वयं प्रस्तुत करें

यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को सीपीआईओ द्वारा उसे दी गई जानकारी के अतिरिक्त जानकारी की आपूर्ति करनी चाहिए, तो वह या तो (प) सीपीआईओ को अपीलकर्ता को ऐसी जानकारी देने का निर्देश दे सकता है; या (पप) अपील का निपटारा करते समय वह स्वयं अपीलकर्ता को सूचना दे सकता है। प्रथम मामले में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली सूचना अपीलार्थी को तत्काल उपलब्ध करायी जाए।

तथापि, यह बेहतर होगा यदि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा तरीका चुनता है और वह स्वयं मामले में अपने द्वारा पारित आदेश के साथ जानकारी प्रस्तुत करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने बहुत कनिष्ठ अधिकारियों को अपीलीय अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है जो अपने आदेशों को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सीपीआईओ के रैंक में वरिष्ठ अधिकारी होगा। इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक अधिकारी होगा द्य सीपीआईओ की तुलना में कमांडिंग पोजीशन। फिर भी, यदि, किसी भी मामले में, सीपीआईओ? अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को लागू नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी को लगता है कि उसके आदेश को लागू करने के लिए उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उसे मामले को लोक प्राधिकरण के अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो उसके खिलाफ लेने के लिए सक्षम है सीपीआईओ। ऐसे सक्षम अधिकारी आवश्यक

कार्रवाई करेंगे ताकि आरटीएल अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

क्या आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है?

यदि हमें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) या राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) का निर्णय, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या सीपीआईओ या एसपीआईओ के निर्णय से व्यथित हैं, हम ऐसी अवधि की समाप्ति से या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को पहली अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रथम अपील आवेदक के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति बनाकर और सूचना के लिए अपनी मांग को न्यायोचित ठहराते हुए सूचना प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि, प्रथम अपील प्राप्त करने के बाद, कई बार एफएए अपीलकर्ता को सुनवाई या सुनवाई नोटिस भेजे बिना आदेश पारित करता है, जिससे अपीलकर्ता को खुद को सही ठहराने का अवसर खो देता है। इसलिए प्रश्न "क्या आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है?"

श्री आर के जैन बनाम भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग के मामले में, फाइल नंबर फाइल नंबर सीआईसी/एसए/ए/2014/000254 के अंतर्गत पंजीकृत, केंद्रीय सूचना आयोग ने निम्नलिखित देखाः

"सुने या सुनवाई नोटिस भेजे बिना पहली अपील में आदेश पारित करना अवैध है और आदेश को अमान्य कर देगा। आयोग ने अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का मौका देने से इनकार करके और पूरी तरह से एक नया बचाव जो कभी दावा नहीं किया गया था, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग ने उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी था, हालांकि वह सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था।

यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करना एफएए की विवेकाधीन शक्तियां हैं। हालांकि, जहां भी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा कोई विशिष्ट अपील की गई है, एफएए ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने के लिए बाध्य है।

सुनवाई के नोटिस या सुनवाई नोटिस भेजे बिना पहली अपील में आदेश पारित करना अवैध है और आदेश को अमान्य कर देगा। आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करने और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का मौका देने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से एक नया बचाव खड़ा कर दिया, जिसका कभी दावा नहीं किया गया था। आयोग ने पाया कि यह कार्रवाई का पात्र है, हालांकि संबंधित अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और आरटीआई अधिनियम के खिलाफ पूरी तरह से कार्य करने के लिए संबंधित एफएओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की सिफारिश करता है।

ऊपर से यह बहुत स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह इस प्रश्न को संबोधित करता है कि "क्या आरटीआई के अंतर्गत प्रथम अपील में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है?"

यदि आपको निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या आपको अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त होता है लेकिन आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?

यदि आपको निर्धारित समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या आपको अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसका तात्पर्य सूचना के पूर्ण अधिकार से भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") ने सूचना के अधिकार की आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित की है। सूचना का अधिकार नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेकर और सभी स्तरों पर भ्रष्ट और मनमानी कार्यों को चुनौती देकर कार्यभार संभालने के लिए सशक्त बना सकता है। सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच के साथ, नागरिक मूल्यांकन कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार अपेक्षित परिणाम दे रही है या नहीं। इस प्रकार आरटीआई एक ऐसा उपकरण है जो नागरिकों की भूमिका को केवल दर्शक बनने से लेकर शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने तक में बदल सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, एक भारतीय नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रक्रिया का उद्देश्य अदालतों में जाने के बजाय आवेदकों द्वारा की गई किसी भी शिकायत का त्वरित और सस्ते तरीके से निवारण करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम उन मामलों में दूसरी अपील के लिए प्रावधान करता है जब आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से नाखुश और असंतुष्ट हैं। ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए केंद्र और राज्यों में सूचना आयोगों का गठन किया गया है।

पीआईओ के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति द्वितीय अपील दायर कर सकता है। आप अपने मित्र या आरटीआई कार्यकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज करने का अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते उसके पास सभी प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे कि आरटीआई आवेदन, पावती रसीद, पीआईओ उत्तर, पहली अपील, एफएए का आदेश आदि की एक प्रति हो। .

द्वितीय अपील आवेदन कब जमा करें:

यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं,

यदि आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी अधूरी, भ्रामक या झूठी है

द्वितीय अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ था या उन मामलों में जहां कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, प्रथम अपील दायर करने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद नब्बे दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों के लिए, आपको अपनी अपील केंद्रीय सूचना आयोग को भेजनी होगी। राज्य सरकार के लोक प्राधिकरणों से संबंधित मामलों के लिए, अपनी अपील संबंधित राज्य सूचना आयोग को भेजें।

आयोग को आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत दायर अपील पर निर्णय लेने और अनुरोधित जानकारी प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार है, जब इसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर प्रदान नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है। दुर्भाग्य से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो अपील शुल्क लगाते हैं। कानूनी तौर पर, किसी अपील के लिए शुल्क का भुगतान न करने के कारण किसी भी अपील को अस्वीकार

या रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपकी राज्य सरकार ने अपील शुल्क निर्धारित किया है, तो आप उस पर विचार करने के लिए संबंधित सूचना आयोग या अपने उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

आरटीआई अधिनियम अपीलों पर निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली किसी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि, आपकी अपील पर निर्णय लेने से पहले सूचना आयोगों को आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। किसी भी अपील में, पीआईओ को अपीलीय प्राधिकारी को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। केवल अगर वे एक बचाव योग्य मामला बनाते हैं, तो क्या आपको यह समझाने के लिए कहा जाना चाहिए कि आपको क्यों लगता है कि वे गलत हैं।

इस बात के प्रमाण का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था, उस व्यक्ति पर है जो सूचना को गुप्त रखना चाहता है – PIO या कोई तीसरा पक्ष। व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि आपको आयोग के साथ बातचीत करने की आवश्यकता केवल उस व्यक्ति के बाद होनी चाहिए जो जानकारी को रोकना चाहता है, पहले पूछताछ की गई है क्योंकि उन्हें ही सूचना आयोग को दिखाना है कि वे सही हैं। यदि कोई सुनवाई तब आयोजित की जाती है, तो गोपनीयता के लिए बहस करने वाले पीआईओ या तीसरे पक्ष को पहले अपना मामला बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। आपको केवल एक मामला बनाने की आवश्यकता होगी यदि आयोग को लगता है कि पीआईओ या तीसरे पक्ष के पास विचार करने योग्य बिंदु है। उस स्तर पर, आपको प्रकटीकरण के पक्ष में बहस करने की आवश्यकता है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश

- मामले की पृष्ठभूमि विवरण प्रदान करें
- मांगी गई जानकारी, प्रदान नहीं की गई जानकारी और असंतोष के कारणों के साथ–साथ दूसरी अपील के लिए विशिष्ट आधार के साथ विशिष्ट प्रार्थना का विवरण प्रदान करें
- यदि मुआवजे की मांग की जाती है, तो दूसरी अपील में मुआवजे की मांग के लिए विशिष्ट आधार और जानकारी न मिलने के कारण हुए नुकसान का विवरण शामिल होगा।

- दूसरी अपील में उठाए गए समान मुद्दे पर उसी लोक प्राधिकरण के खिलाफ सीआईसी के आदेश, यदि कोई हो, की एक प्रति प्रदान करें
- लोक प्राधिकरण को द्वितीय अपील की प्रति प्रस्तुत करने के प्रमाण की एक प्रति प्रदान करें

दूसरी अपील अंतिम अपील है और आरटीआई के अंतर्गत आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है।

द्वितीय अपील कब दाखिल करें (द्वितीय अपील दायर करने की समय सीमा)?

जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, उस तारीख से 90 दिनों के भीतर, सीआईसी या एसआईसी के समक्ष, जैसा भी मामला हो, एक व्यक्ति को पहली अपील पर निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील प्रस्तुत करनी होगीः

बशर्ते कि सीआईसी या एसआईसी, जैसा भी मामला हो, 90 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद दूसरी अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

भाग 4

आरटीआई समय सीमा

आरटीआई अधिनियम समय सीमा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जन सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर देने की आवश्यकता होती है।

जब पीआईओ को एक सूचना अनुरोध प्राप्त होता है, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में लागू प्रत्येक भारतीय आरटीआई कानून के अंतर्गत; पीआईओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर, आमतौर पर 15–30 दिनों के बीच, आवेदन पर लिखित प्रतिक्रिया देनी होगी। हालाँकि, जहाँ भी संभव हो, आपको जल्द से जल्द जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

केंद्रीय अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत, पीआईओ को आवेदनों का यथासंभव शीघ्रता से जवाब देना चाहिए और 30 दिनों के बाद नहीं।

हालांकि, अगर तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी शामिल है, तो सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में प्रतिनिधित्व करने के लिए तीसरे पक्ष को समय देने के लिए पीआईओ को 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब है कि पीआईओ के पास निर्णय लेने के लिए 40 दिनों तक का समय है)।

गौरतलब है कि धारा 7(1) में यह भी कहा गया है कि यदि अनुरोध की गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो एक आवेदन को 48 घंटों के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए।

एक बार जब पीआईओ ने सूचना जारी करने का निर्णय लिया है और अनुरोधकर्ता ने किसी भी प्रासंगिक शुल्क का भुगतान किया है, तो सूचना तुरंत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पीआईओ को आवेदन का जवाब देने के लिएः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन

धारा 6(3) के अंतर्गत पीआईओ को दूसरे पीए में स्थानांतरित करने के लिएः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 दिन

पीआईओ के लिए तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करने के लिएः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 दिन

तीसरे पक्ष को पीआईओ को अभ्यावेदन देने के लिएः पीआईओ से नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन

यदि तृतीय पक्ष शामिल है तो पीआईओ को आवेदन का जवाब देने के लिएः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 40 दिन

आवेदक को प्रथम अपील करने के लिएः पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन या उस तारीख से जब उत्तर प्राप्त होना था

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आदेश पारित करने के लिएः प्रथम अपील की प्राप्ति से 30 दिन या अधिकतम 45 दिन, यदि देरी के कारण लिखित रूप में दिए गए हैं

आवेदक के लिए सीआईसी/एसआईसी के समक्ष दूसरी अपील करने के लिएः प्रथम अपील आदेश प्राप्त होने से 90 दिन या उस तारीख से जब आदेश प्राप्त होने थे

सीआईसी/एसआईसी के लिए दूसरी अपील तय करने के लिएः कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है

आरटीआई उत्तर समयः विभिन्न मामलों में आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा

आरटीआई आवेदन दाखिल करने के कई तरीके हैं, जिनमें से प्रत्येक में उत्तर के लिए अलग–अलग समय सीमा है। आरटीआई अधिनियम 2005 विभिन्न मामलों में अलग–अलग आरटीआई उत्तर समय प्रदान करता है। मैं प्रत्येक मामले में उदाहरण के साथ आरटीआई उत्तर समय की व्याख्या करता हूं।

1. पीआईओ को सीधे जमा किया गया आरटीआई आवेदनः

आप अपना आरटीआई आवेदन सीधे पीआईओ को व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

(i) हाथ से पीआईओ को सीधे जमा किया गया आरटीआई आवेदनः

इस मामले में, पीआईओ आपके द्वारा पीआईओ को अपना आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब देगा। आपको अपने पते पर 37 दिनों के भीतर (पोस्टल देरी के 30 दिन + 2–7 दिन) जानकारी प्राप्त हो सकती है।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूंः

मान लीजिए, आपने अपना आरटीआई आवेदन पीआईओ को 09–03–2021 को हाथ से जमा कर दिया। इस मामले में, पीआईओ 07–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के 2–7 दिनों में पीआईओ का जवाब प्राप्त हो सकता है; यानी आप 14–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) **डाकघर के माध्यम से पीआईओ को सीधे जमा किया गया आरटीआई आवेदनः**

इस मामले में, पीआईओ आपका आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब देगा। आप 44 दिनों के भीतर अपने पते पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पीआईओ तक पहुंचने के लिए आवेदन के लिए 2–7 दिन + पीआईओ के जवाब के लिए 30 दिन + पीआईओ के जवाब के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए 2–7 दिन)।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, आपने अपना आरटीआई आवेदन डाकघर के माध्यम से 09–03–2021 को पीआईओ को भेज दिया। आपसे पीआईओ के पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत / स्पीड पोस्ट) के आधार पर 2–7 दिनों की डाक देरी के कारण पीआईओ आपका आवेदन 16–03–2021 तक प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि पीआईओ ने आपका आवेदन 15–03–2021 को प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 13–04–2021 (15–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के बाद 2–7 दिनों में पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 20–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

2. एपीआईओ के माध्यम से पीआईओ को प्रस्तुत किया गया आरटीआई आवेदनः

आप व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से एपीआईओ को आवेदन जमा कर सकते हैं।

(i) **एपीआईओ को हाथ से जमा किया गया आवेदनः**

इस मामले में, पीआईओ आपके आरटीआई आवेदन का जवाब उस तारीख से 35 दिनों (30 दिन + 5 दिन, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार) के

भीतर देगा जब एपीआईओ ने आपका आवेदन प्राप्त किया था। आप अपने पते पर 42 दिनों के भीतर (30 दिन + 5 दिन, आरटीआई अधिनियम की धारा 5 (2) + डाक देरी के 2–7 दिनों के अनुसार) प्राप्त कर सकते हैं।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, आपने अपना आरटीआई आवेदन एपीआईओ को 09–03–2016 को हाथ से जमा कर दिया। इस मामले में, पीआईओ 12–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन + 5 दिन, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के बाद 2–5 दिनों में पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 19–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) **डाकघर के माध्यम से एपीआईओ को आवेदनः**

इस मामले में, पीआईओ आपके आरटीआई आवेदन का जवाब उस तारीख से 35 दिनों (30 दिन + 5 दिन, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार) के भीतर देगा जब एपीआईओ को आपका आवेदन प्राप्त हुआ था। आप 49 दिनों के भीतर अपने पते पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एपीआईओ तक पहुंचने के लिए आपके आवेदन के लिए 2–7 दिन + पीआईओ को जवाब देने के लिए 35 दिन + पीआईओ के जवाब के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए 2–7 दिन)।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, आपने अपना आरटीआई आवेदन डाकघर के माध्यम से एपीआईओ को 09–03–2021 को भेज दिया। एपीआईओ के पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर 2–7 दिनों की डाक देरी के कारण एपीआईओ 16–03–2021 तक आपका आवेदन प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए एपीआईओ ने आपका आवेदन 15–03–2021 को प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 18–04–2021 (15–03–2021 + 35 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के बाद 2–7 दिनों में पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 25–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

3. अन्य लोक प्राधिकरण के माध्यम से पीआईओ को प्रस्तुत किया गया आरटीआई आवेदनः

आरटीआई आवेदन दाखिल करने के इस तरीके का इस्तेमाल अनिच्छा से किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब आप सीधे पीआईओ को या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के एपीआईओ के माध्यम से आरटीआई आवेदन दाखिल करने में असमर्थ हों।

इस मामले में, सार्वजनिक प्राधिकरण का पीआईओ, जिसे आपने अपना आरटीआई आवेदन जमा किया है, आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आपके आवेदन को उस लोक प्राधिकरण के पीआईओ को अग्रेषित करेगा, जिससे आपकी मांगी गई जानकारी संबंधित है या अधिक निकटता से संबंधित है। आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित लोक प्राधिकरण का पीआईओ, जिसे आपका आवेदन भेजा गया था, आपके आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब देगा। आप 56 दिनों के भीतर अपने पते पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (आपके आवेदन के लिए पीआईओ तक पहुंचने के लिए 2–7 दिन, जिसे आपने डाकघर के माध्यम से अपना आवेदन जमा किया है + पीआईओ प्राप्त करने के लिए 5 दिनों के लिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के पीआईओ को अपना आवेदन अग्रेषित करने के लिए + 2 –7 दिनों के लिए आपके आवेदन के लिए डाकघर के माध्यम से संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ तक पहुंचने के लिए + संबंधित पीआईओ को जवाब देने के लिए 30 दिन + संबंधित पीआईओ के जवाब के लिए डाकघर के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए 2–7 दिन)।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, आपने अपना आरटीआई आवेदन डाकघर के माध्यम से 09–03–2021 को पीआईओ को भेज दिया। 2–7 दिनों के डाक विलंब के कारण पीआईओ आपका आवेदन 16–03–2021 तक प्राप्त कर सकता है। पीआईओ ने आपके आवेदन को धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित पीआईओ को 20–03–2021 को अग्रेषित कर दिया। 2–7 दिनों के डाक विलंब के कारण संबंधित पीआईओ को आपका आवेदन 27–03–2021 तक प्राप्त हो सकता है। संबंधित पीआईओ ने 25–04–2021 को उत्तर दिया। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के बाद 2–7 दिनों में संबंधित पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 02–05–2016 तक पीआईओ का

जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह, आपको पीआईओ से 56 दिनों के भीतर जवाब मिल सकता है।

अब तक आप सामान्य मामलों में त्ज्प् उत्तर समय को समझ चुके हैं। मैं कुछ विशेष मामलों में आरटीआई उत्तर समय की व्याख्या करता हूं।

आरटीआई उत्तर समयः विशेष मामलों में आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा

विशेष मामला–1 (किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना)

आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के प्रावधान के अनुसार, यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो पीआईओ 30 दिनों के बजाय अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर जानकारी प्रदान करेगा। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में समय सीमा की गणना में 30 दिनों को 48 घंटों के साथ बदलें।

विशेष मामला–2 (आवेदक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क)

मान लीजिए आपने आरटीआई के जरिए कुछ दस्तावेजों की कॉपी मांगी है, जिसके लिए आपको पीआईओ को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस मामले में, धारा 7(3) के अंतर्गत पीआईओ आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी के लिए भुगतान किए जाने के बारे में सूचित करेगा, और धारा 7(5) के अंतर्गत आवेदक पीआईओ को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करेगा, बशर्ते उसके द्वारा मांगी गई फीस पीआईओ आरटीआई के प्रावधान के अनुसार है। पीआईओ द्वारा उक्त सूचना के प्रेषण और आवेदक द्वारा शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उस धारा 7(1) में संदर्भित 30 दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा।

मैं इस मामले में आरटीआई उत्तर समय को उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, पीआईओ ने आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 07–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। लेकिन आवेदन प्राप्त करने के बाद, पीआईओ ने पाया कि आपको रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 100/– जानकारी प्रदान करने के लिए।

मान लीजिए, पीआईओ आपको 20–03–2021 को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत सूचना भेजता है।

आपको 25–03–2021 को सूचना प्राप्त होती है। आप 05–04–2021 को पीआईओ को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते हैं। पीआईओ को 10–04–2021 को शुल्क प्राप्त होता है। इस मामले में, 20–03–2021 और 10–04–2021 के बीच की समय अवधि को उस धारा 7(1) में संदर्भित 30 दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार, अब पीआईओ आपके आरटीआई आवेदन का उत्तर 07–04–2021 को या उससे पहले (09–03–2021 से 19–03–2021 = 11 दिन) + (10–) के बजाय 28–04–2021 को या उससे पहले जवाब देगा। 10–04–2021 से 28–04–2021 = 19 दिन) = 30 दिन)।

विशेष मामला–3 (तृतीय पक्ष की जानकारी)

मांगी गई आपकी जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है (धारा 2(एन) के अंतर्गत परिभाषित) और तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी जाती है। यदि पीआईओ आवेदक को तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करना चाहता है, तो पीआईओ, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा कि पीआईओ जानकारी का खुलासा करना चाहता है। या रिकॉर्ड, या उसका हिस्सा, और तीसरे पक्ष को लिखित रूप में या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत पीआईओ द्वारा ऐसा नोटिस जारी किया गया है, तो पीआईओ 30 दिनों के बजाय आवेदन प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर आरटीआई आवेदन का जवाब देगा।

यदि आपको ऊपर बताई गई समय सीमा के भीतर पीआईओ से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो आप निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील को प्राथमिकता दे सकते हैं।

विभिन्न मामलों में प्रथम अपील की समय सीमा

प्रत्येक अधिनियम या कानून में गैर–अनुपालन के खिलाफ इसके प्रावधानों की सुरक्षा के लिए खंड शामिल है, और इसी तरह आरटीआई अधिनियम, 2005 भी है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग (बाद में सीआईसी के रूप में संदर्भित) को कर्तव्य और शक्ति प्रदान करती है। या एसआईसी), जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की रक्षा के लिए। हम कह सकते हैं, सीआईसी या एसआईसी आरटीआई अधिनियम के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहां, हम

बताएंगे कि कब दर्ज करना है और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करनी है।

यदि हमें निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नहीं मिलती है, तो हम निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत, एक नागरिक जिसे या तो आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पीआईओ से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, या पीआईओ के जवाब से व्यथित है ऐसी अवधि की समाप्ति से या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी से अपील करें जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में पीआईओ के रैंक में वरिष्ठ हो।

मैं विभिन्न मामलों के लिए आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा उदाहरण के साथ समझाता हूं:

1. आपने अपना आरटीआई आवेदन सीधे पीआईओ को प्रस्तुत किया

मान लीजिए, पीआईओ ने आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 07–04–2014 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के 2–7 दिनों में पीआईओ का जवाब प्राप्त हो सकता है; यानी आप 14–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपको 14–04–2021 तक उनका जवाब नहीं मिला, तो आप 07–05–2021 (08–04–2021 (30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। . इसका मतलब है "ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

केस–I: पीआईओ ने 30 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब दिया:

मान लीजिए, पीआईओ ने 27–03–2021 को उत्तर दिया, और डाक विलंब के कारण आपको उसका उत्तर 03–04–2021 को प्राप्त हुआ। यदि आप पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 02–05–2021 (03–04–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर

सकते हैं। इसका मतलब यह है कि "ऐसा निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

केस– II: पीआईओ ने 30 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया

यदि पीआईओ को आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को प्राप्त हुआ है, तो वह 07–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले जवाब देगा। 2–7 दिनों के डाक विलंब को ध्यान में रखते हुए, आप 14–04–2021 तक पीआईओ का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 14–04–2021 तक पीआईओ का जवाब नहीं मिला, तो आप 07–05–2021 (07–04–2021 +30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। . इसका मतलब है "ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

2. आपने अपना आरटीआई आवेदन एपीआईओ के माध्यम से पीआईओ को प्रस्तुत किया

मान लीजिए एपीआईओ ने आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 12–04–2014 (09–03–2021 + 30 दिन + 5 दिन, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के 2–7 दिनों में पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 19–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

केस– I: पीआईओ ने 35 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब दिया

मान लीजिए, पीआईओ ने 30–03–2021 को उत्तर दिया, और आपको उसका उत्तर 06–04–2021 को डाक में देरी के कारण प्राप्त हुआ। यदि आप पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 05–05–2021 (06–04–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि "ऐसा निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

केस– II: पीआईओ ने 35 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया

यदि एपीआईओ ने आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को प्राप्त किया है, तो पीआईओ 12–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन + 5 दिन, आरटीआई

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार) को या उससे पहले जवाब देगा। . 2–7 दिनों के डाक विलंब को ध्यान में रखते हुए, आपको पीआईओ का उत्तर 19–04–2021 तक प्राप्त हो सकता है। अगर आपको 19–04–2021 तक पीआईओ का जवाब नहीं मिला है, तो आप 12–05–2021 (12–04–2021 +30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। . इसका मतलब है "ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

3. आपने अपना आरटीआई आवेदन अन्य लोक प्राधिकरण के माध्यम से पीआईओ को प्रस्तुत किया है

मान लीजिए आपने 25–02–2021 को डाकघर के माध्यम से अपना आरटीआई आवेदन असंबद्ध लोक प्राधिकरण के पीआईओ को प्रस्तुत किया। डाक में देरी के कारण असंबद्ध पीआईओ को आपका आवेदन 01–03–2021 को प्राप्त हुआ। इस मामले में, आपका आवेदन प्राप्त करने वाला पीआईओ आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत 5 दिनों के भीतर संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ को आवेदन अग्रेषित करेगा और इस तरह के अग्रेषण के बारे में आपको स्वीकार करेगा। मान लीजिए, असंबद्ध पीआईओ ने आपका आवेदन 05–03–2003 को संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ को भेज दिया, और संबंधित पीआईओ को आपका आवेदन 09–03–2021 को प्राप्त हुआ। इस मामले में, पीआईओ 07–04–2014 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। पीआईओ से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपको पीआईओ द्वारा उत्तर भेजे जाने के 2–7 दिनों में पीआईओ का उत्तर प्राप्त हो सकता है; यानी आप 14–04–2021 तक पीआईओ का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

केस–I: संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ ने 30 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब दिया

मान लीजिए, संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ ने 27–03–2021 को उत्तर दिया, और डाक विलंब के कारण आपको उसका उत्तर 03–04–2021 को प्राप्त हुआ। यदि आप संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 02–05–2021 (03–04–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।) इसका मतलब यह है कि "ऐसा निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

केस– II: संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ ने 30 दिनों की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया

यदि संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ को आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को प्राप्त हुआ है, तो वह 07–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले जवाब देगा। डाक में 2–7 दिनों की देरी को ध्यान में रखते हुए, आप संबंधित लोक प्राधिकरण के पीआईओ का जवाब 14–04–2021 तक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको 14–04–2021 तक उनका जवाब नहीं मिला, तो आप 07–05–2021 (08–04–2021 +30 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। . इसका मतलब है "ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर हो सकता है"।

नोटः इस मामले की व्याख्या करने का उद्देश्य यह है कि यदि आपने असंबद्ध लोक प्राधिकरण के माध्यम से पीआईओ को आरटीआई आवेदन जमा किया है, तो आपको आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा की गणना केवल उस तारीख से शुरू करनी चाहिए जब संबंधित पीआईओ आपका आवेदन प्राप्त करता है, न कि तारीख से जब असंबद्ध पीआईओ आपका आवेदन प्राप्त करता है।

विशेष मामलों में आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा

आरटीआई अधिनियम विशेष मामलों के लिए अलग आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा प्रदान करता है। अब, मैं विशेष मामलों में आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा की व्याख्या करता हूं।

विशेष मामला –1 (किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी)

आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के प्रावधान के अनुसार, यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो पीआईओ 30 दिनों के बजाय अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर जानकारी प्रदान करेगा। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में समय सीमा की गणना में 30 दिनों को 48 घंटों के साथ बदलें।

विशेष मामला–2 (आवेदक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क)

मान लीजिए आपने आरटीआई के जरिए कुछ दस्तावेजों की कॉपी मांगी है, जिसके लिए आपको पीआईओ को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस मामले में, धारा 7(3) के अंतर्गत पीआईओ आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी के लिए भुगतान किए जाने के विवरण के साथ सूचित करेगा, और धारा 7(5) के अंतर्गत आवेदक पीआईओ को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करेगा, बशर्ते उसके द्वारा

मांगी गई फीस पीआईओ आरटीआई के प्रावधान के अनुसार है। पीआईओ द्वारा उक्त सूचना के प्रेषण और आवेदक द्वारा शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उस धारा 7(1) में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा।

मैं इसे उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए, पीआईओ ने आपका आरटीआई आवेदन 09–03–2021 को व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से प्राप्त किया। इस मामले में, पीआईओ 07–04–2021 (09–03–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले सूचना प्रदान करेगा या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करेगा। लेकिन आवेदन प्राप्त करने के बाद, पीआईओ ने पाया कि आपको रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 100/– जानकारी प्रदान करने के लिए।

मान लीजिए कि पीआईओ आपको 20–03–2021 को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 73) के अंतर्गत सूचना भेजता है। आपको 25–03–2021 को सूचना प्राप्त होती है। आप पीआईओ को 05–04–2021 को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते हैं। पीआईओ को 10–04–2021 को शुल्क प्राप्त होता है। इस मामले में, 20–03–2021 और 10–04–2021 के बीच की अवधि को उस धारा 7(1) में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार, अब पीआईओ आपके आरटीआई आवेदन का उत्तर 07–04–2021 को या उससे पहले ((09–03–2021 से 19–03–2021 = 11 दिन) + (10– 04–2021 से 28–04–2021 = 19 दिन) = 30 दिन)।

विशेष मामला–3 (तृतीय पक्ष की जानकारी)

मांगी गई आपकी जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है (धारा 2(एन) के अंतर्गत परिभाषित) और तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी जाती है। यदि पीआईओ आवेदक को तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करना चाहता है, तो पीआईओ, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस देगा और तथ्य यह है कि पीआईओ जानकारी का खुलासा करना चाहता है या रिकॉर्ड, या उसका हिस्सा, और तीसरे पक्ष को लिखित रूप में या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत पीआईओ द्वारा ऐसा नोटिस जारी किया गया है, तो पीआईओ 30 दिनों के बजाय आवेदन प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर आरटीआई आवेदन का जवाब देगा।

यदि आप ऊपर बताई गई समय सीमा के अनुसार प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आपकी अपील को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और आप इस स्तर पर जानकारी प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। आप ऊपर बताई गई आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा की समाप्ति के बाद देरी के लिए बाध्यकारी औचित्य के साथ अपनी पहली अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन, आपकी अपील को स्वीकार करने का अंतिम निर्णय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास होगा।

अब तक, आप विभिन्न मामलों के लिए आरटीआई प्रथम अपील समय सीमा को समझ गए होंगे।

आरटीआई समय सीमाः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील के निपटान की समय सीमा

धारा 19(6) के अंतर्गत, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) या धारा 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो कुल चालीस से अधिक नहीं होगी। – इसे दाखिल करने की तारीख से पांच दिन, जैसा भी मामला हो, कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

आइए इसे एक उदाहरण से समझाते हैंः

मान लीजिए, आपने 07–05–2021 को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) या 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आपकी अपील 10–05–2021 को प्राप्त हुई। इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी सामान्य परिस्थितियों में 08–06–2021 (11–05–21 + 30 दिन) को या उससे पहले और 23–06–2021 (11–05–2021) को या उससे पहले आपकी अपील पर अपना निर्णय देगा। 45 दिन) विशेष परिस्थिति में, जिसके लिए अपीलीय प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। इसका अर्थ है कि आपकी अपील की तिथि या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील भेजने की तिथि समय सीमा की गणना में कोई मायने नहीं रखती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आपकी अपील प्राप्त होने के बाद से समय सीमा की गणना शुरू होती है।

इसके बाद, मान लीजिए कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आपकी अपील पर अपना निर्णय 23–06–2021 को डाकघर के माध्यम से भेजता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर आपके पते पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय तक पहुंचने में 2–7दिन लग सकते हैं। किसी भी डाक विलंब के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं है। प्रथम

अपीलीय प्राधिकारी केवल आपकी अपील की प्राप्ति की तारीख और आपकी अपील पर उसके निर्णय के प्रेषण की तारीख के बीच की अवधि के लिए जिम्मेदार है।

इस प्रकार, आपको लगभग 59 दिनों (आपकी अपील प्राप्त करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए 2–7 दिन + प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए अपना निर्णय देने के लिए 45 दिन + प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के लिए 2–7 दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। डाकघर) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील भेजने की तिथि से। यदि आपको प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील भेजने के 59 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो आप आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत दूसरी अपील के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और/या धारा के अंतर्गत शिकायत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष आरटीआई अधिनियम की धारा 18 जैसा भी मामला हो।

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील के लिए समय सीमा

धारा 19(3) के अंतर्गत, पहली अपील पर निर्णय के खिलाफ एक दूसरी अपील उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर होगी, जिस दिन केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास निर्णय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था। मामला हो सकता है।

मैं इसे उदाहरण के साथ समझाता हूं:

मान लीजिए कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आपकी अपील 10–05–2021 को प्राप्त हुई। इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी सामान्य परिस्थितियों में 08–06–2021 (11–05–2021 + 30 दिन) को या उससे पहले और 23–06–2021 (11–05–2021) को या उससे पहले आपकी अपील पर अपना निर्णय देगा। 45 दिन) विशेष परिस्थिति में, जिसके लिए अपीलीय प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आपके पते की दूरी और प्रेषण के तरीके (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के आधार पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय भेजे जाने के बाद 2–7दिनों में आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त कर सकते हैं; यानी आप 30–06–2021 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

केस– I: यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने 30 दिनों या 45 दिनों के भीतर अपना निर्णय दिया, उदाहरण के लिए 20–06–2021 को, तो आपको डाक विलंब के कारण 27–06–2021 तक निर्णय प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रथम अपीलीय

प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 26–09–2021 (27–06–2021 + 90 दिन) को या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब है "जिस तारीख को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ था" से।

केस– II: यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने 30 दिनों या 45 दिनों के भीतर, यानी 23–06–2021 तक अपना निर्णय नहीं दिया, तो आप 23–09–2021 (23–06–2021 + 90 दिन) पर या उससे पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं– "जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था" से इसका यही अर्थ है।

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है। आप निर्दिष्ट समय सीमा (30 दिन) की समाप्ति के बाद किसी भी समय केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत। लेकिन, आपको उचित समय के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

उन स्थितियों को समझने के लिए जिनमें आप धारा 19 के अंतर्गत दूसरी अपील या धारा 18 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

आरटीआई समय सीमाः आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के निर्णय प्राप्त करने की समय सीमा

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अपना निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। दायर की गई दूसरी अपील या शिकायत की संख्या के आधार पर, आपको केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय प्राप्त होगा।

सूचना आयुक्तों (आईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के निपटारे में एक या दो साल से अधिक समय लगने के साथ, नागरिकों के अच्छे समय में उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को निराश करने के साथ, आरटीआई कार्यकर्ताओं के एक समूह ने महाराष्ट्र के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कानूनी नोटिस दिया है। सुमित मलिक ने उनके अनुरोध को सही ठहराने के लिए विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं

का हवाला देते हुए 45 दिनों के भीतर दूसरी अपील की सुनवाई का निपटान करने के लिए कहा।

उनके तर्क का मूल यह है कि जब सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 लागू किया गया था, तो संसद का इरादा था कि भारत के नागरिकों को धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर समयबद्ध तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए। अधिनियम। अगर इस समय सीमा तक जानकारी नहीं आई तो संसद ने 250 रुपये प्रति दिन का जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक निर्धारित किया था। इसी तरह, जब कोई नागरिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को पहली अपील दायर करता है, अगर उसे 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं मिलती है, तो एफएए के लिए सूचना प्रदान करने की समय सीमा दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 45 दिन है।

आरटीआई आवेदक दूसरी अपील का सहारा लेता है, जब लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एफएए उसे सूचना प्रदान करने में विफल रहते हैं, जब पहले ही 75 दिन बीत चुके होते हैं। हालाँकि, उसे एक वर्ष से अधिक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया जाता है, कभी–कभी तो दो वर्ष भी। इस प्रकार, प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों – शैलेश गांधी, महेश ज़ागड़े, प्रल्हाद कचरे, विजय कुंभर – द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में तर्क दिया गया है कि, "जब दूसरी अपील पर सुनवाई नहीं की जाती है और अनुचित अवधि के लिए निपटाया जाता है और वास्तव में कुछ एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए अधिनियम की यह पूरी समयबद्ध योजना अचानक जंगल में खो जाती है और इसे पूरी तरह से बेकार कर देती है जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर गर्भपात होता है और भागीदारी वाले लोकतंत्र में भारत के लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। जिसके लिए एक जागरूक नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता है।"

यह अर्हता प्राप्त करने के लिए कि दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने अपने कानूनी नोटिस में निम्नलिखित न्यायिक आदेशों का उल्लेख किया है:

• माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता का डब्ल्यू.पी. में निर्णय। संख्या 11933 (डब्ल्यू) 2010 अखिल कुमार रॉय बनाम। पश्चिम बंगाल सूचना आयोग और अन्य। इस निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है (जोर दिया गया है):

"धारा 19(1) के अंतर्गत पहली अपील में एक निर्णय से दूसरी अपील उत्पन्न होती है, और पहली अपील धारा .7 के अंतर्गत निर्णय या निर्णय देने में विफलता से उत्पन्न होती है। अधिनियम की धाराओं के माध्यम से बुनी गई गति के एक मजबूत स्ट्रैंड की चमक दूसरी अपील में अचानक खो गई है जिसे जंगली चलाने की अनुमति दी गई है। यह ओपन एंडेड दूसरी अपील योजना धारा 6 बनाने के लिए बाध्य है। अनुरोध पूरी तरह से एक बहु–स्तरीय परिहार्य और अवांछित ऑफशूट अदालती कार्यवाही जैसे कि इस मामले को उत्पन्न करता है।

मेरी राय में, धारा 19(1) के अंतर्गत एक प्रथम अपील का निर्णय करने के लिए निर्धारित संबंधित अधिकतम अवधि और धारा 7 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध के निपटान को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय अपील प्राधिकारी को 45 दिनों के भीतर दूसरी अपील का फैसला करना चाहिए था। उसके दाखिल करने की तारीख। क़ानून की योजना को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इस अवधि को दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए उचित अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। मेरा विचार है कि अपील पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को निर्देश देने वाली इस याचिका का निपटारा किया जाना चाहिए।

इन कारणों से, मैं याचिका का निपटान करते हुए आदेश देता हूं कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश के संचार की तारीख से 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की दूसरी अपील पर फैसला करेगा।

• 2015 की रिट याचिका 28310 जयप्रकाश रेड्डी बनाम कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 5 और 6। केंद्रीय सूचना आयोग और भारत संघ का प्रतिनिधित्व सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली 110 001 द्वारा किया जाता है।

"पैरा 5:

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (6) एक समय प्रदान करती है जिसके भीतर पहली अपील का निर्णय किया जाना है, अर्थात् दाखिल करने की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं, वहाँ है दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रथम प्रतिवादी ने अनिश्चित काल के लिए

सुनवाई स्थगित कर दी है और दूसरी अपील पर निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए वर्तमान याचिका।

यह वास्तव में देखा जाना चाहिए कि दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए, यह व्याख्या करना होगा कि जब कोई समय निर्धारित नहीं है, तो इसका पालन होगा कि इसे उचित समय के भीतर तय किया जाना चाहिए। चूंकि पहली अपील पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होगा कि एक समान अवधि दूसरी अपील के निर्णय के रूप में लागू होगी, अन्यथा, यह ऐसी स्थिति का कारण बनेगी जहां अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्राधिकरण को दूसरी अपील की सुनवाई और निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए।

पैरा 6:

नतीजतन, यह माना जाएगा कि दूसरी अपील को भी दाखिल करने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर तय करना होगा, यदि पहले नहीं, तो। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील अक्टूबर, 2014 से पहले प्रतिवादी के समक्ष लंबित है, और एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए प्रतिवादी को अपील पर विचार करने में तेजी लाने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देना उचित होगा। इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, यदि पहले नहीं, तो।

• माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील (सिविल) 9159, 2003 मेसर्स के निर्णय के पैरा 21 और 22। कुसुम इनगॉट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।

"पैरा 21:

जब एक संसदीय कानून को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है और एक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जब तक कि विशेष रूप से बाहर नहीं किया जाता है, भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू होगा। यदि किसी कानून के पारित होने से कार्रवाई का कारण बनता है, तो उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका देश के किसी भी उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि

कार्रवाई का एक कारण तभी उत्पन्न होगा जब अधिनियम के प्रावधान या उनमें से कुछ लागू किए गए थे जो याचिकाकर्ता को नागरिक या बुरे परिणाम देंगे।

पैरा 22:

न्यायालय के पास अपेक्षित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक संसदीय अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका पर पारित एक आदेश, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, भारत के पूरे क्षेत्र में प्रभावी होगा। अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए।"

कार्यकर्ताओं ने अपने कानूनी नोटिस में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि "यदि उच्च न्यायालय ने संसदीय अधिनियम या उनमें से कुछ के प्रावधानों पर उस संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय लिया है, तो उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय का प्रभाव होगा हो, यह निर्णय भारत के पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा।

"इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात को देखते हुए, दोनों उच्च न्यायालयों, अर्थात् कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के संयोजन के साथ, मेरे मुवक्किल विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि, महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग उसके समक्ष दायर की गई दूसरी अपील को दायर करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।"

एक अन्य आदेश में, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर अपीलों के त्वरित निपटान पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका के माध्यम से अतिरिक्त महाधिवक्ता से "समय तय करने की व्यवहार्यता पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। प्रथम अपील और द्वितीय अपीलों के निपटान के लिए सीमा "। इसने एएजी को जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के लिए कम समय, अधिमानतः 48 घंटे देने के लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाने के प्रावधानों पर निर्देश प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और आर. हेमलता, एक स्वतंत्र पत्रकार और राष्ट्रीय जन अधिकार अभियान (एनसीपीआरआई) के सदस्य सौरव दास द्वारा दायर एक याचिका पर। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील एम.वी. स्वरूप, और एएजी, जो राज्य की ओर से पेश हो रहे थे। मामले में प्रतिवादी भारत संघ के अंतर्गत कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग, तमिलनाडु के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग और तमिलनाडु सूचना आयोग हैं।

याचिका में कहा गया था कि कैसे "आरटीआई अधिनियम के अधिनियमन के पीछे विधायी मंशा प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, सूचना प्रदाता और सूचना चाहने वाले के बीच की खाई को पाटना, सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रशासन में दक्षता बढ़ाना है। भ्रष्टाचार को कम करें और सुशासन को बढ़ावा दें।"

इसके अलावा, इसने कहा, "आरटीआई अधिनियम का मूल वह गति है जिस पर मशीनरी को काम करना चाहिए, ताकि नागरिक हमेशा इस बात से अवगत रहें कि सरकार उनके लिए कैसे काम कर रही है। आयोग में असाधारण पेंडेंसी छोड़कर, गति से पूरी तरह समझौता किया गया है।"

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत, जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सूचना मांगने वाले आवेदन, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता है, और पहली अपील का 30 दिनों में जवाब दिया जाना चाहिए, याचिका में कहा गया है कि सूचना अधिकारियों के खिलाफ धारा 18 के अंतर्गत दूसरी अपील या शिकायतों के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

भाग 5

आरटीआई अनुरोध की अस्वीकृति के लिए आधार

यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि नागरिकों को जानकारी देना नियम होना चाहिए; और इसे एक अपवाद से इनकार करते हैं। इसका संवैधानिक आधार यह है कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित माना गया है। इसलिए, खंडन भी अनुच्छेद 19(2) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार होना चाहिए जिसमें कहा गया है: "(2) खंड (1) के उप खंड (ए) में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, या राज्य को कोई कानून बनाने से, जहां तक कि ऐसा कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में उक्त उप खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है। सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में"

केवल तीन संभावित आधार हैं जिन पर जानकारी से इनकार किया जा सकता है:

संगठन एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है – जैसे। एक सहकारी समिति, या एक निजी कॉर्पोरेट या संस्थान, जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित नहीं है।

अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित 'सूचना नहीं' के लिए क्या कहा जाता है: सूचना मौजूद होनी चाहिए। कानून की व्याख्या या निर्णय जो मौजूद नहीं हैं, या निर्णय के कारण जो अस्तित्व में नहीं हैं, उन्हें 'सूचना' की परिभाषा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त को समझाने के लिए कुछ उदाहरण:

1. 'मुझे राशन कार्ड क्यों नहीं मिला?' जानकारी नहीं मांग रहा है; लेकिन 'मैं राशन कार्ड के लिए मेरे आवेदन से संबंधित अपनी फाइल की प्रगति चाहता हूं' जानकारी मांग रहा है।
2. 'मुझे प्रवेश क्यों नहीं मिला?' जानकारी नहीं मांग रहा है, जबकि 'मैं चाहता हूं कि कट–ऑफ अंक जिस पर प्रवेश दिया गया था' जानकारी मांग रहा

है। हालांकि, धारा 5(3) की भावना का पालन करते हुए, पीआईओ को ऐसे प्रश्नों को फिर से तैयार करने में मदद करनी चाहिए।

- मांगी गई जानकारी धारा 8(1) की छूट या धारा 9 के अंतर्गत लागू होती है। निजी पार्टी कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली जानकारी देने वाली धारा 9 बार।
- अभिलेखों से उद्धरण प्रदान करना धारा 2(जे)(पप) के अनुसार किया जाना आवश्यक है जब तक कि इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता न हो। यदि सूचना देने के लिए लोक प्राधिकरण के संसाधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तो वह सूचना देने से इंकार नहीं कर सकता।
- यदि आवेदक ने जिस प्रपत्र में सूचना मांगी है, उसके लिए लोक प्राधिकरण के बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी, तो वह इसे किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत कर सकता है। पीआईओ द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा जब किसी विशेष प्रारूप में जानकारी एकत्र करने या मिलान करने के लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है, आवेदक को फाइलों के निरीक्षण की पेशकश करना है।

धारा 7(9) अभिलेखों में उपलब्ध सूचना को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इनकार को केवल अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि कोई सूचना देने से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

ऐसे कुछ दुर्लभ उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने से सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा काम रुक सकता है। ऐसे मामले में, सूचना से इनकार करने के लिए धारा 7(9) का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पचास कार्यालयों में फैली हुई जानकारी मांगी है जो एक संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है, तो एक पीआईओ कह सकता है कि यहां तक कि एक निरीक्षण प्रदान करने से सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन हो सकता है। दूसरी ओर, यदि सूचना का मिलान कुछ घंटों में किया जा सकता है, तो पीआईओ को ऐसा करना चाहिए।

हालांकि, जो पहले से ही रिकॉर्ड में है, उससे मिलान या उद्धरण प्रदान करने से इनकार करना गलत होगा। धारा 7(9) केवल तभी लागू की जानी चाहिए जब जानकारी को एकत्रित करने या निकालने में बहुत अधिक समय लगने वाला हो। ऐसी

स्थिति में, पीआईओ पूरे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी पेश कर सकता है या निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। विकल्प आवेदक के पास होना चाहिए।

धारा 8 के अंतर्गत सूचना का खंडन

(ए) जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

पीआईओ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सूचना के प्रकटीकरण से 'भारत की संप्रभुता और अखंडता, या राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या किसी अपराध के लिए उकसाने' की संभावना कैसे हो सकती है। यदि इनकार को सही ठहराने के लिए कोई विशिष्ट तर्क नहीं दिया गया है, तो जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि कानून 'गोपनीय' लेबल वाली फाइलों या सूचनाओं को छूट के रूप में छूट नहीं देता है। 'गोपनीय' के रूप में वर्गीकरण एक आंतरिक प्रक्रिया है और इसका उपयोग सूचना को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरटीआई अधिनियम ने इस श्रेणी को छूट दी है।

(बी) जानकारी जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

छूट केवल तभी लागू होगी जब किसी मामले को विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा सार्वजनिक करने के लिए मना किया गया हो। यदि कोई मामला विचाराधीन है, तो भी जानकारी देनी होगी। यह छूट केवल तभी लागू होगी जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल का एक विशिष्ट आदेश कहता है कि विशेष जानकारी को प्रकटीकरण से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह का खुलासा अदालत की अवमानना होगी और इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।

(सी) जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा; यह प्राथमिक रूप से लागू होगा जहां कुछ जानकारी जैसे संसद या विधानमंडल को रिपोर्ट पेश करने के लिए कानूनी शर्त है। यह प्रावधान तब भी लागू होगा जब विधायिका द्वारा कुछ जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करने से बचने या संसद या विधानमंडल की कुछ कार्यवाही को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए एक विशिष्ट आदेश दिया गया हो।

सरकारों द्वारा जांच आयोगों की नियुक्ति करने और अक्सर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की एक आम प्रथा है। चूंकि रिपोर्ट संसद के समक्ष नहीं रखी गई है, क्या इसे आरटीआई आवेदन के जवाब में दिया जा सकता है?

जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, "उपयुक्त सरकार संसद के प्रत्येक सदन या, जैसा भी मामला हो, राज्य के विधानमंडल के समक्ष आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, रखी जाएगी। आयोग द्वारा उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई जांच के साथ–साथ उस पर की गई कार्रवाई का एक ज्ञापन, आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर।

यदि इसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष छह महीने के भीतर नहीं रखा गया है, तो विशेषाधिकार का उल्लंघन पहले ही हो चुका है क्योंकि सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया है। तब यह दावा नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को रिपोर्ट देने से विशेषाधिकार का हनन होगा क्योंकि रिपोर्ट धारक द्वारा पहले ही इसका उल्लंघन किया जा चुका है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि यदि विधानमंडल को कुछ जानकारी देने से इनकार किया जाता है, तो यह छूट यह नहीं कहती है कि इसे किसी नागरिक को नहीं दिया जाना चाहिए। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

(डी) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को वारंट करता है;

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि यह 'वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा' है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण 'तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा'। इसका मतलब यह होगा कि यदि 'तीसरे पक्ष' द्वारा विशेष जानकारी दी जाती है जिसे एक व्यापार रहस्य या वाणिज्यिक विश्वास के रूप में पहचाना जा सकता है और इसके प्रकटीकरण से इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, तो आवेदक को ऐसी जानकारी से इनकार किया जा सकता है। इस खंड में निविदा बोलियों, विशिष्टताओं या गारंटियों जैसी सूचनाओं से इनकार करने की परिकल्पना नहीं की गई है जो बोलीदाताओं द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों को दी जाती हैं। पीआईओ को जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या

जानकारी अस्वीकृत करने से तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति के इस परीक्षण के योग्य है, जो प्रकटीकरण के कारण होने की संभावना है।

एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई कंपनी कुछ अन्य ग्राहकों के साथ कुछ आदेशों के लिए बातचीत कर रही है और सार्वजनिक प्राधिकरण को इसका खुलासा करती है, तो यह दावा किया जा सकता है कि यह व्यावसायिक विश्वास में दी गई जानकारी है और इस जानकारी का खुलासा करने से इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान हो सकता है। इसी तरह, अगर किसी कंपनी द्वारा किसी फॉर्मूले / फॉर्मूलेशन का खुलासा किया जाता है, तो उसके प्रकटीकरण से छूट दी जा सकती है क्योंकि प्रकटीकरण से उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान हो सकता है। यदि प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं है, तो इस खंड के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

(ई) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को वारंट करता है;

प्रत्ययी संबंध को "एक ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति रिश्ते के दायरे में मामलों पर दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने के लिए कर्तव्य के अधीन होता है।" "न्यायिक संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होता हैः (1) जब एक व्यक्ति दूसरे की वफादार अखंडता पर भरोसा करता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त होता है, (2) जब एक व्यक्ति नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है दूसरा, (3) जब एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह रिश्ते के दायरे में आने वाले मामलों पर कार्य करें या दूसरे को सलाह दें, या

(4) जब एक विशिष्ट संबंध होता है जिसे पारंपरिक रूप से एक वकील और एक ग्राहक, या एक स्टॉकब्रोकर और एक ग्राहक के रूप में प्रत्ययी कर्तव्यों को शामिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। किसी और के संबंध में विश्वास, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। व्यवसाय या कानून में, इसका आम तौर पर मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदा। डॉक्टर, वकील, बैंकर, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी।

इस तरह के रिश्ते की एक और विशेषता यह है कि जानकारी धारक द्वारा पसंद से बाहर जानकारी दी जाती है। जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, तो ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी किसी विशेष चिकित्सक

के पास जाता है, उसके पास यह विकल्प होता है कि वह जानकारी देना चाहता है या नहीं। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए जानकारी देता है। यह सच है कि ऐसा रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर, वकील, बैंकर या ट्रस्टी का चयन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें विश्वास न हो। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस या पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई जानकारी को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है। ऐसे में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि जानकारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में दी गई है।

एक अन्य पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाभार्थी द्वारा एक प्रत्ययी को प्रदान की गई जानकारी को ट्रस्ट में रखा जाता है और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। एक डॉक्टर रोगी की सहमति के बिना रोगी की जानकारी पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन रोगी पर डॉक्टर की सलाह या दवा साझा करने के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है।

(एफ) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी;

यह संभावना है कि इस प्रावधान का उपयोग किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिकांश जानकारी को तब तक अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है जब तक कि इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं किया गया हो। प्रभावी रूप से, इसका अर्थ है कि किसी विदेशी सरकार से प्राप्त अधिकांश जानकारी दिए जाने की संभावना नहीं है। यह एकमात्र प्रावधान है जहां विश्वास में प्राप्त जानकारी के मात्र दावे को इस कानून में छूट दी गई है।

(जी) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान होगी;

जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा एक उचित संभावना होनी चाहिए, न कि केवल कल्पना। यह खंड तब लागू किया जाएगा जब किसी ने गलत काम के बारे में जानकारी दी हो या व्हिसलब्लोअर के रूप में काम किया हो, और अपनी पहचान का खुलासा करने से उसे खतरा हो। हालांकि, इसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां स्रोत के लिए कुछ खतरा उचित संभावना होनी चाहिए। इसका उपयोग परीक्षकों के बारे में

जानकारी, चयनकर्ताओं या साक्षात्कारकर्ताओं के नाम, या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके कनिष्ठों के खिलाफ टिप्पणी से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह वास्तविक खतरे के बजाय अतिसक्रिय आशंका का परिणाम होगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

(एच) जानकारी जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी;

इस प्रावधान के अंतर्गत, निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक संतुष्ट होने पर जानकारी से इनकार किया जा सकता हैः

जांच पूरी नहीं हुई है, और यह दिखाया जा सकता है कि जानकारी जारी करने से जांच की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। यह प्रावधान यह नहीं कहता है कि जब कोई जांच चल रही हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, पीआईओ को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जानकारी प्रदान करने पर जांच में बाधा डालने की उचित संभावना है। इसी तरह, जब एक जांच रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी जाती है, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि जांच की प्रक्रिया बाधित होगी। इसके बाद ही यदि किसी के पकड़े जाने या मुकदमा चलाने की कोई संभावना हो तो ही यह स्थापित करना होगा कि गिरफ्तारी या अभियोजन को बाधित किया जाएगा।

यदि यह दिखाया और स्थापित किया जाता है कि सूचना जारी करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो आरोपित व्यक्तियों को पकड़ने में बाधा उत्पन्न करेगी।

हालांकि जांच और अपराधियों की आशंका खत्म हो सकती है, लेकिन सूचना जारी करने से अपराधियों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बाधित होगी। यदि कोई जांच समाप्त हो गई है और किसी अपराधी के पकड़े जाने या उस पर मुकदमा चलाने की संभावना नहीं है, तो जानकारी को रोका नहीं जा सकता है। 36 साथ ही, केवल तथ्य यह है कि रिकॉर्ड से कुछ जानकारी जारी करने से अभियोजन पक्ष कमजोर हो सकता है, एक के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जानकारी से इनकार करने का कारण, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि अभिलेखों में सच्चाई का खुलासा नहीं किया जा रहा है।

(आइ) मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट पेपरः इटैलिक टेक्स्ट

इस प्रावधान को अक्सर कैबिनेट कागजात और कैबिनेट विचार–विमर्श के बारे में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्रदान करने पर पूर्ण रोक के रूप में गलत

समझा जाता है। एक बार जब कोई निर्णय लिया जाता है और मामला पूरा या समाप्त हो जाता है, तो यह सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह उस सामग्री को सार्वजनिक करे जिसके आधार पर निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार को निर्णय लेने का आधार खुद सार्वजनिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बार जब कोई विधेयक संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, तो विचार–विमर्श के उद्देश्य और कैबिनेट से संबंधित फाइल नोटिंग से संबंधित मामला स्पष्ट रूप से पूर्ण और समाप्त हो जाता है।

इस प्रावधान के लिए आवश्यक है कि सरकार कानून या नीति बनाने का निर्णय लेने के लिए अपने विचार–विमर्श और तर्क लोगों के सामने रखे। यह प्रावधान धारा 4(1)(सी) के प्रावधानों को दोहराता है महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

(डी) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक निर्णयों के कारण प्रदान करें।

यह सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट को दी गई सलाह और उसके विचार–विमर्श का खुलासा नहीं किया जाएगा जब चर्चा की जा रही हो। हालाँकि, एक बार कानून या नीति बनाने का निर्णय लेने के बाद, कारण और रिकॉर्ड जनता के सामने रखे जाने चाहिए। यह नागरिकों का सच्चा सशक्तिकरण है और एक सहभागी लोकतंत्र और जवाबदेही लाने का प्रयास है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 8(1) में यही एकमात्र प्रावधान है, जो कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट देते हुए निर्णय लेने के बाद इसे सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है। इस समय एक अतिरिक्त टिप्पणी है।

(जे) जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता हैः बशर्ते कि जानकारी, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाएगा।

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। आम भाषा में, हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक विशेषता के रूप में परिभाषित

करेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होती है न कि किसी संस्था या कॉर्पोरेट के लिए। इसलिए, यह सुझाव देता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो। अनुरोध की गई जानकारी को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में धारा 8(1)(र) के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है –

(ए) जहां मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है और मांगी गई जानकारी की प्रकृति ऐसी है कि इसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है; या

(बी) जहां मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, और उक्त जानकारी के प्रकटीकरण से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण होगा।

यदि जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सार्वजनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप आई थी। आम तौर पर, सार्वजनिक रिकॉर्ड में अधिकांश जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न होती है।

नौकरी के लिए आवेदन करना, राशन कार्ड या पासपोर्ट सार्वजनिक गतिविधि के उदाहरण हैं। हालाँकि, कुछ व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास हो सकती है जो किसी सार्वजनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है, उदाहरण के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ लेनदेन। इसी तरह, एक सार्वजनिक प्राधिकरण छापे या जब्ती के दौरान कुछ जानकारी के कब्जे में आ सकता है जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं हो सकता है।

भले ही जानकारी किसी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न हुई हो, फिर भी इसे छूट दी जा सकती है यदि इसे प्रकट करना किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर एक अनुचित आक्रमण होगा।

गोपनीयता एक घर, एक व्यक्ति के शरीर, यौन वरीयताओं आदि के मामलों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है जिसमें अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है।

(1)(ए) 'सभ्यता या नैतिकता' के हित में। इस अवसर पर एक अतिरिक्त दृष्टिकोण है। 38 यदि, तथापि, यह महसूस किया जाता है कि सूचना किसी सार्वजनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है, या इसे प्रकट करना किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर एक अनुचित आक्रमण होगा, तो सूचना को अस्वीकार करने से पहले

इसे होना चाहिए परंतुक के तेजाब परीक्षण के अध्यधीनः बशर्ते कि ऐसी सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

परंतुक एक परीक्षण के रूप में है जिसे धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली जानकारी को अस्वीकार करने से पहले लागू किया जाना चाहिए। लोक सेवकों को संसद और विधानमंडल में उठाए गए सवालों के जवाब देने की आदत हो गई है। उनके लिए नागरिकों से जानकारी की मांग का जवाब देने का रवैया विकसित करना मुश्किल है। इसलिए, जब उन्हें कोई संदेह होता है, तो उनके लिए पहले यह विचार करना सार्थक होता है कि क्या वे यह जानकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को देंगे। उन्हें पहले व्यक्तिपरक निष्कर्ष पर आना चाहिए कि वे सांसदों और विधायकों को जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, और नागरिकों को जानकारी से इनकार करते समय इसे रिकॉर्ड करेंगे। इस समय एक अतिरिक्त दृष्टिकोण है एक अन्य परिप्रेक्ष्य यह है कि नागरिकों को इस अनुमान के आधार पर जानकारी से वंचित किया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के कुछ हितों को नुकसान होगा। हालांकि, अगर सूचना विधायिका को दी जा सकती है तो इसका मतलब है कि संभावित नुकसान बहुत अधिक नहीं है क्योंकि विधायिका को जो दिया जाता है वह सार्वजनिक डोमेन में होगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि जब धारा 8(1)(जे) के प्रावधान के आधार पर सूचना से इनकार किया जाता है, तो सूचना से इनकार करने वाले व्यक्ति को अपना व्यक्तिपरक मूल्यांकन देना चाहिए कि यदि ऐसी जानकारी मांगी गई तो संसद या राज्य विधायिका को ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया जाएगा। इसे निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि गोपनीयता विधेयक 2014 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत डेटा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिएः

"(ए) चिकित्सा इतिहास सहित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य,

(बी) बायोमेट्रिक, शारीरिक या आनुवंशिक जानकारी,

(सी) आपराधिक सजा

(डी) पासवर्ड,

(ई) बैंकिंग क्रेडिट और वित्तीय डेटा

(एफ) नार्को–विश्लेषण या पॉलीग्राफ टेस्ट डेटा,

(जी) यौन अभिविन्यास। यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है।

धारा 9 धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह के अनुरोध में कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा। राज्य के अलावा अन्य व्यक्ति।

यदि कोई आवेदक पुस्तकालय में किसी पुस्तक की प्रतियां, या कला का एक काम, या एक फिल्म की मांग करता है, जिसका कॉपीराइट किसी के पास है, तो उसे नहीं दिया जाएगा।

हालाँकि, निहितार्थ से, यदि कॉपीराइट राज्य का है, तो उसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत देना होगा। राज्य के मूल्य प्रकाशनों की प्रतियां मांगने वाले नागरिकों की समस्या को दूर करने के लिए, कुछ राज्य नियमों ने कहा है कि मूल्य प्रकाशनों के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क प्रकाशन का बिक्री मूल्य होगा। हालांकि, इस आधार पर किसी भी जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कॉपीराइट राज्य के पास है।

भाग 6

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम या वैधानिक नियम

एक बार जब सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना को सार्वजनिक कर देते हैं और उस जानकारी तक पहुँचने के लिए कीमत लगा देते हैं, तो उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (जे) के अनुसार उस जानकारी पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि पहले से ही प्रकट की गई जानकारी तक पहुँचने के लिए त्ज्प् अधिनियम के अंतर्गत कोई आवेदन किया जाता है, तो यह पर्याप्त होगा कि सार्वजनिक प्राधिकरण ने आवेदक को यह सूचित किया कि वह जानकारी कहाँ और कैसे प्राप्त की जाए और यह भी कि यह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

इस उप–खंड के पाठ से निष्कर्ष और, विशेष रूप से ऊपर उद्धृत तीन भाव, वह जानकारी है जिस पर एक नागरिक का अधिकार होगा, यह दिखाया जाना चाहिए कि ए) एक सूचना जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सुलभ है और बी) कि यह एक निश्चित सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है या उसके अधीन है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि जब तक कोई सूचना विशेष रूप से किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित नहीं की जाती है, तब तक उस जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सुलभ जानकारी नहीं कहा जा सकता है। अनुमानित रूप से इसका अर्थ यह होगा कि एक बार एक निश्चित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है, जो नागरिकों के लिए या तो स्वतंत्र रूप से सुलभ होती है, या पूर्व निर्धारित मूल्य के भुगतान पर, उस जानकारी को 'धारित' या 'नियंत्रण में' नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण और, इस प्रकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सुलभ जानकारी नहीं रह जाएगी।

इस व्याख्या को धारा 4(2), 4(3) और 4(4) में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण को "खंड बी की आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने के लिए" लगातार प्रयास करने के लिए बाध्य करता है। धारा 4 की उपधारा 1 इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए है, ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा लेना पड़े।" (धारा 4 उप–धारा 2)। यह खंड स्थिति को और विस्तृत करता है।

इसमें कहा गया है कि "सभी सामग्रियों को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार की सबसे प्रभावी विधि को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा और जानकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जहां तक संभव हो, आसानी से सुलभ होनी चाहिए। या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, मुफ्त या माध्यम की ऐसी कीमत पर या प्रिंट लागत मूल्य पर उपलब्ध हो सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।"

आरटीआई अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से आरटीआई शासन के विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, जो यह है कि कम से कम जानकारी को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उत्तरोत्तर रखा जाना चाहिए, जिसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत एक्सेस किया जाएगा और इस तरह की अधिक से अधिक जानकारी को लाया जाना चाहिए। इस तरह के सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक डोमेन में स्व–प्रेरणा से।

एक बार जब जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाता है तो इसे आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाता है और इस श्रेणी की जानकारी तक पहुंचने का अधिकार इस आधार पर होगा कि क्या सार्वजनिक प्राधिकरण इसे मुफ्त में या माध्यम की ऐसी कीमत पर प्रकट करता है। या प्रिंट लागत मूल्य "जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है"।

इसलिए अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण में स्वेच्छा से प्रकट की गई जानकारी तक पहुंच के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार निहित करता है, अर्थात या तो मुफ्त या निर्धारित लागत/मूल्य पर।

प्रतिनिधिक दायित्व

प्रतिपक्षी दायित्व एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों के लिए एक पक्ष द्वारा धारित कानूनी जिम्मेदारी की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, भले ही वे सीधे नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी न हों। इसके अलावा कभी–कभी आरोपित दायित्व के रूप में संदर्भित किया जाता है, विकृत दायित्व बताता है कि कोई भी पक्ष जो किसी अन्य पक्ष के साथ एक आधिकारिक कानूनी संबंध में है, वह कानूनी रूप से जिम्मेदार है यदि उनके कार्यों से दूसरे पक्ष को नुकसान होता है।

विकृत दायित्व एक सख्त, द्वितीयक दायित्व का एक रूप है जो एजेंसी के सामान्य कानून सिद्धांत के अंतर्गत उत्पन्न होता है – प्रतिवादी श्रेष्ठ – अपने अधीनस्थ के कृत्यों के लिए श्रेष्ठ की जिम्मेदारी, या व्यापक अर्थ में, किसी तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी उल्लंघनकर्ता की गतिविधियों को "नियंत्रित करने का अधिकार, क्षमता या

कर्तव्य" था। इसे अंशदायी दायित्व से अलग किया जा सकता है, द्वितीयक दायित्व का दूसरा रूप, जो उद्यम दायित्व के टोट सिद्धांत में निहित है।

इसे अंशदायी दायित्व से अलग किया जा सकता है, द्वितीयक दायित्व का एक अन्य रूप, जो उद्यम दायित्व के टोट सिद्धांत में निहित है, क्योंकि अंशदायी उल्लंघन के विपरीत, ज्ञान प्रतिवर्ती दायित्व का एक तत्व नहीं है। कानून ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया है कि कुछ रिश्तों को उनके स्वभाव से उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दूसरों को उन लोगों के गलत काम के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए संलग्न करता है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ऐसा सबसे महत्वपूर्ण संबंध नियोक्ता और कर्मचारी का है।

रोजगार के दौरान अपने कर्मचारियों द्वारा लापरवाहीपूर्ण कृत्यों या चूक के लिए नियोक्ता प्रतिवादी रूप से उत्तरदायी होते हैं (कभी–कभी 'कार्यक्षेत्र और रोजगार के पाठ्यक्रम' के रूप में संदर्भित)। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नियोक्ता उत्तरदायी है, एक स्वतंत्र ठेकेदार और एक कर्मचारी के बीच का अंतर निकाला जाना है। प्रतिवादी रूप से उत्तरदायी होने के लिए, प्रतिवादी और यातना देने वाले के बीच एक आवश्यक संबंध होना चाहिए, जिसे तीन परीक्षणों द्वारा जांचा जा सकता हैः नियंत्रण परीक्षण, संगठन परीक्षण और पर्याप्त संबंध परीक्षण। यदि कोई कर्मचारी अनधिकृत तरीके से अधिकृत कार्य करता है तो नियोक्ता को प्रतिपक्षी दायित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

नियोक्ता लैटिन वाक्यांश में प्रतिनिधित्व किए गए सामान्य कानून सिद्धांत के अंतर्गत भी उत्तरदायी हो सकते हैं, प्रति एलियम सुविधा प्रति से (जो अपने हितों में किसी अन्य कृत्यों के माध्यम से कार्य करता है)। यह प्रतिवर्ती दायित्व और सख्त दायित्व के समानांतर अवधारणा है, जिसमें एक व्यक्ति को आपराधिक कानून में उत्तरदायी ठहराया जाता है या दूसरे के कृत्यों या चूक के लिए यातना दी जाती है।

प्रतिपक्षी दायित्व के अधिरोपण के औचित्य के रूप में कई कारणों को आगे बढ़ाया गया हैः

(1) गुरु के पास 'सबसे गहरी जेब' होती है। प्रतिवादी की संपत्ति, या तथ्य यह है कि उसके पास बीमा के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच है, कुछ मामलों में कानूनी सिद्धांतों के विकास पर एक बेहोश प्रभाव पड़ा है।

(2) विकराल दायित्व एक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय हित देकर दुर्घटना की रोकथाम को प्रोत्साहित करता है।

(3) चूंकि नियोक्ता अपने कर्मचारियों की गतिविधियों से लाभ कमाता है, इसलिए उसे उन गतिविधियों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को भी सहन करना चाहिए।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शब्दों में: "यह लंबे समय से कानून द्वारा स्थापित किया गया है कि एक मालिक अपने मालिक के रोजगार में काम करने वाले नौकर की लापरवाही या अकुशलता के कारण किसी भी चोट या क्षति के लिए तीसरे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के दौरान किए गए प्रत्येक कार्य को उसके स्वामी के आदेश से किया गया माना जाता है, और फलस्वरूप यह वही होता है जैसे कि वह स्वामी का अपना कार्य था।

तो प्रतिकारी दायित्व के घटक हैं:

(1) एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए।

(2) गलत कार्य एक निश्चित तरीके से रिश्ते से संबंधित होना चाहिए।

(3) रोजगार के दौरान गलत किया गया है।

31 अगस्त, 2016 को डॉ नजरूल इस्लाम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में अदालत ने कहा कि:

यदि ऐसे अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विभाग को अपने अधिकारियों की ओर से उनके नियोजन या उनके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक के लिए दायित्व स्वीकार करना चाहिए। यह प्रतिरूपक दायित्व के समान है, जो कानून का एक सुप्रसिद्ध कपटपूर्ण सिद्धांत है।

यह विभाग है जिसे अपने अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने में विफलता के कारण किसी भी नुकसान, नुकसान या उत्पीड़न के लिए नागरिक को क्षतिपूर्ति करनी होती है। इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि ऐसा कर्तव्य वैधानिक है या गैर–सांविधिक। यह विभाग के मुंह में नहीं है कि यह एक निर्जीव या अवैयक्तिक इकाई है और जिम्मेदारी और दायित्व केवल इसके अधिकारियों पर तय किया जाना चाहिए।

विभाग को विभाग के अड़ियल और अकर्मण्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने से नागरिक को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और उसके बाद विभाग अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने और उन्हें

न्यायसंगत बनाने के लिए स्वतंत्र है। वास्तव में विभाग को अपने संबंधित अधिकारियों से उस मुआवजे की वसूली करनी चाहिए जो विभाग को प्रभावित नागरिक को देना है।

कार्यस्थल में सबसे आम उदाहरणों में से एक जहां विचित्र दायित्व खेल में आता है। कंपनी – नियोक्ता – अपने कर्मचारियों के कार्यों, शब्दों और कार्यों के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है, खासकर जब कार्य, शब्द या कार्य कंपनी के नाम पर या कंपनी की ओर से किए जाते हैं। यह सच है जब कंपनी या उसका कोई कर्मचारी जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाता है। एक साथी कर्मचारी/कर्मचारी, एक ग्राहक, या यहां तक कि एक सहयोगी कंपनी और उसके कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

चिकित्सा क्षेत्र और व्यावसायिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों सहित कर्मचारी/नियोक्ता संबंध के बाहर विकृत दायित्व मौजूद है। बहुत छोटे पैमाने पर, जो कोई वाहन का मालिक है, वह किसी भी व्यक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे वे अपना वाहन संचालित करने की अनुमति देते हैं।

तथ्य यह है कि विकृत दायित्व व्यक्तियों और बड़े दलों को जवाबदेह रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी या किसी संस्था को निर्दोषों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वास्तविकता यह है कि विकृत दायित्व – और इसके भीतर के सभी ग्रे क्षेत्र – नियोक्ताओं, कंपनियों, या अपेक्षाकृत निर्दोष या अनजान पक्षों के खिलाफ कभी–कभी तुच्छ, हास्यास्पद और अनुचित कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकते हैं।

नियोक्ता अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें अपने एक या अधिक कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहां तक कि अगर कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो नियोक्ता को भी प्रतिपक्ष रूप से उत्तरदायी पाया जा सकता है।

जब तक इस बात का निर्विवाद प्रमाण न हो कि कर्मचारी ने नियोक्ता की जानकारी या सहमति के बिना काम किया है, या यह कि लापरवाहीपूर्ण व्यवहार नियोक्ता के साथ कर्मचारी के रोजगार की शर्तों के बाहर किया गया था, नियोक्ता हो सकता है, और अक्सर पाया जाता है। उत्तरदायी।

"नुकसान" का गठन करने वाले चारों ओर ग्रे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद है। कुछ मामलों में, ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं जो किसी कंपनी के ग्राहकों या ग्राहकों को नुकसान पहुँचाती हैं। तृतीय–पक्ष प्रतिपक्षी दायित्व तब हो

सकता है जब यह साबित किया जा सकता है कि किसी ग्राहक या ग्राहक को कंपनी के नाम पर, उसकी ओर से, या उसके निर्देशन में नुकसान पहुँचाया गया था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक नियोक्ता को अभी भी एक कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी रूप से उत्तरदायी पाया जा सकता है, यहां तक कि अपमानजनक कर्मचारी के जाने के बाद भी। वहाँ भी एक पर्याप्त मात्रा में ग्रे क्षेत्र होता है जब विचित्र दायित्व होना चाहिए, और समाप्त होता है।

एक नौकर और स्वतंत्र ठेकेदार दोनों नियोक्ता के कुछ काम करने के लिए नियोजित होते हैं लेकिन कानूनी संबंधों में अंतर होता है जो नियोक्ता के साथ होता है। एक नौकर को सेवाओं के अनुबंध के अंतर्गत लगाया जाता है जबकि एक स्वतंत्र ठेकेदार को सेवाओं के अनुबंध के अंतर्गत लगाया जाता है। अपने नौकर द्वारा की गई गलतियों के लिए नियोक्ता का दायित्व एक स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा की गई गलतियों के संबंध में उसके दायित्व से अधिक कठिन है। यदि कोई सेवक अपने नियोजन के दौरान कोई गलत कार्य करता है, तो स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होता है। नौकर, निश्चित रूप से, भी उत्तरदायी है। नौकर के गलत कार्य को भी स्वामी का कार्य माना जाता है। "अपने नौकर के कार्य के लिए स्वामी के दायित्व का सिद्धांत मैक्सिम रिस्पॉन्डेट सुपीरियर पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'प्रिंसिपल को उत्तरदायी होने दें' और यह मास्टर को उसी स्थिति में रखता है जैसे उसने स्वयं कार्य किया था। यह मैक्सिम क्वि फैसिट प्रति एलियम फैसिट पर से भी वैधता प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि 'वह जो किसी अन्य के माध्यम से कार्य करता है, उसे स्वयं करने के लिए कानून में समझा जाता है'। चूंकि नौकर द्वारा किए गए गलत के लिए, स्वामी को भी प्रतिपक्षी रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है, वादी के पास उन दोनों में से किसी एक या दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प होता है। उनकी देनदारी संयुक्त और कई है क्योंकि उन्हें संयुक्त यातना देने वाला माना जाता है। मैक्सिम रिस्पॉन्डेट सुपीरियर का कारण उसकी बड़ी जेब और बीमा के माध्यम से दायित्व के बोझ को पार करने की क्षमता के कारण दावे को पूरा करने के लिए मास्टर की बेहतर स्थिति प्रतीत होती है। दायित्व उत्पन्न होता है, भले ही नौकर ने स्पष्ट निर्देश के विरुद्ध कार्य किया हो, और अपने स्वामी के किसी लाभ के लिए नहीं।

इसलिए विकृत दायित्व उन मामलों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति दूसरों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। टॉर्ट्स के क्षेत्र में यह सामान्य नियम का अपवाद माना जाता है कि एक व्यक्ति केवल अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यह qui facit per se per alium facit per se के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है, "वह जो किसी अन्य के माध्यम से कार्य करता है, उसे स्वयं करने के लिए कानून में समझा

जाता है"। तो प्रतिनियुक्त दायित्व के मामले में वह व्यक्ति जिसके इशारे पर कार्य किया गया है और साथ ही वह व्यक्ति जो कार्य करता है, दोनों ही उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के अत्याचारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं जो रोजगार के दौरान किए जाते हैं। बी द्वारा किए गए कार्य के लिए ए का दायित्व उत्पन्न हो सकता है, यह आवश्यक है कि ए और बी के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए, और गलत कार्य, निश्चित रूप से, उस संबंध से जुड़ा होना चाहिए। तो एक स्वामी अपने नौकर के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है यदि कार्य रोजगार के दौरान किया जाता है। लेकिन जहां कोई अपनी ओर से काम करने के लिए एक स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त करता है, वह काम के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी अपकार के लिए सामान्य रूप से जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि ऊपर वर्णित कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर।

तो नौकर और स्वतंत्र ठेकेदार क्रमशः सेवा के अनुबंध और सेवा के अनुबंध के अंतर्गत हैं। दोनों के बीच अंतर करने का पारंपरिक दृष्टिकोण विशेष रूप से नियंत्रण परीक्षण था। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में यह पर्याप्त परीक्षण नहीं है क्योंकि एक भी परीक्षण नहीं है। विभिन्न परीक्षणों की सहायता से विभिन्न कारकों को संतुलित करके ही महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जैसेः रोजगार परीक्षण की प्रकृति, 'व्यवसाय का अभिन्न अंग' परीक्षण, वित्तीय जोखिम का आवंटन/आर्थिक वास्तविकता परीक्षण/बहु परीक्षण के साथ–साथ नियंत्रण परीक्षण।

अपील के लिए विस्तृत सामान्य आधार

(कृपया अपनी अपील के लिए प्रासंगिक बिंदुओं का चयन करें)

1. अपीलकर्ता का मानना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा (19) किसी भी व्यक्ति को माननीय आयोग के समक्ष अपील करने की अनुमति देती है यदि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधित किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है या वह मानता है कि उसे अधूरा, भ्रामक या गलत दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या पीआईओ ने सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधा डाली है।

2. अपीलकर्ता का मानना है कि प्रतिवादियों ने दुर्भावना से सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया है। रिकॉर्ड की सामग्री स्पष्ट रूप से आरटीआई अधिनियम को लागू करने में उत्तरदाताओं के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाती है। उत्तरदाताओं की इस तरह की कार्रवाई आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुपालन में नहीं

है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने आरटीआई अधिनियम को बहुत ही लापरवाही से लिया है।

3. सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार में निहित है, जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्तरदाताओं ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से जानकारी को नकार कर ऐसा किया है।

4. चूंकि ये मामले सीधे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित हैं, अपीलकर्ता बहुत ही आकस्मिक और अभावग्रस्त दृष्टिकोण के साथ आरटीआई अधिनियम को लागू करने के प्रतिवादी के नाजायज कृत्य को रोकने के लिए इच्छुक है। इसके अलावा, अधिनियम के गैर–अनुपालन को नहीं रोकने से, सूचना का अधिकार अधिनियम के घोषित उद्देश्य, अर्थात् एक सूचित नागरिक बनाना और सरकार में पारदर्शिता के एक व्यावहारिक शासन की स्थापना सुनिश्चित करना विफल हो जाएगा।

5. अपीलकर्ता का मानना है कि अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति के संबंध में आरटीआई अधिनियम में और मार्गदर्शन उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत यदि केंद्रीय सूचना आयोग को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के अभ्यास के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण का अभ्यास इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो यह हो सकता है प्राधिकरण को इस तरह की अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए एक सिफारिश दें।

6. सूचना देने से इंकार करने के समर्थन में पीआईओ/एफएए ने कारण नहीं बताए हैं (धारा 7(8)(प) आरटीआई अधिनियम)

7. कि एफएए और पीआईओ ने बेईमान इरादों और उल्टे और/या भ्रष्ट मकसद के साथ जानकारी प्रदान नहीं की, जैसा कि जाहिर तौर पर दूसरों के साथ आपराधिक साजिश के अनुसरण में किया गया था, जिनके निहित स्वार्थ दांव पर थे और इस तरह कानूनी दुर्भावना से प्रतिबद्ध थे।

8. यह कि एफएए ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए पीआईओ के खिलाफ सूचना आयोग के

कार्यालय को किसी भी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है और निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है।

9. डब्ल्यू.पी. (सी) 900/2021 निर्णय/आदेश की तिथिः 22/01/2021 राकेश कुमार गुप्ता बनाम केंद्रीय सूचना आयोग (दिल्ली उच्च न्यायालय)) राकेश कुमार गुप्ता बनाम केंद्रीय सूचना आयोग (दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च न्यायालय ने कहा किः

(i) सीपीआईओ/पीआईओ उचित कारण के बिना जानकारी को रोक नहीं सकते;

(ii) एक पीआईओ/सीपीआईओ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है यदि उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अनुमत वैध आधार पर मांगी गई जानकारी को वास्तव में अस्वीकार कर दिया है। सीआईसी की ओर से केवल राय के अंतर से आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है;

(iii) सरकारी विभागों को सूचना के खुलासे से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि जानकारी उपलब्ध नहीं है या पता लगाने योग्य नहीं है, उक्त विभागों द्वारा गहन तलाशी और पूछताछ करके परिश्रम किया जाना चाहिए;

(iv) सूचना का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, और अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर निहित स्वार्थों के लिए सूचना के दमन के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा; अ) पीआईओ/सीपीआईओ केवल "डाकघरों" के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी प्रदान की जाती है;

(अ) एक पीआईओ/सीपीआईओ को अपना दिमाग लगाना होता है, सामग्री का विश्लेषण करना होता है और फिर प्रत्यक्ष प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण के लिए कारण बताना होता है। पीआईओ अधीनस्थ अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकता;

(vi) अनुपालन का कर्तव्य पीआईओ/सीपीआईओ पर है। पीआईओ/सीपीआईओ द्वारा शक्ति का प्रयोग वस्तुनिष्ठता और गंभीरता के साथ होना चाहिए, पीआईओ/सीपीआईओ उनके दृष्टिकोण में आकस्मिक नहीं हो सकते।

(vii) उचित कारण के बिना सूचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. धारा 7(1) आरटीआई अधिनियम के अनुसार पीआईओ और एफएए 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं।

11. एफएए यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि पीआईओ ने यह साबित करने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करके जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 19(5) के अंतर्गत अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था।

12. एफएए और पीआईओ ने जानबूझकर, बेईमानी से, दुर्भावनापूर्ण और गलत मंशा के साथ, जानबूझकर अवहेलना की और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) से खंड (जे) के प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जानकारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है संसद या राज्य विधानमंडल को किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने से इनकार नहीं किया जाएगा कि मांगी गई जानकारी की प्रकृति प्रकृति की है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. एफएए और पीआईओ आरटीआई अधिनियम की प्रशंसनीय प्रस्तावना को नोट करने में विफल रहे, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण और उक्त अधिनियम के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। सूचना के नागरिक के वैधानिक अधिकार को दिया। लेकिन इसके विपरीत एफएए और पीआईओ ने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से भ्रष्ट मकसद से नकारने के लिए दुर्भावना से काम किया। यह कि अपीलकर्ता 2011 की सिविल अपील संख्या 10787–10788 (एसएलपी (सी) संख्या 32768–32769/2010), 12–12–2012 को निर्णय लिया, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो संविधान पीठ के निर्णयों पर निर्भर करता है, और एफएए और पीआईओ माननीय सर्वोच्च द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में न्यायालय, और इस प्रकार एफएए और पीआईओ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय की अवमानना की, जिसके लिए पहले अवमानना कार्यवाही शुरू करना सूचना आयोग का बाध्य कर्तव्य है। माननीय उच्च न्यायालय।

14. 30/08/2010 को ट्रीसा आयरिश बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी में केरल उच्च न्यायालय, WP(C).No. 2006 (सी) के 6532 में यह स्पष्ट किया गया है

कि धारा 7 (9) सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकटीकरण से इसे रोकने या छूट देने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह धारा लोक प्राधिकरण को इतनी शक्ति प्रदान करती है कि वांछित रूप में सूचना उपलब्ध कराने के स्थान पर उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। वास्तव में अधिनियम में इस आधार पर सूचना देने से इंकार करने का कोई प्रावधान नहीं है कि सूचना की आपूर्ति का अनुपातिक रूप से विचलन होगा। सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधन, जिसका उद्देश्य उन लोगों को जानकारी की आसान आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है जो इसके लिए आवेदन करते हैं।

15. टेलर के (1ch. D 426 1876) निर्णय के समय से यह एक समय–सम्मानित सिद्धांत रहा है कि यदि क़ानून में कोई प्रावधान किसी विशेष तरीके से कुछ करने का प्रावधान करता है तो इसे अकेले और अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है प्रदर्शन के तरीके अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित हैं। (सीआईसी निर्णय संख्या शिकायत संख्या सीआईसी/पीबीएसईसी/सी/2020/100025, विजयकीर्ति बनाम प्रसार भारती सचिवालय, 17 दिसंबर, 2021 को)

16. एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 3 का भी उल्लंघन किया।

17. चूंकि एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लंघन किया, यह एक फिट है माननीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध करने के लिए एफएए और पीआईओ के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए, जिसने अपीलकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को गलत तरीके से अस्वीकार करके मानसिक तनाव और पीड़ा का कारण बना दिया।

18. सूचना के अधिकार का सम्मान करने के लिए मुख्य मुद्दों पर एफएए और पीआईओ द्वारा पूरी तरह से गैर–अनुप्रयोग दिमाग है और यह कि सूचना देना नियम है और इसका खंडन धारा 8 और 9 के संकीर्ण दायरे के भीतर है। आरटीआई अधिनियम।

दूसरी अपील के लिए अन्य आधार, तथ्य, संदर्भ

1. किसी कानून के प्रावधानों या व्याख्याओं में अंतर उसी कानून की प्रस्तावना से दूर हो सकता है जो उस कानून का निष्कर्ष है। कठिनाइयों को दूर करके उचित जनहित कानून का भी पालन किया जाना है, इसलिए अपीलकर्ता जनहित में

आरटीआई कानून बनाने के उद्देश्यों पर निर्भर है, जो हैं: 'प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए'। . 'भ्रष्टाचार को रोकने के लिए' .. 'सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए' .. लोकतांत्रिक आदर्शों को पूरा करने के लिए'।

2. यदि कानून में कोई विशिष्ट विधि निर्धारित की गई है तो करने की किसी विशिष्ट विधि को निर्दिष्ट किया गया है, केवल उस विधि को लागू किया जाना है और उसका पालन करना है, निपटान की कोई अन्य विधि वर्जित है।

3. जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय दीपचंद धव बनाम राज्य और राजस्थान, 1996 सीआरआईएलजे 54, 1996 (1) डब्ल्यूएलसी 572 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य, 1963 एआईआर 358, 1964 एससीआर (4) 485 उपरोक्त सिद्धांत को भी मान्यता दी है। वर्तमान मामले में, पीआईओ और एफएए ने जानबूझकर अपने कदाचार को छिपाने के लिए जानकारी देने से परहेज किया है, जो कि आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है, साथ ही संसद, विधान सभा, माननीय आयोग और माननीय न्यायालय की अवमानना है, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

4. आईपीसी की धारा 52 के अनुसार, जिसमें स्पष्ट रूप से "सद्भावना" कहा गया है – "सद्भावना" में कुछ भी किया या विश्वास नहीं किया जाता है, जो बिना सावधानी और ध्यान के किया या माना जाता है। वर्तमान अपील में न तो पीआईओ या एफएए, जिस कार्य के लिए पीआईओ ने सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण लिया है, जो जनता का पैसा है, द्वारा उचित सतर्कता और ध्यान नहीं दिया गया है।

5. धारा 19(5) के अनुसार अनुरोध को अस्वीकार करने को साबित करने का भार पीआईओ पर है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग ... बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 1961 एआईआर 1170 में स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानमंडल ने प्रत्येक शब्द को एक उद्देश्य से जोड़ा है और विधियों की व्याख्या में अदालत हमेशा यह मानती है कि विधायिका ने उसके हर हिस्से को एक उद्देश्य के लिए डाला है और विधायी इरादा यह है कि क़ानून के हर हिस्से का प्रभाव होना चाहिए।

7. प्रिटी वी. सोली (1) में (पेज 205, 5वें संस्करण में क़ानून कानून पर क्रेज़ में उद्धृत) रोमिली, एमआर ने इस नियम का उल्लेख किया: "नियम यह है कि जब भी कोई विशेष अधिनियम और एक सामान्य अधिनियमन होता है वही क़ानून और बाद

वाला, अपने सबसे व्यापक अर्थों में लिया गया, पूर्व, विशेष अधिनियम (1) (1859) 26 बीव. 606, 610 को रद्द कर देगा।

8. 12 दिसंबर, 2011 को मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य बनाम मणिपुर और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हैः

> "सूचना के लिए इस तरह के अनुरोध के बाद, अनुरोध पर विचार करने का प्राथमिक दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है जैसा कि धारा 7 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इस तरह के अनुरोध को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या तो जानकारी प्रदान की जाएगी या इसे धारा 8 और 9 के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी कारण से अस्वीकार किया जा सकता है। धारा 7 के प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जब यह संबंधित है किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के लिए, अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर जानकारी प्रदान की जाएगी। धारा 7 की उप–धारा (2) यह स्पष्ट करती है कि यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, एक अवधि के भीतर उप–धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी देने में विफल रहता है। 30 दिनों के लिए यह माना जाएगा कि इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 40 में दोहराया कि विधायिका बर्बाद करने के लिए या बिना परेशानी के या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई शब्द नहीं जोड़ती है। इसलिए, अपीलकर्ता आरटीआई अधिनियम की धारा 2(जे), 5(3), 6(3), 7(1), 7(6), 7(8) के प्रावधानों में से प्रत्येक पर निर्भर हैं, जिसे पीआईओ पालन नहीं करता। जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने पीआईओ को चेतावनी दी है कि सरकार का कोई भी स्तर संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों से ऊपर और अधिक नहीं है।

10. जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक वस्तुतः प्रत्येक लोक सेवक और पूरी कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का सही अर्थों में पालन करे। आरटीआई अधिनियम पीआईओ पर दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है, इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री मंगला राम जाट बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, निर्णय संख्या सीआईसी/ओके/ए/2008/ के निर्णय में 'स्वयं के लिए' लिखा है। 00860/एसजी/0809, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे अधिनियम में एक न्यायनिर्णयन निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "यह आयोग इस तथ्य से अवगत है कि यह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है और अधिनियम के अंतर्गत एक निर्णायक

निकाय है। , यह अपने आप में विधायिका की भूमिका नहीं ले सकता है और अब तक प्रदान नहीं की गई नई छूट आयात कर सकता है। आयोग स्वयं छूट नहीं दे सकता है और संसद के विचारों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह अधिनियम न्यायनिर्णायक अधिकारियों के पास स्पष्ट रूप से बताए गए कानून से परे कानून को पढ़ने के लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है। अधिनियम में कोई अस्पष्टता नहीं है और व्यापक जनहित के नाम पर इसके साथ छेड़छाड़ करना न्यायनिर्णायक अधिकारियों के दायरे से बाहर है। निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा नई छूट देना अधिनियम की भावना के विरुद्ध होगा।" इसलिए कोई भी प्राधिकरण नई छूट नहीं दे सकता और इस प्रक्रिया में नागरिकों के सूचना के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। संप्रभु नागरिकों को जानकारी देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व पूर्ण है और केवल धारा 8 और 9 द्वारा सीमित है। अधिनियम, अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई छूटों के अलावा नई छूट आयात करने के लिए निर्णय लेने वाले अधिकारियों को कोई गुंजाइश नहीं देता है और इस प्रकार जानकारी से इनकार। एक लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है और इसलिए इस जानकारी तक पहुंचने के मालिक के अधिकारों का बहुत सावधानी से सम्मान किया जाना चाहिए।

11. चूंकि धारा 3 में यह कहा गया है कि 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा', यह इस प्रकार है कि सूचना से इनकार केवल अधिनियम में छूट के आधार पर हो सकता है और नहीं इनकार के लिए अन्य आधार मान्य हैं।

12. संप्रभु नागरिक द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी के लिए कोई सार्वजनिक हित स्थापित करने की अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं है; न ही 'किसी बड़े जनहित की रक्षा' स्थापित करने की कोई आवश्यकता है।

13. इसीलिए 'अधिनियम के प्रावधानों के धर्मनिष्ठ, ईमानदार और सही कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना विकसित करेगी।

अपील में प्रार्थना

(कृपया अपने प्रार्थना के लिए प्रासंगिक बिंदुओं का चयन करें)

अपीलकर्ता प्रार्थना करता है कि माननीय आयोग इस पर कृपा करें:

1. इस अपील को स्वीकार करें और मेरी अपील का निपटारा करते समय मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें;

2. धारा 19(8)(ए)(प) के अंतर्गत एसपीआईओ को तुरंत मुफ्त में सूचना देने का निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें;

3. धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें;

4. प्रतिवादी को निर्देश दें कि आरटीआई से संबंधित किसी भी मामले का जवाब देते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर ध्यान से अपना दिमाग लगाएं;

5. आरटीआई अधिनियम की धारा (20)(1) के अनुसार प्रतिवादी पर दंड लगाने के लिए धारा 19(8)(सी) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करें और आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार उत्तरदाताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए;

6. सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए प्रतिवादियों की सर्विस बुक/वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रविष्टि करने का निर्देश देना; तथा

7. किसी अन्य निर्देश या सिफारिश को जारी करने के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें जैसा कि वह उचित समझे।

8. अपीलकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि यह माननीय आयोग पीआईओ और एफएए के मामले में वेबसाइट पर अपलोड करने में विफलता और मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण उत्पीड़न और एफएए सूचना प्रदान करने में विफलता के मामले में उपयुक्त हो सकता है। आरटीआई धारा 19(8) और आईपीसी धारा 44।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना निःशुल्क प्रदान की जाए।

10. अपीलकर्ता पीआईओ के लिखित जवाबी बयान को सुनवाई की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले रिकॉर्ड में लेने के लिए दृढ़ता से प्रार्थना करता है / जोर देता है। इसकी प्रति अपीलार्थी को सुनवाई के 10 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। यदि लिखित बयान प्रदान नहीं किया जाता है तो एफएए / सूचना आयुक्त आरटीआई नियमों और विनियमों के उल्लंघन में अपील का संचालन करेंगे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

11. उपरोक्त काउंटर स्टेटमेंट का उपयोग कारण बताओ नोटिस और कार्यवाही से बचने के लिए जुर्माना लगाने और उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा जिससे विभाग के समय और ऊर्जा की बचत होगी। यह धारा 4(15) विनियमों के अंतर्गत रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करेगा।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8), 20(1), 20(2) के अंतर्गत संबंधित पीआईओ के खिलाफ अनिवार्य कार्रवाई का आदेश दिया जाए।

13. पीआईओ पर दो सौ पचास (रुपये 250–/) प्रतिदिन के साथ अधिकतम रु. 25000

14. धारा 19(8)(अ) के अंतर्गत अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर तत्काल आधार पर प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान करें;

15. माननीय सूचना आयुक्त, उ0प्र0 के नियम 9, उप नियम (2) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा करें। सूचना का अधिकार नियम, 2015 जो प्रदान करता है: "राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसके खिलाफ शिकायत या अपील दायर की गई है, सुनवाई के दौरान स्वेच्छा से उपस्थित हो सकता है। हालांकि, आयोग अपने विवेक पर राज्य लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि वह पर्याप्त वरिष्ठता का अधिकारी हो।

16. माननीय सूचना आयुक्त कृपया द्वितीय अपील का निपटारा न करने की कृपा करें:

- जब तक अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना माननीय आयोग के समक्ष प्रदान नहीं की जाती है और अपीलकर्ता के हस्ताक्षर/पावती के अंतर्गत उसके कार्यालय द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है।
- जब तक अपीलकर्ता द्वारा यह पुष्टि नहीं कर दी जाती है कि उसके द्वारा अपने आरटीआई अनुरोध आवेदन के माध्यम से मांगी गई सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान कर दिए गए हैं और
- जब तक अपीलकर्ता की उपस्थिति में कारण बताओ नोटिस का निर्णय नहीं हो जाता और आदेश पारित नहीं हो जाते।

17. खंडन की तैयारी के लिए सुनवाई के 10 दिनों से पहले हलफनामे पर पीआईओ की लिखित प्रस्तुतियां प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि ये दस्तावेज आरटीआई

अधिनियम के अंतर्गत पीआईओ के खिलाफ मुकदमा चलाने के साथ–साथ धारा 166, 167 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सबूत हैं)

18. यह अवकाश किन्हीं आधारों को जोड़ने, उचित समझे जाने वाले आधारों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए दिया जाता है।

19. ऐसा अन्य आदेश पारित करना जो उचित और आवश्यक समझे।

20. यह कि अपीलकर्ता इस माननीय प्राधिकारी से किसी भी आधार को जोड़ने, बदलने या उचित समझे जाने वाले आधारों में संशोधन करने की अनुमति चाहता है।

5. अपीलकर्ता इस अपील पत्र में मांगी गई प्रार्थना या राहत में कोई संशोधन करने या इस मामले में जब भी आवश्यक हो अतिरिक्त तर्क और प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कि यह अपील आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर की गई है।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत समग्र याचिका (Composite Petition)

"समग्र याचिका" का अर्थ है कि कोई एक अपील में 'सूचना', 'मुआवजा' और 'दंड' के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो यह एक 'समग्र याचिका' बन जाती है और इस प्रकार यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

इसके अलावा, कोई व्यक्ति यू/एस के आवेदन में दंड के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। 19(3) बिलकुल! अगर कोई दंड के लिए प्रार्थना करना चाहता है तो उसे यू/एस के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी होगी। 18(1). इसलिए मूल रूप से अलग–अलग अपील और सूचना और जुर्माना मांगने के लिए अलग–अलग शिकायतें दर्ज करें।

यदि याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(बी)/धारा 19(8)(ए)(वी) के अंतर्गत मुआवजे के साथ–साथ आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी मांगी है या किसी आरटीआई अधिनियम 2005 के अन्य प्रावधान और आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20(1)/20(2) के अंतर्गत दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई/अनुशासनात्मक कार्रवाई, उस मामले में, इस याचिका को कानूनी रूप से संयुक्त याचिका के रूप में माना जा सकता है आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के आलोक में।

W-P-(C) 11489/2016, CM No- 2470/2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय डॉ. दीपक जुनेजा बनाम. केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य। 29 अप्रैल 2019 को निर्णय लिया गया

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव कहते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 18 और 19 दो अलग–अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं; दो अलग–अलग प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है; और दो अलग–अलग उपचार प्रदान करें। आयोग का मानना है कि इस तरह की संयुक्त याचिकाएं कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि, अगर ऐसी संयुक्त याचिका पर दंडात्मक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, तो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20(1) और 20(2) का समावेश होगा। निरर्थक और अर्थहीन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। (कृपा शंकर बनाम एलडी केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य देखें। डब्ल्यूपी (सी) 8315/2017)

इसलिए, याचिकाकर्ता को धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी है और धारा 19 के अंतर्गत अपील करना है जिसमें ऊपर बताई गई प्रार्थनाओं को अलग और स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यदि ऐसी कोई शिकायत और अपील दायर की जाती है तो उस पर कानून के अनुसार सीआईसी द्वारा विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, दूसरे शब्दों में, यहां यह कहा जा सकता है कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत प्रदान की गई राहत कानूनी रूप से याचिकाकर्ता को प्रदान करने की अनुमति है यदि वह धारा 19 के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहता है। 3) आरटीआई अधिनियम 2005 की यानी इस आयोग के समक्ष दूसरी अपील। इसी तरह, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20 के उप खंड (1) और उप खंड (2) के अंतर्गत प्रदान की गई राहत कानूनी रूप से याचिकाकर्ता को प्रदान करने की अनुमति है, यदि वह धारा 18 के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहता है। आरटीआई अधिनियम 2005 यानी इस आयोग के समक्ष एक शिकायत और, हालांकि, अन्यथा नहीं।

दूसरे शब्दों में, यहां यह कहा जा सकता है कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19(8) (ए) (वी) के अंतर्गत प्रदान की गई राहत कानूनी रूप से याचिकाकर्ता को प्रदान करने की अनुमति है, यदि वह याचिका दायर करना चाहता है। आरटीआई

अधिनियम 2005 की धारा 19(3) यानी इस आयोग के समक्ष केवल दूसरी अपील। इसी तरह, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20 के उप खंड (1) और उप खंड (2) के अंतर्गत प्रदान की गई राहत कानूनी रूप से याचिकाकर्ता को प्रदान करने की अनुमति है, यदि वह धारा 18 के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहता है। आरटीआई अधिनियम 2005 यानी इस आयोग के समक्ष एक शिकायत और, हालांकि, अन्यथा नहीं।

समग्र याचिका दायर करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यक्त और सक्षम प्रावधानों के अभाव में, समग्र याचिका योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

भाग 7

1. आरटीआई अपील (अपीलों) को प्रभावी ढंग से दायर करने के लिए अपील के प्रारूप का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शिका

सूचना से इनकार करने या जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करने से व्यथित प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग आरटीआई अपील दायर करने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कर सकता है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील का प्रारूप समान है। अपील दायर करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करना चाहिए–

1. दायर किए गए आवेदन का विवरण (उदाहरण: जिस तारीख को आवेदन दायर किया गया था, क्या वह पीआईओ द्वारा स्वीकार किया गया था और जवाब दिया गया था या पीआईओ द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया था, आदि)

2. उल्लेख करें कि क्या आपके द्वारा मांगी गई सूचना को जन सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था या क्या यह संतोषजनक ढंग से नहीं दी गई थी। यदि आप द्वितीय अपील दाखिल कर रहे हैं तो अपने द्वारा दाखिल किए गए मूल आवेदन का विवरण, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर, प्रथम अपील का विवरण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करें।

3. अपील के लिए आधार का उल्लेख करें–

ए. इसके अंतर्गत आपको कारण बताना चाहिए कि आप जन सूचना अधिकारी ('पीआईओ') के उत्तर या निष्क्रियता से क्यों व्यथित हैं।

बी. असंतोषजनक उत्तर/सूचना से इनकार करने के लिए पीआईओ द्वारा उद्धृत कारण, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।

सी. सूचना देने से इनकार करने के समर्थन में पीआईओ द्वारा बताए गए बहाने का उल्लेख करें।

डी. अंत में, उल्लेख करें कि कैसे पीआईओ ने कानून की व्याख्या करने में गलती की थी।

नोट– आप मामले के कानून, उद्धरणों, कानूनी तर्कों आदि से संबंधित अतिरिक्त विवरण के लिए इस पत्रक या तालिका में दिए गए प्रारूप को अंत में देख सकते हैं।

4. उल्लेख करें कि क्या आप सुनवाई में भाग लेना चाहेंगे; या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहेंगे; या क्या आप सुनवाई के लिए नहीं आना चाहते हैं और इसलिए अपीलीय प्राधिकारी से आपके लिखित निवेदनों के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं।

5. बिंदु संख्या 1 के अंतर्गत आपके द्वारा दायर मूल आरटीआई आवेदन की एक प्रति संलग्न करें।

6. पीआईओ द्वारा दिए गए पदनाम और पते पर पहली अपील को संबोधित करें। यदि पीआईओ ने इसकी आपूर्ति नहीं की है, तो इसे श्प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, मार्फत, लोक सूचना अधिकारीश को संबोधित करें और इसमें लिखें कि चूंकि पीआईओ ने कानून के अनुसार विवरण नहीं दिया है, अब वह इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजने के लिए जिम्मेदार है।

7. द्वितीय अपील के लिए अधिकांश आयोगों के विशिष्ट नियम हैं। कृपया इन्हें उनकी वेबसाइटों से पढ़ें और उनका अनुसरण करें।

2. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देता है

यदि आपके पास प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नहीं है–

इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित करें, मार्फत, जन सूचना अधिकारी

अपील के लिए आधारः

मैंने संलग्न प्रति के अनुसार –––––––– पर एक आरटीआई आवेदन दायर किया था जो कि –––––– को पीआईओ के कार्यालय को प्राप्त हुआ था। हालांकि 30 दिनों के अधिनियम में अनिवार्य अवधि समाप्त हो गई है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी है। यह आरटीआई अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत माना गया इनकार है। चूंकि सूचना देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए यह बिना किसी कारण के सूचना देने से इंकार हो जाता है।

धारा 19(5) के अनुसार यह साबित करने की जिम्मेदारी पीआईओ पर है कि इनकार को उचित ठहराया गया था। चूंकि कोई कारण नहीं बताया गया है इसलिए यह बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से इंकार करने का मामला है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा; या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं; या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

फिर भी यदि आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

स्थान

दिनांक नाम और अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

पीआईओ को धारा 7 (8) (पपप) में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। चूंकि उसने ऐसा नहीं किया है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह इसे एफएए को अग्रेषित करे।

3. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ गोपनीय या संवेदनशील सूचना बताते हुए सूचना से इनकार करता हैः

अपील के लिए आधारः

यह एक इनकार है जो आरटीआई अधिनियम द्वारा न्यायसंगत नहीं है। धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।" इस प्रकार, सभी नागरिक आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सभी सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं।

धारा 7 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है– "धारा 5 की उप–धारा (2) के परंतुक के अधीन या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, या तो ऐसे शुल्क के भुगतान पर सूचना

प्रदान करें जो निर्धारित किया जा सकता है या धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है:

इस प्रकार, सूचना को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब वह धारा 8 या 9 की छूट में आती हो। ये धाराएँ श्गोपनीयश सूचना को छूट वाली श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट नहीं करती हैं। मैं आपका ध्यान आरटीआई अधिनियम की धारा 22 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है– "इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और उस समय के किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद इस अधिनियम के अलावा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के आधार या किसी भी संलेख में प्रभावी होंगे। इस प्रकार, यह अधिनियम पहले के सभी अधिनियमों और नियमों को ओवरराइड करता है और सूचना को अस्वीकार करने के लिए आह्वान नहीं किया जा सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें:

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा; या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं; या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।

मांगी गई राहत:

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निरू शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है। यदि, हालांकि, आप मेरी दलीलों से असहमत हैं, तो कृपया अपने आदेश में कानून के अनुसार बिंदुवार कारणों का उल्लेख करें।

4. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप उपयुक्त सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है या जब सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि सूचना पीआईओ के विभाग में उपलब्ध नहीं थी या मकसद घोषित नहीं किया गया था

अपील के लिए आधार:

आरटीआई अधिनियम केवल धारा 8 या 9 के अनुसार सूचना को अस्वीकार करने की अनुमति देता है जैसा कि धारा 7 (1) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पीआईओ ने

सूचना से इनकार किया है और दावा किया है कि सूचना उसके पास नहीं है। धारा 5(4) के प्रावधान के अनुसार उसे उस अधिकारी की सहायता लेनी चाहिए थी जिसके पास सूचना है और मुझे सूचना देनी चाहिए थी।

यदि सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है, तो उसे धारा 6(3) के अनुसार 5 दिनों के भीतर अन्य लोक प्राधिकरण के अन्य पीआईओ को आवेदन हस्तांतरित करना आवश्यक है। यदि पीआईओ को इस बात का कोई सुराग नहीं है कि सूचना कहां हो सकती है, तो उसे अपने जवाब में यह बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के कॉमन कॉज बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी 194 में फैसला सुनाया हैः

> ''आपत्ति के संबंध में कि अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत, यदि सूचना उपलब्ध नहीं है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन को किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा, उक्त प्रावधान का भी सामान्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित है। आवेदन को इस बात की सूचना नहीं है कि कौन सा अन्य प्राधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी होगा।ष और यह भी फैसला सुनायाः "दूसरी आपत्ति सूचना मांगने के मकसद के खुलासे की आवश्यकता के खिलाफ है। अधिनियम की योजना के मद्देनजर किसी मकसद का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।''

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करेंः

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा; या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं; या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को निर्देश दें कि वह 7 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना प्राप्त करें और भेजें, क्योंकि सूचना से इनकार करना कानून के अनुसार नहीं था।

धारा 7 (6) के अनुसार निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

5. आरटीआई के लिए अपील का प्रारूप जब सूचना को इस दावे से खारिज किया जाता है कि सूचना पीआईओ के विभाग के पास नहीं है

अपील के लिए आधारः आरटीआई अधिनियम केवल धारा 8 या 9 के अनुसार सूचना को अस्वीकार करने की अनुमति देता है जैसा कि धारा 7 (1) में स्पष्ट रूप से बताया गया है। पीआईओ ने सूचना से इनकार किया है और दावा किया है कि सूचना उसके पास नहीं है। धारा 5(4) के प्रावधान के अनुसार उसे उस अधिकारी की सहायता लेनी चाहिए जिसके पास सूचना है और मुझे भेजनी चाहिए थी। यदि सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है, तो उसे धारा 6(3) के अनुसार 5 दिनों के भीतर अन्य लोक प्राधिकरण के अन्य पीआईओ को आवेदन हस्तांतरित करना आवश्यक है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहता/चाहती हूं या

2. मैं वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहूंगा या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।

राहत की मांगः कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। धारा 7 (6) के अनुसार निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें

6. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस आधार पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है कि धारा 6 (3) केवल एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरण की परिकल्पना करती है

अपील के आधारः

पीआईओ ने आवेदन को कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस आधार पर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया है कि धारा 6 (3) में 'एक अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण' को हस्तांतरण का उल्लेख है जो एकवचन में है। यह पीआईओ द्वारा लिया गया गलत रुख है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

''सभी केंद्रीय अधिनियमों, और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,––

(1) पुल्लिंग का अर्थ देने वाले शब्दों को महिलाओं को शामिल करने के लिए लिया जाएगा तथा

(2) एक वचन में शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे।''

कानून के इस सिद्धांत को समय–समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित और लागू किया गया है अर्थात के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1960 एससीआर (2) 89, नरशिमहा मूर्ति बनाम सुशीलाबाई एवं अन्य में, एआईआर 1996 एससी 1826 और जे जयललिता बनाम यूओआई एवं अन्य, एआईआर 1999 SC 1912, साथ ही साथ कई उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए।

अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संसद का इरादा था कि हस्तांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को होना चाहिए। ख्यदि एक डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन उद्धृत किया गया है: डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन सामान्य खंड अधिनियम 1987 के उल्लंघन में है और आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) की गलत व्याख्या की गई है।, यदि सामान्य खंड अधिनियम को यह स्वीकार करते हुए ध्यान में नहीं रखा जाता है कि पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शामिल होगा और एकवचन शब्द में बहुवचन शामिल है, आरटीआई अधिनियम इस प्रस्ताव की विसंगति पर विचार करें:

धारा 20(1) पीआईओ पर जुर्माना लगाने के बारे में बताती है: बशर्ते कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को उस पर कोई जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

यदि सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि केवल पुरुष पीआईओ को ही सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, न कि महिला पीआईओ को, जो कि विसंगत है। इसलिए अधिनियम की आवश्यकता है कि

सूचना के अनुरोध को आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रेषित किया जाना चाहिए। यह ईमेल द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को निर्देश दें कि वह 7 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना प्राप्त करें और भेजें, क्योंकि सूचना से इनकार करना कानून के अनुसार नहीं था।

धारा 7 (6) के अनुसार निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

संबन्धित विषय पर सीआईसी आदेश निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000278/एसजी/12906 संलग्न।

अनुलग्नक 6.1

श्री चेतन कोठारी बनाम कैबिनेट सचिवालय 16 जून, 2011

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000278/एसजी/12906

अपील संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000278/एसजी

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ताः	:	श्री चेतन कोठारी 52, ओशनिक अपार्टमेंट, डॉ. राजाबली पटेल लेन, ऑफ बी. देसाई रोड, मुंबई 400 026
प्रतिवादीः	:	श्री के.जे. सिबिचान अवर सचिव और सीपीआईओ कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

आरटीआई आवेदनः 21/09/2010 27/9/2010 हस्तांतरित

पीआईओ उत्तरः 12/10/2010

प्रथम अपील 22/10/2010

एफएए आदेश 16/11/2010

दूसरी अपील 30/11/2010

मांगी गई सूचना :

अपीलकर्ता ने लोकसभा सचिवालय के पीआईओ के पास आरटीआई आवेदन दायर कर पूछा थाः

कृपया विवरण प्रदान करें। राज्य के मंत्रियों और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के और विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम के साथ पेट्रोल तथा डीजल की खपत और इसकी लागत की राशि का विवरण।

(बी) कृपया प्रत्येक राज्य के मंत्रियों और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के पास कितनी कारें हैं, उनका विवरण प्रदान करें। (नाम के अनुसार ब्रेक अप) ।

(सी) कृपया प्रत्येक राज्य के उन मंत्रियों और केंद्र सरकार के उन कैबिनेट मंत्रियों का विवरण प्रदान करें, जिनमें से प्रत्येक के पास कितने स्टाफ हैं। (नाम के अनुसार मंत्रियों का ब्रेक अप दें)

पीआईओ का जवाब :

27/09/2010 को लोक सभा सचिवालय के पीआईओ ने आरटीआई आवेदन को पीआईओ, कैबिनेट सचिवालय और पीआईओ, विपक्ष के नेता को हस्तांतरित कर दिया।

4 अक्टूबर को विपक्ष के नेता के कार्यालय ने यह सूचना दीः

''लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष को स्टाफ कार लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती है और तदनुसार, कार के पेट्रोल/डीजल आदि पर व्यय सहित रखरखावध्चलाने से संबंधित सभी मामलों/अभिलेखों को लोकसभा सचिवालय की संबंधित शाखा द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और इसलिए सीपीआईओ आवेदक को आवश्यक सूचना देने की स्थिति में नहीं है।

4. इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि वे सीपीआईओ, लोक सभा सचिवालय सीधे आवेदक को सूचना देने का अनुरोध करें। दिनांक 27.9.2010 के कार्यालय ज्ञापन के साथ अग्रेषित आवेदन इसके साथ वापस किया जाता है।''

12 अक्टूबर 2010 को पीआईओ, कैबिनेट सचिवालय ने यह सूचना प्रदान कीः

''2. मांगी गई सूचना केंद्र सरकार के मंत्रालयोंधविभागों सहित बड़ी संख्या में सार्वजनिक प्राधिकरणों में बिखरी हुई है। इसलिए, का.ज्ञा. में निहित प्रावधानों के अनुसार। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी संख्या 1012/2008–आईआर दिनांक 12.6.2008, आपको व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों में से आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक के सीपीआईओ के साथ अलग–अलग आवेदन दाखिल करने होंगे।

3. जहां तक कैबिनेट सचिवालय का संबंध है, सूचना को शून्य माना जा सकता है।

29/10/2010 को लोक सभा सचिवालय के जन सूचना अधिकारी ने सूचना दी कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रथम अपील के लिए आधारः

सूचना नहीं दी।

एफएए आदेशः

सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर ध्यान से विचार करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी ने उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित सीपीआईओ के निर्णय को बरकरार रखा और सीपीआईओ को 10 कार्य दिवसों के भीतर मंत्रालयोंधविभागों की सूची की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालय के पते शामिल हैं। .

दूसरी अपील के लिए आधारः

सूचना प्रदान नहीं की। आरटीआई एक्ट की धारा 4 को ठीक से लागू नहीं किया गया।

ईमेल द्वारा प्राप्त अपीलकर्ता के दिनांक 04/06/2011 के निवेदनः

(1) सीपीआईओ धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन हस्तांतरित नहीं करते हैं और आवेदक को देरी से सूचित करते हैं।

(2) केंद्र सरकार के 85 विभाग को एक ही आवेदन भेजने में असमर्थ आवेदक। जो समय और धन की बर्बादी है।

(3) आवेदक ने 'लोकसभा सचिवालय' के नोडल सीपीएलओ को आरटीआई आवेदन भेजा क्योंकि वह विभाग विरोधी पार्टी के नेता को कार, कर्मचारी आदि प्रदान करता है।

(4) सीपीआईओ आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और सूचना रखते हुए भी आवेदक को गुमराह करते हैं और जनता का पैसा तथा समय बर्बाद करते हैं और उच्च अधिकारियों के लिए काम का बोझ बढ़ाते हैं।

(5) सीपीआईओ उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 4(3) के प्रावधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहते हैं, प्रत्येक सूचना को व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित

किया जाएगा जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। साथ ही सीपीआईओ धारा 5(3) और (4) के प्रावधान के अंतर्गत कार्य करने में विफल रहे।

(6) धारा 2(एफ), 4(1)डी एवं 5 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने में पीआईओ की विफलता

अपीलार्थी ने अपने लिखित निवेदन के समर्थन में दो आदेशों का हवाला दिया।

(1) यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एलपीए 501/2009 में की गई टिप्पणी को उद्धृत करने के संदर्भ में होगा, जो 12.1.2010 को सुनाया गया था (शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा से संबंधित मामला):

अधिनियम न केवल सार्वजनिक प्राधिकरण को एक नागरिक द्वारा इसके लिए पूछे जाने पर सूचना देने के लिए बाध्य करता है, बल्कि इसके लिए सूचना को सुलभ बनाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके से बनाए रखने और अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी रिकॉर्ड जो कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैं एक उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, कम्प्यूटरीकृत और पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है ताकि ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा हो। धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों के विभिन्न दायित्वों का वर्णन करती है और धारा 6 एवं 7 सूचना प्राप्त करने के अनुरोध से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

(2) वास्तव में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि प्रशासनिक कठिनाइयों और जनशक्ति की कमी को सूचना से इनकार करने के कारणों के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। 2009 के डब्ल्यूपी नंबर 20372 और 2009 के एमपी नंबर 1 को खारिज करते हुए, दिनांक 7.1.2010 के एक फैसले में, माननीय अदालत ने फैसला सुनाया:

अन्य आपत्तियां कि वे 45 विभागों के संबंध में बड़ी संख्या में दस्तावेजों का रखरखाव कर रहे हैं और उनके पास मानव संसाधन की कमी है, नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को कम करने के लिए नहीं उठाया जा सकता है। यह उनके लिए है कि वे आरटीआई अधिनियम के अनुसार आने वाले अनुरोधों की मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार को लिखें। यह पूरी तरह से याचिकाकर्ता अभिलेखागार और राज्य सरकार के बीच का आंतरिक मामला है। संसद के कानून द्वारा गारंटीकृत, सूचना के समर्थन में प्रशासनिक कठिनाइयों को नहीं उठाया जा सकता है। इस तरह की दलीलें नागरिकों के सूचना तक पहुंच के अधिकार को खत्म कर देंगी। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका में योग्यता का अभाव है।''

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य:

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अपीलकर्ता: श्री चेतन कोठारी एनआईसी–मुंबई–स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर

प्रतिवादी: श्री के जे सिबिचन, अवर सचिव एवं सीपीआईओ

अपीलकर्ता द्वारा लोकसभा सचिवालय में आरटीआई आवेदन दायर कर विपक्ष के नेता और कर्मचारियों सहित राज्य के मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत के बारे में सूचना मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने 10 वर्षों की अवधि के लिए यह सूचना मांगी है जो अत्यधिक प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि इस प्रारूप में 10 वर्षों तक सूचना रखी जाएगी। लोकसभा सचिवालय के पीआईओ ने आरटीआई आवेदन को कैबिनेट सचिवालय और विपक्ष के नेता के कार्यालय के पीआईओ को हस्तांतरित कर दिया। दोनों पीआईओ द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास सूचना नहीं है। कैबिनेट सचिवालय के पीआईओ ने यह स्थिति ले ली है कि वह विभिन्न मंत्रालयों के पीआईओ को आरटीआई आवेदन हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं और यह डीओपीटी द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन 10/02/2008–आईआर दिनांक 12/06/2008 पर निर्भर है जिसमें कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) एकवचन में सार्वजनिक प्राधिकरण का उल्लेख करती है और इसलिए आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम के अनुसार केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा सकता है। अपीलकर्ता इस पर तर्क करता है और वर्णन करता है कि जहां भी आवश्यक हो आरटीआई आवेदन को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था और वह अपने तर्क के समर्थन में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला देता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) वर्णित करती है,

''जहां किसी सूचना के लिए अनुरोध करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है, –

(i) जो किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ी हो,

सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या उसके किसी हिस्से को उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा और आवेदक को ऐसे हस्तांतरण के बारे में तुरंत सूचित करेगाः

बशर्ते कि इस उप–धारा के अनुसार किसी आवेदन का हस्तांतरण यथाशीघ्र किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर ही किया जाएगा।''

निर्धारित करने का बिंदु यह है कि क्या धारा 6(3) का अर्थ है कि हस्तांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण या कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करती है कि सभी केंद्रीय विधानों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, एकवचन के शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 निर्माण के एक सामान्य नियम को अधिनियमित करती है कि एकवचन में शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे लेकिन नियम इस प्रावधान के अधीन है कि विषय या संदर्भ में इस तरह के निर्माण के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होगा जिस विधान का अर्थ लगाया जाना है। कानून के इस सिद्धांत को समय–समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित और लागू किया गया है। के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1960 एससीआर (2) 89, नरशिमहा मूर्ति

बनाम सुशीलाबाई और अन्य, एआईआर 1996 एससी 1826 और जे जयललिता बनाम यूओआई एवं अन्य, एआईआर 1999 एससी 1912, साथ ही साथ कई उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या सहित।

अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संसद का इरादा था कि हस्तांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को होना चाहिए। ऐसा भी प्रतीत होता है कि डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन सामान्य खंड अधिनियम 1987 के उल्लंघन में है और आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) की गलत व्याख्या की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा उद्देश्य नागरिकों को सूचना के प्रवाह को सुगम बनाना है। मौजूदा मामले में यह दिखाया गया है कि जहां अपीलकर्ता ने लोकसभा सचिवालय में आवेदन किया था, वहीं लोकसभा सचिवालय ने खुद माना था कि सूचना विपक्ष के नेता के कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय के पास उपलब्ध होगी। इन दोनों कार्यालयों ने माना है कि उन्हें इस मामले में कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार इस मामले में भी लोक सभा सचिवालय को पता नहीं था कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी जा रही सूचना को कौन रखेगा। कानून उन सार्वजनिक प्राधिकरणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है जिनके पास आरटीआई आवेदन हस्तांतरित किया जा सकता है। आयोग का यह मानना है कि अपीलकर्ता को ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करनी चाहिए जिसके बारे में वह यथोचित रूप से विश्वास कर सकता है कि उसके पास सूचना हो सकती है। वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने उचित सावधानी बरती है और ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन किया है, जिस पर एक औसत नागरिक विश्वास कर सकता है कि वह सूचना रखेगा।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरटीआई आवेदन एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दूसरे में स्थानांतरित किए गए हैं और उनमें से किसी को भी यह पता नहीं है कि सूचना कहां है। इस परिदृश्य में सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह स्थिति लेना कि वे केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित करेंगे, अनुचित है और कानून निश्चित रूप से यह नहीं बताता है। लोक प्राधिकरणों का दावा है कि आरटीआई आवेदनों को कई प्राधिकरणों को हस्तांतरित करना मुश्किल होगा क्योंकि इसका मतलब बहुत अधिक संसाधन लगाना होगा। आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ए) में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में अभिलेखों और कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की बात की गई है। 1985 से विभिन्न प्रधान मंत्री सरकार में संचालन को कम्प्यूटरीकृत करने का वादा कर रहे हैं। यह एक वादा और प्रतिबद्धता है जिसका पालन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नहीं किया जा रहा है। यदि रिकॉर्ड और संचालन को कम्प्यूटरीकृत किया गया था, तो एक आरटीआई आवेदन को 50 या 100 सार्वजनिक प्राधिकरणों को भी ईमेल द्वारा माउस के एक क्लिक के साथ हस्तांतरित किया जा सकता था। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम में निहित प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो नागरिक को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

आयोग का नियम है कि डीओपीटी की कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/02/2008–आईआर दिनांक 12/06/2008 कानून के अनुरूप नहीं है। आयोग ने अपीलकर्ता को स्पष्ट किया कि 10 वर्षों के लिए सूचना मांगने से निश्चित रूप से सार्वजनिक प्राधिकरणों के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि उन्हें पिछले दो साल के लिए सूचना दी जा सकती है।

निर्णयः

अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 25 जून 2011 से पहले विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई आवेदन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को पिछले दो वर्षों की सूचना प्रदान करनी होगी।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी

सूचना आयुक्त

16 जून 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें। (डीडब्ल्यू))

7. आरटीआई आवेदन के लिए अपील का प्रारूप जब सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि सवाल प्रश्नों के रूप में हैं अथवा वे क्यों, कब या कैसे शब्दों से शुरू होते हैं

अपील के आधारः पीआईओ ने इस आधार पर सूचना से इनकार किया है कि प्रश्नों को 'क्यों, कब या कैसे या एक प्रश्न के रूप में तैयार किया गया था। यह इनकार कानून के मुताबिक नहीं है।

कानून स्पष्ट रूप से धारा 7 (1) में कहता है कि पीआईओ सूचना प्रदान करेगा या धारा 8 एवं 9 में प्रदत्त किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों का उपयोग सूचना से इनकार के लिए किया जा सकता है।मैंने जो चाहा है वह निश्चित रूप से धारा 2 (एफ) के अंतर्गत परिभाषित सूचना है। अगर मैं जो मांग रहा हूं उसके लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह कहा जाना चाहिए लेकिन अगर सूचना रिकॉर्ड में मौजूद है तो इसे प्रदान किया जाना चाहिए।

[आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगाय या

मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध नहीं करता।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को निर्देश दें कि वह 7 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना भेजें, क्योंकि सूचना से इनकार करना कानून के अनुसार नहीं था। अगर रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, तो उसे बताया जाना चाहिए।

धारा 7 (6) के अनुसार निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

2 सीआईसी आदेश विषय पर निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2008/0034700277/1554 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/001035/7966 संलग्न

अनुलग्नक 7.1

श्री टी. बी. धोराजीवाला बनाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ... 9 फरवरी, 2009 को
केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 415, चौथी मंजिल,
ब्लॉक IV, पुराना जेएनयू कैंपस,
नई दिल्ली –110067।
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2008/0034700277/1554
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2008/0034700277
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य
अपीलकर्ता : श्री टी.बी. धोराजीवाला,
232, मौलाना आजाद रोड,
दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 26,
मुंबई – 400008।
प्रतिवादी 1 : डॉ इंदु सक्सेना,
उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) तथा पीआईओ,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई,

पवई, मुंबई 400076,

आरटीआई आवेदन दायर : 25/08/2008

पीआईओ ने उत्तर दियाः 24/09/2008

पहली अपील : 06/10/2008 को दायर की गई

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 03/11/2008

द्वितीय अपील : 01/12/2008 . को दायर की गई

अपीलार्थी ने आरटीआई आवेदन में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी पवई के अनुपयोगी उपकरणों के निपटान के लिए निविदा के संबंध में पूछा था। निविदा संख्या एमडी/सीडी/डीआईएसपी/001/07/आरईजी/एल/देय दिनांक 24/08/2007 को थे।

आवश्यक सूचना का विवरणः–

1. निविदा संख्या एमडी/सीडी/डीआईएसपी/001/07/आरईजी/एल/ का क्या हुआ जो 24/08/2007 को अनुपयोगी उपकरणों के निपटान के लिए दातव्य था।

2. मुझे बताएं कि आपने उपरोक्त निविदा को पुनः आमंत्रित क्यों नहीं किया।

3. बता दें कि अभी मामला किस स्टेज पर है।

4. मुझे बताएं कि आपने अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी।

5. मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं जो इस मामले में शामिल था।

पीआईओ ने जवाब दिया।

"आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है, जिसमें कोई याचिकाकर्ता उपसर्गों के साथ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे, क्यों, क्या, कब और क्या। याचिकाकर्ता का अधिकार केवल धारा 2 (एफ) में परिभाषित सूचना प्राप्त करने के लिए या तो फाइल, दस्तावेज, कागज या रिकॉर्ड आदि को इंगित करके या निर्दिष्ट सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के प्रकार का उल्लेख करने के लिए विस्तारित है।

आप सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय केवल आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशिष्ट सूचना मांग सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे के अपीलीय प्राधिकारी श्री बी.एस. पुनालकर, रजिस्ट्रार, आईआईटी बम्बई हैं और आपकी अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दियाः–

''आपकी अपील के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह कहा गया है कि सीपीआईओ ने आपके आवेदन दिनांक 25/08/2008 पर कार्रवाई करने में सही रुख अपनाया है।

तथापि, आप आरटीआई अधिनियम की धारा 2(आई) और 2(जे) के साथ पठित धारा 2(एफ) के अंतर्गत परिभाषित सटीक सूचना का उल्लेख कर सकते हैं, जो प्रदान की जाएगी।

आईपीओ का नंबर 68 ई 009314 और 68 ई 009315 दिनांकित 05/09/2008 को अपील के साथ प्रस्तुत किया गया वापस किया जा रहा है।''

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ता : अनुपस्थित

प्रतिवादी : अनुपस्थित

प्रतिवादी ने एक लिखित निवेदन भेजा है जिसमें वह पीआईओ द्वारा सूचना को अस्वीकार करने के आधार को दोहराता है और यह भी जोड़ता है कि अपीलकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि वह 'अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण' मांग रहा था।

पीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित 'सूचना' की अपनी व्याख्या में गलती की है। अधिनियम की धारा 2 (एफ) में कहा गया है,

''सूचना'' का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में रखी गई डेटा सामग्री शामिल है। किसी भी निजी निकाय से संबंधित प्रपत्र और सूचना जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी समय देखा जा सकता हैय।

पीआईओ ने कहा है, 'आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है, जिसमें याचिकाकर्ता उपसर्गों के साथ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे, क्यों, क्या, कब और क्या। याचिकाकर्ता का अधिकार केवल धारा 2 (एफ) में परिभाषित सूचना प्राप्त करने के लिए या तो फाइल, दस्तावेज, कागज या रिकॉर्ड आदि को इंगित करके या निर्दिष्ट सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के प्रकार का उल्लेख करने के लिए विस्तारित है।

आप सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय केवल आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशिष्ट सूचना मांग सकते हैं।'

आरटीआई अधिनियम यह नहीं बताता है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए, और न ही यह निर्धारित करता है कि उपसर्ग जैसे 'क्यों, क्या, कब और क्या' का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीआईओ यह स्वीकार करने में सही है कि जो पूछा जाता है वह रिकॉर्ड का मामला होना चाहिए, लेकिन गैर–मौजूद छूट के एक नए सेट को लागू करने में गलती है।

आयोग अब अपीलकर्ता के प्रश्नों को देखता हैः

- निविदा संख्या एमडी/सीडी/डीआईएसपी/001/07/आरईजी/एल/ का क्या हुआ जो 24/08/2007 को अनुपयोगी उपकरणों के निपटान के लिए दातव्य थी।
- आयोग का निर्देशः यदि ऐसी कोई निविदा थी, तो यह रिकॉर्ड में होगी और पीआईओ को सूचना प्रदान करनी होगी।
- मुझे बताएं कि आपने उपरोक्त निविदा को पुनः आमंत्रित क्यों नहीं किया।

- आयोग का निर्देशः यदि निविदा थी और रिकॉर्ड में कोई कारण हैं कि इसे फिर से आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, तो पीआईओ को उन्हें प्रदान करना होगा।
- मुझे बताएं कि मामला फिलहाल किस स्टेज पर है.
- आयोग का निर्देशः अगर इसका कोई रिकॉर्ड है तो उसे दिया जाना चाहिए.
- मुझे बताएं कि आपने अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी।
- मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं जो इस मामले में शामिल था।
- आयोग का निर्देशः यदि मामले में कोई अपराधी पहचाना जाता है तो बिंदु 4 और 5 का विवरण अभिलेखों के आधार पर देना होगा।
- दूसरी ओर, यदि उपरोक्त में से किसी भी बिंदु के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पीआईओ को इसे स्पष्ट रूप से बताना होगा।

निर्णयः

अपील की अनुमति है।

पीआईओ 25 फरवरी 2009 से पहले अपीलकर्ता को ऊपर उल्लिखित सूचना देगा।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
09 फरवरी 2009

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)

अनुलग्नक 7.2

श्री राकेश यादव बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार 2 जून, 2010

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/001035/7966

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/001035

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलार्थी	:	श्री राकेश यादव 52/59–ए, गली नंबर 18, नई दिल्ली–110005
प्रतिवादी	:	श्री प्रमोद कुमार

जन सूचना अधिकारी एवं एसडीएम

जीएनसीटीडी
कार्यालय उपायुक्त (पश्चिम जिला)
पुराना मध्य विद्यालय परिसर,
रामपुरा, दिल्ली –110035।
आरटीआई आवेदन दायर : 17/11/2009
पीआईओ ने उत्तर दियाः 16/12/2009
प्रथम अपील दायर की गई : संलग्न नहीं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 04/02/2010
द्वितीय अपील : 22/04/2010 को प्राप्त हुई

मांगी गई सूचना :

(i) क्या डीडीए आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में भूमि का मालिक है।

(ii) क्या गली नंबर 4, आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में जमीन खरीदना और बेचना कानूनी है।

(iii) आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, गली नंबर 4 में प्लॉट नंबर 4/43 या 43/4 के मालिक का नाम।

(iv) क्या 77 लाख रुपये में उपर्युक्त क्षेत्र मे जमीन खरीदना और 5 लाख रुपये में दर्ज कराना कानूनी अपराध है?

(v) यदि हां, तो इस मामले में किन सभी को दोषी ठहराया गया है?

पीआईओ का जवाब :

आवेदक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत सूचना के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा आवेदक ने राजस्व संपदा के नाम का उल्लेख नहीं किया था अतः सूचना नहीं दी जा सकी।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ ने सूचना से इनकार किया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

एफएए ने पीआईओ के निर्णय को बरकरार रखा क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न उसमें नहीं थे जोकि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत सूचना के रूप में आच्छादित किये गये थे।

दूसरी अपील के लिए आधारः

एफएए द्वारा अपील का अनुचित निपटान।

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री राकेश यादव

प्रतिवादीः श्री पी.सी. साहू, तहसीलदार श्री प्रमोद कुमात, पीआईओ तथा एसडीएम की ओर से पीआईओ और एफएए ने यह मानने में गलती की थी कि केवल सूचना प्रश्नों के माध्यम से थी, यह आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत परिभाषित सूचना की मांग नहीं कर रहा था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 2 (एफ) परिभाषित करती है, ''''सूचना'' का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है,

रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना सहित जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी समय पहुंची जा सकती है। इस प्रकार सरल शब्दों में सूचना एक रिकॉर्ड या नमूने के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा के रूप में मौजूद होनी चाहिए।

अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। पीआईओ को ध्यान से सोचना चाहिए कि जो मांगा जा रहा है वह सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है। यह महत्वपूर्ण है कि पीआईओ अपने दिमाग को बहुत सावधानी से लागू करें और देखें कि सूचना उपलब्ध है या नहीं। वर्तमान मामले में सूचना लोक प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध थी।

लोक सूचना अधिकारी को धारा 5(4) के अंतर्गत अन्य अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने और अपीलकर्ता को सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

निर्णय

अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 20 जून 2010 से पहले अपीलकर्ता को पूरी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

आयोग के समक्ष मुद्दा कानून द्वारा अपेक्षित 30 दिनों के भीतर पीआईओ द्वारा पूर्ण, आवश्यक सूचना की आपूर्ति नहीं करने का है।

आयोग के समक्ष तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पीआईओ आरटीआई अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देकर धारा 7 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं करने का दोषी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पीआईओ की कार्रवाई धारा 20(1) के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करती है। उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग को कारण बताएं कि उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

वह 25 जून 2010 से पहले धारा 20(1) के अंतर्गत उस पर दंड क्यों न लगाया जाए, इसका कारण बताते हुए अपनी लिखित दलीलें देंगे। वह अपीलकर्ता को सूचना देने का सबूत भी प्रस्तुत करेंगे।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
02 जून 2010

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)(एजी)

8. धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना का हस्तांतरण नहीं होने पर अपील का प्रारूप

कभी–कभी पीआईओ और यहां तक कि सूचना आयुक्त भी यह कहते हैं कि धारा 6(3) के अंतर्गत आरटीआई आवेदन का हस्तांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किया जाएगा क्योंकि धारा 6(3) में शब्द ''सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, जिसके लिए ऐसा आवेदन किया जाता है तो आवेदन या उसके ऐसे हिस्से को हस्तांतरित करेगा जो उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को उपयुक्त हो सकता है और आवेदक को इस तरह के हस्तांतरण के बारे में तुरंत सूचित करेगाः ''चूंकि शब्द प्राधिकरण है, यह दावा किया जाता है कि स्थानांतरण केवल एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण को होगा। इसे डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 10/02/2008–आईआर दिनांक 12/06/2008 जिसमें कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) एकवचन में सार्वजनिक प्राधिकरण का उल्लेख करती है और इसलिए आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम के अनुसार केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा सकता है।

इसका विरोध इस प्रकार किया जा सकता हैः

अपील के लिए आधारः सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया हैः

''सभी केंद्रीय अधिनियमों, और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,––

(1) पुल्लिंग का अर्थ देने वाले शब्दों को महिलाओं को शामिल करने के लिए लिया जाएगाय तथा

(2) एकवचन में शब्दों के बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे।''

कानून के इस सिद्धांत को समय–समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित और लागू किया गया है अर्थात, के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब

राज्य 1960 एससीआर (2) 89, नरशिमहा मूर्ति बनाम सुशीलाबाई एवं अन्य। एआईआर 1996 एससी 1826 और जे जयललिता बनाम यूओआई एवं अन्य, एआईआर 1999 एससी 1912, साथ ही साथ कई उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या सहित।

अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संसद का इरादा था कि हस्तांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को होना चाहिए। डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन सामान्य खंड अधिनियम 1987 के उल्लंघन में है और आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) की गलत व्याख्या की गई है। यदि सामान्य खंड अधिनियम को यह स्वीकार करते हुए ध्यान में नहीं रखा जाता है कि पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शामिल होगा और एकवचन शब्द में आरटीआई अधिनियम में बहुवचन शामिल है, तो इस प्रस्ताव की विसंगति पर विचार करें:

धारा 20(1) पीआईओ पर जुर्माना लगाने के बारे में बताती है: बशर्ते कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को उस पर कोई जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

यदि सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि केवल पुरुष पीआईओ को ही सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, न कि महिला पीआईओ को, जो कि विसंगत है। इसलिए अधिनियम की आवश्यकता है कि सूचना के अनुरोध को आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रेषित किया जाना चाहिए। यह ईमेल द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

मैं सुनवाई में शामिल होना चाहता हूं या मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।

राहत की मांग: कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। धारा 7 (6) के अनुसार उसे निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में उल्लेख करें कि आप ऊपर वर्णित आधारों से किस प्रकार असहमत हैं।

9. अपील का प्रारूप यदि आरटीआई दायर की जाती है और 30 दिनों में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है – धारा 7 के अंतर्गत इनकार माना जाता है

अपील के लिए आधारः

मैंने संलग्न प्रति के अनुसार एक आरटीआई आवेदन दायर किया था जो कि पीआईओ के कार्यालय को ३३.. को प्राप्त हुआ था। हालांकि 30 दिनों के अधिनियम में अनिवार्य अवधि समाप्त हो गई है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी है। यह आरटीआई अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत माना गया इनकार है। चूंकि सूचना देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए यह बिना किसी कारण के सूचना देने से इंकार हो जाता है। धारा 19(5) के अनुसार यह साबित करने की जिम्मेदारी पीआईओ पर है कि इनकार को उचित ठहराया गया था। चूंकि कोई कारण नहीं बताया गया है इसलिए यह बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से इंकार करने का मामला है।

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहता/चाहती हूं या

2. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता/चाहती और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता/करती हूं।

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। धारा 7 (6) के अनुसार उसे निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में उल्लेख करें कि आप ऊपर वर्णित आधारों से किस प्रकार असहमत हैं।

10. अपील का प्रारूप यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह गोपनीय या संवेदनशील है – धारा 8

अपील के लिए आधारः

यह एक इनकार है जो आरटीआई अधिनियम द्वारा उचित नहीं है। धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।'' इस प्रकार सभी नागरिक आरटीआई अधिनियम के

प्रावधानों के अध्यधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सभी सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं।

धारा 7(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है: ''धारा 5 की उप–धारा (2) के परंतुक के अधीन या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, या तो ऐसे शुल्क के भुगतान पर सूचना प्रदान करें जो निर्धारित किया जा सकता है या धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है:

इस प्रकार सूचना से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब वह धारा 8 या 9 की छूट में आती है। ये धाराएँ 'गोपनीय' सूचना को छूट वाली श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट नहीं करती हैं। मैं आपका ध्यान आरटीआई अधिनियम की धारा 22 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है: ''इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और उस समय के किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य प्रवृत्त कानून के आधार या किसी भी साधन में प्रभावी होंगे। इस प्रकार यह अधिनियम पहले के सभी अधिनियमों और नियमों को ओवरराइड करता है और सूचना को अस्वीकार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहता/चाहती हूं या

2. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता/चाहती और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता/करती हूं।

राहत की मांगः कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। धारा 7 (6) के अनुसार उसे निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में उल्लेख करें कि आप ऊपर वर्णित आधारों से किस प्रकार असहमत हैं

11. यदि सूचना देने से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप धारा 8(1)(ए) के अनुसार छूट प्राप्त है।

धारा 8(1)(ए) ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को बढ़ावा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अपील के लिए आधारः यह काफी व्यापक छूट है, इसलिए मैं एक सामान्य तर्क के साथ इसे समझाने में असमर्थ हूं। हालाँकि कुछ सीआईसी के आदेश प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और तर्क विकसित किए जा सकते हैं।

संलग्न सीआईसी आदेश संख्या– 15434, 16167, 18316, 18674। पहले दो को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

अनुलग्नक 11.1

सीआईसी आदेश संख्या 1534
24 फरवरी, 2018 को प्रदीप डी कशालकर बनाम भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 302, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110067
निर्णय संख्या सीआईसी/आरबीइंड/ए/2017/147116, दिनांक 22.02.2018
प्रदीप डी. कशालकर बनाम सीपीआईओ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
अपील से उभरने वाली प्रासंगिक तिथियांः
आरटीआईः 01.01.2017 एफएः 20.03.2017 एसएः 05.07.2017
सीपीआईओः 10.02.2017,
एफएएओः 19.04.2017 सुनवाईः 06.02.2018
आदेशः 22.02.2017

आदेश

1. अपीलकर्ता ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अंतर्गत एक आवेदन दायर कर तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं, (i) अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा मेसर्स यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को दिए गए अग्रिमों के लिए वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से आरबीआई की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरण, वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16, और (ii) यदि अनियमितताएं गंभीर प्रकृति की पाई जाती हैं तो बैंक द्वारा उक्त बैंक के विरुद्ध की गई कार्रवाई।

2. अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष दूसरी अपील इस आधार पर दायर की कि सीपीआईओ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत सूचना से इनकार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड ने सूचना का खुलासा नहीं करने का अनुरोध किया है। अपीलकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया कि वह सीपीआईओ को तुरंत सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे और सीपीआईओ द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति नहीं करने पर 25000/– रुपये का जुर्माना भी लगाए।

सुनवाईः

3. अपीलकर्ता श्री प्रदीप डी. कशालकर और प्रतिवादी श्री पलव यादव, कानूनी अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया।

4. अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बैंकों का वार्षिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण की सामग्री बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है बल्कि निरीक्षण के दौरान प्राप्त की जाती है। इसलिए, बैंक से संबंधित सामग्री को बैंक द्वारा दी गई सूचना नहीं कहा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 में अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई का निरीक्षण किया। एसएआरएफएईएसआई (SARFAESI) अधिनियम के अंतर्गत फ्री प्रेस जर्नल में मेसर्स यूनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के श्री किशोर अवरसेकर द्वारा नियंत्रित कंपनियों के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि दो कंपनियां मेसर्स जेपी शॉपिंग मॉल एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डीजी मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड को व्यक्तिगत कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की संपार्श्विक लेकर बड़ी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनकी प्रदत्त पूंजी केवल रुपये एक लाख है। इस प्रकार अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड ने इन अग्रिमों को स्वीकृत करते समय उचित सावधानी नहीं बरती। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि ये दोनों कंपनियां नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के अनुसार परिसमापन के अधीन हैं। इसे देखते हुए, उन्होंने अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा मेसर्स यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए अग्रिमों के संबंध में अनियमितताओं/टिप्पणियों से संबंधित आरबीआई की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरण मांगे थे। हालांकि, प्रतिवादी ने इस बारे में सूचना से इनकार किया है। आधार है कि मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है। अपीलकर्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री [हस्तांतरित मामला (सिविल) 2015 की संख्या 91] दिनांक 16.12.2015 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जहां यह कहा गया था कि आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्टें आरटीआई एक्ट के अंतर्गत प्रकटन के लिए योग्य हैं।

5. प्रतिवादी ने निवेदन किया कि चूंकि मांगी गई सूचना अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड से संबंधित है, इसलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया था। अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड ने प्रतिवादी से किसी भी सूचना का खुलासा नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। प्रतिवादी ने कहा कि मांगी गई सूचना अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा मेसर्स यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए अग्रिमों से संबंधित है और इसकी सहायक कंपनियां जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हैं, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की

प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, इसके प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट दी गई है।

6. श्री एंथनी नरोहना, एजीएम, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई ने निवेदन किया कि वे आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बैंक ने अपने ग्राहक की सूचना को एक भरोसेमंद क्षमता में रखा है और इसलिए, सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

निर्णय

7. दोनों पक्षों के निवेदनों को सुनने और अभिलेखों को देखने के बाद, आयोग यह अवलोकित करता है कि अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा मैसर्स यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए अग्रिमों की अनियमितताओं के संबंध में प्रासंगिक उद्धरण मांग रहा है। आयोग ने यह भी नोट किया है कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा उचित परिश्रम का पालन न करने से अनियमितताएं उत्पन्न हुईं। आयोग ने नोट किया है कि माननीय ' सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री [हस्तांतरित मामला (सिविल) 2015 की संख्या 91] दिनांक 16.12.2015 के मामले में सीआईसी के आदेश संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/001487/एसजी/ 15434 दिनांक 01.11.2011, को बरकरार रखा है, जिसमें यह देखा गया है कि:

> ''आरबीआई के केंद्रीय बैंक होने के नाते जनता के लिए उपलब्ध माध्यमों में से एक माध्यम है जो एक नियामक के रूप में ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय शुरू कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आम जनता, विशेष रूप से, ऐसे संस्थानों के शेयरधारकों और जमाकर्ताओं को ऐसे संस्थानों के कामकाज के बारे में आरबीआई के मूल्यांकन के बारे में अवगत रखा जाए और विशिष्ट मामलों में शुरू की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में विश्वास में लिया गया है। यह सार्वजनिक हित को पूरा करेगा। इसलिए आरबीआई को सामान्य रूप से जनता को सूचना का खुलासा करने में सक्रिय और सूचना चाहने वालों को विशेष रूप से आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सक्रिय होने की सलाह दी जाएगी।''

8. इसलिए, आयोग प्रतिवादी को निर्देश देता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित किसी भी सूचना को अलग करने के बाद, अपीलकर्ता को आरटीआई आवेदन की बिंदु संख्या 1 पर मांगी गई सूचना प्रदान करे ।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

10. निर्णय की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(सुधीर भार्गव) सूचना आयुक्त, प्रमाणित सत्य प्रति (एस.एस. रोहिल्ला) मनोनीत अधिकारी

1. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), भारतीय रिजर्व बैंक। सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी–9, भूतलध्पहली मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051।

2. श्री प्रदीप डी. कशालकर
सीआईसी आदेश संख्या 16167

अनुलग्नक 11.2

श्री राजा एम षणमुगम बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 7 दिसंबर, 2011
केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/001966/16167
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/001966
अपील से उत्पन्न प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री राजा एम. षणमुगम, अध्यक्ष – विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न उपभोक्ता फोरम, 33बी, वैक्कल थोट्टम, शेरिफ कॉलोनी, तिरुप्पुर – 641604
प्रतिवादी	:	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी. नंबर 1055, मुंबई – 400001

आरटीआई आवेदन दायर : 12/10/2010
पीआईओ ने उत्तर दियाः 16/11/2010
पहली अपील : 13/12/2010 को दायर की गई (प्रति संलग्न नहीं है)
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : 25/01/2011
द्वितीय अपील प्राप्त हुई : 07/06/2011

1. उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष, आरबीआई ने एक शपथपत्र दायर किया है कि मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) तथा (ई) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है जिसमें कहा गया है कि मुद्रा डेरिवेटिव के कारण बाजार में नुकसान 32,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। कृपया एमटीएम हानियों का बैंकवार विवरण दें।

2. भारतीय व्यापारिक घरानों को हुए नुकसान की राशि का आरबीआई के पास नवीनतम आंकड़ा क्या है? कृपया नवीनतम आंकड़े बैंकवार और ग्राहकवार प्रस्तुत करें।

3. कृपया इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में अद्यतन सूचना दें –

उड़ीसा उच्च न्यायालय में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तुतीकरण के अनुसार त्रुटिपूर्ण बैंक जिन्होंने विदेशी डेरिवेटिव उत्पादों को फेमा अधिनियम और आरबीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में बेचा।

4. हाल की प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि आरबीआई ने भी –

विदेशी डेरिवेटिव उत्पादों की बिक्री पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कई बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बैंकों को जारी नोटिस की प्रति के साथ उन बैंकों की सूची दें, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

5. क्या इनमें से किसी बैंक से कारण बताओ नोटिस के जवाब में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है–

यदि ऐसा है तो कृपया उसकी प्रतियां उपलब्ध कराएं।

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी रिपोर्ट में विदेशी डेरिवेटिव उत्पादों की बिक्री में आरबीआई के दिशानिर्देशों के कई उल्लंघनों को सूचीबद्ध किया है। क्या वर्ष 2007 और 2008 में सैंक शाखाओं की आवधिक लेखापरीक्षा में इस तरह के किसी उल्लंघन का पता चला है? यदि ऐसा है तो कृपया उक्त उल्लंघन को दर्शाते हुए आरबीआई ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

7. आरबीआई ने 29 अक्टूबर 2008 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बैंकों से डेरिवेटिव घाटे के कारण होने वाली आय को एक अलग खाते में रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, कहा जाता है कि कुछ बैंकों, विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक ने निर्यातकों की बार–बार मांग के बावजूद उक्त परिपत्र का पालन करने से इनकार कर दिया है।

क्या आर 5 को यह कहते हुए कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि कोई बैंक ऊपर उल्लिखित विशिष्ट परिपत्र का पालन करने से इनकार कर रहा है? यदि ऐसा है तो उसे उसकी प्रति के रूप में प्रस्तुत करें।

8. साथ ही यदि आरबीआई को ऊपर बताए गए अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो कृपया दोषी बैंकों पर आरबीआई द्वारा की गई पूछताछ और कार्रवाई का विवरण दें।

9. क्या सीपीआईओ को डेरिवेटिव घाटे के मुद्दे पर, विदेशी मुद्रा विभाग ने भारतीय निर्यातकों पर चर्चा नहीं की थी, क्या इस प्रश्न पर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के पास कोई सूचना नहीं है?

यदि हां, तो कृपया उस बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत करें जहां उक्त मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

10. सीपीआईओ, विदेशी मुद्रा विभाग में आरबीआई द्वारा की गई कोई अन्य कार्रवाई रिपोर्ट इस संबंध में नहीं थी।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा प्रदान की गई अधूरी और असंतोषजनक सूचना ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश (एफएए):

एफएए ने नोट किया कि सीपीआईओ, एफईडी द्वारा प्रश्नों 1, 2, 9 और 10 का उत्तर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा पहली अपील दायर की गई थी। सीपीआईओ, डीबीएस द्वारा प्रश्न 3 से 8 का उत्तर दिया गया। एफएए ने देखाः

''...मैंने कागजात को पढ़ लिया है और अपीलकर्ता द्वारा बताई गई अपील के आधारों पर भी विचार किया है। उस पर मेरी टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

प्रश्न संख्या 1ः

अपीलकर्ता ने एमटीएम घाटे के बैंकवार ब्योरे की मांग की है, सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) एवं (ई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट का दावा किया है।

मेरा अवलोकनः

मैं सीपीआईओ से सहमत हूं कि डेरिवेटिव लेनदेन में एमटीएम हानियों के बैंकवार ब्योरे का खुलासा राज्य के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा क्योंकि जनता के लिए इस तरह का खुलासा संबंधित बैंक के हित और सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही, बैंकों की एमटीएम स्थिति से संबंधित सूचना रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के निर्वहन के लिए प्राप्त की जाती है और रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखी जाती हैय इसलिए, मुझे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) एवं (ई) के अंतर्गत सीपीआईओ द्वारा दावा की गई छूट में कोई कमी नहीं मिलती है। अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। श्री रविन रणछोड़लाल पटेल तथा ———— भारतीय रिजर्व बैंक (7 दिसंबर, 2006 को निर्णय लिया गया) के मामले में सीआईसी की पूर्ण पीठ की टिप्पणियां इस प्रकार थीं। जिसमें व्यक्तिगत मामलों में निरीक्षण रिपोर्ट के प्रकटीकरण की वांछनीयता का आकलन करने के लिए रिजर्व बैंक को पूर्ण विवेक दिया गया था, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं, खासकर जब वह बैंक वार ब्रेक अप चाहता है। मुझे नहीं लगता कि यह धारा के आह्वान के लिए उपयुक्त मामला है। सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) और तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना का खुलासा न करने में सीपीआईओ की ओर से कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 2.

अपीलकर्ता ने भारतीय व्यापार घरानों को हुए नुकसान की मात्रा और इसके नवीनतम आंकड़े, बैंक वार और ग्राहक के अनुसार जानना चाहा।

मेरे अवलोकनः

सीपीआईओ ने इस सवाल का अलग से जवाब नहीं दिया है। इसके बजाय, उन्होंने प्रश्न संख्या 1 के अपने उत्तर के लिए एक क्रॉस संदर्भ दिया है। मैं सीपीआईओ को अपीलकर्ता को यह स्पष्ट करने का निर्देश देता हूं कि क्या भारतीय व्यापार घरानों को हुए नुकसान से संबंधित सूचना रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध है। यदि उपलब्ध हो, तो सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई छूट के अधीन अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 9 और 10:

अपीलकर्ता यह जानना चाहता था कि क्या भारतीय निर्यातकों को होने वाले व्युत्पन्न घाटे के मुद्दे पर गवर्नरधडिप्टी गवर्नर या रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की किसी बैठक में चर्चा की गई थी और यदि ऐसा है, तो बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न संख्या 10 में, अपीलकर्ता ने मामले में आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की। सीपीआईओ ने जवाब दिया है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मेरे अवलोकनः

तथ्य की कोई विशेष स्थिति मौजूद है या नहीं, इसका आदर्श रूप से या तो सकारात्मक या नकारात्मक में उत्तर दिया जाना है। यह जवाब देना कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, उचित नहीं है। मेरे विचार में, अभिलेखों के आधार पर, सीपीआईओ को यह बताना चाहिए कि क्या अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना कोई बैठक या कार्रवाई रिपोर्ट से संबन्धित थी। इसलिए, मैं सीपीआईओ को प्रश्न संख्या 9 और 10 पर फिर से विचार करने और अपीलकर्ता को उचित उत्तर देने का निर्देश देता हूं। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बैठकों के कार्यवृत्त या रिपोर्ट की प्रतियों का खुलासा, यदि कोई हो, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई छूट के अधीन होगा।''

दूसरी अपील के लिए आधारः

एफएए के आदेश से असंतुष्ट।

15 नवंबर 2011 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : श्री राजा एम षणमुगम एनआईसी स्टूडियो – तिरुपुर से वीडियो–कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

प्रतिवादी : अनुपस्थित।

''अपीलकर्ता ने आयोग को लिखित निवेदन दिये। प्रतिवादी न तो उक्त तिथि पर उपस्थित हुए और न ही आयोग को कोई निवेदन प्राप्त हुए। अपीलकर्ता ने कहा कि वह आयोग का ध्यान डब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 344/2009 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता है। आदेश 15/11/2011 को सुरक्षित रखा गया था।

7 दिसंबर 2011 को घोषित निर्णय

आयोग ने अपीलकर्ता के निवेदनों सहित कागजातों का अवलोकन किया है। अपीलकर्ता अब 1, 2, 9 और 10 के प्रश्नों के बारे में सूचना मांग रहा है।

प्रश्न 1 और 2 में, अपीलकर्ता ने निम्नलिखित सूचना मांगी हैः

1. उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष, आरबीआई ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि मुद्रा डेरिवेटिव के कारण बाजार में कुल नुकसान 32,000 करोड़ रुपये से अधिक है। एमटीएम हानियों का बैंक–वार विवरण प्रदान करेंय तथा

2. भारतीय व्यापारिक घरानों को हुए नुकसान की राशि का आरबीआई के पास नवीनतम आंकड़ा क्या है? बैंक–वार और ग्राहक–वार नवीनतम आंकड़े प्रदान करें।

पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (ई) के आधार पर सूचना देने से इनकार किया है। एफएए ने प्रश्न 1 में पीआईओ के जवाब को बरकरार रखा और आर. आर. पटेल बनाम आरबीआई सीआईसी/एमए/ए/2006/00406 और 00150 दिनांक 07/12/2006 में आयोग के निर्णय का हवाला दिया। प्रश्न 2 के संबंध में, एफएए ने सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

क्या प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से मुक्त है प्रतिवादी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना से इनकार किया है। एफएए ने प्रश्न 1 में सीपीआईओ के उत्तर से सहमति व्यक्त की और पाया कि डेरिवेटिव लेनदेन में एमटीएम नुकसान के बैंक–वार ब्योरे का खुलासा राज्य के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा क्योंकि जनता के लिए इस तरह का खुलासा सबजेक्ट बैंक और सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है। एफएए ने आर. आर. पटेल बनाम आरबीआई सीआईसी/एमए/ए/2006/00406 और 00150 दिनांक 07/12/2006 में आयोग के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। एफएए ने यह भी कहा कि उसने इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं माना।

आर. आर. पटेल के मामले में, पूर्ण पीठ एक सहकारी बैंक की आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट के प्रकटीकरण के विशिष्ट मुद्दे पर विचार कर रही थी। इस बेंच के समक्ष यह मुद्दा नहीं है और इसलिए, यह मिसाल पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं हो सकती है। बहरहाल, इस बेंच ने आर आर पटेल केस पर विचार किया है। पूर्ण पीठ के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या निरीक्षण रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत खुलासे से छूट दी गई थी। पूर्ण पीठ ने आरबीआई बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (दिनांक 07ध्05ध्1958) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि ''हमारी जैसी एकीकृत अर्थव्यवस्था में, एक नियामक प्राधिकरण का काम काफी जटिल है और इस तरह के एक प्राधिकरण को यह तय करना होगा कि राज्य के आर्थिक हित में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यह आवश्यक है कि इस तरह के प्राधिकरण को निर्णय लेने में और इस उद्देश्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में कार्यात्मक स्वायत्तता की अनुमति दी जाए''। उपरोक्त के आधार पर, अनुच्छेद 16 में, पूर्ण पीठ ने अन्य बातों के साथ–साथ फैसला सुनाया कि ''इसे देखते हुए, और पहले की चर्चा के आलोक में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट का दावा करने का हकदार है। अगर यह संतुष्ट है कि ऐसी रिपोर्ट के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई इस मामले की देखरेख के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय है और इसलिए हम इसके आकलन पर भरोसा कर सकते हैं। इस मुद्दे को उसी के अनुसार तय किया जाता है''।

उपरोक्त के एक सादे पठन से, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ का विचार था कि यदि आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि निरीक्षण रिपोर्ट के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो उक्त सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसा कोई अवलोकन नहीं है कि पूर्ण पीठ स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। इसके अलावा, आरबीआई बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (दिनांक 07/05ध्1958) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर पूर्ण पीठ द्वारा भरोसा

किया गया था, जो आरटीआई अधिनियम के आगमन से बहुत पहले की गई थी और इसलिए, वह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, आर.आर. पटेल के मामले में आरबीआई ने दावा किया कि यदि बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जाता है तो यह राज्य के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 21/09/2006 के पत्र द्वारा प्रदान किए गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर प्रतीत होता है और वे इस प्रकार थेः

> ''(i) देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास निहित विभिन्न जिम्मेदारियों में से एक प्रमुख जिम्मेदारी वित्तीय स्थिरता के रखरखाव से संबंधित है। जबकि सूचना का प्रकटीकरण आम तौर पर संस्थानों में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा, कुछ सूचनाओं का प्रकटीकरण प्रतिकूल रूप से सार्वजनिक हित को प्रभावित और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से समझौता कर सकता है।
>
> (ii) आरबीआई द्वारा किया गया निरीक्षण अक्सर निरीक्षण की गई संस्थाओं के वित्तीय संस्थानों, प्रणालियों और प्रबंधन में कमजोरियों को सामने लाता है। इसलिए, प्रकटीकरण न केवल निरीक्षण की गई इकाई में बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जनता के विश्वास को कम कर सकता है। यह न केवल एक बैंक की जमा राशि पर एक लहर–प्रभाव को प्रेरित कर सकता है जिससे सूचना संबंधित है बल्कि अन्य भी संक्रामक प्रभाव के कारण हो सकते हैं।
>
> (iii) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज के खिलाफ जनता द्वारा की गई शिकायतों पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना के लिए अनुरोध स्वीकार कर रहा था और इस तरह की कार्रवाई के संबंध में सूचना देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी शिकायतों के संबंध में वास्तविक सूचना दी गई है, बशर्ते ऐसी सूचना अहानिकर प्रकृति की हो और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना न हो।
>
> (iv) हालांकि, आयोग द्वारा 6 सितंबर, 2006 के अपने निर्णय में दिए गए आदेश के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा देश के आर्थिक हित में नहीं होगा और इस तरह के खुलासे से वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
>
> (v) निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अधिनियम के संबंध में अधिनियम की धारा 10(1) को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसी रिपोर्टों के हिस्से के रूप में जब संदर्भ से बाहर पढ़ा जाता है तो और भी अधिक भ्रामक संदेश प्रसारित होते हैं।''

इस प्रकार आरबीआई ने तर्क दिया कि वह मांगी गई सूचना को साझा नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें से कुछ ''सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से समझौता कर सकते हैं''। आरबीआई ऐसी सूचना साझा करने के लिए तैयार नहीं था जो 'निरीक्षित संस्थाओं के वित्तीय संस्थानों, प्रणालियों और प्रबंधन में कमजोरियों' को सामने ला सके। यह आगे तर्क दिया गया था कि 'प्रकटीकरण न केवल निरीक्षण की गई इकाई में बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जनता के विश्वास को कम कर सकता है। यह न केवल एक बैंक की जमा राशि पर एक लहर प्रभाव को प्रेरित कर सकता है जिससे सूचना संबंधित है बल्कि अन्य भी संक्रामक प्रभाव के कारण बना सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई ने तर्क दिया कि कमजोरियों के

निहितार्थ को समझने के लिए नागरिक पर्याप्त परिपक्व नहीं थे, और आरबीआई यह तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश था कि नागरिकों को क्या जानना चाहिए। नागरिकों, जिन्हें यह तय करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है कि उन्हें कौन शासन करना चाहिए, जो सरकार को वैधता देते हैं, और भारत के संविधान को तैयार करते हैं, उन्हें निरीक्षण में उजागर कमजोरियों के बारे में चुनिंदा सूचना दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास है। उन्हें वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को उसी हद तक देखना चाहिए, जिस हद तक आरबीआई चाहता है।

यह इस प्रकार है कि अगर आरबीआई ने गलती की, या भ्रष्टाचार हुआ, तो नागरिकों को नुकसान होगा। यह लोकतंत्र और पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। यह बेंच उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428 में जस्टिस मैथ्यू के स्पष्ट आह्वान को याद रखना चाहेगी – ''हमारी तरह की जिम्मेदारी वाली सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहां कुछ रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है, जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे हर सार्वजनिक लेनदेन के विवरण को उसके सभी असर में जानने के हकदार हैं। उनके जानने का अधिकार, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से लिया गया है, हालांकि पूर्ण नहीं है, एक ऐसा कारक है जिसे लेनदेन के लिए गोपनीयता का दावा करते समय सावधान रहना चाहिए, जो किसी भी दर पर सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई असर नहीं डाल सकता है''।

एस पी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति एवं अन्य, एआईआर 1982 एससी 149 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को भी याद रखना सार्थक है:

''यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार के प्रत्येक कार्य को जनहित से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसे मामले मिलते हैं, हालांकि बहुत से नहीं, जहां सरकारी कार्रवाई सार्वजनिक भलाई के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ या अन्य बाहरी विचारों के लिए की जाती है। कभी–कभी सरकारी कार्रवाई राजनीतिक और अन्य प्रेरणाओं और दबावों से प्रभावित होती है...

कभी–कभी, कार्यपालिका की ओर से अधिकार के दुरुपयोग या कुव्यवहार के उदाहरण भी होते हैं। अब, यदि सरकार के कामकाज में गोपनीयता रखी जानी थी और सरकार की प्रक्रियाओं को सार्वजनिक जांच से छिपाया जाना था, तो यह उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग या अधिकार के कुव्यवहार को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए होगा, क्योंकि यह सब बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के गोपनीयता के घूंघट में ढका हुआ होगा। लेकिन अगर जनता के लिए उपलब्ध सूचना के साधनों के साथ एक खुली सरकार है तो सरकार के कामकाज का अधिक से अधिक प्रदर्शन होगा और यह लोगों को एक बेहतर और अधिक कुशल प्रशासन का आश्वासन देने में मदद करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'सार्वजनिक नजर और जांच के संपर्क में एक स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन प्राप्त करने का एक निश्चित साधन है। यह सच में कहा गया है कि एक खुली सरकार स्वच्छ सरकार है और राजनीतिक और प्रशासनिक विचलन और अक्षमता के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा है ...

यह एक खुले समाज की नई लोकतांत्रिक संस्कृति है जिसकी ओर हर उदार लोकतंत्र विकसित हो रहा है और हमारे देश को कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। एक खुली सरकार की

अवधारणा जानने के अधिकार से प्रत्यक्ष उद्गम है जो कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित प्रतीत होता है। इसलिए, सरकार के कामकाज के संबंध में सूचना का खुलासा नियम और गोपनीयता होना चाहिए, अपवाद केवल तभी उचित होगा जब जनहित की सबसे सख्त आवश्यकता की मांग हो ... भले ही विभाग के प्रमुख या यहां तक कि मंत्री भी दावा करते हुए एक हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। सार्वजनिक हित में कुछ अनौपचारिक दस्तावेजों के प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा, यह अच्छी तरह से तय है कि न्यायालय के पास दस्तावेजों को मंगाने और उनकी जांच करने के लिए अवशिष्ट शक्तियां हैं। हलफनामे में मंत्री या विभाग के प्रमुख द्वारा दिए गए बयान से न्यायालय बाध्य नहीं है। जबकि संबंधित विभाग के प्रमुख इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम थे कि क्या अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों के प्रकटीकरण से राष्ट्र या सार्वजनिक सेवा को नुकसान होगा, वह यह तय करने में सक्षम नहीं है कि सार्वजनिक हित में क्या है क्योंकि यह न्यायालय का काम है। दस्तावेज को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले न्यायालय अन्याय के जोखिम के खिलाफ राज्य या सार्वजनिक सेवा की क्षति को संतुलित करने की शक्ति रखती है।''

यह विचार कि नागरिक यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं और घबराएंगे, ऐसा लोकतंत्र के प्रतिकूल है। 60 से अधिक वर्षों से नागरिकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को एक परिपक्व फैशन में संभाला है, उन नेताओं को दंडित किया है जिन्होंने अपने अधिकारों को कुचलने की प्रवृत्ति दिखाई है, और उन्हें फिर से सत्ता दी है जब नेताओं ने भारत के संप्रभु नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता नहीं लेने का सबक सीखा है। 'हम लोगों' ने खुद को भारत का संविधान दिया, उसका पालन–पोषण किया और उसे आगे बढ़ाएंगे। भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण की आशंका पर नहीं रोका जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की बाधा को संसद को भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत छूट संसद द्वारा लगाई गई बाधाएं हैं और निर्णायक निकायों को ध्यान से विचार करना होगा कि क्या आरटीआई ढांचे के अंतर्गत किसी भी सूचना को अस्वीकार करने से पहले छूट लागू होती है।

यह उल्लेख करना उचित है कि आर. आर. पटेल के मामले में, पूर्ण पीठ किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि निरीक्षण रिपोर्टों के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय उसने यह निर्धारित करने के लिए आरबीआई को छोड़ दिया कि क्या उक्त सूचना का खुलासा आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) को आकर्षित करेगा। यह मुख्य रूप से इस आधार पर था कि आरबीआई एक विशेषज्ञ निकाय है और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अनिवार्य रूप से आयोग पर निर्भर होना चाहिए और एकमात्र निर्णायक कारक होना चाहिए। उपरोक्त निष्कर्ष के लिए पूर्ण पीठ द्वारा कोई कानूनी तर्क नहीं दिया गया था। ऐसा कोई सबूत या संकेत नहीं है कि आयोग आरबीआई के विचारों का संज्ञान लेने के बाद उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। यदि पूर्ण पीठ की स्थिति को स्वीकार किया जाना है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां आरबीआई के पास अंतिम निर्णय होगा कि किसी नागरिक को सूचना प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। इस तर्क का विस्तार करते हुए, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण सबसे अच्छे न्यायाधीश हो सकते हैं कि कौन सी सूचना का खुलासा किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने

कामकाज से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ होने की संभावना रखते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी। संसद को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि आयोग स्वतंत्र रूप से यह तय करेगा कि छूट लागू है या नहीं। यह आरबीआई के विचार को ध्यान में रख सकता है, लेकिन कोई छूट लागू होगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा तय किया जाना चाहिए। पूर्ण पीठ ने कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया कि सूचना के प्रकटीकरण से अपने निर्णय में राज्य के आर्थिक हितों पर असर पड़ेगा। यह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को गारंटीकृत सूचना के मौलिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। पूर्ण पीठ द्वारा विचार किए जा रहे मामले में, उसने आरबीआई के निर्णय को स्वीकार करने का फैसला किया। आयोग किसी अन्य निकाय के निर्णय को स्थगित करने के लिए खुला है, लेकिन यह कानून के किसी भी सिद्धांत को स्थापित नहीं करता है, और केवल विशिष्ट मामले पर लागू होगा।

आरटीआई अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। आयोग आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को आरबीआई को इस आधार पर नहीं छोड़ सकता है कि वह एक विशेषज्ञ निकाय है। आयोग केवल लोक प्राधिकरण के निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकता है और उसे मामले के गुण–दोषों को देखना चाहिए। इसे स्वयं ही यह निर्धारित करना होगा कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार पीआईओ द्वारा सूचना से इनकार करना उचित था। चूंकि पूर्ण पीठ ने कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की है जो यह दर्शाता है कि वह जानबूझकर सहमत है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) ऐसे मामलों में लागू होती है, यह किसी भी कानूनी सिद्धांत या व्याख्या को स्थापित नहीं करती है जिसे एक मिसाल या अनुपात माना जा सकता है। इस प्रकार निर्णय केवल उसके समक्ष विशेष मामले पर लागू होता है, और एक बाध्यकारी मिसाल नहीं बनता है।

इसके अलावा, आर. आर. पटेल के मामले में पूर्ण पीठ का गठन तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम अंसारी के दिनांक 06/09/2006 के दो निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए किया गया था। जैसा कि ऊपर वर्णित है, पूर्ण पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने वाले मुद्दों में यह शामिल है कि क्या रिपोर्ट के निरीक्षण के संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत छूट के लिए आरबीआई के दावे को उचित ठहराया जा सकता है। पूर्ण पीठ ने ग्रिंडलेज बैंक बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एआईआर 1981 एससी 606 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि जब एक प्रक्रियात्मक दोष के कारण समीक्षा की मांग की जाती है, तो ट्रिब्यूनल द्वारा की गई अनजानी त्रुटि को अपनी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठीक किया जाना चाहिए और ऐसी शक्ति हर अदालत या न्यायाधिकरण में निहित है। इस आधार पर पूर्ण पीठ ने तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम अंसारी के फैसलों की समीक्षा की।

पटेल नरशी ठाकरे एवं अन्य बनाम श्री प्रद्युमन सिंहजी एआईआर 1970 एससी 1273 में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है – ''यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समीक्षा करने की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है। इसे कानून द्वारा विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए''। कुंतेश गुप्ता बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय प्रबंधन, सीतापुर एवं अन्य एआईआर 1987 एससी 2186, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ''अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है, जब तक कि समीक्षा

की शक्ति स्पष्ट रूप से उस कानून द्वारा प्रदान नहीं की जाती है जिसके अंतर्गत वह अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है''। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कपड़ा मजदूर एकता संघ बनाम मैसर्स बिड़ला कॉटन प्रबंधन की अपील (सिविल) संख्या 3475/2003 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय 16/03/2005 को अभिनिर्धारित किया गयाः

''... यह स्पष्ट है कि जहां एक न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, जिसके पास योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके निर्णय या आदेश की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ द्वारा समीक्षा की शक्ति प्राप्त हो। प्रक्रियात्मक समीक्षा एक अलग श्रेणी से संबंधित है। इस तरह की समीक्षा में, न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के पास ऐसा करने के लिए कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने में एक प्रक्रियात्मक अवैधता है जो मामले की जड़ तक जाती है और कार्यवाही को ही अमान्य कर देती है, और फलस्वरूप उसमें पारित आदेश को भी अमान्य कर देती है। ऐसे मामले जहां न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना या गलत धारणा के अंतर्गत निर्णय दिया जाता है कि नोटिस विरोधी पक्ष को दिया गया था, या जहां किसी मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के अलावा किसी अन्य तारीख को सुनवाई और निर्णय के लिए लिया जाता है, कुछ उदाहरण वाले मामले हैं जिनमें खरीद की शक्ति शैक्षिक समीक्षा लागू की जा सकती है। ऐसे मामले में आदेश की समीक्षा या वापस लेने की मांग करने वाले पक्ष को इस आधार को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि पारित आदेश रिकॉर्ड या किसी अन्य आधार पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है जो समीक्षा को उचित ठहरा सकता है। उसे यह स्थापित करना होगा कि न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इस तरह की अवैधता से ग्रस्त है कि इसने कार्यवाही को दूषित कर दिया और उसमें दिए गए आदेश को अमान्य कर दिया, क्योंकि संबंधित विरोधी पक्ष को उसकी गलती के लिए नहीं सुना गया था, या यह कि मामला को सुना गया और मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख के अलावा अन्य तारीख पर निर्णय लिया गया, जिसमें वह अपनी गलती के बिना उपस्थित नहीं हो सके। अतः ऐसे मामलों में पारित आदेश के गुणदोष में जाए बिना कानून के अनुसार मामले की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। पारित आदेश वापस लेने और समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह गलत पाया गया है, लेकिन क्योंकि यह एक कार्यवाही में पारित किया गया था जो स्वयं प्रक्रिया या गलती की त्रुटि से दूषित था जो मामले की जड़ तक गया और पूरी कार्यवाही को अमान्य कर दिया। ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं अन्य (ऊपर) में, यह माना गया था कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि उत्तरदाताओं को पर्याप्त कारणों से सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया था, इसके बाद मामले को फिर से सुना जाना चाहिए और फिर से फैसला किया जाना चाहिए था।''

उपरोक्त निर्णयों के एक संयुक्त पठन से, यह स्पष्ट है कि एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण योग्यता के आधार पर किसी निर्णय की समीक्षा तभी कर सकता है जब उसे स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ द्वारा समीक्षा की शक्ति प्राप्त हो। आयोग की शक्तियां आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सीमित हैं और निश्चित रूप से इसे समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करती हैं। आर आर पटेल के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय से स्पष्ट है कि वह तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम अंसारी के दो फैसलों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा कर रही थी। पूर्ण पीठ के पास निश्चित रूप से आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित

कानून को देखते हुए ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। दरअसल, कपड़ा मजदूर एकता यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिंडलेज बैंक केस (पूर्ण बेंच के भरोसे) के फैसले पर स्पष्ट रूप से विचार किया और उसे स्पष्ट किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ ने कपड़ा मजदूर एकता संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी में आर.आर. पटेल के मामले में योग्यता के आधार पर मुद्दों की समीक्षा की। इसलिए, ऊपर वर्णित कारणों के लिए, आर. आर. पटेल मामला अनवधानता के कारण है और फलस्वरूप, इस पीठ पर बाध्यकारी नहीं है।

उपरोक्त को निर्धारित करने के बाद, इस पीठ के पास है कि प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत सुरक्षित है या नहीं। जबकि इस पीठ ने वर्तमान मामले में आरबीआई के जवाब पर विचार किया है, क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत छूट लागू होगी या नहीं, यह आयोग द्वारा तय किया जाना चाहिए।

धारा 8(1)(ए) में ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध के लिए उकसाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा'' से छूट मिलती है। यह संभावना नहीं है कि प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक या वैज्ञानिक हितों, या विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह जांच की जानी चाहिए कि क्या सूचना के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मांगी गई सूचना एमटीएम हानियों के बैंक–वार विवरण और भारतीय व्यापारिक घरानों को हुई हानियों की मात्रा के नवीनतम आंकड़े बैंक–वार और ग्राहक–वार के साथ आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से संबंधित है।

इस खंडपीठ का सुविचारित मत है कि भले ही मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट दी गई हो, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य करेगी। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) में कहा गया है, ''आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 में कुछ भी होने के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है''। आरबीआई एक नियामक प्राधिकरण है जो अन्य बातों के साथ–साथ लागू कानून के अनुसार सार्वजनिक धन और विदेशी मुद्रा के प्रवाह के साथ–साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान मामले में जहां मुद्रा डेरिवेटिव पर एमटीएम नुकसान 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा तक है यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व का मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ा वित्तीय घोटाला समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और नागरिकों को इसके बारे में जानने का अधिकार है। प्रवंजन पात्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) संख्या 344/2009 में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले पर विचार किया था और इस संदर्भ में, इसकी टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत करना प्रासंगिक होगाः

> ''14. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई की रिपोर्ट में स्वीकार की गई गंभीर अनियमितताओं के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है,

निम्नलिखित आपराधिक कार्रवाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता है (i) उपयोगकर्ताओं / ग्राहकों द्वारा जानबूझकर झूठी घोषणा करना अपने एक्सपोजर से अधिक हेज लेनदेन करना, (ii) आईडीजी ने उल्लंघनों की पहचान की है जो प्रकृति में गंभीर हैं और साभिप्राय तथा इरादतन प्रतीत होते हैं जो अपराध के सम्पादन में आपराधिक मनःस्थिति भी बनाते हैं, (iii) पिछले प्रदर्शन के आधार पर 50% से अधिक अनुबंधों की बुकिंग बिना सीए का प्रमाणपत्र प्राप्त किए, (iv) विभिन्न बैंकों के साथ अलग–अलग अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए उसी अंतर्निहित की फोटोकॉपी का उपयोग करके लेनदेन का दुरुपयोग। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से देखा है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था और यह कहा जा सकता है कि इस दुनिया में हर एक की जरूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। फेमा के स्पष्ट उल्लंघन हैं और यदि जांच की जाए तो सीबीआई द्वारा फेमा का उल्लंघन भी देखा जा सकता है और उसके आधार पर दांडिक अपराधों का भी पता लगाया जा सकता है।

15. इस तथ्य से कि झूठी घोषणाएँ की गई थीं और साथ ही उपरोक्त कार्यों से, धोखाधड़ी, कपट और आपराधिक साजिश के अपराधों के होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीआई ने गहन जांच की है...वर्तमान मामला राष्ट्रीय हित का मामला है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो सीबीआई देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करेगी।"

क्या प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(म) के अंतर्गत प्रकटीकरण से मुक्त है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(म) प्रकटीकरण से छूट देती है ''किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक हैय''। एक प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यापार या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदाहरण के लिएय डॉक्टर, वकील, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी। इस तरह के रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना धारक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, जिसके पास एक विकल्प होना चाहिए– जैसे कि जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, या ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी विशेष डॉक्टर के पास जाता है। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता सूचना प्रदान करने वाले के लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए सूचना देता है। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है।

पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के आधार पर प्रश्न 1 और 2 के बारे में सूचना देने से इनकार किया है। एफएए द्वारा इसे सही ठहराया गया था जिसमें आगे देखा गया था कि बैंकों की एमटीएम स्थिति से संबंधित सूचना आरबीआई द्वारा नियामक और पर्यवेक्षी

कार्यों के निर्वहन के लिए प्राप्त की जाती है और आरबीआई द्वारा भरोसेमंद क्षमता में आयोजित की जाती है।

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि भले ही बैंकों ने भरोसे या विश्वास में आरबीआई को सूचना दी हो, लेकिन उनके लाभ में कार्य करने के लिए आरबीआई पर कोई कर्तव्यबद्धता नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र का नियामक होने के नाते आरबीआई नियामकध्पर्यवेक्षी क्षमता में ऐसी सूचना प्राप्त करताध्रखता है। इसलिए, बैंकों के लिए पसंद का कोई तत्व उपलब्ध नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरबीआई और बैंकों के बीच कोई भरोसेमंद संबंध नहीं बनता है। इसलिए, पीआईओ का यह तर्क कि प्रश्न 1 और 2 में सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट प्राप्त है, को खारिज किया जाता है। इसके अलावा, ऊपर वर्णित कारणों के लिए– इस सूचना का आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के अंतर्गत खुलासा करके एक बड़े जनहित की सेवा की जाएगी। उसी के मद्देनजर, इस खंडपीठ का विचार है कि प्रश्न 1 और 2 में मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत छूट दी गई है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) प्रकटीकरण को मांगी गई सूचना के संबंध में अनिवार्य करेगी।

इसके अलावा, जहां तक प्रश्न 9 और 10 का संबंध है, सीपीआईओ ने या तो प्रारंभिक उत्तर में या बाद में सूचना से इनकार करने के लिए किसी छूट का दावा नहीं किया है।

अपील की अनुमति है।

सीपीआईओ, एफईडी को 5 जनवरी 2012 से पहले अपीलकर्ता को प्रश्न 1, 2, 9 और 10 पर रिकॉर्ड के अनुसार पूरी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी

सूचना आयुक्त

7 दिसंबर 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।) (एसयू)

अनुलग्नक 11.3

सीआईसी आदेश संख्या 18316

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000374/18316

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000374

प्रासंगिक तथ्य अपील से उत्पन्न हो रहे हैं:

अपीलकर्ता : श्री जी कृष्णन,

आशियाना, पीओ पदुआपुरम,
करुकुट्टी से, जिला एर्नाकुलम,
केरल–683582

प्रतिवादीः डॉ अमित लव,

सीपीआईओ और उप निदेशक,
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
कमरा नंबर 539, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

आरटीआई आवेदन दायरः 22/09/2011

पीआईओ ने उत्तर दियाः 11/11/2011

पहली अपील (अपीलों): 09/11/2011 (संलग्न नहीं) और 23/11/2011 को दायर

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशः 16/11/2011 (संलग्न नहीं) और 02/01/2012

द्वितीय अपील : 27/01/2012 को प्राप्त हुई

मांगी गई सूचना

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर विशेषज्ञ पैनल द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) एमओईएफ को सौंपी गई रिपोर्ट का सारांश जोकि अथिरापिल्ली एचईपी, केरल पर प्रोफेसर माधव गाड्गिल की अध्यक्षता और उनकी रिपोर्ट के अंतर्गत है।

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का जवाब

पश्चिमी घाट क्षेत्र की 6 राज्य सरकारों के साथ परामर्श में डबल्यूजीईईपी की रिपोर्ट "एमओईएफ" अभी भी जांच की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट फाइनल नहीं है और इसका प्रारूप एमओईएफ के विचाराधीन है और इस प्रकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन के लिए सम्पूर्ण/तैयार नहीं है।

अपीलकर्ता से उस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर बाद की तारीख में दोबारा उसके आरटीआई आवेदन को दायर करने का अनुरोध किया गया था।

प्रथम अपील दिनांक 23/11/2011 के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा सूचना से इनकार।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेश दिनांक 02/01/2012:

एफएए के आदेश दिनांक 02/01/2012 के अवलोकन पर, आयोग ने नोट किया कि अपीलकर्ता ने प्रारंभ में 09/11/2011 को पहली अपील दायर की थी (पीआईओ के उत्तर दिनांक 11/11/2011 को प्राप्त होने से पहले)। एफएए ने दिनांक 16ध्11ध्2011 के आदेश द्वारा पीआईओ

के उत्तर दिनांक 11/11/2011 को संलग्न करते हुए उक्त अपील का निपटारा किया। हालांकि, अपीलकर्ता एफएए के आदेश से व्यथित था और 23/11/2011 को एक और प्रथम अपील दायर की। एफएए ने अपने बाद के आदेश दिनांक 02/01/2012 में नोट किया कि अपीलकर्ता का दावा था कि उसे पीआईओ का उत्तर दिनांक 11/11/2011 को प्राप्त नहीं हुआ था। एफएए ने देखा कि मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकट नहीं की जा सकती है और अपीलकर्ता को संबोधित स्पीड पोस्ट रसीद की एक प्रति संलग्न है।

दूसरी अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा सूचना से इनकार और एफएए के आदेश से व्यथित।

23 मार्च 2012 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : अनुपस्थित

प्रतिवादी : डॉ अमित लव, सीपीआईओ एवं उप निदेशक।

आयोग ने पाया कि शुरुआत में पीआईओ ने सूचना के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 या 9 के अंतर्गत कोई कारण नहीं बताया। 23/03/2012 को हुई सुनवाई में, पीआईओ ने कहा कि एफएए ने माना था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता है। पीआईओ ने आगे कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के आधार पर सूचना देने से इनकार किया गया था। आयोग ने प्रतिवादी से उस विशिष्ट हित की पहचान करने और व्याख्या करने के लिए कहा जो प्रभावित हो सकता है, जिसके आधार पर उक्त छूट का दावा किया गया था। पीआईओ ने स्वीकार किया कि राज्य की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा या रणनीतिक हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्तर पर सूचना के प्रकटीकरण पर ''राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हित'' प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

पीआईओ ने कहा कि रिपोर्ट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन की पद्धति का प्रस्ताव किया गया था, जिसे परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उन्होंने निवेदन किया कि रिपोर्ट के समय से पहले जारी होने से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (''ईपीए'') के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए मांग ध प्रस्ताव हो सकते हैं। पीआईओ ने आगे कहा कि 11 मंत्रालयों, योजना आयोग और छह राज्यों से विचार मांगे जा रहे हैं। इसलिए, इस स्तर पर सूचना के प्रकटीकरण से रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त होंगे– जिन्हें अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इससे राज्य के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। पीआईओ ने निवेदन किया कि नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एमओईएफ रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहता है। पीआईओ ने आयोग को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया।

23/03/2012 को हुई सुनवाई में आदेश सुरक्षित रखा गया था।

9 अप्रैल 2012 को घोषित निर्णयः

अपीलकर्ता ने प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) द्वारा एमओईएफ को प्रस्तुत रिपोर्ट के सारांश और केरल के अथिरापिल्ली

एचईपी पर उनकी रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। प्रारंभ में, पीआईओ ने सूचना के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 या 9 के अंतर्गत कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने यह कहते हुए सूचना का खंडन किया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसलिए वह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि रिपोर्ट प्रोफेसर माधव गाडगिल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि रिपोर्ट पहले ही एमओईएफ को पैनल द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए इसे 'ड्राफ्ट' रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी ऐसी रिपोर्ट के प्रकटीकरण से छूट देता है जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है या स्वीकार नहीं किया गया है।

23/03/2012 को आयोग के समक्ष हुई सुनवाई में, पीआईओ ने दावा किया कि सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से संरक्षित किया गया था – जो छूट देता है– ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रभावित करने या किसी अपराध को भड़काने की ओर ले जाने के लिए''। आयोग ने प्रतिवादी से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए विशिष्ट कारणों की पहचान करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहा। पीआईओ ने तर्क दिया कि इस स्तर पर सूचना के प्रकटीकरण पर 'राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हितों' पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नागरिक रिपोर्ट के आधार पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन की मांग करेंगे। पीआईओ ने तर्क दिया कि रिपोर्ट के प्रकटीकरण से आर्थिक विकास प्रभावित होगा और इसलिए इस तरह का खुलासा राज्य के आर्थिक हितों के प्रतिकूल होगा।

इसलिए, आयोग के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट के प्रकटीकरण से भारत के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट दी जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी ने लिखित निवेदन दिया है, जिसका आयोग द्वारा अवलोकन किया गया है।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल या डबल्यूजीईईपी की स्थापना 2010 में एमओईएफ द्वारा प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में की गई थी। इसे कुछ कार्यों को निर्दिष्ट किया गया था जिसमें पश्चिमी घाट क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति का आकलन, उक्त क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों का सीमांकन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील के रूप में अधिसूचित किया जाना था, और पश्चिमी घाट क्षेत्र की स्थिरता, संरक्षण और कायाकल्प के लिए सिफारिशें शामिल थीं। इसके बाद पैनल को अथिरापिल्ली जलविद्युत परियोजनाओं की जांच का कार्य भी सौंपा गया था।

डबल्यूजीईईपी की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन के लिए सिफारिशें, उसमें गतिविधियों के नियमन के लिए व्यापक क्षेत्रीय दिशानिर्देश और पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए ईपीए के अंतर्गत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना शामिल हैं। डबल्यूजीईईपी ने एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की है जिसमें पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सीमांकन और परिसीमन के लिए पारिस्थितिकी, जैव विविधता और स्थलाकृति से संबंधित आठ वेरिएबल पर आधारित एक भू–स्थानिक डेटाबेस और बहु–मानदंड निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग किया गया

है। डब्ल्यूजीईईपी ने प्रमुख हितधारकों जैसे नागरिक समाज, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित जन प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया। इसने क्षेत्र का दौरा भी किया और सार्वजनिक परामर्श भी आयोजित किया।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एमओईएफ ने माना कि उसमें निहित सिफारिशों के पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण और विकास और केंद्र–राज्य संबंधों पर दूरगामी परिणाम थे। इसलिए, संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से व्यापक विचार–विमर्श किया गया। हालांकि कुछ मंत्रालयों/राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, प्रक्रिया अभी भी जारी है।

इस बेंच के समक्ष वर्तमान में इस मुद्दे पर विचार करने से पहले, भारत में सूचना के अधिकार और पर्यावरण आंदोलन के बीच इंटरफेस पर चर्चा करना उपयोगी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार माना है। आरटीआई अधिनियम ने इस मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध कर दिया है कि प्रत्येक नागरिक को केवल आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सूचना का अधिकार होगा। यह ऐसे प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को निर्धारित करता है। आरटीआई अधिनियम मानता है कि लोकतंत्र के लिए एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकार तथा उसके उपकरणों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह रखने के लिए सूचना में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, आरटीआई अधिनियम ने सूचना के मौलिक अधिकार को समय–सीमा के साथ, कानूनी रूप से सूचना का गठन करने वाले प्रावधानों को लागू करने योग्य बना दिया है, और यह भी पहचानने के लिए कि कौन सी सूचना से इनकार किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए दंड और अधिकार को लागू करने के लिए एक उचित अपीलीय तंत्र का भी प्रावधान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सूचना को केवल धारा 8 और 9 के अनुसार प्रकटीकरण से छूट दी जा सकती है, और सूचना के प्रकटीकरण की मांग को अस्वीकार करते समय किसी अन्य छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सभी नागरिक बिना कोई उद्देश्य या कारण बताए सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक पीआईओ को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी जब तक कि यह धारा 8(1) या धारा 9 की दस छूटों के अंतर्गत नहीं आती है। उदाहरण के तौर पर, 'गोपनीय' सूचना के लिए कोई छूट नहीं है, जब तक कि यह किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई हो। कोई भी पीआईओ, आयोग या न्यायालय किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को यह दावा करने की अनुमति नहीं दे सकता है कि 'गोपनीय' सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि यह केवल आंतरिक उपभोग के लिए है। यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो सूचना को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह विचाराधीन है। जब तक यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि सूचना के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, केवल जांच

जारी रखना या किसी मामले का अभियोजन इनकार का आधार नहीं हो सकता। यदि कुछ व्यक्तिगत सूचना को छूट दी गई प्रतीत होती है क्योंकि प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर एक अवांछित आक्रमण की राशि हो सकती है, तो यह निर्धारित करना होगा कि क्या इसे संसद में अस्वीकार कर दिया गया होता। इसी तरह यह दावा कि अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, इनकार करने का एक उचित कारण नहीं है। इस प्रकार, सूचना के सभी इनकार को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।

यदि सूचना को छूट दी गई है, तो उसे प्रदान करना होगा, यदि धारा 8(2) के प्रावधान के अनुसार प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित साबित किया जा सकता है। बीस वर्ष बीत जाने के बाद, धारा 8(1) की छूटों में से केवल तीन ही लागू होंगी। इस प्रकार संसद का स्पष्ट रूप से इरादा था कि अधिकांश सूचना नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और सूचना से इनकार करना नियम का अपवाद और प्रकटीकरण होना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए एक वैधानिक निर्देश था कि वे इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करें, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा मिल सके। यह संसद का नागरिकों से वादा भी था। अफसोस, अधिकांश सार्वजनिक प्राधिकरण संसद के इस निर्देश का पालन करने और नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं।

चूंकि स्वतंत्रता के बाद लगभग पांच दशकों तक नागरिकों के साथ सूचना का खुलासा करना आदर्श नहीं था, अधिकांश लोक सेवक इस विचार को असम्बद्ध मानते हैं और यह भी एक ऐसा विचार है जो उनकी शक्ति और ज्ञान को चुनौती देता है। कुछ लोगों को एक वास्तविक संदेह भी होता है कि इस तरह के खुलासे से शासन करना और निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में शासन का उद्देश्य और प्रयोजन लोगों की इच्छा को पूरा करना है। पीआईओ ने दावा किया है कि नीति तैयार की जा रही है और इसलिए रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता है। यह बेंच उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428 में जस्टिस मैथ्यू के स्पष्ट आह्वान को याद रखना चाहेगी – ''हमारी तरह की जिम्मेदारी वाली सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहां कुछ रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है, जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे हर सार्वजनिक लेनदेन के विवरण को उसके सभी असर में जानने के हकदार हैं। उनके जानने का अधिकार, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से लिया गया है, हालांकि पूर्ण नहीं है, एक ऐसा कारक है जिसे लेनदेन के लिए गोपनीयता का दावा करते समय सावधान रहना चाहिए, जो किसी भी दर पर सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई असर नहीं डाल सकता है''।

सूचना का अधिकार अधिनियम के आगमन के साथ, नागरिकों के पास सरकार और उसके उपकरणों के पास मौजूद विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक पहुंच होती है। इसमें पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सूचना जैसे प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, मंजूरी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई अनुमतियांध्लाइसेंस इत्यादि शामिल हैं। इसने नागरिकों को हमारे देश को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को ज्ञानपूर्वक समझने में सक्षम बनाया है। नागरिक और नागरिक समाज, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वनस्पतियों, जीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों की जैव विविधता

की रक्षा के उद्देश्य से सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं, अब उनके पास ऐसी सूचना है जो उन्हें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की एक सच्ची तस्वीर प्राप्त करने की अनुमति देती है। नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें वास्तविकताओं से अवगत कराने के लिए आरटीआई अधिनियम एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है।

मनुष्य हजारों वर्षों से पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप करता आ रहा है। पर्यावरण, या परिदृश्य को बदलने के लिए मनुष्य को बल की आवश्यकता होती है। हालांकि, इन अवधियों में से अधिकांश के लिए उनकी परिवर्तन और हस्तक्षेप करने की क्षमता मूल रूप से सीमित थी कि वे जनशक्ति या पशु शक्ति के साथ क्या कर सकते थे। इसने तेजी से बदलाव लाने और पर्यावरण में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया। पिछले तीन सौ वर्षों में मनुष्य ने शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विकास किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति और पर्यावरण में हस्तक्षेप करने की निरंतर घातीय क्षमता है। यह विशाल क्षमता, – यदि कुछ सावधानी और ज्ञान के साथ तैनात नहीं की जाती है, तो पूरी पृथ्वी के पर्यावरण में एक विनाशकारी परिवर्तन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम सभी मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, और सबसे खराब स्थिति में पृथ्वी पर जीवन का अंत हो सकता है। मनुष्य न केवल सबसे विनाशकारी है, बल्कि विरोधाभासी रूप से पृथ्वी पर जानवरों की एकमात्र विवेकपूर्ण प्रजाति है। यदि मानव गतिविधियाँ अंधाधुंध तरीके से जारी रहती हैं, तो यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और हमारे ग्रह पर जीवन का पूर्ण विनाश कर सकता है। इसलिए, पर्यावरणीय तबाही को कम करने और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की मांग बढ़ रही है।

आज के समय और युग में, प्रत्येक राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत भी, अन्य देशों की तरह, अधिकतम आर्थिक विकास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तथापि, यह तेजी से माना जा रहा है कि इस तरह का आर्थिक विकास केवल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास प्राप्त करने की आवश्यकता है जो प्रकृति में टिकाऊ हो। वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (28/08/1996 को निर्णय लिया गया) निम्नानुसार देखा गया हैः

''... ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा परिभाषित सतत विकास का अर्थ है ''विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है'' ...''

उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि पर्यावरणीय संसाधन सीमित और दुर्लभ होने के कारण, किसी भी आर्थिक विकास को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात से अवगत हैं कि पारिस्थितिकी के साथ बेलगाम हस्तक्षेप से इस पृथ्वी पर हर तरह के जीवन को खतरा हो सकता है और आज की गई जल्दबाजी में गलत कदम हमारी आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर हो सकते हैं।

पश्चिमी घाट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थलाकृतिक और पारिस्थितिक महत्व के क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों की पर्याप्त संख्या के कारण इसे जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्षेत्र की पारिस्थितिक

स्थिति का आकलन करने और उसकी रक्षा और कायाकल्प करने के साधन तैयार करने के लिए, एमओईएफ ने एक विशेष पैनल (डबल्यूजीईईपी) का गठन किया, जिसमें चार सरकारी कर्मियों सहित 14 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। डबल्यूजीईईपी के व्यापक जनादेश से, यह स्पष्ट है कि इसकी रिपोर्ट का पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, जैसा कि पीआईओ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, डब्ल्यूजीईईपी द्वारा अपनी रिपोर्ट में शामिल क्षेत्र और उसमें दी गई सिफारिशें कृषि, भूमि उपयोग, खनन, उद्योग, पर्यटन, जल संसाधन, बिजली, सड़क और रेलवे जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी।

इस खंडपीठ के समक्ष विशिष्ट मुद्दे पर आते हुए–पीआईओ ने तर्क दिया है कि डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है तो यह राष्ट्र के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस दावे का समर्थन करने के लिए, पीआईओ ने तर्क दिया है कि पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों की सीमाओं को परिष्कृत करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्ट (सीमांकन के लिए पद्धति युक्त) को समय से पहले जारी करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें व्यक्तियों/समूहों/संगठनों द्वारा पश्चिमी घाटों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के प्रस्तावों की बाढ़ आ जाएगी। उनका तर्क है कि इससे आर्थिक प्रगति और हितों पर असर पड़ेगा। हालाँकि, पीआईओ ने यह दिखाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया है कि राष्ट्र के वैज्ञानिक हित कैसे प्रभावित होंगे।

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्तावों का कार्यान्वयन, चाहे डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले या बाद में, एक कार्यकारी निर्णय है। पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने वाले नागरिकों और नागरिक समाज द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावों की आशंका मात्र को देश के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं कहा जा सकता है। किसी रिपोर्ट या सूचना का खुलासा करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार को उसका पालन करना होगा। इसे शायद तर्क और सुसंगत कारणों के आधार पर किसी रिपोर्ट से असहमत होने के कारणों को जनता को बताना पड़ सकता है। इसे राज्य के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, पीआईओ यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि पर्यावरणीय चिंताओं के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी वांछनीय नहीं है। यदि एक आर्थिक गतिविधि से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, तो यह आवश्यक है कि ऐसी गतिविधि को बाद की तारीख में न किया जाए या स्थगित किया जाए (जहां इसे इस तरह से किया जा सकता है जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो)। ऐसी परिस्थितियों में, केवल परियोजना को लागू करने और उससे अपेक्षित मौद्रिक लाभ में देरी होगी। आर्थिक लाभ केवल स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि संसाधन वहीं रहेंगे जहां वे थे। भविष्य की तारीख में, आर्थिक लाभ अभी भी अर्जित होगा। एकमात्र वास्तविक नुकसान कुछ लोगों को हो सकता है जो वर्तमान में संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। राष्ट्र वास्तव में नहीं हारेगा। दूसरी ओर, यदि आर्थिक गतिविधियों को इसके हानिकारक परिणामों की उचित विवेचना के बिना जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे पर्यावरण का अपरिवर्तनीय विनाश होगा और

बहुमूल्य संसाधनों का नुकसान होगा। यह 'सतत विकास' के सिद्धांत के खिलाफ होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि सरकार नीतिगत निर्णय लेते समय राष्ट्र के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होती है। हालाँकि, लोकतंत्र में, सरकार के स्वामी नागरिक होते हैं और एक तर्क है कि लोक सेवक उन्हें शामिल न करके नीतिगत मामलों का फैसला करेंगे, – स्वामी को पूर्ण कारणों का खुलासा किए बिना, – विशिष्ट है। सरकार समय–समय पर विभिन्न आयोगों, समितियों और पैनलों का गठन करती है जो राष्ट्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करते हैं और उसी के लिए समाधान और सिफारिशें प्रदान करते हैं। सरकार ऐसे पैनल, समितियां, आयोग या समूह बनाती है और उन सदस्यों का चयन करती है जिनकी विशेषज्ञता और ज्ञान को इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्र की चिंताओं को दूर करने के लिए इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार को इस तरह की सलाह की आवश्यकता दिखाई देती है और इसकी संरचना पर कुछ विचार किया जाता है, ताकि इसके निष्कर्ष महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकें। नागरिक व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र के संप्रभु हैं और यह उनका धन है जिसका उपयोग ऐसे आयोगों, समितियों और पैनलों के गठन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसलिए नागरिकों के लिए ऐसी रिपोर्टों के बारे में जानना अनिवार्य है। इसके अलावा, ऐसी रिपोर्टें नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यह केवल उचित है कि इसमें नागरिकों की बात हो। भले ही सरकार निष्कर्षों या सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेती है, नीति बनाने और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में उनके महत्व को मनमाने ढंग से अवहेलना नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाता है, तो नागरिकों के विचारों और चिंताओं को वैज्ञानिक और उचित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। यदि सरकार के पास रिपोर्टों को नजरअंदाज करने के कारण हैं, तो उन्हें तार्किक रूप से लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। अन्यथा, नागरिक यह मानेंगे कि सरकार के निर्णय मनमाना या भ्रष्ट हैं। इस तरह के भरोसे की कमी कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं होगी।

आरटीआई अधिनियम उपरोक्त जनादेश को मान्यता देता है और धारा 4 में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को ''इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए एक वैधानिक निर्देश शामिल है, ताकि जनता के पास सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग न्यूनतम सहारा हो।'' अधिक विशेष रूप से, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण– ''महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें''। उपरोक्त से यह पता चलता है कि नागरिकों को डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार है, जिसे जनता के पैसे से तैयार किया गया है, और इसका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव है। डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट का खुलासा नागरिकों को एक सूचित तरीके से बहस करने और सरकार को उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम करेगा, जिसे अंतिम रूप देने से पहले ध्यान में रखा जा सकता है। पीआईओ द्वारा यह दावा किया जाता है कि नीति तैयार की जा रही है और इसलिए रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय कानून को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वतः प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, न कि उन्हें तैयार करने के बाद। जाहिर है, सोच यह थी कि निर्णय लेने

की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी से हमारा लोकतंत्र बेहतर और गहरा होता है, न कि जब कोई नीति अंतिम रूप पाती है और फिर केवल लोगों के नाम पर घोषणा की जाती है।

डबल्यूजीईईपी की रिपोर्ट के प्रकटीकरण से नागरिक उक्त रिपोर्ट में उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह की राय सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई विश्वसनीय सूचना पर आधारित होगी। यह नागरिकों के बीच उनकेध्सार्वजनिक धन से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर एक सूचित चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। एमओईएफ के पारदर्शी होने की अनिच्छा से नागरिकों को यह आभास होने की संभावना है कि अधिकांश निर्णय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक गंभीर विश्वास की कमी होती है। यह हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बाधित करता है और इस धारणा को बदलने का सही तरीका पारदर्शी बनना है। इस तरह के कदम से सरकार और उसके पदाधिकारियों में केवल अधिक विश्वास आएगा, और केवल भ्रष्ट लोगों को चोट पहुंचेगी।

लोक सूचना अधिकारी इस बात का कोई कारण नहीं बता पाए हैं कि ऐसा खुलासा राज्य के वैज्ञानिक हितों को कैसे प्रभावित करेगा। पीआईओ का छूट का दावा पूरी तरह से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) पर आधारित है। आयोग ने इस दावे की जांच की है और उसके इस तर्क में कोई दम नहीं है कि प्रकटीकरण राष्ट्र के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। इसलिए आयोग ने पीआईओ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (ए) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

पूर्ववर्ती तर्कों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पैनल, विशेषज्ञों, समितियों और आयोगों की सभी रिपोर्टें, जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निधियों को खर्च करके तैयार की जाती हैं, धारा 4 (2) के साथ पठित धारा 4 (1) (सी) एवं (डी) के अधिदेश के अनुसार स्वप्रेरणा से प्रदर्शित की जानी चाहिए। यदि इस तरह की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को आरटीआई अधिनियम के अनुसार छूट दी गई है, तो यह कहा जाना चाहिए और इस तरह के विच्छेद के कारणों को प्रदान करने के बाद छूट वाले हिस्सों को अलग किया जा सकता है। यदि पूरी रिपोर्ट भारत की सुरक्षा या सामरिक हित से संबंधित है, तो यह कहा जाना चाहिए। इस तरह की प्रथा आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार होगी और इसके परिणामस्वरूप सरकार और उसके कार्यों में अधिक विश्वास होगा।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 5 मई, 2012 से पहले अपीलकर्ता को डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट के सारांश और अथिरापिल्ली एचईपी, केरल पर रिपोर्ट की एक सत्यापित फोटोकॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, पीआईओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि पूरी डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट 10 मई, 2012 से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी जाए।

आयोग का निर्देश है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को आयोगों, विशेष समितियों या पैनलों की सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रकाशित करनी चाहिए, जब तक कि यह महसूस न हो कि ऐसी रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) या 9 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्राप्त है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि किसी भी हिस्से को छूट

दी गई है, तो छूट का दावा करने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए और प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर वेबसाइट पर प्रदर्शित रिपोर्ट को छूट के लिए दावा किए गए हिस्सों को अलग करने के बाद प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वेबसाइट पर जिन हिस्सों को काटा गया है, और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट का दावा करने के कारणों के बारे में एक घोषणा होनी चाहिए। यह निर्देश आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(इ)(पपप) के अंतर्गत सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
9 अप्रैल 2012

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।) (पीजी)

अनुलग्नक 11.4

सीआईसी आदेश संख्या 18674
केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000544/18674
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000544
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	डॉ. एस.पी. उदयकुमार, 42/27, एसंकाई मणि वेती, परक्कई रोड जंक्शन, नागरकोइल, तमिलनाडु–629002
प्रतिवादी	:	श्री एस के श्रीवास्तव, पीआईओ एवं उप मुख्य अभियंता (परियोजनाएं), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विक्रम साराभाई भवन, सेंट्रल एवेन्यू रोड, अणुशक्ति नगर, मुंबई–400094

आरटीआई आवेदन : 25/01/2010 को दायर

पीआईओ ने उत्तर दियाः 24/03/2010

पहली अपील दायर कीः 16/04/2010

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : 20/05/2010

द्वितीय अपील : 13/08/2010 और 16/02/2012 को दायर की गई

अपीलकर्ता ने 13/08/2010 को आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर की थी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग मामले को दर्ज करने और सुनवाई के लिए निर्धारित करने में विफल रहा।

तत्पश्चात 16/02/2012 को प्राप्त अपीलार्थी के पत्र द्वारा इस चूक को आयोग के संज्ञान में लाया गया और आयोग द्वारा मामला दर्ज किया गया।

चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने 2010 में अपील दर्ज नहीं की थी, जब इसे समय के भीतर किया गया था, इसलिए इसे पंजीकृत किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था।

मांगी गई सूचना :

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित सूचना मांगी गई थीः

(केकेएनपीपी), तमिलनाडु में रिएक्टर I और IIः

1. रिएक्टर I और II के लिए सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति
2. रिएक्टर I और II के लिए साइट मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति तथा
3. रिएक्टर I और II के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की प्रति।

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का उत्तरः

1. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट पीआईओ के पास उपलब्ध थी जिसमें 339 पृष्ठ शामिल थेः

अपीलकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह प्रबंधक (एफएंडए), एनपीसीआईएल के पक्ष में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 678/– रुपये (मात्र छह सौ अठत्तर रुपये) 2/– रुपये प्रति पेज का डिमांड ड्राफ्ट भेजें। शुल्क प्राप्त होने पर, उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अपीलकर्ता को प्रस्तुत की जाएगी।

2, सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं थे और इसमें डिजाइन विवरण शामिल थे जो प्रकृति में मालिकाना हैं। इस तरह सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (डी) के अंतर्गत छूट दी गई थी।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा दी गई अधूरी सूचना ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश (एफएए):

एफएए ने पीआईओ से सहमति जताई और देखा कि सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट केकेएनपीपी I और II के लिए मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट एनपीसीआईएल के पास वर्गीकृत दस्तावेज थे।

दूसरी अपील के लिए आधारः

एफएए के आदेश से असंतुष्ट भारतीय नागरिक की सुरक्षा और भलाई बहुत महत्वपूर्ण है और सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

23 अप्रैल 2012 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री वेंकटेश नायक अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैंय

प्रतिवादीः श्री एस के श्रीवास्तव, पीआईओ और उप मुख्य अभियंता (परियोजनाएं) एनआईसी स्टूडियो–मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।

दोनों पक्षों को सुना गया। आयोग ने पाया कि तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर I और II (सामूहिक रूप से रिपोर्ट के रूप में संदर्भित) की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतियां अपीलकर्ता को प्रदान नहीं की गई हैं।

पीआईओ ने तर्क दिया कि रिपोर्ट वर्गीकृत सूचना थी और संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण ने इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी करने का निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने निवेदन किया कि रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) एवं (डी) के अंतर्गत प्रकटीकरण से सुरक्षित थी। आयोग ने बार–बार पीआईओ से उक्त छूट का दावा करने के विशिष्ट कारण पूछे। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के संबंध में, पीआईओ ने कहा कि सूचना के प्रकटीकरण से राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हित प्रभावित होंगे। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उक्त रिपोर्टों के खुलासे से राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हित कैसे प्रभावित होंगे। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (डी) के संबंध में पीआईओ ने दावा किया कि रिपोर्ट में वाणिज्यिक विश्वास शामिल था। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उक्त रिपोर्टों के प्रकटीकरण को 'व्यावसायिक विश्वास' कैसे माना जा सकता है और यह किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (डी) के अंतर्गत छूट वर्तमान मामले पर लागू नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि रिपोर्टों के प्रकटीकरण पर निश्चित रूप से एक बड़े सार्वजनिक हित की सेवा की जाएगी। इस संबंध में, भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बीच समझौते पर भरोसा किया गया था जो परमाणु गतिविधियों के लिए सुरक्षा और रखरखाव मानकों को निर्धारित करता है। अपीलकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक बहस सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में समान प्रकृति की रिपोर्टों को सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अपीलकर्ता ने ऊपर उल्लिखित तर्कों का विवरण देते हुए एक सीडी के साथ लिखित दलीलें दीं।

23/04/2012 को हुई सुनवाई में आदेश सुरक्षित रखा गया था।

30 अप्रैल 2012 को घोषित निर्णयः

अपीलकर्ता ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टरों I और II की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतियां मांगी हैं, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। शुरुआत में, पीआईओ ने तर्क दिया है कि रिपोर्ट वर्गीकृत सूचना थी और संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण ने इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी करने का निर्णय नहीं लिया था। यह

कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना को केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर ही अस्वीकार किया जा सकता है। तथ्य यह है कि एक रिकॉर्ड को 'वर्गीकृत' करार दिया गया है, या इसे केवल उस प्रभाव के कार्यकारी निर्णय के अधीन प्रकट किया जाएगा–आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत छूट के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, पीआईओ आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना को अस्वीकार करने के लिए ऐसे आधारों का उपयोग नहीं कर सकता हैय सूचना से इनकार केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर होगा।

उपरोक्त को स्थापित करने के बाद, आयोग अब पीआईओ के इस तर्क की जांच करता है कि रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (डी) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई थी। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) प्रकटीकरण से छूट देती है– ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अपराध के लिए उकसाना''। 23/04/2012 को हुई सुनवाई में, आयोग ने पीआईओ को प्रभावित होने वाले विशिष्ट हितों की पहचान और व्याख्या करने के लिए बार–बार कहा, जिसके आधार पर आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट का दावा किया गया था। पीआईओ ने केवल इतना कहा कि सूचना के प्रकटीकरण पर राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह दावा करने के लिए कोई कारण नहीं दिया कि यदि रिपोर्ट का खुलासा किया गया तो राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) प्रकटीकरण से छूट देती है– ''व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना , जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़ा सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की गारंटी देता है''। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए, पीआईओ को यह स्थापित करना होगा कि मांगी गई सूचना (जिसमें वाणिज्यिक या व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा या इसी तरह की सूचना शामिल हो सकती है) के प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा। 23/04/2012 को हुई सुनवाई में आयोग ने बार–बार पीआईओ से उक्त छूट का दावा करने के विशिष्ट कारण पूछे। पीआईओ ने बस इतना कहा कि सूचना व्यावसायिक विश्वास की थीय उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उक्त रिपोर्टों के प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को कैसे नुकसान होगा, सिवाय इसके कि डिजाइन रूसी निर्माताओं के थे। इस कथन और पीआईओ के इस तर्क से कि रिपोर्ट में डिजाइन विवरण शामिल हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क था कि संयंत्र के डिजाइन विवरण इन रिपोर्टों में थे और उन्हें प्रकट करने से वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा का खुलासा करने पर विचार किया जा सकता है और इस तरह के प्रकटीकरण से आपूर्तिकर्ता की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान हो सकता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार, किसी भी अपील की कार्यवाही में, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था, उस पीआईओ पर होगी जिसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। तत्काल मामले में, पीआईओ ने यह दिखाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है कि यदि रिपोर्ट का आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के

अंतर्गत खुलासा किया गया तो राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसके अलावा, पीआईओ का तर्क इंगित करता है कि धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत छूट को आकर्षित किया जा सकता है यदि संयंत्र के डिजाइन विवरण का खुलासा किया गया था। यह इस प्रकार है कि जहां तक धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत छूट का संबंध है, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(5) के अंतर्गत पीआईओ द्वारा निर्वहन के लिए आवश्यक बोझ को नहीं हटाया गया है।

आयोग ने अपीलकर्ता की दलीलों का भी अध्ययन किया है। अपीलकर्ता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो परमाणु सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। कोई भी देश जो परमाणु सुविधा या किसी अन्य गतिविधि के स्थलों, डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन आदि के संबंध में आईएईए की सहायता के लिए आईएईए के साथ समझौता करना चाहता है, उसके लिए आईएईए के सुरक्षा और रखरखाव मानकों का पालन करना आवश्यक है जोकि समझौते के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ हैं। भारत आईएईए का सदस्य है और उसने 2009 में आईएईए के साथ नागरिक परमाणु सुविधाएं समझौते के लिए सुरक्षा उपायों के आवेदन में प्रवेश किया है। केकेएनपीपी–रिएक्टर ए और बी परमाणु ऊर्जा सुविधाओं और प्रतिष्ठानों की सूची में शामिल हैं जो समझौते के आवेदन के लिए आईएईए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय में संलग्न हैं। आईएईए ने अपनी सुरक्षा मानक श्रृंखला में, परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए साइट मूल्यांकन करते समय पालन किए जाने वाले मानकों का एक सेट जारी किया है। परमाणु संस्थापन के लिए साइट की उपयुक्तता का निर्धारण करने में प्रासंगिक कारक हैं– साइट पर होने वाली बाहरी घटनाओं के प्रभाव, साइट की विशेषताएं और उसके पर्यावरण जो व्यक्तियों को हस्तांतरण और जारी किए गए रेडियोधर्मी सामग्री के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं, और जनसंख्या घनत्व और वितरण जो आपातकालीन उपायों को लागू करने की संभावना को प्रभावित कर सकता है। आईएईए ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानक जारी किए हैं, जिसमें डिजाइन, संचालन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों को कम किया जा सकता है। यह सुरक्षा मूल्यांकन निर्धारित करता है जो संयंत्र के संचालन से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आईएईए मानक उन घटनाओं को भी संबोधित करते हैं जो होने की संभावना में नहीं है, जैसे कि गंभीर दुर्घटनाएं और बाहरी प्राकृतिक कारक, जो प्रमुख रेडियोधर्मी रिलीज का कारण बन सकते हैं और जिसके लिए डिजाइन में निवारक और शमन उपायों को प्रदान करना उचित और व्यावहारिक हो सकता है।

अपीलकर्ता ने परमाणु सुरक्षा पर वियना कन्वेंशन, 1994 (कन्वेंशन) का भी उल्लेख किया है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सुरक्षा उपायों और सुरक्षा मानकों के मूल्यांकन सहित कन्वेंशन के अंतर्गत अपने प्रत्येक दायित्व को लागू करने के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अपीलकर्ता ने भारत के लिए 2010 की रिपोर्ट का हवाला दिया है और उसमें कुछ हिस्सों का उल्लेख किया है। यह निवेदन किया गया है कि रिपोर्ट को कन्वेंशन में सूचीबद्ध प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार बनाया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 17 के संबंध में रिपोर्टिंग– जो 'साइटिंग' को संदर्भित करता है, यह स्पष्ट करता है कि साइट का मूल्यांकन आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) या धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत संरक्षित किसी भी चीज के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित नहीं है। यह विशुद्ध रूप से भूगोल, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, भूविज्ञान आदि से संबंधित है। ये सभी सीधे और अटूट रूप से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बहुत प्रभाव

डालते हैं। विश्वास को अनुच्छेद 14–'आकलन और सुरक्षा का सत्यापन' और अनुच्छेद 18–'डिजाइन और निर्माण' पर भी रखा गया है। अपीलकर्ता ने भारत सरकार के एक मोनोग्राफ का भी उल्लेख किया है जो साइट मूल्यांकन के अध्ययन में शामिल है और यह तर्क देता है कि मोनोग्राफ यह स्पष्ट करता है कि साइट मूल्यांकन का पूरा अभ्यास पर्यावरण और लोगों को किसी भी खतरे या गिरावट से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

आयोग ने अपीलकर्ता के तर्क में योग्यता पाई। परमाणु सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु स्थापना के लिए साइट मूल्यांकन का उद्देश्य दुर्घटनाओं, आदि के कारण रेडियोधर्मी रिलीज के रेडियोलॉजिकल परिणामों से जनता और पर्यावरण की रक्षा करना है। आयोग नोट करता है कि साइट मूल्यांकन रिपोर्ट न केवल सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट के लिए तकनीकी आधार प्रदान करती है, बल्कि इसमें रेडियोलॉजिकल खतरों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए उपयोगी तकनीकी सूचना शामिल है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि साइट मूल्यांकन की रिपोर्ट पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण आधार भी बनाती है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना करने के लिए, एक नागरिक के पास साइट मूल्यांकन की रिपोर्ट तक भी पहुंच होनी चाहिए। यह जनता को केकेएनपी परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव की व्यापक समझ प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

इसके अलावा, किसी भी परमाणु स्थापन या साइट को किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं और प्राकृतिक खतरों के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है और नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि केकेएनपी परियोजना ५ और ६ का सुरक्षा मूल्यांकन क्या रहा है। यदि इसका खुलासा किया जाता है और कोई कमी बताई जाती है, तो कुछ सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो सकती है। परमाणु रिएक्टरों से संबंधित आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कारकों के गंभीर प्रभावों को देखते हुए केकेएनपी परियोजना की सुरक्षा मूल्यांकन की रिपोर्ट का खुलासा करने में एक बड़ी सार्वजनिक रुचि है। साइट मूल्यांकन और सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा नागरिकों को पर्यावरण और सुरक्षा चिंताओं सहित केकेएनपी परियोजना की समग्र समझ प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि सरकार नीतिगत निर्णय लेते समय राष्ट्र के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होती है। हालाँकि, एक लोकतंत्र में, सरकार के स्वामी नागरिक होते हैं। एक तर्क है कि लोक सेवक स्वामी को शामिल किए बिना नीतिगत मामलों का फैसला करेंगे। सरकार समय–समय पर विभिन्न आयोगों, समितियों और पैनलों का गठन करती है जो राष्ट्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करते हैं और उसी के लिए समाधान और सिफारिशें प्रदान करते हैं। सरकार ऐसे पैनल, समितियां, आयोग या समूह बनाती है और उन सदस्यों का चयन करती है जिनकी विशेषज्ञता और ज्ञान को इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्र की चिंताओं को दूर करने के लिए इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार को इस तरह की सलाह की आवश्यकता दिखाई देती है और इसकी संरचना पर कुछ विचार किया जाता है, ताकि इसके निष्कर्ष महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकें। नागरिक व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र के संप्रभु हैं और यह उनका धन है जिसका उपयोग ऐसे आयोगों, समितियों और पैनलों के गठन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यदि ऐसी रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाता है, तो नागरिकों के विचारों और चिंताओं को

वैज्ञानिक और उचित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अन्यथा, नागरिक यह मानेंगे कि सरकार के निर्णय मनमाने या भ्रष्ट हैं। इस तरह के भरोसे की कमी कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं होगी।

आरटीआई अधिनियम उपरोक्त जनादेश को मान्यता देता है और धारा 4 में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को ''इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए एक वैधानिक निर्देश शामिल करता है, ताकि जनता के पास सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग एक न्यूनतम सहारा हो। अधिक विशेष रूप से, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण– ''महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें''। ऊपर से यह इस प्रकार है कि नागरिकों को सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार है, जिसे जनता के पैसे से तैयार किया गया है।

पीआईओ ने अधिनियम की धारा 19(5) की अपेक्षा के अनुसार धारा 8(1)(ए) के संदर्भ में सूचना को अस्वीकार करने को उचित नहीं ठहराया है। उन्होंने शुरू में अपीलकर्ता को कोई तर्क नहीं दिया और न ही आयोग को सुनवाई के दौरान कोई ठोस स्पष्टीकरण दिया। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) में कहा गया है, ''आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 में किसी भी चीज के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक हो''। आयोग का विचार है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के खंडन को स्थापित नहीं किया गया है, और निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित है। धारा 8 (1) (डी) को आकर्षित किया जा सकता है यदि उक्त रिपोर्ट में संयंत्र के डिजाइन का विवरण जो जो विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। उस घटना में पीआईओ ऐसे डिजाइन विवरण को पृथक कर सकता है जो अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है।

अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि यूएसए, यूके और कनाडा में, सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट नागरिकों के उपयोग के लिए सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड की जाती हैं। जहां दुनिया भर में, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की साइट मूल्यांकन और सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जा रहा है, भारत के पास अपने नागरिकों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर डालने वाली सूचना के प्रकटीकरण के लिए तैयार किया गया है, और भारत को इसका पालन करने का कठोर प्रयास करना चाहिए।

नागरिक व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र के संप्रभु हैं और उनके धन का उपयोग एजेंसियों के गठन के लिए किया जाता है जो एक परमाणु संयंत्र के साइट मूल्यांकन और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए नागरिकों के लिए इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्टों के बारे में जानना अनिवार्य है। इसके अलावा, ऐसी रिपोर्टें नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि उनका सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।

इसलिए, यह उचित ही है कि नागरिक इस पर अपने विचार व्यक्त करें। भले ही सरकार निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेती है, नीति बनाने और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में उनके महत्व को मनमाने ढंग से अवहेलना नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाता है, तो नागरिकों के विचारों और चिंताओं को वैज्ञानिक और उचित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। यदि सरकार के पास रिपोर्टों को नजरअंदाज करने के कारण हैं, तो उन्हें तार्किक रूप से लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। अन्यथा, नागरिक यह मानेंगे कि सरकार के निर्णय मनमाने या भ्रष्ट हैं। इस तरह के भरोसे की कमी कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं होगी।

रिपोर्ट का प्रकटीकरण पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं सहित केकेएनपी परियोजना की समग्र समझ के बारे में नागरिकों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा। यह नागरिकों को उक्त रिपोर्ट में उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम बनाएगा। इस तरह की राय सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रदान की गई विश्वसनीय सूचना पर आधारित होगी। यह नागरिकों के बीच उनकेध्सार्वजनिक धन से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर एक सूचित चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। प्रतिवादी–सार्वजनिक प्राधिकरण के पारदर्शी होने की अनिच्छा से नागरिकों को यह आभास होने की संभावना है कि अधिकांश निर्णय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक गंभीर विश्वास की कमी होती है। यह हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बाधित करता है और इस धारणा को बदलने का सही तरीका पारदर्शी बनना है। इस तरह के कदम से सरकार और उसके पदाधिकारियों में केवल अधिक विश्वास आएगा, और केवल भ्रष्ट लोगों को चोट पहुंचेगी। यह निम्नानुसार है कि केकेएनपी प्लांट I और II की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) के आदेश के अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती तर्क इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि परमाणु संयंत्र स्थापित करने से पहले विभाग द्वारा तैयार की गई सभी सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को धारा 4 (1) (सी) और (सी) और (क) 4(2) के साथ पढ़ें। यदि इस तरह की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को आरटीआई अधिनियम के अनुसार छूट दी गई है, तो यह कहा जाना चाहिए और इस तरह के विच्छेद के कारणों को प्रदान करने के बाद छूट वाले हिस्सों को अलग किया जा सकता है। इस तरह की प्रथा आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार होगी और इसके परिणामस्वरूप सरकार और उसके कार्यों में अधिक विश्वास होगा। अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 25 मई, 2012 से पहले अपीलकर्ता को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए डिजाइनों के किसी भी मालिकाना विवरण को अलग करने के बाद सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट की एक सत्यापित फोटोकॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, पीआईओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट 30 मई, 2012 से पहले वेबसाइट पर डाल दी जाए।

आयोग का निर्देश है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, परमाणु संयंत्र स्थापित करने से पहले विभाग द्वारा तैयार की गई सभी सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर प्रकाशित करेगा, जब तक कि ऐसा महसूस न हो कि ऐसी रिपोर्ट का कोई हिस्सा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) या 9 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्राप्त है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि किसी भी हिस्से को छूट दी गई है, तो छूट का दावा करने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए और प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर वेबसाइट पर प्रदर्शित रिपोर्ट को छूट के लिए दावा किए गए हिस्सों को अलग करने के बाद प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वेबसाइट पर जिन हिस्सों को काटा गया है, और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट का दावा करने के कारणों के बारे में एक घोषणा होनी चाहिए। यह निर्देश आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(b)(iii) के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को दिया जा रहा है।

यह निर्णय पार्टियों को निःशुल्क दिया जा रहा है।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2012

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।) (एसएस)

12. यदि सूचना से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप यह कहकर छूट का दावा करता है कि मामला धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत न्यायाधीन है।

धारा 8(1)(बी) के लिएः यदि सूचना को धारा 8(1)(बी) के आधार पर यह कहते हुए छूट का दावा करने से इनकार किया जाता है कि मामला न्यायाधीन है।

अपील के लिए आधारः छूट के लिए यह दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कानून ''ऐसी सूचना को छूट देता है जिसे किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है''।

कानून यह नहीं कहता है कि न्यायाधीन मामलों की सूचना छूट प्राप्त है। छूट के लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है कि एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए जिसमें कहा

गया हो कि कुछ सूचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय या न्यायाधिकरण से इस तरह के एक विशिष्ट आदेश की अनुपस्थिति में, सूचना से इनकार नहीं किया जा सकता है और प्रदान किया जाना चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई विशिष्ट आदेश था तो उसे उल्लेखित और उद्धृत किया जाना चाहिए था।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहता/चाहती हूं या

2. मैं वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहूंगा/चाहूंगी, या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता/चाहती और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता/करती हूं।

राहत की मांगः कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। धारा 7 (6) के अनुसार उसे निःशुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें

संलग्न सीआईसी आदेश संख्या 16954.

अनुलग्नक 12.1

श्री तरुण नाग बनाम स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ... 19 जनवरी, 2012

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/003224/16954

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/003224

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता	:	श्री तरुण नाग 5/52, आजाद गढ़, कोलकाता–700040
प्रतिवादी	:	श्री डॉ. एम. एफ. ए. बेग

पीआईओ एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला
03–केवाईडी स्ट्रीट,
कोलकाता 700016

आरटीआई आवेदन : 30/06/2011 को दायर
आरटीआई आवेदन हस्तांतरितः 20/07/2011
पीआईओ ने उत्तर दियाः उल्लेख नहीं किया गया।
पहली अपील दायर की गईः 21/09/2011
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 14/10/2011
दूसरी अपील : 15/11/2011 को प्राप्त हुई

मांगी गई सूचना :

1. 'जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर' केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता की विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही का विवरण। उस पद के लिए डीपीसी में श्री तारित कुमार अधिकारी पर विचार किया गया था।

2. केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक के कार्यालय, 3, केवाईडी स्ट्रीट, कोलकाता–700016, और डीसीजीआई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच भेजे गए कुल पत्र। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली–11002 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायता (जीवाणु विज्ञान) के पद से संबंधित और 1994 से अब तक के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी)।

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा आरटीआई आवेदन का हस्तांतरणः

पीआईओ ने आवेदन को निदेशक, केंद्रीय औषधि एजेंसी, कोलकाता को निर्देशित किया ताकि आवेदक को सूचना के साथ जवाब दिया जा सके और आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा प्रदान की गई अधूरी और असंतोषजनक सूचना ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

एफएए ने आदेश दिया कि मामला न्यायाधीन होने के कारण मांगी गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक, सीडीएल, कोलकाता ने सूचित किया है कि विषय वस्तु 2011 के ओए नंबर 504 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ के समक्ष विचाराधीन है और 2011 की डब्ल्यूपीसीटी संख्या 265 माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा (8 (1) (बी) के प्रावधानों को आकर्षित करता है।

दूसरी अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा प्रदान की गई अधूरी और असंतोषजनक सूचना और एफएए द्वारा अपील का अनुचित निपटान।

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ताः सुश्री लीना झा एनआईसी–कोलकाता स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री तरुण नाग का प्रतिनिधित्व करती हैं

प्रतिवादीः श्री डॉ एम एफ ए बेग, पीआईओ और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एनआईसी–कोलकाता स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर।

प्रतिवादी ने इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया है कि यह मामला कैट, कोलकाता पीठ और कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। कार्यसाधक रूप में पीआईओ ने कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन है, वह आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत छूट का दावा कर रहा है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(बी) से छूट मिलती है, ''ऐसी सूचना जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है।'' यह स्पष्ट रूप से उन सभी मामलों पर लागू नहीं होता है जो विचाराधीन हैं। यदि संसद विचाराधीन मामलों को छूट देना चाहती है तो वह स्पष्ट रूप से ऐसा कह सकती है। इस घटना में पीआईओ ने अपने दिमाग को ठीक से लागू नहीं किया है और ऐसी सूचना से इनकार किया है जो छूट प्राप्त नहीं है। पीआईओ को यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी जाती है कि जब तक कानून में स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक सूचना से इनकार नहीं किया जाता है।

निर्णय

अपील की अनुमति है।

लोक सूचना अधिकारी को 10 फरवरी 2012 से पहले अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
19 जनवरी 2012

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)(एसएच)

13. धारा 8(1)(ब) के अंतर्गत छूट बताते हुए सूचना देने से मना करने पर अपील का प्रारूप

अपील के लिए आधारः

धारा 8 (1) (सी) केवल ऐसी ''सूचनाओं को छूट देती है, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा''य

यह प्राथमिक रूप से लागू होगा जहां कुछ सूचना जैसे संसद या विधानमंडल को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कानूनी शर्त है। यह प्रावधान तब भी लागू होगा जब विधायिका द्वारा कुछ सूचना को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करने से बचने या संसद या विधानमंडल की कुछ कार्यवाही को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए एक विशिष्ट आदेश दिया गया हो।

पीआईओ को यह बताना चाहिए कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कैसे किया गया। यदि यह जांच आयोग की रिपोर्ट है जिसे जांच आयोग अधिनियम के अनुसार छह महीने के भीतर संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाना है, तो मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, कि आयोगों की धारा 3 (4) के अनुसार जांच अधिनियम की रिपोर्ट छह महीने के भीतर विधायिका में पेश की जानी है। यदि छह महीने की अवधि बीत चुकी है तो विशेषाधिकार का उल्लंघन हो चुका है और इस छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

अन्य मामलों में पीआईओ को यह दिखाना होगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कैसे किया गया और अपने दावे का समर्थन करने के लिए सबूत दिखाएं। अन्यथा, छूट का दावा लागू नहीं हो सकता।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सूचना मुफ्त भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है। फिर भी यदि आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में मेरे तर्कों को स्वीकार न करने के बिंदुवार कारणों का उल्लेख करें।

मैं इस विषय पर सीआईसी की आदेश संख्या 12498 संलग्न कर रहा हूँ।

विषय पर सीआईसी आदेश निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000375/एसजी/12498 संलग्न है।

अनुलग्नक 13.1

श्रीमती अनीता छाबड़ा बनाम भारत की संसद, 24 मई, 2011
केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000375/एसजी/12498
अपील संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/000375/एसजी
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्रीमती अनीता छाबड़ा पत्नी श्री राकेश कुमार छाबड़ा, मकान नंबर 19, टाइप–3, सेक्टर–1, सादिक नगर, नई दिल्ली
प्रतिवादी	:	श्री दीपक गोयल संयुक्त सचिव एवं एफएए भारत की संसद राज्य सभा सचिवालय, संसद भवनध्उप–भवन, नई दिल्ली

आरटीआई आवेदन : 13/05/2010 को दायर

पीआईओ ने उत्तर दियाः 07/06/2010

पहली अपील : 23/06/2010 को दायर की गई

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेशः——————————

द्वितीय अपील प्राप्त हुई : 09/02/2011

मांगी गई सूचना :

1. केंद्रीय सूचना आयोग के प्रति दिसंबर 2009 से संसद के प्रश्नकर्ताओं के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा के रूप में संसद सदस्य और इस मंत्रालय द्वारा पूछे गए प्रश्न और उत्तर की प्रतियां प्रदान करें। कितने प्रश्न अस्वीकृत या अनुत्तरित या व्यपगत हुए। कितने स्वीकृत हुए।

2. यदि राज्यसभा की कार्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत उपरोक्त प्रश्नों को प्रकट करने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे आदेशों की प्रतियां प्रदान करें जिनके द्वारा इसे प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

3. सभी संचार पत्र प्रदान करें जिनके द्वारा मेरे दो पत्रों 06.03.2010 और 29.04.2010 की सूचना का खुलासा करने की अनुमति नहीं थी। उन टिप्पणियों/आंतरिक पत्राचार/आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिनके द्वारा सूचना का खुलासा न करने के बारे में सोचा गया था।

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का उत्तरः

प्रश्नों के संबंध में सूचना वेबसाइट ू.तंरलेंईं.दपब.पद पर उपलब्ध है। जहां तक अनुमतियोंध्आदेशों आदि की प्रतियों का संबंध है, पीआईओ ने कहा था कि ये आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ ने पूरी सूचना नहीं दी है। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(सी) का उपयोग कर सूचना से इनकार किया गया था।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

उल्लेख नहीं है।

दूसरी अपील का आधारः

पीआईओ ने पूरी सूचना नहीं दी है। इसके अलावा पीआईओ ने गलत तरीके से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) को अनावश्यक रूप से लागू किया है

प्रासंगिक तथ्य

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्रीमती अनीता छाबड़ा प्रतिवादीः श्री दीपक गोयल, संयुक्त सचिव एवं एफएएय

अपीलकर्ता ने राज्यसभा में सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों की सूचना मांगी है। अपीलकर्ता ने उन प्रश्नों की प्रतियां और नोट शीट भी मांगी हैं जो सदन में नहीं रखी गई थीं। पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत छूट का दावा करते हुए इस सूचना से इनकार

किया है। पीआईओ ने निरूपित किया है कि राज्य सभा सचिवालय राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अंतर्गत प्रश्नों की जांच करता है। पीआईओ का तर्क है कि यह राज्यसभा के माननीय सभापति की ओर से किया जाता है। इसलिए वह कहता है कि, ''सचिवालय जब यह काम कर रहा है तो वह राज्यसभा के सभापति की ओर से है। इसके अलावा, राज्य सभा के सदस्य से प्राप्त इस तरह के नोटिस पर निर्णय राज्य सभा प्रक्रिया के नियमों के अनुसार लिया जाता है और इस प्रक्रिया में सचिवालय माननीय सभापति राज्य सभा की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर रहा है। उक्त नियमों के संदर्भ में लिए गए निर्णय विशेषाधिकार प्राप्त हैं और सार्वजनिक डोमेन में प्रकटीकरण से सुरक्षित हैं। सदन के कामकाज पर नियंत्रण सदन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है और यह संसद का विशेषाधिकार है। ऐसा होने पर, सदन के कार्य के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रकट करना उचित नहीं समझा जाता है।''

जन सूचना अधिकारी का तर्क यह है कि चूंकि सचिवालय को कुछ कार्य सौंपे गए हैं, इसलिए संसद विशेषाधिकार का संरक्षण सचिवालय तक बढ़ा दिया गया है। यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है लेकिन अगर इसे स्वीकार किया जाना है, तो कुछ निकायों को दी जाने वाली विभिन्न सुरक्षा को अपने इच्छित उद्देश्य से कहीं अधिक बढ़ाया जाएगा। इस स्तर पर आयोग यह याद कर सकता है कि न्यायमूर्ति मैथ्यू ने 1975 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अपने फैसले में क्या कहा था। ''हमारी जैसी जिम्मेदारी वाली सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, कुछ रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य, हर चीज को जानने का अधिकार है जो सार्वजनिक तरीके से, उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे हर सार्वजनिक लेनदेन के विवरण को उसके सभी असर में जानने के हकदार हैं। जानने का अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से प्राप्त होता है, हालांकि पूर्ण नहीं, एक ऐसा कारक है जिसे तब सतर्क बनाना चाहिए, जब लेन–देन के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है, जो किसी भी दर पर, सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई असर नहीं डाल सकता है। गोपनीयता के पर्दे के साथ कवर करने के लिए, सामान्य नियमित कार्य, जनता के हित में नहीं है। ऐसी गोपनीयता शायद ही कभी वैध रूप से वांछित हो सकती है। यह आम तौर पर पार्टियों और राजनीति या व्यक्तिगत स्वार्थ या नौकरशाही दिनचर्या के उद्देश्य के लिए वांछित है। अधिकारियों की जिम्मेदारी समझाने और उनके कृत्यों को सही ठहराने के लिए उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य सुरक्षा है।''

क्या नागरिक को सूचना देने से इनकार करना वैध रूप से किया गया है, यह वह प्रश्न है जिस पर आयोग को विचार करना है। जब कोई संस्था या व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकार से इनकार करता है तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि, लोकतंत्र को ठीक से काम करने के लिए संसद की महिमा और विशेषाधिकार का भी समान देखभाल के साथ सम्मान किया जाना चाहिए। यह आयोग महसूस करता है कि संसदीय विशेषाधिकार का कोई सटीक संहिताकरण नहीं है। इसे देखते हुए आयोग राज्य सभा के सभापति से इस पर विचार करने का अनुरोध करता है कि क्या यह सूचना देना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा। यदि माननीय सभापति इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह सूचना देना संसद के विशेषाधिकार का हनन नहीं होगा तो लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। यदि अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सूचना प्रदान करना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा तो अपीलकर्ता को तदनुसार पीआईओ द्वारा सूचित किया जाएगा।

अपीलकर्ता का आरोप है कि हितों का टकराव हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उसे पीआईओ, एफएए और आयोग से उचित निर्णय नहीं मिल रहा है। आयोग को अपीलकर्ता के आरोप में कोई दम नजर नहीं आ रहा है।

निर्णयः

अपील की अनुमति है।

लोक सूचना अधिकारी को इस आदेश की एक प्रति के साथ इस अनुरोध को राज्य सभा के माननीय सभापति को भेजने और सभापति द्वारा दिए गए निर्णय के 30 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
24 मई 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)

14. धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली सूचना को अस्वीकार करने पर अपील का प्रारूप

अपील के लिए आधारः

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) स्पष्ट रूप से केवल ऐसी सूचनाओं को छूट देती है जिनमें ''वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल है, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की आवश्यकता हैय

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि यह 'वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा' है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण 'तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा'। इसका मतलब यह होगा कि यदि विशेष सूचना दी गई थी जिसे एक व्यापार रहस्य या व्यावसायिक विश्वास के रूप में पहचाना जा सकता है और इसके प्रकटीकरण से इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, तो आवेदक को ऐसी सूचना से इनकार किया जा सकता है।

यह कल्पना करना असंभव है कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण से किसी के प्रतिस्पर्धी हित को कैसे नुकसान होगा। यह मानते हुए कि यह इस तरह के नुकसान का कारण बन सकता है, यह साबित करने के लिए पीआईओ पर निर्भर है कि सूचना कैसे प्रकटीकरण के कारण होने वाले तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी हित के नुकसान के इस परीक्षण को योग्य बनाती है। इस छूट को लागू करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि सूचना वाणिज्यिक विश्वास की प्रकृति की है और प्रकटीकरण तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी हित को नुकसान पहुंचाएगा।

किसी भी तरह से किसी के प्रतिस्पर्धी हित को ठेस नहीं पहुंचेगी। पीआईओ को यह पहचानना चाहिए कि किसका प्रतिस्पर्धी हित प्रभावित होगा और इसे कैसे नुकसान हो सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

ख्आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें:

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सूचना मुफ्त भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

विषय पर सीआईसी आदेश निर्णय संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/ए/2007/00830/एसजी/1286 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002516/6514 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/003582/ 11424 संलग्न

अनुलग्नक 14.1

केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 415, चौथी मंजिल, ब्लॉक प्ट,
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110 066।
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/ए/2007/00830/एसजी/ 1286
अपील संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/ए/2007/00830
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता : गीता दीवान वर्मा
1356 डी–आई, वसंत कुंज,
नई दिल्ली–110070

प्रतिवादी : अतिरिक्त सचिव (यूडी)
दिल्ली एनसीटी की सरकार
10वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय,
आईपीएस्टेट, नई दिल्ली–110002
आरटीआई दायर : 23/04/2007

पीआईओ ने उत्तर दियाः 03/05/2007
पहली अपील : 04/06/2007 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 16/07/2007
द्वितीय अपील : 25/07/2007 को दायर
आवश्यक सूचना का विवरणः

आवश्यक सूचना का विवरण	पीआईओ ने उत्तर दिया	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने उत्तर दिया
1. निजी प्रकाशन के लिए प्रमाणीकरण पत्र और प्राधिकरण के साथ दिल्ली सरकार के सीडीपी की सीडी पर प्रतिलिपि।	सीडीपी इस विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसलिए, निजी प्रकाशन के लिए यह उचित नहीं है। सीडीपी की प्रति निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद प्राप्त की जा सकती है।	''मामले के रिकॉर्ड और अपीलकर्ता की अपील को देखने के बाद, मेरी राय है कि अपीलकर्ता को पत्र दिनांक 22/06/2007 के माध्यम से पहले से ही सूचित किए जाने के अलावा और कुछ भी प्रदान नहीं किया जा सकता था।

		उपरोक्त के आलोक में अपील निस्तारित की जाती है।
2. सीडीपी के अनुलग्नक – 15.3 में ''सीडीपी कार्यशाला के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की सूची'' में 102 व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए, आमंत्रित करने के निर्णय से संबंधित सूचना (इसी तरह योग्य/अनुभवी/स्थित अन्य लोगों को वरीयता देने के निर्णय सहित)।	परामर्श कार्यशाला के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने के संबंध में मैसर्स आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड द्वारा सीडीपी की तैयारी के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। फर्म कार्यशाला के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र थी। यह आपको आमंत्रित न करने का एक कारण हो सकता है कि फर्म आपके बारे में अनजान थी।	
3. आईएल एंड एफएस के अलावा उनमें से प्रत्येक के लिए जिन्होंने सीडीपी निविदा का जवाब दिया कज. 23/02/06 सीडीपी के अध्याय 15 में वर्णित परामर्श प्रक्रिया में शामिल होने/शामिल न करने के निर्णय से संबंधित सूचना। (मैं विशेष रूप से मुझे आमंत्रित नहीं करने के निर्णय से संबंधित पूरी सूचना का अनुरोध करता हूं। सीडीपी निविदा के प्रति मेरी प्रतिक्रिया का पाठ नीचे बॉक्स में है)।	बिंदु 2 . के रूप में	
4 सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (जिनके निदेशक का नाम 65 पर है) के अलावा अनुलग्नक–15.3 में 102 आमंत्रितों की सूची में नामित	बिंदु 2 और 3 के रूप में	

अन्य सभी की सूची, जिन्होंने प्रकाशन प्राधिकरण के साथ और बिना सीडीपी की प्रतियां दी हैं।		
5. विवरण (तिथि, संख्या, से, विषय तक)/निम्नलिखित की प्रतियां: ए) आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड को सीडीपी कमीशन पत्र। बी) पत्र जिसके द्वारा आईएल एंड एफएस ने शहरी विभाग को अंतिम सीडीपी प्रस्तुत किया। विभाग सी) पत्र/ओएम जिसके द्वारा विभाग ने राज्य सरकार की मंजूरी के लिए सीडीपी प्रस्तुत की। डी) संकल्प/ओएम जिसके द्वारा राज्य सरकार ने सीडीपी मंजूर की ई) पत्र जिसके द्वारा राज्य सरकार ने भारत सरकार को सीडीपी प्रेषित की	निम्नलिखित का विवरण/प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं: ए, बी, सी, डी, ई,।	
6. सीडीपी के आधिकारिक प्रकाशन का विवरण।	सीडीपी दिल्ली इस विभाग की वेबसाइट www-delhigovt-nic-in/dept/ud/index-asp पर उपलब्ध है। अतः आवेदक को नियमानुसार शुल्क जमा कर सूचना दी जाए।	

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ता : गीता दीवान वर्मा

प्रतिवादी : श्री हंसराज पीआईओ श्री एस.के. सक्सेना और श्री मनोज कुमार

पहली सुनवाई 5 नवंबर, 2008 को हुई थी, जब अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करते हुए सुनवाई को 14 नवंबर, 2008 को दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

14 नवंबर, 2008 को निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः गीता दीवान वर्मा

प्रतिवादीः श्री हंसराज पीआईओ श्री एस.के. सक्सेना और श्री मनोज कुमार

पृष्ठ 3 पर अपीलकर्ता की दूसरी अपील में पहचाने गए प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैंः

क्या जीएनसीटीडी और सीडीपी सलाहकार के बीच समझौता धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत आता है या यह मेरे अनुरोध संख्या के पूर्ण उत्तर के लिए कार्य आदेश (अनुबंध की निरंतरता के आधार पर) के साथ दिया जा सकता था। 5 ('आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड को सीडीपी कमीशनिंग पत्र') ?

= आयोग ने प्रतिवादी को हमारी धारा 8(1)(डी) को सही ठहराने के लिए कहा जो जीएनसीटीडी और सीडीपी सलाहकारों के बीच समझौते पर लागू होगी। प्रतिवादी ने कहा कि समझौते ऐसे मामले हैं जहां सलाहकार की व्यावसायिक सूचना साझा की जाती है। आयोग ने प्रतिवादी से इस छूट का उपयोग करने के समर्थन में अपने तर्क देते हुए एक नोट देने को कहा। आयोग ने इस छूट को उतना स्पष्ट नहीं देखा जितना प्रतिवादी ने बताया था। इसके अलावा प्रतिवादी ने कोई तर्क नहीं दिया है कि इस मामले में धारा 8(1)(डी) कैसे लागू होती है।

क्या भुगतान के विभिन्न चरणों के लिए सीडीपी सलाहकार प्रस्तुतियाँ धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत आती हैं या मेरे अनुरोध संख्या 5बी ('पत्र जिसके द्वारा आईएल एवं एफएस ने अंतिम सीडीपी प्रस्तुत किया') के उत्तर में प्रतियां/विवरण दिए गए हैं?

= अपीलकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या विभिन्न निवेदनों से जुड़े कवरिंग पत्र थे। आयोग को पीआईओ से किसी भी प्रस्तुति के साथ कवरिंग लेटर की आपूर्ति करने के लिए कहा जाता है। यदि कुछ निवेदनों के साथ कोई कवरिंग लेटर नहीं है तो इसे स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

क्या 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना (जिसके द्वारा इसकी बैठक के लिए नोटिस प्रस्तुत करने का माध्यम है और अपुष्ट कार्यवृत्तों में इसका 'पृष्ठांकन' अनुमोदन है) धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत आती है और क्या यह मेरे अनुरोध संख्या 5 सी, डी एवं ई के पूर्ण उत्तर के लिए दी जानी चाहिए थी (सीडीपी के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन के रिकॉर्ड)

= पीआईओ को अपीलकर्ता को सूचना देने के लिए कहा गया है कि क्या राज्य स्तरीय संचालन समिति के लिए कोई लिखित प्रक्रिया है। यदि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है तो पीआईओ इसे स्पष्ट रूप से बताएगा।

क्या जीएनसीटीडी धारा 2(एफ) के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए बाध्य था और मेरे अनुरोध संख्या 2 और 3 पर ''प्रत्येक के लिए'' सूचना की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था, जिसे सभी के

बारे में सामान्य टिप्पणियों के बजाय ईओआईध्स्वयं से परामर्श या प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि दिया गया है?

= पीआईओ को आईएल एंड एफएस को पत्र भेजने के लिए कहा गया है जिसमें पूछा गया है कि क्या कोई लिखित मानदंड था जिसके द्वारा प्रतिभागियों को वर्क शॉप के लिए चुना गया था या अस्वीकार कर दिया गया था और अपीलकर्ता को जवाब प्रदान किया गया था।

क्या सीडी पर सीडीपी की आपूर्ति ''शर्त के अधीन'' बिना किसी प्रकाशन के (मेरे लिए) समान ''प्रकाशन प्राधिकरण के बिना'' (सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी को, जिसकी वेबसाइट पर सीडीपी प्रकाशित है और जिसने सीडी पर आगे की प्रतियां भी वितरित की हैं) और, यदि सीडीपी कॉपीराइट ''सरकार के पास है'', तो क्या सीडी पर कॉपी को धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत (सभी के लिए) अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए?

= अपीलकर्ता के इस सवाल पर कि पीआईओ को उसे दी गई सीडी को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करने के लिए एक उत्तर देना चाहिए, उसे अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित सूचना के अनुरोध के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता वास्तव में पीआईओ से निर्णय लेने की मांग कर रही है और जिस तरह से उसने इसे कहा है, उसे अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

पीआईओ को अपीलकर्ता को ए, बी, सी एंड डी के जवाब 30 नवंबर, 2008 तक आयोग को चिह्नित एक प्रति के साथ भेजने के लिए कहा गया है। अपीलकर्ता 10 दिसंबर, 2008 तक आयोग और प्रतिवादी को प्रत्युत्तर भेज सकता है। इसके बाद आयोग द्वारा अंतिम रूप से इस मामले पर फैसला किया जाएगा।

इसकी सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

27 जनवरी 2009 को निर्णयः

जैसा कि आयोग ने 14 नवंबर 2008 के अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था, प्रतिवादी ने सभी चार बिंदुओं पर लिखित अनुरोध दिया था। अपीलकर्ता ने अपना जवाब भी दिया है।

अपीलार्थी को उसके प्रत्युत्तर के अनुसार बिंदु बी), सी) और डी) पर सूचना दी गई है।

बिंदु ए) पर प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत छूट का दावा किया। अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) में कहा गया हैः

''व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना , जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की अपेक्षा करता हैय''

अपने लिखित निवेदन दिनांक 28ध11ध2008 में, प्रतिवादी ने अपना रुख दोहराया है और कहा है कि

"आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के अनुसार, किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना देने का कोई दायित्व नहीं है, जिसके प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धी स्थिति के प्रतियोगी को नुकसान हो सकता है। आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत दिल्ली शहर के विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य और कारण प्रदान करने वाली योजना तैयार करने के लिए, जिसकी

एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई थी, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध सलाहकार की दस फर्मों में से एक है, जिसने नौकरी के लिए आवेदन किया है और प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उक्त समझौते के नियम और शर्तों को बातचीत के बाद तय किया गया था। अन्य कंसल्टेंसी फर्म द्वारा पेश किए गए नियमों की तुलना में ये नियम और शर्तें सरकार के लिए अधिक अनुकूल थीं। यदि ऐसी शर्तों को सार्वजनिक किया जाता है, तो फर्म को किसी अन्य वैसी ही नौकरी के मामले में शर्तों पर बातचीत करने में नुकसान हो सकता है जिसके लिए वह भविष्य में प्रतिस्पर्धी हो सकता है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को समझौते की प्रति से इनकार किया गया था। आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड गोपनीयता के लिए बाध्य था कि वह किसी भी समय, सरकार की सहमति के बिना, संदर्भ की शर्तों में से एक के रूप में इसके द्वारा तैयार की गई शहर विकास योजनाओं के बारे में किसी भी सूचना का खुलासा या रहस्योद्घाटन या सार्वजनिक नहीं करेगा। इसलिए, पारस्परिकता के संकेत के रूप में, शहरी विकास विभाग ने भी खुद को नैतिक रूप से बाध्य माना कि वे समझौते पर किसी भी सूचना का खुलासा न करें, जो परामर्श फर्म के हित को नुकसान पहुंचा सकता है।

यद्यपि आयोग का विचार है कि प्रतिवादी द्वारा लिया गया आधार कानून में मान्य नहीं है।

पीआईओ का तर्क है कि 'यदि ऐसी शर्तों को सार्वजनिक किया जाता है, तो फर्म को किसी अन्य समान नौकरी के मामले में शर्तों पर बातचीत करने में नुकसान हो सकता है जिसके लिए वह भविष्य में प्रतिस्पर्धी हो सकता है।' यह किसी भी तर्क से समर्थित नहीं है। यदि शर्तें सार्वजनिक हित में नहीं हैं, तो इस तर्क का इस्तेमाल भ्रष्ट सौदों और समझौतों को छिपाने के लिए किया जा सकता है जो सार्वजनिक हित के खिलाफ हैं। यदि हम यह तर्क भी लें कि लोक प्राधिकरण द्वारा कुछ बहुत ही अनुकूल शर्तें प्राप्त की गई हैं, तो निश्चित रूप से इनका खुलासा करने में एक बड़ा सार्वजनिक हित है, ताकि सार्वजनिक प्राधिकरण को दूसरों से भी ऐसी अनुकूल शर्तें मिल सकें। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को रोकना है। अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर दिया जाएगा यदि सार्वजनिक प्राधिकरण इस दावे के आधार पर छूट का दावा करते हैं कि 'नियम और शर्तें सरकार के लिए अधिक अनुकूल थीं', और इसलिए इन्हें जनता से दूर रखा जाना चाहिए। वास्तव में जनता को लगता है कि अक्सर मामला इसके विपरीत होता है। नागरिक सरकार के मालिक हैं और सारी सूचना उन्हीं की है। निजी पक्षकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के आकाओं के बीच समझौतों तक पहुंच से इनकार करने में 'व्यावसायिक विश्वास' का दावा – नागरिक – सूचना के अधिकार के सिद्धांतों के विपरीत है।

पीआईओ द्वारा दी गई सूचना का खुलासा न करने का दूसरा कारण यह है कि चूंकि आईएल एंड एफएस इकोस्मार्ट लिमिटेड अपने द्वारा तैयार की गई शहर विकास योजनाओं का खुलासा नहीं करने के लिए गोपनीयता के लिए बाध्य था, शहरी विकास विभाग ने भी पारस्परिकता के लिए बाध्य महसूस किया, इसे किसी कानून द्वारा उचित नहीं ठहराया गया है। सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम में ऐसी छूट को नहीं पढ़ सकता है जो मौजूद नहीं हो।

भारत के संविधान के अंतर्गत, जो देश का सर्वोपरि कानून है, भारत के लोग सर्वोच्च हैं और सरकार उन लोगों के कानूनी एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्होंने खुद को संविधान और उसमें निर्धारित शासन की कार्यप्रणाली दी है। सरकार द्वारा किया गया कोई भी समझौता ''हम

लोग'' की ओर से और उसके हित में किया गया एक समझौता माना जाता है, इसलिए यदि कोई नागरिक इस तरह के समझौते की सामग्री को जानना चाहता है तो वह प्रिंसिपल ने अपने एजेंट से प्रिंसिपल की ओर से एजेंट द्वारा किए गए समझौते की शर्तों का खुलासा करने की स्थिति में है। कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल को ऐसी किसी भी सूचना का खुलासा करने से मना नहीं कर सकता है। इसलिए यह समझ से बाहर है कि सरकार को सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के प्रकटीकरण के लिए नागरिकों के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहिए। इस तरह का इनकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थिर होने के अलावा स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ जाता है।

किसी भी तथाकथित काल्पनिक नैतिक या पारस्परिक दायित्व को एक गंभीर संवैधानिक और कानूनी दायित्व को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपील की अनुमति है।

आयोग ने पीआईओ को 15 फरवरी 2009 से पहले अपीलकर्ता को ''जीएनसीटीडी और सीडीपी सलाहकार के बीच समझौते'' की प्रति की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।

इसकी सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
27 जनवरी 2009

अनुलग्नक 14.2

श्री मुकेश कुमार बनाम एनडीएमसी, जीएनसीटी, दिल्ली 21 जनवरी, 2010

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002516/6514

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002516

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री मुकेश कुमार बीसी–141/ए (पूर्व), शालीमार बाग, दिल्ली – 110088
प्रतिवादी	:	श्री ए.के. जोशी जन सूचना अधिकारी और एसई (ई) एनडीएमसी, दिल्ली की जीएनसीटी विद्युत विभाग,

पालिका केंद्र, नई दिल्ली

आरटीआई आवेदन दायर : 25/04/2009

पीआईओ ने उत्तर दियाः 20/05/2009

पहली अपील : 23/06/2009 को दायर की गई

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : उल्लेख नहीं है

द्वितीय अपील प्राप्त हुईः 05/10/2009

सुनवाई की सूचना की तिथि : 15/10/2009

सुनवाई आयोजित : 23/11/2009

अपीलकर्ता ने एनडीसीसी फेज–II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के निर्माण कार्य के संबंध में सूचना मांगी थी।

क्रमांक	सूचना मांगी	पीआईओ का जवाब
1	साउंड रीनफोर्समेंट और स्टेज लाइटिंग सिस्टम के लिए उप–ठेकेदार की पूर्व–योग्यता के लिए मेसर्स डेकोर इंडिया प्रा– लिमिटेड सी 197, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली . 110024 द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां।	मेसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने किसी भी दस्तावेज/पत्राचार को पारित नहीं करने का निरूपण किया है और विभाग ने इस अनुरोध पर विचार किया है।
2	साउंड रीइनफोर्समेंट और स्टेज लाइटिंग सिस्टम के लिए उप–ठेकेदार की पूर्व–योग्यता के संबंध में एनडीएमसी और मैसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–197, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली.110024 के बीच किए गए सभी पत्राचार की प्रतियां।	आपसे अनुरोध है कि एनडीएमसी कोषागार में रु.14/– (7 नग पेज / 1/– प्रत्येक) जमा करें ताकि पत्राचार की प्रति दी जा सके।
3	ध्वनि सुदृढीकरण और स्टेज लाइटिंग सिस्टम के लिए उप–ठेकेदार की पूर्व योग्यता के संबंध में एनडीएमसी और मैसर्स राजा एडेरी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, होटल मेरीडियन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विंडसर प्लेस, जनपथ, नई दिल्ली के बीच किए गए सभी पत्राचार की प्रतियां।	

पहली अपीलः

पीआईओ ने पूरी सूचना नहीं दी।

एफएए का आदेशः

उल्लेख नहीं है

दूसरी अपील का आधारः

पीआईओ ने पूरी सूचना नहीं दी।

23 नवंबर 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

''निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : श्री मुकेश कुमार की ओर से श्री हरीश

प्रतिवादीः श्री एन.एस.सागर, जन सूचना अधिकारी और एसई (ई)

पीआईओ ने कहा है कि अपीलकर्ता ने मेसर्स डेकोर इंडिया से प्रश्न –1 में किए गए संवाद के लिए पूछा है जो निविदा प्रक्रिया के दौरान नहीं दिये गये थे और तीसरे पक्ष ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट मांगी है। आयोग को मेसर्स डेकोर इंडिया को इस मामले में सुनवाई का अवसर देना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके व्यावसायिक हित प्रभावित होने की संभावना है या नहीं।

मामला 22 दिसंबर 2009 तक के लिए स्थगित किया गया हैः

तृतीय पक्ष मैसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वाणिज्यिक हितों के इस तरह प्रभावित होने की संभावना है कि वहां पूरी स्थिति को नुकसान पहुंचे। एनडीएमसी को इसका नोटिस तीसरे पक्ष मेसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देने का निर्देश दिया गया है।

22 दिसंबर 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : श्री मुकेश कुमार की ओर से श्री हरीश

प्रतिवादीः श्री ए.के. जोशी, जन सूचना अधिकारी और अधीक्षक अभियंता (विद्युत)

तृतीय पक्षः श्री अनिल ढींगरा, प्रबंध निदेशक, डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

तृतीय पक्ष श्री अनिल ढींगरा दावा कर रहे हैं कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है। उन्होंने लिखित निवेदन और दावे दिए हैं कि दस्तावेज और अनुलग्नक उनकी कंपनी की कार्य पद्धति, रणनीति, समर्थन प्रणाली, भागीदारों, विक्रेताओं, विशेष व्यवस्था, प्रवाह चार्ट, सूत्र, चित्र आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इनका खुलासा करने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। आयोग ने श्री ढींगरा से पूछा कि क्या वह कागजात लाए थे ताकि आयोग उनके दावे का मूल्यांकन कर सके। उनका कहना है कि वह कागजात नहीं लाए हैं।

आयोग ने पीआईओ को डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 30 दिसंबर 2009 से पहले आयोग को उप–ठेकेदारों की पूर्व–योग्यता के लिए दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग तब निर्णय लेगा कि क्या सभी या कुछ दस्तावेजों को छूट दी जानी चाहिए और तीसरे पक्ष द्वारा दावा की गई श्रेणी में आना चाहिए।

अपीलकर्ता का दावा है कि वह जो दस्तावेज मांग रहा है वह निविदा दस्तावेजों का एक हिस्सा है और ये सभी निविदाकारों को दिखाए जाते हैं। पीआईओ का दावा है कि ये दस्तावेज

निविदा देने के बाद प्राप्त किए गए हैं और इसे निविदा दस्तावेजों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

तीसरे पक्ष और अपीलकर्ता चाहें तो 30 दिसंबर 2009 से पहले लिखित निवेदन भी कर सकते हैं।

पीआईओ से दस्तावेज प्राप्त करने का निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

21 जनवरी 2010 को निर्णयः

पीआईओ श्री ए के जोशी ने मेसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ध्वनि सुदृढीकरण और स्टेज प्रकाश व्यवस्था के लिए उपठेकेदार के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां भेजी हैं। इनमें डेकोर द्वारा एक कवरिंग नोट शामिल है जिसमें इसके उपठेकेदार मेसर्स एस्को ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया है। पृष्ठों की कुल संख्या 53 है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

1. ''मैसर्स सत्यम से 12, 66, 253.00 अमेरिकी डॉलर (लगभग 63 लाख रुपये) में ऑर्डर कॉपी खरीदी।
2. मैसर्स सत्यम से पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ–साथ ए–1–प्रैक्टिकल पूर्णता का प्रमाण पत्र, ए–2–अंतिम समापन का प्रमाण पत्र, ए–3– प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण पत्र, ए–4– निर्मित चित्र और संचालन के हैंडओवर का प्रमाण पत्र और रखरखाव नियमावली, ए–5– रिमोट कंट्रोल स्पेयर पार्ट्स और अन्य खुली हुई वस्तुओं के सौंपे जाने का प्रमाण पत्र।
3. मेसर्स एस्को की कंपनी प्रोफाइल जिसमें तकनीकी जनशक्ति, अनुभव और प्रासंगिक उपकरणों के प्रमुख निर्माताओं के साथ संबंध (20 पृष्ठ) टाटा (टीसीएस) से 482 लाख रुपये और इसरो 180 लाख रुपये के प्रशंसापत्र शामिल हैं) का विवरण शामिल है।
4. एस्को के सिंगापुर और एस्को इंडिया के संबंध में स्पष्टीकरणः (स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 6 और 15 अप्रैल संलग्न।)

मेसर्स एस्को के ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा आईटी, आईटीईएस और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से है, जो अपने डीम्ड एक्सपोर्टर यानी आरटीपीआईध्ईपीसीजी लाभ होने के कारण कस्टम ड्यूटी से छूट का आनंद लेते हैं। इस प्रकार, एस्को की सिंगापुर सहायक कंपनी सीधे ग्राहक को उपकरण भेजती है ताकि वे शुल्क छूट का लाभ प्राप्त कर सकें और एस्को इंडिया द्वारा स्थापना, एकीकरण कमीशनिंग और परीक्षण रखरखाव किया जाता है जो समग्र रूप से जिम्मेदार और दायित्व के रूप में होता है। इस आशय का प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न है। श्री सुनील मेहन (जिन्होंने 08.04. 2009 को एनडीएमसी को प्रस्तुति दी थी) एस्को इंडिया के साथ–साथ एस्को सिंगापुर में सामान्य निदेशक हैं।

5. एस्को की बैलेंस शीट। "

धारा 8 (1) (डी) जिसे सूचना के प्रकटीकरण के लिए छूट का दावा करने के लिए उद्धृत किया गया है, ''व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना , जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकरण संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की आवश्यकता हैय''।

वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार रहस्य में ऐसी सूचना शामिल होती है जिसे आम तौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता है और कंपनी के कुछ ऐसे विवरणों को प्रकट करेगी जो इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जब धारा 8(1)(डी) द्वारा छूट का दावा किया जाता है तो सूचना एक ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिसके सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की संभावना नहीं है और आम तौर पर जनता के लिए ज्ञात नहीं है। यह भी आवश्यक है कि किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को संरक्षित की जा रही सूचना से जोड़ा जा सके। सुनवाई के समय डेकोर के श्री अनिल ढींगरा द्वारा किया गया दावा यह था कि जिस सूचना के लिए वह छूट का दावा कर रहे थे, वह ''कंपनी की कार्यप्रणाली, रणनीति, समर्थन प्रणाली, भागीदार, विक्रेता, विशेष व्यवस्था, प्रवाह चार्ट, सूत्र, चित्र आदि थे।'' ऊपर दी गई सूची में से कोई भी सूचना उस प्रकृति की नहीं लगती जिसका दावा सुनवाई के दौरान किया गया था।

क्रमांक संख्या –1 जो कि मैसर्स सत्यम का खरीद आदेश है, 2007 का एक आदेश है और किसी भी मूल्य निर्धारण या किसी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना का विवरण नहीं देता है।

क्रमांक संख्या–2 सिर्फ कंप्लीशन प्रमाणपत्र की सूची है।

क्रमांक संख्या 3 और 4 एक प्रकृति की सूचना देते हैं जो कई कंपनियों के ब्रोशर और वेबसाइटों में उपलब्ध होने की संभावना है।

क्रमांक 5 एस्को की बैलेंस शीट कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से किसी के लिए भी उपलब्ध होगी क्योंकि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

इसलिए धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट के दावे की पुष्टि नहीं की गई है और यह पूर्व–योग्यता में दिए गए दस्तावेजों पर लागू नहीं हो सकता है। आयोग का नियम है कि मैसर्स डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा किए गए पूर्व–योग्यता दस्तावेज आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अपील की अनुमति है।

लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना अपीलार्थी को 10 फरवरी 2010 से पहले उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी

सुचना आयुक्त

अनुलग्नक 14.3

श्री मुकेश भारद्वाज बनाम शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटी, ... 11 मार्च, 2011 को

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/003582/11424
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2010/003582
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री मुकेश भारद्वाज सतगुरु 6666, आरजेड–सी–52, गोपाल नगर, रेलमास्टर फैक्ट्री के पीछे, ढासा रोड, नजफगढ़ दिल्ली – 110043।
प्रतिवादी	.:	1. श्री अंजुम मसूद जन सूचना अधिकारी मुख्यालय एवं एडीई शिक्षा निदेशालय, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार आरटीआई सेल, कमरा नंबर 220, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली–110054
	:	2. श्री नित्या नंद डीम्ड पीआईओ और एडीई (सीईपी), शिक्षा निदेशालय, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार पुराना पत्राचार भवनः लखनऊ रोड, तिमारपुर, नई दिल्ली–110054।

तृतीय पक्षः श्री शुभेंदु कर,
एप्टेक लिमिटेड, ए–37,
दूसरी मंजिल, सेक्टर –4,
नोएडा।
आरटीआई आवेदन दायर : 15/04/2010
पीआईओ ने उत्तर दियाः 15/04/2010
पहली अपील : 25/08/2010 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 27/11/2010
दूसरी अपील : 15/12/2010 . को प्राप्त हुई

मांगी गई सूचना :

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली सचिवालय को सूचित किया गया है कि 428 प्रयोगशालायें कार्यशील हैं और शेष जल्द ही चालू हो जाएंगी लेकिन उसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि 69 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं चालू थीं।

सूचना चाहिए

1– कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत स्पष्टीकरण की प्रति पत्र एफ–डीई–45ध17ध2004ध7402–04 दिनांक 2–11–2004।

2– जिस तारीख को स्पष्टीकरण दिया गया था।

3– पत्र एफ–डीई–45/17/2004/7402–04 दिनांक 2–11–2004 में प्रत्यारोपण एजेंसी के गलत बयानी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।

4– एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी पर लगाए गए दंड का विवरण शिक्षा निदेशालय के पक्ष में नहीं था।

5– बिन्दु 4 पर लगने वाले जुर्माने की राशि का विवरण

यदि जुर्माना नहीं लगाया तो

बी.1– कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पत्र एफ डीई 45/17/2004/6884–86 दिनांक 1–11–2004 पर प्रस्तुत स्पष्टीकरण की प्रति।

ठ.2– प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की तिथि।

बी.3– पत्र एफ डीई 45/17/2004/6884–86 दिनांक 1–11–2004 पर की गई कार्रवाई।

सी.1–कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शिक्षा निदेशालय को भेजे गए उत्तर की प्रति पत्र संख्या डीई45(652)/वीई/सीईपी/2002–03/बिन्दु फाइल 5921दिनांक 14–10–2004।

सी.2–एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी पर लगाए गए दंड का विवरण शिक्षा निदेशालय द्वारा पसंद नहीं किया गया था।

सी.3–बिंदु 4 पर लगाए गए जुर्माने की राशि का विवरण।

पीआईओ का जवाब (संलग्न नहीं)

1–5. यह तीसरे पक्ष की सूचना है इसलिए संबंधित एजेंसी से एनओसी की आवश्यकता है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या पीआईओ द्वारा एनओसी मांगी गई है या नहीं

बी ष्– यह तीसरे पक्ष की सूचना है और इसलिए एनओसी की आवश्यकता है यह ज्ञात नहीं है कि पीआईओ द्वारा एनओसी मांगी गई है या नहीं

बी 2–3 यह तीसरे पक्ष की सूचना है इसलिए संबंधित एजेंसी से एनओसी की आवश्यकता है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या पीआईओ द्वारा एनओसी मांगी गई है या नहीं

ब1–4– यह तृतीय पक्ष की सूचना है इसलिए संबंधित एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या पीआईओ द्वारा एनओसी मांगी गई है या नहीं

पहली अपीलः

सीईपी सेल द्वारा अस्वीकृत सूचना, इसलिए पूरी सूचना की मांग है।

एफएए का आदेशः

पीआईओ ने पहले ही जवाब दे दिया है हालांकि पीआईयूओध्एडीई (सीईपी) ने तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त नहीं की है, इसलिए 15 कार्य दिवसों के भीतर अपीलकर्ता को वांछित सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

सीपीआईओ का जवाब :

सीईपी सेल द्वारा पत्र एफ 45/83/सीईडी/06/आर11/851 की प्रतियां संलग्न।

दूसरी अपील का आधारः

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सूचना प्रदान करें और किसी भी झूठी या भ्रामक सूचना देने के लिए पीआईओ के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करें।

31 जनवरी 2011 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री मुकेश भारद्वाज

प्रतिवादी (1): श्री अंजुम मसूद, लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय और एडीई, पुराना सचिवालय, दिल्ली

प्रतिवादी (2): श्री नित्या नंद, डीम्ड पीआईओ और एडीई (सीईपी), तिमार पुर, लखनऊ रोड, दिल्ली

"पीआईओ ने कहा है कि तीसरे पक्ष मेसर्स एप्टेक ने सूचना जारी करने पर आपत्ति जताई है। पीआईओ को यह तय करना चाहिए कि सूचना का खुलासा किया जा सकता है या नहीं, यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) की छूट के आधार पर है। हालांकि आयोग ने मेसर्स एप्टेक को एक मौका दिया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना का खुलासा क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत छूट के दायरे में कैसे आता है।

आयोग ने 11 मार्च 2011 को सुबह 10.00 बजे सुनवाई स्थगित कर दी और पीआईओ, अपीलकर्ता और तीसरे पक्ष को इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 11/03/2011 को सुबह 10.00 बजे आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। पीआईओ इस सुनवाई की सूचना तीसरे पक्ष को देगा। पीआईओ को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे तीसरे पक्ष/पक्षों को 11/03/2011 को सुबह 10.00 बजे आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित होने के लिए सूचित करें कि अपीलकर्ता श्री मुकेश भारद्वाज को सूचना का खुलासा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

11 मार्च 2011 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री मुकेश भारद्वाज

प्रतिवादी (1): श्री एस एस मलिक, श्री अंजुम मसूद की ओर से अधीक्षक, लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय और एडीई (आरटीआई सेल), पुराना सचिवालय, दिल्ली

प्रतिवादी (2): श्री नित्या नंद, डीम्ड पीआईओ और एडीई (सीईपी), तिमार पुर, लखनऊ रोड, दिल्ली

तृतीय पक्षः श्री शुभेंदु कुमार कर, एप्टेक लिमिटेड, ए–37, द्वितीय फ्लोर, सेक्टर –4, नोएडा

अपीलार्थी ने विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार स्थापना में विलम्ब के लिए की गई कार्रवाई की सूचना मांगी है। तीसरे पक्ष श्री शुभेंदु कुमार कर में कहा गया है कि यह सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) से छूट मिलती है, ''व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना , जिसका खुलासा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की गारंटी देता हैय''। आयोग ने श्री कर को यह बताने के लिए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना को व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा कैसे कहा जा सकता है। श्री कर का दावा है कि यदि इसका खुलासा किया गया तो इस सूचना का उपयोग अन्य स्थानों पर यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में उनकी कंपनी के खिलाफ कुछ देरी या कार्रवाई हुई थी। जबकि आयोग स्वीकार करता है कि चूक के बारे में सूचना तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाएगी, धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सूचना को एक प्रकृति के मानदंड को पूरा करना होगा जिसे ''व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा" कहा जा सकता है। कार्य के कार्यान्वयन में देरी के लिए की गई कार्रवाई का विवरण निश्चित रूप से इस श्रेणी में आने के योग्य नहीं है और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत नहीं आती है। चूंकि सूचना प्रकटीकरण से मुक्त नहीं है, इसलिए इसे प्रकट करना होगा।

तीसरा पक्ष यह भी कहता है कि वह इस सूचना के प्रकटीकरण में कोई बड़ा जनहित नहीं देखता है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी भी सूचना के प्रकटीकरण के लिए किसी भी उद्देश्य को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कानून ने प्रावधान किया है कि यदि मांगी गई सूचना धारा 8(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है, तब भी यह प्रदान किया जा सकता है यदि एक बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित किया जा सकता हो। तथापि, जब कोई छूट लागू नहीं होती है, तो किसी भी बड़े सार्वजनिक हित को स्थापित करने या अपीलकर्ता से सूचना मांगने का उद्देश्य पूछने का कोई सवाल ही नहीं है।

निर्णय

अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 30 मार्च 2011 से पहले अपीलकर्ता को पूरी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
11 मार्च 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)(जीजे)

21 जनवरी 2010

15. अपील का प्रारूप यदि सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया हो कि यह एक प्रत्ययी संबंध में है और धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत छूट प्राप्त है

अपील के लिए आधारः

आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) प्रकटीकरण से छूट देती है ''किसी व्यक्ति को उसके भरोसेमंद रिश्ते में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को सिद्ध प्रतिपादित करता हो''। प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, जैसे, डॉक्टर, वकील, वित्तीय विश्लेषक, या ट्रस्टी। इस तरह के रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना धारक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए जिसके पास विकल्प होना चाहिए। जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, या ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी विशेष चिकित्सक के पास जाता है, वह प्रत्ययी को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता सूचना प्रदान करने वाले के लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए सूचना देता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बीमा कंपनी के रूप में रखे गए ग्राहक के खातों की सूचना एक प्रत्ययी संबंध में रखी गई है। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है।

सीआईसी के कई आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिनमें से सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई बनाम जयंतीलाल मिस्त्री एवं अन्य में बरकरार रखा है। इस निर्णय में शीर्ष न्यायालय ने इस बयान के साथ सरकारी होने की सूचना के ऐसे दावों को खारिज कर दिया हैः

> ''58. वर्तमान मामले में, आरबीआई खुद को वित्तीय संस्थानों के साथ एक भरोसेमंद संबंध में नहीं रखता है (हालांकि, शब्द में यह खुद को उस स्थिति में रखता है) क्योंकि, निरीक्षणों की रिपोर्ट, बैंक के बयान, संबंधित सूचना आरबीआई द्वारा प्राप्त व्यवसाय विश्वास या भरोसे के बहाने नहीं हैं। इस मामले में न तो आरबीआई और न ही बैंक एक–दूसरे के हित में काम करते हैं। वैधानिक कर्तव्य के लिए एक अतिरिक्त ''न्यायिक'' लेबल संलग्न करके, नियामक अधिकारियों ने जानबूझकर या अनजाने में एक आतंकवादी प्रभाव बनाया है।
>
> 59. आरबीआई एक वैधानिक निकाय है जिसे आरबीआई अधिनियम द्वारा भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। यह बैंकों और देश के बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज की निगरानी के लिए एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के अंतर्गत, आरबीआई को जनहित में, बैंकिंग नीति के हित में और बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए बैंकों को कोई भी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके पास कई अन्य दूरगामी वैधानिक शक्तियां हैं।
>
> 60. आरबीआई को सार्वजनिक हित को बनाए रखना है, न कि व्यक्तिगत बैंकों के हित को। आरबीआई स्पष्ट रूप से किसी भी बैंक के साथ किसी भी तरह के संबंध में नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बैंक के लाभ को अधिकतम करने के लिए आरबीआई का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, और इस प्रकार उनके बीच 'विश्वास' का कोई संबंध नहीं है। आरबीआई का एक वैधानिक कर्तव्य है कि वह बड़े पैमाने पर जनता, जमाकर्ताओं, देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के हितों को बनाए रखे। इस प्रकार, आरबीआई को पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए और ऐसी सूचना नहीं छिपानी चाहिए जो व्यक्तिगत बैंकों को शर्मिंदा कर सकती है। यह आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और यहां प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई सूचना का खुलासा करने के लिए बाध्य है। ''

आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहाः ''ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण, पृष्ठ 640) 'विश्वास संबंध' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

''एक रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति रिश्ते के दायरे में मामलों पर दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने के लिए कर्तव्य के अधीन है। प्रत्ययी संबंध – जैसे ट्रस्टी–लाभार्थी, अभिभावक–वार्ड, एजेंट–प्रिंसिपल, और अटॉर्नी–क्लाइंट में देखभाल के उच्चतम कर्तव्य की आवश्यकता होती है। प्रत्ययी संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होते हैंः

(1) जब एक व्यक्ति दूसरे की वफादार अखंडता पर भरोसा करता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त होता है

(2) जब एक व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण और जिम्मेदारी लेता है

(3) जब एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह रिश्ते के दायरे में आने वाले मामलों पर कार्रवाई करे या दूसरे को सलाह दे, या

(4) जब एक विशिष्ट संबंध होता है जिसे पारंपरिक रूप से एक वकील एवं एक मुवक्किल या एक स्टॉकब्रोकर एवं एक ग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त कर्तव्यों को शामिल करने के रूप में मान्यता दी गई है।''

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

विषय पर संलग्न सीआईसी निर्णय, निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002100001167/6139 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/001376/एसजी/15684 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/002254/15743 संलग्न है।

अनुलग्नक 15.1

श्री अमन बनाम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट, दिल्ली ... 30 दिसंबर, 2009 को

केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002100001167/6139
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/002100001167
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री अमान 2ए, डीडीए फ्लैट्स, पॉकेट बी, हरि नगर, नई दिल्ली – 110064।
प्रतिवादी	:	श्री पंकज अग्रवाल लोक सूचना अधिकारी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट, दिल्ली।

तृतीय पक्ष : मेसर्स जी.डी.गोयल एंड कंपनी
डी–14, द्वितीय तल, मार्ग नं. 13,
साकेत, नई दिल्ली – 110017
आरटीआई आवेदन दायर : 23/03/2009
पीआईओ ने उत्तर दियाः 28/04/2009 03/08/2009
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 10/07/2009
द्वितीय अपील : 28/08/2009 को प्राप्त हुई

	मांगी गई सूचनाः	जन सूचना अधिकारी का उत्तर दिनांक 28/04/2009
1	पत्र क्रमांक पीजीसी/09/जीजीएसआईपी/01/21968 दिनांक 10/02/2009 पर की गई कार्रवाई का विवरण।	विश्वविद्यालय ने पीजीसी के पत्र संख्या पीजीसी/09/जीजीएसआईपी/01/21968 दिनांक 10/02/2009 के आलोक में कानूनी राय के लिए विधिक सलाहकार को एक पत्र अग्रेषित किया है (प्रतिलिपि संलग्न)
2	मामले का प्रासंगिक रिकॉर्ड यानी संपूर्ण आदेश/टिप्पणियां/कार्यवाही/आवेदन/अनुलग्नक	पीआईओ की पूर्व नियुक्ति के साथ संबंधित रिकॉर्ड और कार्यवाही का निरीक्षण किया जा सकता है
3	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली–110087 के खिलाफ पारित पीजीसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट श्री अमन कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कानूनी राय मांगी गई है।	विधिक सलाहकार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया है ताकि मामला संबद्धता बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है
4	पत्र दिनांक 02/03/2009 के पत्र संख्या का विवरण आईपीयू/जेआर/एआरपी/आईसी/2009/1415 जीजीएसआईपीयू की ओर से जूनियर डॉ. सुचित्रा कुमार को जारी किया गया।	जैसा कि बिंदु 1 के लिए है।
5	श्री जी. डी. गोयल विधिक परामर्शदाता से प्राप्त कानूनी राय का विवरण।	बिंदु 3 के समान ही
6	विश्वविद्यालय से तकनीकी महाविद्यालय के लिए आवेदन करने हेतु सम्पूर्ण दिशा–निर्देश।	विश्वविद्यालय की वेबसाइट www-ipu-ac-in पर उपलब्ध सूचना
7	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली के वर्ष 2008–09 में दाखिल छात्रों का पूरा डाटा जीजीएसआईपीयू के साथ आवेदन के आधार पर संलग्न है।	सूचना संलग्न।

प्रथम अपील के आधारः

- प्रथम अपील की प्रति संलग्न नहीं है। हालांकि एफएए के आदेश में उल्लिखित आधार

- बिन्दु 1 और 4– के संबंध में–– अधूरी सूचना दी गई
- बिंदु 2 के संबंध में––– आदेश/टिप्पणियां/कार्यवाही/आवेदन/अनुलग्नक सहित संपूर्ण फाइल नहीं दिखाई गई
- बिन्दु 5 के संबंध में –कानूनी राय की प्रति नहीं दी गई
- एमएआईटी और औबर्न विश्वविद्यालय के संबंध में तकनीकी कॉलेज को विदेशी विश्वविद्यालय से जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय से संबद्धता के दिशा–निर्देशों के संबंध में सूचना नहीं दी गई है।
- विदेशी विश्वविद्यालय और जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय से संबद्धता के विज्ञापन के संबंध में वर्ष 2008–2009 में प्रवेशित एमएआईटी (रोहिणी) के छात्रों का डेटा प्रदान नहीं किया गया।

एफएए का आदेशः

बिंदु 1 और 2 के संबंध में सूचना प्रदान की गई है। प्रथम अपील में उठाए गए कुछ प्रश्न मूल आरटीआई आवेदन का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, इसका आवेदक द्वारा विरोध किया गया है। इसलिए, पीआईओ आवेदक को बुला सकता है और उन्हें मूल आवेदन के आधार पर और जहां भी सूचना प्रदान नहीं की गई है, के आधार पर समाधान करवा सकता है। संबंधित दस्तावेजों के निरीक्षण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

पीआईओ का जवाब :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के बाद अपीलार्थी ने दिनांक 24/07/2009 को फाइलों का निरीक्षण किया। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को उसके द्वारा पहचाने गए कागजात के लिए रु.1468/– (रु.2/– प्रति पृष्ठ 734 पृष्ठों के लिए) जमा करने के लिए कहा। पीआईओ ने आगे बताया कि पूछताछ की सूचना नं– 5 तीसरे पक्ष से संबंधित थी और उससे अनुमति मांगी गई थी और कहा था कि सूचना तीसरे पक्ष की टिप्पणियों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

दूसरी अपील का आधारः

कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

27 अक्टूबर 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता	:	श्री अमन
प्रतिवादी	:	श्री पंकज अग्रवाल, पीआईओ

पीआईओ द्वारा प्रदान नहीं की गई सूचना ऑबर्न विश्वविद्यालय के संबंध में एमएआईटी की संबद्धता के मामले में कानूनी परामर्शदाता से प्राप्त कानूनी राय है। पीआईओ ने धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट का दावा करते हुए दावा किया है कि कानूनी वकील द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध है। पीआईओ को निर्देश दिया गया था कि वह इस मामले में एक प्रत्ययी संबंध का दावा करने का औचित्य साबित करते हुए अपनी लिखित दलीलें दें। पीआईओ को 05 नवंबर 2009 से पहले आयोग और अपीलकर्ता को अपनी लिखित प्रस्तुति देने का निर्देश दिया गया

था। अपीलकर्ता को 15 नवंबर 2009 से पहले आयोग और प्रतिवादी को इसका प्रत्युत्तर देने के लिए कहा गया था। प्रस्तुतियों के आधार पर आयोग इस मामले पर निर्णय लेगा।

27 अक्टूबर 2009 को सुनवाई के बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।

आयोग को अपीलकर्ता से दिनांक 12ध11ध2009 को और पीआईओ से दिनांक 05ध11ध2009 से को प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि यह निर्धारित किया जाना है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित है या नहीं। आयोग के पिछले दो फैसलों पर प्रतिवादी ने भरोसा किया है जिसमें आयोग ने माना है कि वकील और मुवक्किल के बीच का रिश्ता एक भरोसेमंद रिश्ता है। विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार द्वारा प्रदान की गई राय भरोसे और सद्भाव की है। यदि इसका खुलासा किया जाता है, तो यह भरोसे या विश्वास का उल्लंघन होगा और तीसरे पक्ष पर इसका कोई असर होने पर तीसरे पक्ष के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई कुछ सलाह पेशेवरध्कानूनी सलाहकार की बौद्धिक संपदा है। यह महसूस किया गया कि मामले पर निर्णय लेने से पहले कानूनी वकील – तीसरे पक्ष – को भी सुना जाना चाहिए। इसलिए तीसरे पक्ष, मैसर्स जीडी गोयल एंड कंपनी को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ 27ध11ध2009 को 30 दिसंबर 2009 की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया था।

30 दिसंबर 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : श्री अमन

प्रतिवादीः श्री पंकज अग्रवाल, पीआईओ और अतिरिक्त उप– रजिस्ट्रार

तीसरा पक्षः अनुपस्थित

तीसरे पक्ष ने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं लिया है कि सूचना का खुलासा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने कहा कि आयोग को पहले ही तर्क प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उनके पास आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

अपीलकर्ता ने निवेदन किया है कि विश्वास का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि सूचना क्लाइंट से आवश्यक है न कि अधिवक्ता से। क्लाइंट को कानूनी सलाह के रूप में प्राप्त सूचना का खुलासा करना चाहिए क्योंकि यह क्लाइंट के रूप में सार्वजनिक हित है, जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक निकाय है। अपीलकर्ता के अनुसार, जिस मुद्दे को कानूनी राय के लिए संदर्भित किया गया था, वह उसी तरह एमएआईटी पर जुर्माना लगाने के संदर्भ में था जैसा कि जेआईएमएस (रोहिणी) पर लगाया गया था। अंततः एमएआईटी पर पेनल्टी नहीं लगाई गई जिससे विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान हुआ।

आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) में प्रावधान है–

8. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नानुसार को देने का कोई दायित्व नहीं होगा,–

(ई) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को वारंट करता हैय

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) को लागू करने के लिए एक प्रत्ययी संबंध होना चाहिए और सूचना धारक को अपनी प्रत्ययी क्षमता में सूचना रखना चाहिए। एक प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यापार या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदाहरण– वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी। सूचना धारक द्वारा सूचना तब दी जानी चाहिए जब कोई विकल्प हो – जैसे कि जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, या कोई रोगी विशेष चिकित्सक के पास जाता है। यह भी आवश्यक है कि संबंध का प्रमुख चरित्र सूचना प्रदाता द्वारा उस व्यक्ति पर रखा गया विश्वास है जिसे सूचना दी गई है। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता प्रदाता के लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए सूचना देता है। ऐसे मामलों में यह भी एक आवश्यक शर्त है कि प्रत्ययी किसी को भी सूचना का खुलासा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और इस तरह के प्रकटीकरण को सभी रिश्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

मुवक्किल तथा वकील के संबंध को हमेशा एक प्रत्ययी संबंध माना गया है क्योंकि मुवक्किल अपने हित में कार्य करने के लिए वकील पर भरोसा करता है। वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह मुवक्किल के हितों की रक्षा करेगा और इस संबंध के परिणामस्वरूप उसके पास आई किसी भी सूचना का खुलासा नहीं करेगा क्योंकि इससे ग्राहक के संबंध में विश्वास भंग होगा।

वकील के पास अभिलेखों और दस्तावेजों की जानकारीध्पहुंच होती है क्योंकि वही उसे क्लाइंट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत छूट इस सूचना के प्रकटीकरण से छूट देती है जो वकील द्वारा अपनी भरोसेमंद क्षमता में रखी जा रही है जब तक कि प्रकटीकरण एक बड़े सार्वजनिक हित में नहीं होता है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय से कानूनी राय की एक प्रति मांग रहा है जो विश्वविद्यालय को अपने कानूनी परामर्शदाता से प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय को एक कानूनी राय लेनी थी और उसने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष कानूनी परामर्शदाता को चुना जिससे विश्वविद्यालय की ओर से कार्य करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए इस वकील पर भरोसा किया। हालांकि, वकील द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पसंद से बाहर नहीं थी। जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा राय मांगी गई थी, राय केवल विश्वविद्यालय को दी जा सकती थी और किसी अन्य संस्था को नहीं। इसके अलावा, जबकि विश्वविद्यालय अपनी ओर से कार्य करने के लिए परामर्शदाता पर भरोसा करता है, विश्वविद्यालय परामर्शदाता की ओर से कार्य नहीं कर रहा है या उसके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। उस तरह से विश्वास का रिश्ता एक तरह से होता है और यह केवल वकील ही होता है जो सूचना को एक भरोसेमंद क्षमता में रखता है, न कि विश्वविद्यालय।

धारा 8(1)(ई) की छूट उस सूचना पर लागू होती है जो सूचना धारक द्वारा अपनी न्यासी हैसियत से रखी गई है अर्थात किसी अन्य व्यक्ति ने उस सूचना के साथ सूचना धारक पर विश्वास करना चुना है और सूचना धारक से उसके हित में दी हुई जानकारी पर कार्य करने की अपेक्षा की

जाती है। इसलिए, धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट एक क्लाइंट द्वारा वकील–क्लाइंट संबंध में या रोगी के साथ डॉक्टर–रोगी संबंध में रखी गई सूचना पर लागू नहीं हो सकती है।

आयोग अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत ऐसी सूचना पर किसी अन्य छूट की प्रयोज्यता पर निर्णय नहीं ले रहा है, जिस पर किसी का दावा नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि वकील द्वारा प्रदान की गई कुछ राय वकील की बौद्धिक संपदा है। इस आधार पर अपीलकर्ता को अपने उत्तर में पीआईओ द्वारा भरोसा नहीं किया गया था और न ही आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान इसे उठाया गया था। इसलिए, आयोग इस आधार को इतने देर से स्वीकार नहीं करेगा। हालाँकि, यह केवल इस तथ्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त है कि एक साहित्यिक कार्य में एक कॉपीराइट मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रकटीकरण से इसका उल्लंघन होगा। इसलिए, आयोग को पीआईओ द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं लगता। आरटीआई अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि

9. धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह के अनुरोध में मौजूद कॉपीराइट के उल्लंघन में राज्य के अलावा एक व्यक्ति शामिल होगा।

कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51 उन परिदृश्यों को प्रदान करती है जिनमें कॉपीराइट का उल्लंघन माना जा सकता है–

51. जब कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ। –किसी कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन तब माना जाएगा–

(ए) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत कॉपीराइट के मालिक या कॉपीराइट के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए लाइसेंस की शर्तों या किसी भी शर्त के उल्लंघन में–

(i) कुछ भी करता है, ऐसा करने का अनन्य अधिकार जो इस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट के स्वामी को प्रदान किया गया है, या

(ii) जनता को काम के संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान को लाभ के लिए अनुमति देता है, जहां इस तरह के संचार से काम में कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, जब तक कि वह जागरूक नहीं था और यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि इस तरह के संचार के लिए सार्वजनिक कॉपीराइट का उल्लंघन होगाय या

(बी) जब कोई व्यक्ति–

(i) बिक्री के लिए बनाता है या किराए पर लेता है, या बेचता है या किराए पर देता है, या व्यापार प्रदर्शन या बिक्री या किराए के प्रस्तावों के माध्यम से, या

(ii) या तो व्यापार के उद्देश्य से या इस हद तक वितरित करता है कि कॉपीराइट के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(iii) सार्वजनिक रूप से व्यापार प्रदर्शन के माध्यम से, या

(iv) भारत में आयात, काम की कोई भी उल्लंघनकारी प्रतियां

बशर्ते कि उप–खंड (पअ) में कुछ भी आयातक के निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी भी काम की एक प्रति के आयात पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक चलचित्र फिल्म के रूप में एक साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कृति के पुनरुत्पादन को ''उल्लंघनकारी प्रति'' समझा जाएगा।

कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए, कॉपीराइट का उल्लंघन होने के लिए कॉपीराइट रखने वाले व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना चाहिए। यह मानने का एक कारण होना चाहिए कि काम के पुनरुत्पादन का उपयोग इस तरह से किया जाएगा जिससे कॉपीराइट धारक को नुकसान पहुंचे। आयोग ने पाया कि वर्तमान मामले में, कानूनी राय के प्रकटीकरण से उस वकील को नुकसान नहीं होता है जिसने यह राय दी है।

निर्णयः

अपील की अनुमति है।

सूचना अपीलकर्ता को 15 जनवरी 2010 से पहले दी जाएगी।

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
. 30 दिसंबर 2009

अनुलग्नक 15.2

श्री. पी पी कपूर बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 नवंबर, 2011

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/001376/एसजी/15684

अपील संख्या सीआईसी/एसएम/ए/2011/001376/एसजी

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता : श्री पी पी कपूर,
81/5, मानव विहार, जोरसी रोड,
समालखा – 132101 – 03,

जिला पानीपत, हरियाणा

प्रतिवादी : डॉ एन कृष्ण मोहन,
पीआईओ और मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, केंद्र – I
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई – 400005

आरटीआई आवेदन दायरः 16/08/2010

पीआईओ ने उत्तर दियाः 14/10/2010 और 22/10/2010

पहली अपील दायर कीः 03/12/2010

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : 24/12/2010

द्वितीय अपील : 11/05/2011 को प्राप्त हुई

मांगी गई जानकारीः

1. 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमा की गई कुल राशि। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग से सूचना प्रदान करें

2. (ए) भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों से उद्योगपतियों द्वारा लिए गए लेकिन चुकाए नहीं गए ऋण की कुल राशि और ऐसे अवैतनिक ऋणों पर जमा होने वाले ब्याज की कुल राशि के बारे में जानकारी तथा

(बी) उद्योगपतियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों में चूक का विवरण। उपरोक्त चूककर्ताओं की सूची में से शीर्ष 100 चूककर्ता, व्यवसायी का नाम, पता, फर्म का नाम, मूल राशि, ब्याज राशि, चूक की तिथि और ऋण लेने की तिथि।

(सी) मांगी गई सूचना को प्रश्न 2(ए) और चूककर्ताओं की सूची में प्रतिवादी – सार्वजनिक प्राधिकरण की वेबसाइट पर डालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का उत्तरः

पत्र दिनांक 14/10/2010 द्वारा, सीपीआईओ ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि प्रश्न 1 को डीईएपी में हस्तांतरित कर दिया गया था, प्रश्न 2 (बी) और (सी) को डीबीएस में हस्तांतरित कर दिया गया था और प्रश्न 2 (ए) को डीबीओडी/डीबीएस में हस्तांतरित कर दिया गया था।

पत्र दिनांक 22/10/2010 द्वारा, सीपीआईओ ने प्रश्न 2(बी) पर इस आधार पर सूचना से इनकार किया कि यह प्रत्ययी क्षमता में था और आरटीआई की धारा 8(1)(ए) और (ई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त थी।

प्रथम अपील के लिए आधारः

सीपीआईओ द्वारा दी गई सूचना अधूरी थी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश (एफएए):

एफएए ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि सीपीआईओ, डीईएपी ने पत्र दिनांक 12ध10ध2010 के माध्यम से कुछ सूचना प्रदान की थी। अपीलार्थी ने दिनांक 12/10/2010 तथा 22/10/2010 के पत्रों द्वारा प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपील दायर की।

'बिन्दु 2(बी) (जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उद्योगपतियों द्वारा लिए गए ऋणों में चूक और उनसे जुड़े मामलों से संबंधित है) के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क के संबंध में, मुझे लगता है कि सीपीआईओ, डीबीएस ने निर्दिष्ट किया है कि इस संबंध में बैंकों से प्राप्त सूचना रिजर्व बैंक के पास एक प्रत्ययी हैसियत से है और इसलिए इसे अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (ए) और (ई) के संदर्भ में प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंकों से प्राप्त चूककर्ताओं की सूचना रिजर्व बैंक के पास एक प्रत्ययी क्षमता में होती है और प्रकृति में गोपनीय होती है। इसलिए, धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत दावा की गई छूट, निस्संदेह, कानून की नजर में उचित है। धारा 8(1) के खंड (ए) द्वारा प्रदान की गई छूट किसी दिए गए मामले में आकर्षित होगी या नहीं यह तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा। इस मामले में, चूंकि धारा 8(1)(ई) स्पष्ट रूप से आकर्षित है, इसलिए मैं अन्य छूट पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करता, जिसका उपयोग सीपीआईओ, डीबीएस ने सूचना को छिपाने के लिए किया है।'

दूसरी अपील के लिए आधारः

एफएए के आदेश से असंतुष्ट, चूंकि प्रश्न 2 (बी) और (सी) पर सूचना प्रदान नहीं की गई है

8 नवंबर 2011 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री पी. पी. कपूर वीडियो के माध्यम से – एनआईसी स्टूडियो – पानीपत (हरियाणा) से सम्मेलन

प्रतिवादीः सुश्री मिनी कुट्टी कृष्णन, डॉ एन कृष्ण मोहन, पीआईओ और मुख्य महाप्रबंधक की ओर से एनआईसी स्टूडियो–मुंबई से वीडियो–कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहायक कानूनी सलाहकार।

''प्रतिवादी ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्न 2 (बी) में मांगी गई सूचना बैंकों की ओर से आरबीआई द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखी गई थी। आयोग ने पूछताछ की कि क्या बैंकों द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई को सूचना प्रदान की जाती है। पीआईओ ने स्वीकार किया कि बैंक वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सूचना प्रदान कर रहे थे। आयोग ने बताया कि वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी क्षमता में रखी गई सूचना नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी ने तब प्रस्तुत किया कि ग्राहकों के बारे में सूचना बैंकों के पास एक प्रत्ययी क्षमता में होती है और इसलिए इसका प्रकटीकरण बैंकों के उधारकर्ताओं द्वारा रखे गए प्रत्ययी–विश्वास का उल्लंघन होगा।

8 नवंबर 2011 को हुई सुनवाई में आदेश सुरक्षित रखा गया था।

15 नवंबर 2011 को घोषित निर्णयः

कागजातों के अवलोकन और पक्षों को प्रस्तुत करने के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एफएए के आदेश के बावजूद प्रश्न 2(सी) के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्रश्न 2(बी) के संबंध में, प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की

धारा 8(1)(ए) और (ई) के अंतर्गत छूट दी गई थी। आयोग पहले पीआईओ द्वारा किए गए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे पर विचार करेगा। पीआईओ ने धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट का दावा किया है लेकिन यह नहीं बताया कि यह कैसे लागू होगी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सुनवाई के दौरान भी कोई औचित्य पेश नहीं किया गया। धारा 8(1)(ए) छूट देती है, 'सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पीआईओ दावा कर रहा है कि राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह कल्पना करना असंभव है कि प्रावधान में उल्लिखित अन्य हितों में से कोई भी प्रभावित हो सकता है। यह पीठ पीआईओ की इस दलील को खारिज करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से डिफॉल्टरों के नाम और विवरण का खुलासा करने से भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। यदि इसका अर्थ यह है कि ऐसे उधारकर्ता जोखिम के डर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ लेन–देन नहीं करेंगे, तो यह वास्तव में राष्ट्र के आर्थिक हित में होगा। यह आयोग पीआईओ द्वारा धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे को स्वीकार नहीं करता है। यह भी संभावना नहीं है कि डिफॉल्टरों के नाम और विवरण का खुलासा करने से राष्ट्र की आर्थिक भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं अधिक मजबूत स्थिति पर निर्भर है।

आयोग अब आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट के दावे की जांच करेगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) प्रकटीकरण से छूट देती है ''किसी व्यक्ति को उसके भरोसेमंद रिश्ते में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को वारंट करता है''।

इस पीठ ने कई फैसलों में माना है कि एक प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यापार या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदा। डॉक्टर, वकील, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी। इस तरह के रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना धारक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, जिसके पास एक विकल्प होना चाहिए – जैसे कि जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, तो ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी किसी विशेष डॉक्टर के पास जाता है। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता सूचना प्रदान करने वाले के लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए सूचना देता है। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है।

बैंकों द्वारा आरबीआई को प्रदान की गई सूचना वैधानिक अनुपालन को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। वास्तव में, जहां आरबीआई को बैंकों द्वारा कुछ सूचना देने की आवश्यकता होती है

और ऐसे बैंकों के पास इस सूचना को प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई की ऐसी आवश्यकता प्रकृति में निर्देशिका है। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण पर आरबीआई से बैंकों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। नतीजतन, आरबीआई और बैंकों के बीच कोई भरोसेमंद संबंध नहीं बनता है।

प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया है कि ग्राहकों के बारे में सूचना बैंकों के पास एक प्रत्ययी क्षमता में होती है और इसलिए इसका प्रकटीकरण बैंकों के उधारकर्ताओं द्वारा रखे गए प्रत्ययी–विश्वास का उल्लंघन होगा। आयोग को इस तर्क में कुछ दम नजर आता है। ग्राहकों की सूचना बैंकों के पास एक प्रत्ययी क्षमता में होती है। यदि यह सूचना आरबीआई को प्रकट की जाती है और बाद में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को दी जाती है– तो यह ग्राहकों और बैंकों के बीच विद्यमान प्रत्ययी संबंधों का उल्लंघन कर सकती है। इसलिए, प्रश्न 2(बी) में मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से मुक्त है। हालांकि, यदि कोई ग्राहक चुकौती में चूक करता है, तो क्या डिफॉल्ट के बारे में सूचना को भी एक प्रत्ययी क्षमता में रखी गई सूचना के रूप में माना जाना चाहिए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। ऋणदाता द्वारा देय धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने सहित सभी उपाय करने की संभावना है, और इन कार्यों का अर्थ होगा सार्वजनिक रूप से डिफॉल्ट राशि का खुलासा करना। ऐसी परिस्थितियों में बैंक इन विवरणों को सार्वजनिक करेगा, और संबंधों की प्रत्ययी प्रकृति से बंधन महसूस नहीं करेगा।

हालाँकि, मैं इस विचार की प्रवृत्ति में नहीं जा रहा हूँ और यह स्वीकार करता हूँ कि एक उधारकर्ता द्वारा चूक के बारे में सूचना को एक बैंक द्वारा एक भरोसेमंद क्षमता में रखी गई सूचना माना जा सकता है। जब आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) की छूट लागू होती है, तो उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार निर्धारित करता है:

''आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमत किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक हितों की रक्षा हो।''

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(2) में कहा गया है कि जहां सूचना का प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत छूट द्वारा संरक्षित है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक है, तो सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सूचना मांगते या देते समय किसी सार्वजनिक हित के अस्तित्व को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि कोई छूट लागू होती है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है।

पी. रामनाथ अय्यर के अनुसार, लॉ लेक्सिकन (द्वितीय संस्करण पुनर्मुद्रण 2007) के पृष्ठ 1557 पर, ''जनहित'' का अर्थ उन हितों से है जो बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित हैं। भारत में बैंक और वित्तीय संस्थान नियमित रूप से विभिन्न उद्योगों को भारी मात्रा में वित्त प्रदान करते हैं। हालांकि, यह सच है कि कभी–कभी इतनी बड़ी रकम की वसूली नहीं हो पाती है। कुछ मामलों में, इस तथ्य के बावजूद कि उद्योगपति वास्तव में भुगतान करने के लिए वित्तीय स्थिति में हो सकते

हैं, लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है। जहां बैंकों द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाती है, वित्तीय तरलता के अभाव में, यह बड़ी धनराशि की नाकाबंदी के परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेगा जो राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को मंद कर देंगी।

इस स्तर पर आयोग न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय 1995 के न्यायमूर्ति थॉमस को उद्धृत करना चाहेगा, 'सरकार में खुलेपन पर जोर देने की प्राथमिक नींव लोगों की संप्रभुता पर टिकी हुई है। एक लोकतंत्र के अधीन, संसद ''सर्वोच्च'' है, इस अर्थ में कि शब्द ''संसदीय सर्वोच्चता'' वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोग संप्रभु रहते हैं। वे उस परम शक्ति का आनंद लेते हैं जो उनकी संप्रभुता प्रदान करती है। लेकिन लोग सरकार की मशीनरी नहीं ले सकते। वह कार्य उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाता है ...

... सरकार को लोगों के एजेंट या प्रत्ययी के रूप में माना जा सकता है, जो कार्य कर रही है और सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर रही है जो लोगों के भरोसे में इसे हस्तांतरित की गई है।

... सरकार के पास जो सूचना है वह अनिवार्य रूप से लोगों की सूचना है जो उनकी ओर से अधिकार के इस हस्तांतरण के अनुसार रखी जा रही है। ... लोगों की संप्रभुता अंततः सरकार में खुलेपन पर जोर देने के उनके अधिकार को निर्धारित करती है'

मैं चाहता हूं कि सरकार और उसके उपकरण यह याद रखें कि उनके पास जो भी सूचना है वह उन नागरिकों के स्वामित्व में है, जो संप्रभु हैं। इसके अलावा, अक्सर यह देखा जाता है कि बैंक और वित्तीय संस्थान उद्योगपतियों को पहले के ऋण की अदायगी में चूक के बावजूद ऋण प्रदान करना जारी रखते हैं। यूपी वित्तीय निगम बनाम जेम कैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एआईआर 1993 एससी 1435 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया है कि ''सार्वजनिक धन की कीमत पर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करता हैय यह केवल सार्वजनिक धन को निजी खाते में हस्तांतरित करने के बराबर है"। इस तरह की प्रथाओं ने नागरिकों को यह विश्वास दिलाया है कि चूककर्ता बच सकते हैं और सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऋण चुकाने में चूक करने वाले शीर्ष उद्योगपतियों के बारे में सूचना नागरिकों के ज्ञान में लाई जानी चाहिएय निश्चित रूप से एक बड़ा सार्वजनिक हित है जो उसी के प्रकटीकरण पर पूरा किया जाएगा। वास्तव में, उद्योगपतियों के बारे में सूचना जो देश के ऋण चूककर्ता हैं, ऐसे व्यक्तियों पर अपना बकाया भुगतान करने का दबाव डाल सकते हैं। यह उन लोगों के बारे में नागरिकों को सचेत करने का प्रभाव होगा जो भुगतान में चूक कर रहे हैं और उन्हें शर्मिंदा करने में भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। आरबीआई ने 23 अप्रैल 1994 के अपने परिपत्र डीबीओडी सं.बीसीध्सीआईएसध47ध20.16.002ध94 द्वारा सभी बैंकों को अपने चूककर्ताओं पर एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था, जिसे वह निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करेगा। :

1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) को सतर्क करने के लिए और उन्हें उन उधारकर्ताओं के खिलाफ सतर्क करने के लिए जिन्होंने ऋण देने वाली संस्थाओं को अपने देय राशि में चूक की है।

2. उन उधारकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करना जिन्होंने चूक की है और जिनके खिलाफ बैंकोंधवित्तीय संस्थाओं द्वारा मुकदमा दायर किया गया है।

कई राजस्व विभाग चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित करते हैं और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी बैंक चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित की है। मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (08/04/2004 को निर्णय) में अपने ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा करना प्रासंगिक होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की वैधता और भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 'गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों' की वसूली पर विचार कर रहा था। यह चर्चा करते हुए कि क्या उधारकर्ता और वित्तीय संस्थानध्बैंक के बीच एक निजी अनुबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता है, न्यायालय ने कहाः

''... यह देखा जा सकता है कि हालांकि लेनदेन में एक निजी अनुबंध का चरित्र हो सकता है, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव वाले ऐसे लेनदेन के पीछे बहुत महत्व के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लेनदेन तक सीमित रखा जा सकता है। विशेष रूप से जब वित्त पोषण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से होता है जो आम तौर पर लोगों के धन का उपयोग करते हैं, अर्थात् बैंकों में जमाकर्ता और वित्तीय संस्थानों के निपटान में सार्वजनिक धन। इसलिए, जहां भी जनहित इतनी बड़ी सीमा तक शामिल है और सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है, व्यक्तिगत अधिकारों को स्थान देना पड़ सकता है। जनहित को हमेशा निजी हित से ऊपर माना गया है। किसी व्यक्ति का हित कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसमें देश के सामाजिक–आर्थिक अभियान को प्रभावित करने वाले जनहित को अपने हाथ में लेने की क्षमता नहीं हो सकती है।'' (महत्व दिया)

ऐसे समय होते हैं जब विशेषज्ञ गलतियाँ करते हैं, अन्य समय पर, जब भ्रष्टाचार निर्णयों को प्रभावित करता है। सभी को सचेत करने के लिए कुछ बुद्धिमान लोगों के निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखना खतरनाक है। लोकतंत्र में अवसर की असमानता को कम करने की आवश्यकता है। सूचना की विषमता नागरिकों को उचित निर्णय लेने के अवसर से वंचित करती है। आयोग इस बात से अवगत है कि डिफॉल्टरों की सूचना रिजर्व बैंक द्वारा सीआईबीआईएल नामक संस्था के साथ साझा की जा रही है। ऐसे में आरटीआई का इस्तेमाल कर नागरिकों के साथ इस सूचना को साझा करने की अनिच्छा को समझना मुश्किल है। आरबीआई का 1994 का परिपत्र, – ऊपर उल्लेख किया गया है, – वास्तव में इस सूचना को जनता के साथ साझा करने का वादा करता प्रतीत होता है।

ऊपर दिए गए तर्कों के मद्देनजर, आयोग का यह सुविचारित विचार है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चूककर्ताओं के विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यापक जनहित में होगा। इनका खुलासा करने से ऐसे चूककर्ताओं पर लगाम लगाने का उद्देश्य पूरा होगा, नागरिकों को उन लोगों के बारे में चेतावनी देना चाहिए जिनसे उन्हें निवेश के मामले में दूर रहना चाहिए और शायद ऐसे व्यक्तियोंध्संस्थाओं को शर्मिंदा करना चाहिए। इससे राष्ट्र के आर्थिक और नैतिक हितों की रक्षा हो सकती है। आयोग को विश्वास है कि देश के आर्थिक और नैतिक ताने–बाने को होने वाले लाभ, बैंकरों और उनके ग्राहकों के भरोसेमंद संबंधों को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं अधिक हैं, यदि शीर्ष चूककर्ताओं के विवरण का खुलासा किया जाता है।

इसलिए, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के मद्देनजर, आयोग का नियम है कि प्रश्न 2 (बी) की सूचना अपीलकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित है।

आयोग, आरबीआई के गवर्नर को भी निर्देश देता है कि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (•अपप) के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। यह निर्देश आयोग की शक्तियों के अंतर्गत धारा 19 (8) (ए) (पपप) के अंतर्गत दिया जा रहा है।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ 10 दिसंबर 2011 से पहले अपीलकर्ता को प्रश्न 2 (बी) और 2 (सी) पर रिकॉर्ड के अनुसार पूरी सूचना प्रदान करेगा।

आयोग, आरबीआई के गवर्नर को भी निर्देश देता है कि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (•अपप) के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। यह निर्देश आयोग की शक्तियों के अंतर्गत धारा 19 (8) (ए) (पपप) के अंतर्गत दिया जा रहा है। यह 31 दिसंबर, 2011 से पहले किया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाना चाहिए।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांध
सुचना आयुक्त
15 नवंबर 2011

अनुलग्नक 15.3

17 नवंबर, 2011 को श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/002254/15743

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/002254

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल, 1775 कूचा लट्टूशाह, दरीबा, चांदनी चौक, दिल्ली – 110006

प्रतिवादी : श्री जगनमोहन राव,
सीपीआईओ और मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,
केंद्रीय कार्यालय,
केंद्र 1, कफ परेड,
कोलाबा, मुंबई – 400005

आरटीआई आवेदन दायरः 30/04/2011
पीआईओ ने उत्तर दियाः 08/06/2011
पहली अपील : 14/06/2011 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 29/07/2011
द्वितीय अपील : 17/08/2011 को प्राप्त हुई

अपीलकर्ता ने अपने आरटीआई आवेदन के साथ एक समाचार क्लिपिंग संलग्न की। समाचार क्लिपिंग के संबंध में सूचना मांगी गई थी और सीपीआईओ द्वारा कुछ सूचना प्रदान की गई थी। ये विवरण इस प्रकार हैंः

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का जवाब
1	नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाने के संबंध में आरबीआई के संबंधित दस्तावेजों/पत्राचार/फाइल नोटिंग आदि सहित पूर्ण और विस्तृत सूचना संलग्न समाचार क्लिपिंग में भी संदर्भित है।	जिन उल्लंघनों के लिए बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और बाद में जुर्माना लगाया गया था और बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के निष्कर्षों के आधार पर, और सूचना हमें एक भरोसेमंद क्षमता में प्राप्त हुई है, ऐसी सूचना का प्रकटीकरण राज्य के आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और बैंक की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए एससीएन/निष्कर्ष/रिपोर्ट/संबंधित पत्राचार/आदेशों को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ए), (डी) और (ई) के प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
2	उन बैंकों की पूरी सूची जिन्हें जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, साथ ही संलग्न समाचार क्लिपिंग में भी चूक का उल्लेख किया गया था, जिसके लिए ऐसे प्रत्येक बैंक को कारण	उपरोक्त

	बताओ नोटिस जारी किया गया था।	
3	उपरोक्त प्रश्न (2) में से उन बैंकों की सूची जहां जुर्माना नहीं लगाया गया था, जैसे विवरण देते हुए कि उनका उत्तर संतोषजनक था आदि।	उपरोक्त
4	उन बैंकों की सूची जो अंततः दोषी पाए गए और जुर्माना भी लगा, प्रत्येक बैंक पर जुर्माना की राशि और प्रत्येक बैंक पर जुर्माना तय करने के मानदंड का उल्लेख किया गया।	19 बैंकों के नाम और उन पर लगाए गए जुर्माने का विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है। जुर्माना तय करने के मानदंड के संबंध में, इन बैंकों पर विभिन्न निर्देशों और निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है – जैसे कि उपयोगकर्ता की उपयुक्तता और उत्पादों की उपयुक्तता पर उचित सावधानी बरतने में विफलता, उचित जोखिम न होने वाले उपयोगकर्ताओं को डेरिवेटिव उत्पाद बेचना प्रबंधन नीतियां, डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी पिछले प्रदर्शन मार्ग के अंतर्गत अंतर्निहित और पात्र सीमाओं की पर्याप्तता को सत्यापित नहीं करती हैं।
5	संलग्न समाचार–क्लिपिंग में उल्लिखित के अलावा कुछ अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया जाता है/कार्रवाई की जाती है।	26 अप्रैल, 2011 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2010–2011ध1555 के संदर्भ में अनुबंध में उल्लिखित बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक को दंडित नहीं किया गया था।
6	यदि हां, तो कृपया विवरण प्रदान करें	लागू नहीं, प्रश्न संख्या 5 में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए।
7	कोई अन्य सूचना	प्रश्न विशिष्ट नहीं है।
8	इस आरटीआई याचिका की गतिविधि पर और इस आरटीआई याचिका के हर पहलू पर कुछ भी फाइल न करें।	नोट की प्रति संलग्न है।

प्रथम अपील के लिए आधारः

अपीलार्थी पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं था।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

''अपीलकर्ता ने बिंदु संख्या 1 से 3 पर फाइल नोटिंग आदि का विवरण मांगा है, जिसके कारण समाचार क्लिपिंग में संदर्भित 19 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया और साथ ही उन बैंकों की सूची भी लगाई गई, जिन पर कारण बताओ नोटिस आदि जारी करने के बाद भी, जुर्माना नहीं लगाया गया था।

सीपीआईओ ने, बिंदु संख्या 1 से 3 पर अपीलकर्ता के प्रश्नों के उत्तर में, अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (ए), (डी) और (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत छूट का दावा किया और अपीलकर्ता को यह बताते हुए जवाब दिया कि जिन उल्लंघनों के लिए बैंकों ने उन बैंकों पर वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का निष्कर्ष निकाला है और उक्त सूचना रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रत्ययी क्षमता में प्राप्त की गई है, जिसके प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान होगा। इसलिए सीपीआईओ ने माना कि एससीएन/निष्कर्ष/रिपोर्ट/संबंधित पत्राचार/आदेश अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (ए), (डी) और (ई) के प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण से मुक्त हैं। मैं सीपीआईओ से सहमत हूं कि अपीलकर्ता की सूचना के लिए उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, मैं यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि सीपीआईओ का आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट का दावा करना उचित है। मेरे विचार में, बिंदु संख्या 1 पर मांगी गई सूचना का खुलासा अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (ए) और (ई) के अंतर्गत छूट प्राप्त है। बिंदु संख्या 2 और 3 पर पूछे गए प्रश्नों में मांगे गए विवरण उन बैंकों से संबंधित हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था और विवरण जैसे कि क्या उनके उत्तर संतोषजनक थे आदि। ये सूचना सीपीआईओ के लिए प्रत्ययी क्षमता में और इस तरह धारा 8(1) के खंड (ई) के अंतर्गत छूट उपलब्ध हैं। मुझे सीपीआईओ, डीबीएस द्वारा दिए गए उत्तर में कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि धारा 8(1) के अन्य खंड भी उनके द्वारा उद्धृत किए गए हैं।

4. अपील में कोई दम नहीं है। अपील खारिज की जाती है। यह आदेश अपीलकर्ता पर तामील किया जा सकता है।''

दूसरी अपील के लिए आधारः

अपीलकर्ता पीआईओ के जवाब और एफएए के आदेश से संतुष्ट नहीं है।

20 अक्टूबर 2011 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ता : श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल दूरभाष नं. 981033711य

प्रतिवादीः सुश्री मिनी कुट्टी कृष्णन, श्री जगनमोहन राव, सीपीआईओ और मुख्य महाप्रबंधक की ओर से एनआईसी स्टूडियो–मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहायक कानूनी सलाहकार।

प्रतिवादी द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (ई) के अंतर्गत छूट का दावा करते हुए विभिन्न तर्क दिए गए। प्रतिवादी ने दावा किया कि निरीक्षण रिपोर्ट गोपनीय होने के लिए होती है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ये आरबीआई द्वारा एक प्रत्ययी क्षमता में आयोजित की जाती हैं। अपीलकर्ता ने दावा किया कि आरबीआई के आरटीआई प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं के बाद ही आईसीआईसीआई को 200 करोड़ रुपये जारी करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने गलत तरीके से रखा था। अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि दामोदरन समिति को केवल आरटीआई आवेदनों के कारण नियुक्त किया गया था और इसकी रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए। अपीलकर्ता का तर्क था कि जब सूचना का खुलासा

आरटीआई में किया गया, तो इससे पारदर्शिता के साथ–साथ आम जनता को भी लाभ हुआ। आयोग ने दोनों पक्षों से आयोग को अपनी लिखित दलीलें भेजने को कहा।

20/10/2011 को हुई सुनवाई में आदेश सुरक्षित रखा गया था।

17 नवंबर 2011 को घोषित निर्णयः

आयोग को प्रतिवादी से लिखित निवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका उसके द्वारा अवलोकन किया गया है। पक्षों की दलीलों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता अब आरटीआई आवेदन के प्रश्न 1, 2 और 3 के संबंध में सूचना मांग रहा है। मांगी गई सूचना दस्तावेजों, पत्राचार, फाइल नोटिंग आदि सहित नियमों के उल्लंघन के लिए कुछ बैंकों पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाने से संबंधित है, उन बैंकों की सूची, जिन्हें जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, साथ ही डिफॉल्ट के प्रकार, और उन बैंकों की सूची जिन पर विवरण के साथ अंततः जुर्माना नहीं लगाया गया था।

पीआईओ के उत्तर दिनांक 08/06/2011 के आधार पर, एफएए के आदेश दिनांक 29/07/2011, और लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रतिवादी के मौखिक तर्कों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न 1, 2 और 3 पर सूचना से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और (ई) के आधार पर इनकार कर दिया गया है।

क्या प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है?

प्रतिवादी ने दावा किया है कि प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट दी गई थी। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि आरबीआई द्वारा किया गया निरीक्षण अक्सर निरीक्षण की गई इकाई के वित्तीय पहलू, प्रबंधन और प्रणालियों में कमजोरियों को सामने लाता है। निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज हालांकि निर्णायक दृष्टिकोण वाले होते हैं, कभी–कभी अस्थायी होते हैं। इसलिए ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से जनता के मन में गलतफहमी पैदा हो सकती है और बैंकोंधवित्तीय संस्थानों में जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका असर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर पड़ सकता है। यह न केवल किसी बैंक की जमा राशि पर एक लहर वाले प्रभाव को प्रेरित कर सकता है जिससे सूचना संबंधित है बल्कि अन्य पर भी संक्रामक प्रभाव के कारण दिक्कत हो सकती है। इसका वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाने के अलावा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में जनता के विश्वास पर निर्भर करता है।

प्रतिवादी ने लिखित प्रस्तुतीकरण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्होंने समय–समय पर आरबीआई के दृष्टिकोण को उचित सम्मान दिया है और निर्धारित किया है कि आर्थिक हितों और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों के मामलों में, वे आरबीआई के दृष्टिकोण से निर्देशित किया जाएगा। इन फैसलों को इस बेंच ने देखा है और ये हैं पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (1992) 2 एससीसी 343, जोसेफ कुरुविला वेल्लुकुनेल बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एआईआर 1962 एससी, बी. सूर्यनारायण बनाम कोल्लुरु पार्वती सहकारी बैंक लिमिटेड एआईआर 1986 एपी 244 और भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड एआईआर 1961 केर 268।

आयोग ने इन निर्णयों का अवलोकन किया और नोट किया कि उक्त मामलों में, न्यायालयों ने देश के आर्थिक हितों और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मामलोंध्मुद्दों पर आरबीआई के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये निर्णय आरटीआई अधिनियम के आने से पहले दिए गए थे। मामलों का निर्णय करते समय, आयोग को अनिवार्य रूप से विचार करना होगा कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना से इनकार करने के लिए कोई ठोस कारण थे। इस संबंध में, आरबीआई के विचारों को महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि यह देश के आर्थिक हित और वित्तीय स्थिरता के मामलों ध मुद्दों को निर्धारित करने के लिए सक्षम शीर्ष निकाय है– जैसा कि ऊपर दिए गए निर्णयों द्वारा आयोजित किया गया है। इन फैसलों में यह उल्लेख नहीं है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन सी सूचना छूट–प्राप्त है, यह तय करने के लिए आरबीआई ही एकमात्र मध्यस्थ है। सूचना को छूट दी गई है या नहीं, इस पर निर्णय आयोग द्वारा सचेत रूप से किया जाना है।

प्रतिवादी ने आर. आर. पटेल बनाम आरबीआई सीआईसी/एमए/ए/2006/00406 और 00150 दिनांक 07/12/2006 में आयोग की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है। आर. आर. पटेल के मामले में, पूर्ण पीठ एक सहकारी बैंक की आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट के प्रकटीकरण के विशिष्ट मुद्दे पर विचार कर रही थी। पीठ के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या निरीक्षण रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत खुलासे से छूट दी गई थी। पूर्ण पीठ ने आरबीआई बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (दिनांक 07/05/1958) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि ''हमारी तरह एक एकीकृत अर्थव्यवस्था में, एक नियामक प्राधिकरण का काम काफी जटिल है और ऐसे प्राधिकरण को यह तय करना होगा कि राज्य के आर्थिक हित में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यह आवश्यक है कि ऐसे प्राधिकरण को निर्णय लेने में और उद्देश्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में कार्यात्मक स्वायत्तता की अनुमति दी जाए। उपरोक्त के आधार पर, पूर्ण पीठ ने, अनुच्छेद 16 में, अन्य बातों के साथ–साथ फैसला सुनाया कि ''इसे देखते हुए, और पहले की चर्चा के आलोक में, हमें यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के प्रकटीकरण से छूट का दावा करने का हकदार है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी रिपोर्ट के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई इस मामले की देखरेख के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय है और इसलिए हम इसके आकलन पर भरोसा कर सकते हैं। इस मुद्दे को उसी के अनुसार तय किया जाता है "।

उपरोक्त के एक सादे पठन से, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ का विचार था कि यदि आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि निरीक्षण रिपोर्ट के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो उक्त सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसा कोई अवलोकन नहीं है कि पूर्ण पीठ स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। इसके अलावा, आरबीआई बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (दिनांक 07/05/1958) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर पूर्ण पीठ द्वारा भरोसा किया गया था, जो आरटीआई अधिनियम के आगमन से बहुत पहले की गई थी और इसलिए, एक मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने

के लिए। इसके अलावा, आर आर पटेल के मामले में आरबीआई ने दावा किया कि अगर बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जाता है तो यह राज्य के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 21/09/2006 के पत्र द्वारा प्रदान किए गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर प्रतीत होता है और वे इस प्रकार थेः

> ''(i) देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के पास निहित विभिन्न जिम्मेदारियों में से एक वित्तीय स्थिरता के रखरखाव से संबंधित है। जबकि सूचना का प्रकटीकरण आम तौर पर संस्थानों में जनता के विश्वास को मजबूत करता है, कुछ सूचनाओं का प्रकटीकरण जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से समझौता कर सकता है।
>
> (ii) आरबीआई द्वारा किया गया निरीक्षण अक्सर निरीक्षण की गई संस्थाओं के वित्तीय संस्थानों, प्रणालियों और प्रबंधन में कमजोरियों को सामने लाता है। इसलिए, प्रकटीकरण न केवल निरीक्षण की गई इकाई में बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जनता के विश्वास को कम कर सकता है। यह न केवल एक बैंक की जमा राशि पर एक लहर वाले प्रभाव को प्रेरित कर सकता है जिससे सूचना संबंधित है बल्कि अन्य भी संक्रामक प्रभाव के कारण दिक्कत में हो सकते है।
>
> (iii) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज के खिलाफ जनता द्वारा की गई शिकायतों पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना के लिए अनुरोध स्वीकार कर रहा था और ऐसी शिकायतों से संबंधित वास्तविक सूचना पर इस तरह की कार्रवाई के करने या सूचना देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि ऐसी सूचना अहानिकर प्रकृति की हो और प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना न हो।
>
> (iv) हालांकि, आयोग द्वारा 6 सितंबर, 2006 के अपने निर्णय में दिए गए आदेश के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा देश के आर्थिक हित में नहीं होगा और इस तरह के खुलासे से वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
>
> (v) निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अधिनियम के संबंध में अधिनियम की धारा 10(1) को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जब संदर्भ से बाहर पढ़ा जाता है तो और भी अधिक भ्रामक संदेश देने का परिणाम निकलता है।''

इस प्रकार आरबीआई ने तर्क दिया कि वह मांगी गई सूचना को साझा नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें से कुछ ''सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से समझौता कर सकते हैं''। आरबीआई उन सूचनाओं को साझा करने के लिए तैयार नहीं था जो 'निरीक्षित संस्थाओं के वित्तीय संस्थानों, प्रणालियों और प्रबंधन में कमजोरियों' को सामने ला सकती हैं। यह आगे तर्क दिया गया था कि 'प्रकटीकरण न केवल निरीक्षण की गई इकाई में बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जनता के विश्वास को कम कर सकता है। यह न केवल एक बैंक की जमा राशि पर एक लहर वाले प्रभाव को प्रेरित कर सकता है जिससे सूचना संबंधित है बल्कि अन्य भी संक्रामक प्रभाव के कारण दिक्कत में पड़ सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई ने तर्क दिया कि कमजोरियों के निहितार्थ को समझने के लिए नागरिक पर्याप्त परिपक्व नहीं थे, और आरबीआई यह तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश था कि नागरिकों को क्या जानना चाहिए। नागरिक, जिन्हें यह तय करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है कि उन पर किन के

द्वारा शासन होना चाहिए, जो सरकार को वैधता देते हैं, और भारत के संविधान को तैयार करते हैं, उन्हें निरीक्षण में उजागर कमजोरियों के बारे में चुनिंदा सूचना दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास है। उन्हें वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को उसी हद तक देखना चाहिए, जिस हद तक आरबीआई चाहता है।

यह इस प्रकार है कि अगर आरबीआई ने गलती की, या भ्रष्टाचार हुआ, तो नागरिकों को नुकसान होगा। यह लोकतंत्र और पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। इसी तरह के तर्क अब प्रतिवादी द्वारा वर्तमान मामले में भी उठाए गए हैं। यह खंडपीठ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428 में न्यायमूर्ति मैथ्यू के स्पष्ट आह्वान को याद रखना चाहेगी – ''हमारी जैसी जिम्मेदारी वाली सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहां कुछ रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कृत्य, वह सब कुछ जानने का अधिकार है जो उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। वे हर सार्वजनिक लेनदेन के विवरण को उसके सभी पहलुओं में जानने के हकदार हैं। उनका जानने का अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से लिया गया है, हालांकि पूर्ण नहीं है, एक ऐसा कारक है जो हर किसी को सावधान करता है जब लेनदेन के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है, जो किसी भी दर पर सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई असर नहीं डाल सकता है''।

एस पी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति एवं अन्य एआईआर 1982 एससी 149 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को भी याद रखना सार्थक है:

''यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार की हर कार्रवाई जनहित में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसे मामले मिलते हैं, हालांकि कई नहीं, जहां सरकारी कार्रवाई सार्वजनिक भलाई के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ या अन्य बाहरी विचारों के लिए की जाती है। कभी–कभी सरकारी कार्रवाई राजनीतिक और अन्य प्रेरणाओं और दबावों से प्रभावित होती है...

कभी–कभी, कार्यपालिका की ओर से अधिकार के दुरुपयोग या कुप्रयोग के उदाहरण भी होते हैं। अब, यदि सरकार के कामकाज में गोपनीयता रखी जानी थी और सरकार की प्रक्रियाओं को सार्वजनिक जांच से छिपाया जाना था, तो यह उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग या अधिकार के दुरुपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए होगा, क्योंकि यह सब बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के गोपनीयता के घूंघट में ढका हुआ होगा। लेकिन अगर जनता के लिए उपलब्ध सूचना के साधनों के साथ एक खुली सरकार है तो सरकार के कामकाज का अधिक से अधिक प्रदर्शन होगा और यह लोगों को एक बेहतर और अधिक कुशल प्रशासन का आश्वासन देने में मदद करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'सार्वजनिक नजर और जांच के संपर्क में एक स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन प्राप्त करने का एक निश्चित साधन है। यह वास्तव में कहा गया है कि एक खुली सरकार स्वच्छ सरकार है और राजनीतिक और प्रशासनिक विचलन और अक्षमता के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा है ...

यह एक खुले समाज की नई लोकतांत्रिक संस्कृति है जिसकी ओर हर उदार लोकतंत्र विकसित हो रहा है और हमारे देश को कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। एक खुली सरकार की अवधारणा जानने के अधिकार से प्रत्यक्ष उद्गम है जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित प्रतीत होता है। इसलिए, सरकार के कामकाज के

संबंध में सूचना का खुलासा नियम होगा और गोपनीयता अपवाद होना चाहिए, केवल तभी उचित होगा जब जनहित की सबसे सख्त आवश्यकता की मांग हो ...

भले ही विभाग के प्रमुख या मंत्री भी सार्वजनिक हित में कुछ अनौपचारिक दस्तावेजों के प्रकटीकरण से उन्मुक्ति का दावा करते हुए एक हलफनामा दायर कर सकते हैं, यह अच्छी तरह से तय है कि न्यायालय के पास दस्तावेजों को मंगाने और उनकी जांच करने के लिए अवशिष्ट शक्तियां हैं। हलफनामे में मंत्री या विभाग के प्रमुख द्वारा दिए गए बयान द्वारा अदालत बाध्य नहीं है। जबकि संबंधित विभाग के प्रमुख इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम थे कि क्या अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों के प्रकटीकरण से राष्ट्र या सार्वजनिक सेवा को नुकसान होगा, वह यह तय करने में सक्षम नहीं है कि सार्वजनिक हित में क्या है क्योंकि यह न्यायालय का काम है। दस्तावेज को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले न्यायालय अन्याय के जोखिम के खिलाफ राज्य या सार्वजनिक सेवा की क्षति को संतुलित करने की शक्ति रखती है।

यह विचार कि नागरिक समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं और घबराएंगे, लोकतंत्र के प्रतिकूल है। 60 से अधिक वर्षों से नागरिकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को एक परिपक्व तरीके में संभाला है, उन नेताओं को दंडित किया है जिन्होंने उनके अधिकारों को कुचलने की प्रवृत्ति दिखाई है, और उन्हें फिर से सत्ता दी है जब नेताओं ने भारत के संप्रभु नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता नहीं लेने का सबक सीखा है। 'हम लोगों' ने खुद को भारत का संविधान दिया, उसका पालन–पोषण किया और उसे आगे बढ़ाएंगे। भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण की आशंका पर नहीं रोका जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की बाधा को संसद को भी बड़ी सावधानी से पार करना पड़ता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत छूट संसद द्वारा लगाई गई बाधाएं हैं और निर्णायक निकायों को ध्यान से विचार करना होगा कि क्या आरटीआई ढांचे के अंतर्गत किसी भी सूचना को अस्वीकार करने से पहले छूट लागू होती है।

यह उल्लेख करना उचित है कि आर. आर. पटेल के मामले में, पूर्ण पीठ किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी कि निरीक्षण रिपोर्टों के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय उसने यह निर्धारित करने के लिए आरबीआई को छोड़ दिया कि क्या उक्त सूचना का खुलासा आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) को आकर्षित करेगा। यह मुख्य रूप से इस आधार पर था कि आरबीआई एक विशेषज्ञ निकाय है और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अनिवार्य रूप से आयोग पर निर्भर होना चाहिए और एकमात्र निर्णायक कारक होना चाहिए। उपरोक्त निष्कर्ष के लिए पूर्ण पीठ द्वारा कोई कानूनी तर्क नहीं दिया गया था। ऐसा कोई सबूत या संकेत नहीं है कि आयोग आरबीआई के विचारों का संज्ञान लेने के बाद उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। यदि पूर्ण पीठ की स्थिति को स्वीकार किया जाना है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां आरबीआई के पास अंतिम निर्णय होगा कि किसी नागरिक को सूचना प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। इस तर्क का विस्तार करते हुए, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण सबसे अच्छे न्यायाधीश हो सकते हैं कि कौन सी सूचना का खुलासा किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने कामकाज से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ होने की संभावना रखते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग की कोई

भूमिका नहीं होगी। संसद को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि आयोग स्वतंत्र रूप से यह तय करेगा कि छूट लागू है या नहीं। यह आरबीआई के विचार को ध्यान में रख सकता है, लेकिन कोई छूट लागू होगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा तय किया जाना चाहिए। पूर्ण पीठ ने कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया कि सूचना के प्रकटीकरण से अपने निर्णय में राज्य के आर्थिक हितों पर क्या असर पड़ेगा। यह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को गारंटीकृत सूचना के मौलिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। पूर्ण पीठ द्वारा विचार किए जा रहे मामले में, उसने आरबीआई के फैसले को स्वीकार करने का फैसला किया। आयोग किसी अन्य निकाय के निर्णय को स्थगित करने के लिए खुला है, लेकिन यह कानून के किसी भी सिद्धांत को स्थापित नहीं करता है, और केवल विशिष्ट मामले पर लागू होगा।

आरटीआई अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। आयोग आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को आरबीआई को इस आधार पर नहीं छोड़ सकता है कि वह एक विशेषज्ञ निकाय है। आयोग केवल लोक प्राधिकरण के निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकता है और उसे मामले के गुण–दोषों को देखना चाहिए। इसे स्वयं ही यह निर्धारित करना होगा कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार पीआईओ द्वारा सूचना से इनकार करना उचित था। चूंकि पूर्ण पीठ ने कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की है जो यह दर्शाती हो कि वह जानबूझकर सहमत है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) ऐसे मामलों में लागू होती है, यह किसी भी कानूनी सिद्धांत या व्याख्या को स्थापित नहीं करती है जिसे एक मिसाल माना जा सकता है या अनुपात। इस प्रकार निर्णय केवल उसके समक्ष विशेष मामले पर लागू होता है, और एक बाध्यकारी मिसाल नहीं बनता है।

इसके अलावा, आर. आर. पटेल के मामले में पूर्ण पीठ का गठन तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम अंसारी के दिनांक 06ध09ध2006 के दो निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए किया गया था। जैसा कि ऊपर वर्णित है, पूर्ण पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने वाले मुद्दों में यह शामिल है कि क्या रिपोर्ट के निरीक्षण के संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट के लिए आरबीआई के दावे को उचित ठहराया जा सकता है। पूर्ण पीठ ने ग्रिंडलेज बैंक बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एआईआर 1981 एससी 606 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि जब एक प्रक्रियात्मक दोष के कारण समीक्षा की मांग की जाती है, तो ट्रिब्यूनल द्वारा की गई अनजान त्रुटि को ठीक किया जाना चाहिए। अपनी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी शक्ति हर न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित है। इस आधार पर पूर्ण पीठ ने तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम अंसारी के फैसलों की समीक्षा की।

पटेल नरशी ठाकरे एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय बनाम श्री प्रद्युमनसिंहजी एआईआर 1970 एससी 1273 ने नोट किया है – ''यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समीक्षा करने की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है। इसे कानून द्वारा या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए''। कुंतेश गुप्ता बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय प्रबंधन सीतापुर एवं अन्य एआईआर 1987 एससी 2186, में उच्चतम न्यायालय ने कहा – ''अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है, जब तक कि समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से उस कानून द्वारा प्रदान नहीं की जाती

है जिसके अंतर्गत वह अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है''। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कपड़ा मजदूर एकता संघ बनाम मैसर्स बिड़ला कॉटन प्रबंधन अपील (सिविल) संख्या 3475/2003 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 16/03/2005 को मानाः

> ''... यह स्पष्ट है कि जहां एक न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, जिसके पास योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा करने के लिए उसके निर्णय या आदेश की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा समीक्षा की शक्ति के साथ निहित हो। प्रक्रियात्मक समीक्षा एक अलग श्रेणी से संबंधित है। इस तरह की समीक्षा में, न्यायालय या अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण, जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा करने के लिए कार्यवाही करता है, लेकिन ऐसा करने में एक प्रक्रियात्मक अवैधता होती है जो मामले की जड़ तक जाती है और कार्यवाही को ही अमान्य कर देती है, और परिणामस्वरूप उसमें ऐसा आदेश पारित किया जाता है। ऐसे मामले जहां न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विरोधी पक्ष को नोटिस दिए बिना या गलत धारणा के अंतर्गत दिया गया है कि नोटिस विपरीत पक्ष को दिया गया था, या जहां किसी मामले को सुनवाई के लिए लिया जाता है और किसी अन्य तारीख को निर्णय लिया जाता है इसकी सुनवाई के लिए नियत तारीख से अधिक, कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं जिनमें प्रक्रियात्मक समीक्षा की शक्ति लागू की जा सकती है। ऐसे मामले में आदेश की समीक्षा या वापस लेने की मांग करने वाले पक्ष को इस आधार को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि पारित आदेश रिकॉर्ड पर या किसी अन्य आधार पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है जो समीक्षा को उचित ठहरा सकता है। उसे यह स्थापित करना होगा कि न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इस तरह की अवैधता से ग्रस्त है कि इसने कार्यवाही को दूषित कर दिया और उसमें दिए गए आदेश को अमान्य कर दिया, क्योंकि संबंधित विरोधी पक्ष को उसकी गलती के लिए नहीं सुना गया था, या यह कि मामला को सुना गया और मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख के अलावा अन्य तारीख पर निर्णय लिया गया, जिसमें वह अपनी गलती के बिना उपस्थित नहीं हो सके। अतः ऐसे मामलों में पारित आदेश के गुणदोष में जाए बिना कानून के अनुसार मामले की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। पारित आदेश वापस लेने और समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह गलत पाया गया है, लेकिन क्योंकि यह एक कार्यवाही में पारित किया गया था जो स्वयं प्रक्रिया या गलती की त्रुटि से दूषित था जो मामले की जड़ तक गया और पूरे को अमान्य कर दिया कार्यवाही। ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं अन्य (ऊपर) में, यह माना गया था कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि उत्तरदाताओं को पर्याप्त कारणों से सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया था, इसके बाद मामले को फिर से सुना जाना चाहिए और फिर से फैसला किया। "

उपरोक्त निर्णयों के एक संयुक्त पठन से, यह स्पष्ट है कि एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण योग्यता के आधार पर किसी निर्णय की समीक्षा तभी कर सकता है जब उसे स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ द्वारा समीक्षा की शक्ति प्राप्त हो। आयोग की शक्तियां आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सीमित हैं और निश्चित रूप से इसे समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करती हैं। आर आर पटेल के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय से स्पष्ट है कि वह तत्कालीन सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एम

अंसारी के दो फैसलों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा कर रही थी। पूर्ण पीठ के पास निश्चित रूप से आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। वास्तव में, कपड़ा मजदूर एकता यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रिंडलेज बैंक मामले (पूर्ण पीठ द्वारा भरोसा) में निर्णय पर स्पष्ट रूप से विचार किया और स्पष्ट किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ ने कपड़ा मजदूर एकता संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी में आर.आर. पटेल के मामले में योग्यता के आधार पर मुद्दों की समीक्षा की। इसलिए, ऊपर वर्णित कारणों के लिए, आर. आर. पटेल का मामला अनवधानता के कारण है और फलस्वरूप, इस पीठ पर बाध्यकारी नहीं है।

उपरोक्त निर्धारित करने के बाद, इस खंडपीठ ने वर्तमान मामले में प्रतिवादी के तर्क की जांच की है कि प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (ए) के अंतर्गत सुरक्षित है। जबकि इस बेंच ने वर्तमान मामले में आरबीआई के फैसले पर विचार किया है, क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट लागू होगी या नहीं, यह आयोग द्वारा तय किया जाना चाहिए।

धारा 8(1)(ए) ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध के लिए उकसाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा'' से छूट मिलती है। यह संभावना नहीं है कि प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक या वैज्ञानिक हितों, या विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह जांच की जानी चाहिए कि क्या सूचना के प्रकटीकरण से राज्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मांगी गई सूचना दस्तावेजों, पत्राचार, फाइल नोटिंग आदि सहित नियमों के उल्लंघन के लिए कुछ बैंकों पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाने से संबंधित है, उन बैंकों की सूची, जिन्हें जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, साथ ही डिफॉल्ट के प्रकार, और उन बैंकों की सूची जिन पर विवरण के साथ अंततः जुर्माना नहीं लगाया गया था। यह पीठ यह समझने में असमर्थ है कि इस सूचना का खुलासा करने से भारतीय राष्ट्र के आर्थिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता केवल बैंकोंधवित्तीय संस्थानों में जनता के विश्वास पर निर्भर नहीं हो सकती है, और निश्चित रूप से वहां नहीं जहां सार्वजनिक धन रखने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान अनियमितताओं में शामिल हैं। प्रतिवादी के निवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक है और इसलिए मांगी गई सूचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास नहीं है कि सूचना के प्रकटीकरण से भारत के आर्थिक हितों को कोई नुकसान होगाय वास्तव में यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह देश की आर्थिक नींव की मौलिक ताकत में सुधार करने में मदद करेगा और अचानक होने वाले व्यवधानों से रक्षा करेगा, जो कि सभी सूचना जनता के लिए उपलब्ध नहीं होने पर हो सकता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) में कहा गया है, ''आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 में कुछ भी होने के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है"। आरबीआई एक नियामक प्राधिकरण है

जो अन्य बातों के साथ–साथ अधीनस्थ बैंकों और संस्थानों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे बैंकों और संस्थानों के पास बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन रखा जाता है। इसलिए, यह तर्कसंगत है कि जनता को नियामक अनुपालन में किसी भी चूक सहित ऐसी संस्थाओं के कामकाज और कामकाज के बारे में जानने का अधिकार हो। केवल इसलिए कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण चूककर्ता संस्थानों में जनता के विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है। यदि ऐसे बैंकों और संस्थानों के प्रकार्य और कामकाज में कुछ अनियमितताएं हैं, तो नागरिकों को निश्चित रूप से उनके बारे में जानने का अधिकार है। मनमानी, गलतियों और भ्रष्टाचार पर सबसे अच्छी जांच पारदर्शिता है, जो हजारों नागरिकों को जनहित के मॉनिटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। ऐसे संगठनों के संबंध में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि नागरिक उनके बारे में सूचित विकल्प बना सकें। उसी के मद्देनजर, इस पीठ का विचार है कि भले ही मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के अंतर्गत छूट दी गई हो, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है, – आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य करेगी।

इस समय, अनुच्छेद 21 में आरआर पटेल मामले में पूर्ण पीठ के निष्कर्ष और सिफारिश का उल्लेख करना प्रासंगिक है – ''इस अपील से अलग होने से पहले, हम अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि तेजी से सामने आ रहे अर्थशास्त्र परिदृश्य में, बैंकिंग और गैर–बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में ऐसे सार्वजनिक संस्थान हैं, जिनकी गतिविधियों ने सार्वजनिक हित की सेवा नहीं की है। इसके विपरीत, हो सकता है कि कुछ ऐसी संस्थाओं ने ऐसी संस्थाओं के पास ट्रस्ट में रखे अपने धन से जनता को ठगने का प्रयास किया हो। आरबीआई केंद्रीय बैंक होने के नाते जनता के लिए उपलब्ध साधनों में से एक है जो एक नियामक के रूप में ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय शुरू कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आम जनता विशेष रूप से शेयरधारकों और ऐसे संस्थानों के जमाकर्ताओं को ऐसे संस्थानों के कामकाज के बारे में आरबीआई के मूल्यांकन से अवगत कराया जाता है और विशिष्ट मामलों में शुरू की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में विश्वास में लिया जाता है। इससे जनहित में काम होगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम जनता और सूचना चाहने वालों के लिए सूचना का खुलासा करने में सक्रिय रहने की सलाह दी जाएगी। इस उद्देश्य का पालन करने के लिए आवश्यक होने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 10(1) के प्रावधानों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त को सीधे–सीधे पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण पीठ अपने विचार का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँची थी। इसने–, अनुच्छेद 21 में,– स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त सूचना के प्रकटीकरण से एक बड़े जनहित की पूर्ति होने की संभावना थी। इसने सुझाव दिया कि आरबीआई को इस सूचना में से अधिकांश को सक्रिय रूप से प्रकट करना चाहिए। पूर्ण पीठ ने प्रभावी रूप से आरबीआई को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस सूचना का खुलासा करने की सिफारिश की थी। यह खंडपीठ पूर्ण पीठ के इस निष्कर्ष से सहमत है कि आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थानों के मूल्यांकन का खुलासा और उपचारात्मक उपायों को जनता के साथ सक्रिय रूप से साझा किया जाना चाहिए। इस तरह के खुलासे से जनहित की पूर्ति होगी क्योंकि पीठ ने आरबीआई पर भरोसा किए बिना अपने दम पर निष्कर्ष निकाला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण

है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई ने पिछले पांच वर्षों में इस सूचना को सक्रिय रूप से प्रकट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

हालांकि, एक बार जब पूर्ण पीठ ने प्रकटीकरण में एक जनहित के अपने निष्कर्ष को दर्ज कर लिया था, तो उसे कारण बताना चाहिए था कि उसने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण का आदेश क्यों नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। पूर्ण पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि प्रकटीकरण में व्यापक जनहित है, लेकिन इस निष्कर्ष के आधार पर कोई निर्देश नहीं दिया और न ही कोई निर्देश न देने का कोई कारण बताया। यदि पूर्ण पीठ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधानों पर विचार किया होता, तो यह फैसला सुनाता कि आवश्यक सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए। यह इंगित किया जा सकता है कि उपरोक्त के मद्देनजर, आर. आर. पटेल के मामले में निर्णय अनवधानता के कारण है क्योंकि यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के वैधानिक प्रावधान पर विचार किए बिना प्रदान किया गया था।

प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अनुसार, आरबीआई द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट केवल उस बैंकिंग कंपनी को प्रदान की जाएगी जिसका निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा, एक बैंकिंग कंपनी की निरीक्षण रिपोर्ट गोपनीय प्रकृति की होती है और बैंकिंग कंपनी को उचित नोटिस देने के बाद केंद्र सरकार को छोड़कर किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती है। ये निरीक्षण रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति को भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। इसके अलावा, आरबीआई आमतौर पर न्यायालयों में निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने से साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषाधिकार का दावा करता है। प्रतिवादी ने आरबीआई बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (1959) I एलएलजे 539 पी एंड एच और आरबीआई बनाम पी. नादराजन (2000 में रिपोर्ट किया गया सीटीसी 173) में मद्रास के उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है। पीठ ने इन फैसलों पर गौर किया है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923, और वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून में या इसके आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी कानून में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। आरटीआई अधिनियम के अलावा कोई भी कानून। आरटीआई अधिनियम की धारा 22, बिना किसी अनिश्चित शब्दों के, यह बताती है कि आरटीआई अधिनियम किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगतता को खत्म कर देगा। भारत संघ बनाम केंद्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में दिल्ली के उच्च न्यायालय 2009 (165) डीएलटी 559 ने माना है कि–

''आरटीआई अधिनियम की धारा 22 उक्त अधिनियम को सर्वोच्चता प्रदान करती है और यह निर्धारित करती है कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान ओवरराइड हो जाएंगे, भले ही आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी हो। विधायी मंशा के अनुपालन में इस गैर–बाधक खंड को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है। जहां भी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और आरटीआई अधिनियम के लागू होने की तारीख को पहले से लागू एक अन्य अधिनियम के बीच कोई विरोध है, आरटीआई अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे"

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के केवल अवलोकन पर, ऐसा लगता है कि आरबीआई के नियंत्रण में या उसके नियंत्रण में सूचना तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट केवल केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी को सूचित करने के बाद केवल बैंकिंग कंपनी को प्रदान की जाएगी, या प्रकाशित की जा सकती है। यह आरटीआई अधिनियम के साथ प्रथम दृष्टया असंगत है, जो सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है जब तक कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत छूट नहीं दी जाती है। इसलिए, आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, सूचना देने के संबंध में आरटीआई अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे। नतीजतन, सूचना दी जानी चाहिए या नहीं, इसकी जांच केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के आलोक में की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा उद्धृत निर्णय आरटीआई अधिनियम के आगमन से पहले तय किए गए थे और इसलिए यह निर्धारित करने में प्रासंगिक नहीं हैं कि मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट दी गई थी या नहीं।

प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट दी गई थी। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) प्रकटीकरण से छूट देती है ''किसी व्यक्ति को उसके भरोसेमंद रिश्ते में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को वारंट करता है''। प्रतिवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अदालतों ने माना है कि निरीक्षण रिपोर्ट आरबीआई पर बैंकों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के आधार पर गोपनीय होती है और जब गोपनीयता और विश्वास का एक तत्व होता है, तो इसे भरोसेमंद क्षमता में रखा जाता है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बनाम शौनक एच. सत्या एवं अन्य 2011 (9) स्केल 639 (पैराग्राफ 16–18) के और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य 2011 (8) स्केल 645 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदित्य बंदोपाध्याय मामले में 'न्यायिक' (आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत) की अपनी परिभाषा पर भरोसा किया है। आदित्य बंधोपाध्याय मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है–

> ''21.' प्रत्ययी' शब्द का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कर्तव्य है कि वह दूसरे के लाभ के लिए कार्य करे, सद्भाव और निष्कपटता का प्रदर्शन करे, जहां ऐसा अन्य व्यक्ति कर्तव्य निभाने या निर्वहन करने वाले व्यक्ति में भरोसा और विशेष विश्वास रखता है। शब्द 'न्यायिक संबंध' का उपयोग उस स्थिति या लेन–देन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां एक व्यक्ति (लाभार्थी) अपने मामलों, व्यवसाय या लेन–देन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति (प्रत्याशी) पर पूर्ण विश्वास रखता है। यह शब्द उस व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जो किसी चीज को दूसरे (लाभार्थी) के लिए भरोसे में रखता है। प्रत्ययी से विश्वास में और लाभार्थी के लाभ और लाभ के लिए कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, और लाभार्थी या लाभार्थी से संबंधित चीजों से निपटने में अच्छे विश्वास और निष्पक्षता का उपयोग किया जाता है। यदि लाभार्थी ने ट्रस्टी को कुछ भी सौंपा है, तो उस चीज को ट्रस्ट में रखने के लिए या सौंपी गई चीज के संबंध में या कुछ कृत्यों को निष्पादित करने के लिए, प्रत्ययी को विश्वास में कार्य करना होगा और उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी चीज या सूचना का खुलासा किसी भी तृतीय पक्ष को न करे

... लेकिन शब्द 'किसी व्यक्ति को उसके न्यासी संबंध में उपलब्ध जानकारी' का प्रयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) में उसके सामान्य और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थों में किया जाता है, जो उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो एक प्रत्ययी क्षमता में कार्य करते हैं, एक विशिष्ट लाभार्थी या लाभार्थियों के संदर्भ में, जिन्हें प्रत्ययी के कार्यों से संरक्षित या लाभान्वित होने की उम्मीद है ...'' (जोर जोड़ा गया)

उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'न्यायिक' की परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, सूचना प्रदाता अपने लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना को ट्रस्ट में देता है। व्यापार या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदाहरण के लिए, डॉक्टर, वकील, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस पीठ ने कई निर्णयों में यह माना है कि एक भरोसेमंद रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना धारक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, जिसके पास एक विकल्प होना चाहिए– जैसे कि जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, या कोई ग्राहक चुनता है एक विशेष बैंक, या एक मरीज विशेष डॉक्टर के पास जाता है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि यह निर्धारित करते समय कि एक प्रत्ययी संबंध मौजूद है या नहीं, यह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सूचना पसंद से दी गई थी या एक वैधानिक दायित्व के रूप में। आयोग इस मामले में प्रतिवादी से सहमत नहीं है। हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्ययी की परिभाषा पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए भी, जैसा कि ऊपर दिया गया है– यह स्पष्ट है कि बैंकिंग कंपनियों ने भरोसे या विश्वास में आरबीआई को सूचना दी हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है ऐसी कंपनियों के लाभ में कार्य करने के लिए आरबीआई पर शुल्क का मामला हो। वास्तव में, जब आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण करता है, तो वह नियामकधनिगरानी क्षमता में ऐसा करता है। बैंकिंग कंपनियों द्वारा आरबीआई को दी गई सूचना स्पष्ट रूप से वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में है। इसलिए, इस संबंध में आरबीआई और बैंकिंग कंपनियों के बीच कोई भरोसेमंद संबंध नहीं बनता है।

प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि चूंकि आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव होने की संभावना है, इसलिए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, प्रतिवादी ने आदित्य बंधोपाध्याय मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है, जिसे इस पीठ ने देखा है। आयोग को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक न्यायिक प्राधिकरण होने के नाते, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के सूचना का अधिकार प्रभावी है, लेकिन साथ ही, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) और 9 में उल्लिखित विशिष्ट हितों की रक्षा की जाती है। वर्तमान मामले में, आयोग ने यह दृष्टिकोण

अपनाया है और – ऊपर वर्णित कारणों से, यह राय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट आकर्षित नहीं होती है।

एक बार फिर यह उल्लेख करना उचित होगा कि नागरिकों को किसी भी नियामक चूक सहित बैंकिंग कंपनियों के प्रकार्य और कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। यदि संस्थानोंध्बैंकिंग कंपनियों के कामकाज में अनियमितताएं हैं– जैसा कि प्रश्न 1, 2 और 3 में मांगा गया है, नागरिकों को निश्चित रूप से इसके बारे में जानने का अधिकार है। इस सूचना का खुलासा करने से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत एक बड़े जनहित की सेवा होगी। उसी के मद्देनजर, इस पीठ का विचार है कि भले ही मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट दी गई हो, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है, – धारा 8(2) आरटीआई अधिनियम मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य करेगा।

प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया है कि आरबीआई द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने से अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों द्वारा बैंकिंग कंपनियों को एक भरोसेमंद संबंध के माध्यम से प्रदान की गई सूचना प्रकट होगी। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया है कि व्हिसल ब्लोअर और इस संबंध में आरबीआई को सूचना प्रदान करने वाले अन्य व्यक्तियों की पहचान को संरक्षित किया जाना चाहिए। विश्वास को बैरिंग्स पीएलसी बनाम कूपर्स एंड लाइब्रैंड [2000, 1 डब्ल्यूएलआर 2353 और रे गैलीलियो ग्रुप लिमिटेड [1999] सी 100 पर रखा गया है।

आयोग की राय है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों में कुछ योग्यता है और निरीक्षण रिपोर्ट के पूर्ण प्रकटीकरण से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) और (जी) में निहित छूटों को आकर्षित किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 10(1) निम्नानुसार प्रदान करती है:

> ''**10. पृथक्करणीयता** – (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि यह सूचना के संबंध में है जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, तो इस अधिनियम में किसी भी चीज के होते हुए भी, रिकॉर्ड के उस हिस्से तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। जिसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और जिसे छूट वाली सूचना वाले किसी भी हिस्से से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।''

आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना का खुलासा नहीं किया गया है, आवेदक को इसे प्रकट करने से पहले सूचना के कुछ हिस्सों को पृथक करना संभव है। इसलिए, इस आयोग ने अपीलकर्ता द्वारा पूछताछ 1, 2 और 3 में मांगी गई सूचना के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 10 को लागू करने का निर्णय लिया है। ग्राहक से संबंधित सूचना का विवरण और मुखबिरों का विवरण/व्हिसल ब्लोअर/निरीक्षण रिपोर्ट में निहित सूचना का स्रोत खाली किया जाएगा और फिर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

अपील की अनुमति है। पीआईओ को निर्देश दिया जाता है कि वह ग्राहक से संबंधित सूचना और मुखबिरोंध्व्हिसल ब्लोअर/सूचना के स्रोत के विवरण को अलग करने के बाद 15 दिसंबर 2011 से पहले अपीलकर्ता को आरटीआई आवेदन के प्रश्न 1, 2 और 3 के संबंध में पूरी सूचना प्रदान करें।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
17 नवंबर 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)(डीआईएस)

अनुलग्नक 15.4

मनीषा प्रिया भाटिया बनाम दिल्ली एनसीटी 23 जुलाई, 2014
केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)
पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067
दूरभाषः 91–11–26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/002238/16606
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2011/002238
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्रीमती रश्मि दीक्षित मतिमान, 209 बी, जवाहर नगर, निरोगधाम अस्पताल के पास, नीमच, मध्य प्रदेश
प्रतिवादी	:	श्री बीरबल सिंह, जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (''आईएचबीएएस''), दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095

आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआः 26/04/2011
पीआईओ ने उत्तर दियाः 29/04/2011
पहली अपील प्राप्त हुईः 13/05/2011
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : 01/06/2011
द्वितीय अपील : 12/08/2011 को प्राप्त हुई

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का जवाब
1	अपीलकर्ता को 01/04/2011 से 04/04/2011 तक आईएचबीएएस की	मांगी गई सूचना अपीलकर्ता और उसके पति द्वारा प्रदान की गई थी और प्रकृति में

	शॉर्ट ऑब्जर्वेशन फैसिलिटी (''एसओएफ'') में रखा गया था। अपीलकर्ता ने संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी के साथ इसके कारणों की मांग की है?	संवेदनशील/गोपनीय थी। इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट दी गई थी।
2	उन सभी डॉक्टरों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जिन्होंने संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी के साथ उल्लिखित अवधि के दौरान अपीलकर्ता की जांच की।	आवश्यक सूचना संलग्नकों के माध्यम से प्रदान की गई है।
3	आवश्यक सूचना संलग्नकों के माध्यम से प्रदान की गई है।	प्रश्न 1 के उत्तर के समान।
4	मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित अवलोकन के दौरान अपीलकर्ता द्वारा भरी गई प्रश्नावली की सत्यापित फोटोकॉपी जिसमें डॉक्टरों की टिप्पणी भी शामिल है।	प्रश्न 1 के उत्तर के समान।
5	आईएचबीएएस की मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाई के कार्यरत कर्मचारियों, डॉक्टरों, परामर्शदाताओं, स्टाफ नर्सों, परिचारकों और ड्राइवरों के नियुक्ति पत्रों की नाम, पता और सत्यापित फोटोकॉपी।	आवश्यक सूचना संलग्नकों के माध्यम से प्रदान की गई है।
6	अपीलकर्ता की मां द्वारा संयुक्त निदेशक, निदेशक को 05/04/2011 को भेजे गए ईमेल पर आईएचबीएएस के प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई–उसकी सत्यापित फोटोकॉपी।	की गई कार्रवाई नैदानिक मूल्यांकन की प्रकृति की थी और अपीलकर्ता को 06/04/2011 को कार्यमुक्त कर दिया गया था।
7	अपीलकर्ता को 04/04/2011 की दोपहर से महिला वार्ड में रखा गया था। उसका रजिस्ट्रेशन नं. 2011–4 13628 था। उसे 06/04/2011 को वहां से छुट्टी दे दी गई। अपीलकर्ता की आय, डिस्चार्ज लेटर में, रुपये के रूप में दिखाई गई थी। 50,000 इसका आधार क्या था और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित	यह सूचना अपीलार्थी के पति ने दी।

	फोटोकॉपी।	
8	मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाई के डॉ. अरशद हुसैन और डॉ. श्वेता शर्मा और चालक द्वारा दिए गए कारणों के साथ–साथ प्रासंगिक दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी जिसके आधार पर अपीलकर्ता को 01/04/2011 को आईएचबीएएस में भर्ती कराया गया था।	प्रश्न 1 के उत्तर के समान।
9	अपीलकर्ता के पति द्वारा अपीलकर्ता से संबंधित आईएचबीएएस को दी गई सभी सूचनाओं, दस्तावेजो/अभिलेखों, ईमेल आदि की सत्यापित फोटोकॉपी।	प्रश्न 1 के उत्तर के समान।

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ द्वारा प्रदान की गई अधूरी और असंतोषजनक सूचना।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

एफएए संतुष्ट था कि अपीलकर्ता के रिकॉर्ड में स्वयं, उसके पति और रिश्तेदारों द्वारा प्रदान की गई इनपुट और सूचना शामिल है–जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अस्पताल टीम के सदस्य के साथ साझा की गई व्यक्तिगत सूचना है। मनोरोग मामले के रिकॉर्ड में सूचना सभी व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना का संग्रह है। डीम्ड पीआईओ (जैसा कि आदेश में उल्लेख किया गया है) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था कि एक मनोरोग मामले में–मेडिकल रिकॉर्ड न केवल शारीरिक नैदानिक परीक्षा थे, बल्कि रिश्तेदारों, विशेष रूप से पति या पत्नी, बच्चों, माता–पिता, आदि द्वारा साझा की गई विभिन्न सूचना शामिल थे। मनोरोग के मामलों में प्रत्ययी संबंध न केवल रोगी तक बल्कि दूसरों द्वारा साझा की गई सूचना तक भी विस्तारित होते हैं। एक मानसिक स्वास्थ्य टीम के किसी भी टीम के सदस्यों को सूचना देने वालों में से प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई सूचना को एक भरोसेमंद संबंध में प्रदान किया गया माना जाना चाहिए। इसलिए, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) लागू है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां विवादित वैवाहिक या तलाक की कार्यवाही की उचित संभावना मौजूद है, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पति या पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य या यहां तक कि किसी मित्र द्वारा किसी पेशेवर को दी गई सूचना का प्रकटीकरण न तो उचित है और न ही वांछनीय है।

द्वितीय अपील के लिए आधार

एफएए के आदेश से असंतुष्ट।

23 नवंबर 2011 को हुई सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्रीमती रश्मि दीक्षित मतिमान, एनआईसी स्टूडियो–नीमच से वीडियो–सम्मेलन के माध्यम सेय

प्रतिवादीः श्री बीरबल सिंह, पीआईओ और संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और डॉ निमेश जी. देसाई, एफएए और निदेशक।

दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलकर्ता ने उसके मनोरोग उपचार और उसी से संबंधित रिकॉर्ड के बारे में सूचना मांगी है। उसने कहा कि उसके पति ने उसे जबरन आईएचबीएएस में भर्ती कराया था। उसने दावा किया कि उसे उसकी बीमारियों के बारे में सूचित नहीं किया गया था और आरोप लगाया कि उसे केवल आतंकित करने और मानसिक रूप से बीमार होने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

डॉ. एन.जी. देसाई, एफएए ने दावा किया कि अपीलकर्ता की स्थिति के बारे में सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई थी जिसमें उसका पति भी शामिल था और इसलिए डॉक्टरों द्वारा सूचना को एक भरोसेमंद क्षमता में रखा गया था। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि मनोचिकित्सा के मामलों में, यह विचार करना सही नहीं होगा कि केवल डॉक्टर और संबंधित रोगी के बीच एक भरोसेमंद संबंध मौजूद है। इसलिए उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत छूट का दावा किया।

एफएए ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि उसे आगे के उपचार की आवश्यकता है और उसका इलाज एक उचित मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा कहीं भी किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने कहा कि यह सच नहीं था और डॉक्टर उसे रिहा करने के लिए तैयार नहीं थे।

प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में आयोग के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया– इतवारी लाल बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/डब्ल्यूबी/ए/2006/00787 दिनांक 26/07/2007, दीपचंद चव्हाणरिया बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/एसजी/ए/2009/001554 दिनांक 06/08/2009 और श्रवण कुमार बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/एडी/ए/2009/000233 दिनांक 09/12/2009।

23/11/2011 को हुई सुनवाई में आदेश सुरक्षित रखा गया था।

निर्णय 27 दिसंबर 2011 को घोषित किया गयाः

प्रतिवादियों ने लिखित निवेदन दिया जिसका आयोग द्वारा अवलोकन किया गया। लिखित प्रस्तुतीकरण में, प्रतिवादियों ने आयोग के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए जो वर्तमान मामले को तय करने में प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत नहीं किया गया है।

यह कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना को केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है और प्रकटीकरण की मांग को खारिज करते समय किसी अन्य छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए, इस बेंच के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के आधार पर प्रश्नों 1, 3, 4, 8 और 9 पर सूचना देने से इनकार करना उचित है। पीआईओ ने सूचना देने से इनकार करते हुए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) का दावा किया है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) प्रकटीकरण से छूट देती है– ''किसी व्यक्ति को उसके भरोसेमंद रिश्ते में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को वारंट करता है''। एक प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यापार या कानून में, हम आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब रखते हैं जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदा। डॉक्टर, वकील, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी। इस तरह के रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना धारक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, जिसके पास एक विकल्प होना चाहिए – जैसे कि जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, या ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी विशेष डॉक्टर के पास जाता है। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता सूचना प्रदान करने वाले के लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए सूचना देता है। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सूचना को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है।

उत्तरदाताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि मनोरोग के मामलों में, भरोसेमंद संबंध न केवल डॉक्टर और रोगी के बीच मौजूद होते हैं, बल्कि अन्य सभी व्यक्तियों जैसे पति, रिश्तेदारों आदि तक भी फैले होते हैं, जिनसे रोगियों के बारे में सूचना प्राप्त की जाती हैय ऐसी सभी सूचना डॉक्टरों के पास प्रत्ययी हैसियत से होती है। यह बेंच मानती है कि डॉक्टर और मरीज के बीच एक भरोसेमंद रिश्ता मौजूद है। हालाँकि, मनोरोग के मामलों में, यदि डॉक्टर यह स्थापित कर सकता है कि रोगी डॉक्टरों की रिपोर्ट / निष्कर्ष, रिश्तेदारों से प्राप्त इनपुट आदि सहित सूचना को समझने या संभालने में असमर्थ है, तो डॉक्टर और रोगी के पति के बीच एक भरोसेमंद संबंध मौजूद हो सकता है। तत्काल मामले में, प्रतिवादी ने किसी भी बिंदु पर यह दावा नहीं किया है कि यदि अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की जाती है, तो वह इसे समझ नहीं पाएगी या इससे उसे नुकसान होगा। इसलिए, आयोग को डॉक्टरों और रोगी के पति के बीच एक भरोसेमंद रिश्ते के दावे को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं लगता है। अपीलकर्ता द्वारा सूचना मांगी जा रही है जो स्वयं रोगी थी। इसलिए, उसके और डॉक्टरों के बीच भरोसेमंद संबंध मौजूद हैं।

इसके अलावा, आयोग ने अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया है। इतवारी लाल बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/डब्ल्यूबी/ए/2006ध00787 में, आवेदक ने श्री रोशन लाल के चिकित्सा इतिहास रिकॉर्ड की मांग की थी। आयोग ने अपील को खारिज कर दिया था और कहा था कि चूंकि मांगी गई सूचना एक मरीज के इलाज का सवाल था जिसे हमेशा उसके चिकित्सक द्वारा विश्वास में रखा जाना चाहिए और एक भरोसेमंद रिश्ते की परिभाषा के केंद्र में था, सूचना को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए केवल धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत, बल्कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत भी। दीपचंद चव्हाणरिया बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/एसजी/ए/2009/001554 में, आवेदक ने एक सुश्री ज्योति के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में सूचना मांगी थी। इस खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि सूचना

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत सुरक्षित थी। इसके अलावा, श्रवण कुमार बनाम आईएचबीएएस सीआईसी/एडी/ए/2009/000233 में, आवेदक ने अपनी पत्नी के चिकित्सा उपचार/रिकॉर्ड के बारे में सूचना मांगी थी। आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ यह माना था कि मनोरोग उपचार प्राप्त करने वाले एक रोगी के बारे में सूचना व्यक्तिगत सूचना थी और डॉक्टरों द्वारा एक भरोसेमंद संबंध में रखी गई थी और इस तथ्य के आलोक में भी कि आवेदक और उसकी पत्नी के बीच एक वैवाहिक विवाद चल रहा था, इनकार करने से इनकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अंतर्गत सूचना को उचित ठहराया गया था। श्रवण कुमार मामले में, पति ने अपनी पत्नी के मानसिक उपचार के बारे में सूचना मांगी थी और इसलिए, इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत मामलों में रोगी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना मांगी जा रही थी। वर्तमान मामले में रोगी द्वारा स्वयं सूचना मांगी जा रही है और ये उदाहरण वर्तमान मामले को तय करने में प्रासंगिक नहीं हैं।

अपील की अनुमति है। पीआईओ को 20 जनवरी 2012 से पहले अपीलकर्ता को प्रश्न 1, 3, 4, 8 और 9 पर रिकॉर्ड के अनुसार पूरी सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
27 दिसंबर 2011

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।) (पीजी)

16. अपील का प्रारूप यदि सूचना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है कि उसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है

अपील के लिए आधारः

धारा 8(1)(जी) ''सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा'' से छूट मिलती है

पीआईओ द्वारा सूचना को नकारने का कारण इनकार करने का वैध आधार नहीं है।

सूचना का खुलासा करने से किसी की शारीरिक सुरक्षा या जीवन के लिए खतरे की एक उचित संभावना होनी चाहिए और कुछ तर्क प्रदान किया जाना चाहिए जो इंगित करता हो कि किसका जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना

है। बिना किसी उचित संभावना के एक अस्पष्ट बयान मेरे मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है।

पीआईओ को यह दिखाना होगा कि सूचना का खुलासा करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को कैसे खतरा होगा। यह एक संभावित संभावना होनी चाहिए न कि केवल एक दूरस्थ संभावना। यदि यह एक उचित संभावना के रूप में स्थापित नहीं होता है तो यह छूट लागू नहीं होगी। इस प्रकार सबूत की जिम्मेदारी पीआईओ पर है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

फिर भी यदि आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

17. धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत छूट बताते हुए सूचना देने से इनकार करने पर अपील का मसौदा

मामले में अपील के लिए आधारः

1. इस आधार पर सूचना देने से इनकार किया गया है कि जांच चल रही है

या

2. अभियोजन चल रहा है

धारा 8 (1) (एच) ''ऐसी सूचना जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है'' से छूट देती है। सूचना को

गलत तरीके से यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जांच जारी है या मुकदमा चल रहा है।

पीआईओ द्वारा सूचना को नकारने का कारण इनकार करने का वैध आधार नहीं है। कानून केवल इसलिए सूचना से इनकार करने की परिकल्पना नहीं करता है क्योंकि कोई जांच या अभियोजन चल रहा है या किए जाने की संभावना है। पीआईओ को यह दिखाना होगा कि सूचना का खुलासा करने से प्रक्रिया कैसे बाधित होगी। यह एक संभावित संभावना होनी चाहिए न कि केवल एक दूरस्थ संभावना। यदि यह एक उचित संभावना के रूप में स्थापित नहीं होता है तो यह छूट लागू नहीं होगी। इस प्रकार सबूत की जिम्मेदारी पीआईओ पर है।

[यदि आवेदक ने शिकायत दर्ज की है और जांच की प्रगति की मांग कर रहा है तो निम्नलिखित पैराग्राफ का भी उल्लेख करें]

मैंने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच की प्रगति की मांग कर रहा हूं। यह कल्पना करना असंभव है कि शिकायत दर्ज करने के बाद मैं जांच या अभियोजन में बाधा उत्पन्न कर सकता हूं।,

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7(6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है। फिर भी यदि आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

सीआईसी संख्या 2695 और 3164 के दो आदेश संलग्न।

सीआईसी निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000015/2695 और निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000512, 519/3164 संलग्न विषय पर

अनुलग्नक 17.1

श्री प्रकाश चंद्र बनाम. श्री डी. वर्मा
केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 415, चौथी मंजिल,
ब्लॉक IV, पुराना जेएनयू कैंपस,
नई दिल्ली –110067.
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000015/2695
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000015
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता	:	श्री प्रकाश चंद्रा, 1646, टाइप प्ट, दिल्ली प्रशासन, फ्लैट, गुलाबी बाग, दिल्ली–110007।
प्रतिवादी		: श्री डी. वर्मा, उप सचिव (सतर्कता) एवं जन सूचना अधिकारी, दिल्ली एनसीटी सरकार,

सतर्कता निदेशालय,
लेवल–4, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली–110002.
आरटीआई आवेदन दायर : 12/08/2008
पीआईओ ने उत्तर दियाः 28/08/2008
पहली अपील : 24/09/2008 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 27/10/2008
दूसरी अपील : 31/12/2009 को दायर की गई

अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन में एसपी की रिपोर्ट दिनांक 11/11/1999 को उसके सभी संलग्नकों के साथ उपलब्ध कराने के लिए कहा था। निदेशक (सतर्कता) सरकार के पत्र संख्या डीएलआई/एसी/सीआर–3/33–ए97/2511 दिनांक 07/12/2000 की प्रति। दिल्ली के एनसीटी के। फाइल दिनांक 07/12/2000 के नोट भाग की प्रति।

क्रमांक	सूचना मांगी गई	पीआईओ ने जवाब दिया
1	सीबीआई, दिल्ली शाखा की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के आरसी 33–एध्97 में श्री के.एस. मेडेना, डीएएनआईसीएस एवं अन्य, श्री अनिल कुमार, एसपी, सीबीआई, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, नई दिल्ली ने गृह मंत्रालय को दिनांक 11/11/1999 को एक रिपोर्ट भेजी, जिसकी एक प्रति दिल्ली के एनसीटी सरकार के निदेशक (सतर्कता) को भी पृष्ठांकित की गई थी। उक्त आरसी में शामिल लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करें। कृपया उक्त एसपी रिपोर्ट दिनांक 11/11/1999 को सभी संलग्नकों के साथ उपलब्ध कराएं।	1 और 2 इस निदेशालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में सुनवाई विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में लंबित है और इसलिए आवश्यक सूचना धारा 8 (1) (एच) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत छूट दी गई है और प्रदान नहीं की जा सकती है।
2	इसके अलावा यह समझा जाता है कि डीआईजीपी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (एसीबी) ने श्री एनजे थॉमस, अवर सचिव, एमएचए को एक पत्र भेजा और उक्त पत्र को डीएलआई/एसी/सीआर–3/33–ए97/2511 दिनांक 07/12/2000 निदेशक (सतर्कता) सरकार। दिल्ली के एनसीटी के उक्त पत्र सीबीआई, नई दिल्ली के आरसी नंबर 33–ए/97 दिनांक 06/05/1997 के संबंध में है और इस पत्र में सीबीआई ने उक्त आरसी में शामिल लोक सेवकों के निलंबन की सिफारिश की है।	
3	कृपया उक्त पत्र दिनांक 07/12/2000 की प्रति तथा फाइल का नोट भाग जहां उक्त पत्र पर कार्रवाई की गई थी, सतर्कता निदेशालय को उपलब्ध कराएं।	ऊपर पैरा 1 के रूप में।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिया।

''उपरोक्त दोनों पत्र गृह मंत्रालय को संबोधित हैं पत्र दिनांक 15/11/1999 भी मुख्य सचिव, दिल्ली को संबोधित है, लेकिन पत्र दिनांक 07/12/2000 के संबंध में सतर्कता निदेशालय को पृष्ठांकन किया गया है। .

हालांकि, यह सही है कि धारा 8(1)(एच) उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जहां जांच की प्रक्रिया चल रही है और ऐसी सूचना जो जांच की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, का खुलासा नहीं किया जा सकता है। अपील में कुछ सार प्रतीत होता है कि जांच की प्रक्रिया समाप्त

हो गई है, मांगी गई सूचना को पीआईओ द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित मामले में जांच एजेंसी सीबीआई है। चूंकि एजेंसी ने विशेष रूप से सूचित किया है कि दस्तावेज को गोपनीय माना जाना चाहिए। एजेंसी की राय ली जाए तो उचित होगा। वास्तव में। पीआईओ से इस पहलू पर विचार करने और फिर निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी कि मांगी गई सूचना की आपूर्ति की जा सकती है या नहीं।

इसलिए, मैं पीआईओ को तुरंत सीबीआई के विचार प्राप्त करने की सलाह देना उचित समझता हूं और फिर सीबीआई द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन पर आगे का निर्णय लेता हूं। मैं तदनुसार आदेश देता हूं। पीआईओ इस आदेश के जारी होने के 10 दिनों के भीतर, अधिमानतः, विचार मांग सकता है और फिर सीबीआई से जवाब प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर निर्णय से अवगत करा सकता है।

30 मार्च 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ताः श्री प्रकाश चंद्रा

प्रतिवादीः श्री डी. वर्मा पीआईओ

प्रतिवादी धारा 8 (1) (जी) और (एच) के अंतर्गत छूट का दावा करता है। उनका दावा है कि इससे अभियोजन में बाधा आ सकती है। एसपी की रिपोर्ट सीबीआई और विभाग के लिए होती है..

अपीलकर्ता का कहना है कि जांच समाप्त हो गई है और मुकदमा चल रहा है, इसलिए जांच में बाधा डालने का दावा किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने लिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं और यह तर्क देने के लिए कि उक्त सूचना प्रदान की जानी चाहिए, कई न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर है। प्रतिवादी 30ध्06ध्2006 के सीआईसी आदेश सीआईसीध्एटीध्एध्2006ध्2004 प्रस्तुत करता है जिसमें एक बेंच ने फैसला सुनाया था, 'यह आयोग लगातार यह विचार रखता है कि जांच में या अभियोजन में उठाए गए मामलों का खुलासा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक ऐसे मामलों में सभी कार्यवाही समाप्त हो गई है। इसलिए हम एए और सीपीआईओ द्वारा ली गई स्थिति को बरकरार रखते हैं कि वर्तमान मामले में आरटीआई अधिनियम की धारा 81एच और धारा 8 द्वारा प्रकटीकरण वर्जित है।'

आदेश सुरक्षित।

प्रतिवादी को अपना लिखित निवेदन देने के लिए 9 अप्रैल 2009 तक का समय दिया गया है।

श्री सुमित शरण अधीक्षक पुलिस ने लिखित में दलील दी है कि सूचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी के मुख्य तर्क इस प्रकार हैंः

'' वह एसपी की रिपोर्ट सीबीआई का गोपनीय दस्तावेज है। इसे विशेष मामले के जांच अधिकारी द्वारा लिखी गई केस डायरी से सूचना निकालकर तैयार किया जाता है। केस डायरी में उल्लिखित सूचना विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मामले की जांच में सहायता के लिए जांच अधिकारी को दी जाती है। यह सूचना ऐसे व्यक्तियों द्वारा कानून प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास में दी

जाती है। जिन लोगों ने ऐसी सूचना दी है, उनका विवरण एसपी की रिपोर्ट में उनके द्वारा दी गई सूचना के साथ दिया गया है. नामों और सूचनाओं के प्रकटीकरण से ऐसे व्यक्तियों के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा। सूचना भी विश्वास में दी गई थी और यदि इसे प्रकट किया जाता है तो यह उस विश्वास के उल्लंघन की कीमत चुकाएगा जो उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसी में व्यक्त किया है। अतः उक्त मामले में आरोपी प्रकाश चंद्रा को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जी) के अंतर्गत देखने के लिए एसपी की रिपोर्ट उपलब्ध कराने से छूट भी मांगी गई है।

5. एसपी की रिपोर्ट में जांच के दौरान जुटाए गए तमाम सबूतों पर विस्तार से चर्चा की गई है. इस रिपोर्ट में आरोपी व्यक्तियों द्वारा लिए गए बचाव की भी चर्चा की गई है। बचाव पक्ष के प्रस्थान और अभियोजन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रेखा पर भी इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है। यदि उक्त रिपोर्ट अपीलकर्ता को प्रदान की जाती है, जो वर्तमान मामले में आरोपी है, तो यह उसे अत्यंत गोपनीय सूचना के लिए गुप्त रखने में सक्षम करेगा जो कि सीबीआई और संबंधित विभाग के अनन्य उपभोग के लिए है। अपीलकर्ता/अभियुक्त मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए एसपी की रिपोर्ट में निहित गोपनीय सूचना का उपयोग करेगा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है और अदालत में मामले की सुनवाई में अपने लाभ के लिए चर्चा की गई दलीलों और रिपोर्ट का उपयोग करेगा। इससे न्याय का गंभीर गर्भपात होगा और प्रतिकूल रूप से अभियोजन में बाधा उत्पन्न होगी। इसी को देखते हुए आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत छूट भी मांगी गई है।

तर्क के समर्थन में हम दिल्ली उच्च न्यायालय और सीआईसी के निर्णय के बाद आपके ध्यान में लाना चाहेंगेः –

i) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र भट द्वारा 13/2/2007 को डबल्यूपी(सी) संख्या 3114/2007 में पारित निर्णय के पैरा 13 में कहा गया है कि ''अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना तक पहुंच नियम है और धारा 8 के अंतर्गत छूट, अपवाद। धारा 8 इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह ठीक उसी अधिकार को छाया दे। धारा 8 के अंतर्गत, सूचना जारी करने से छूट दी जाती है यदि यह जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के अभियोजन में बाधा उत्पन्न करती है।

ii) अपील संख्या में सीआईसी ने 38ध्ब्(।)ध06 (फाइल संख्या सीआईसी/ओके/ए/2006/00037 दिनांकित 12/12/2006 में कहा कि ''अपीलकर्ता, कस्टम और सीबीआई द्वारा सूचना को रोकने के लिए शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन में एक आरोपी है। अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक है, जो उसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन एजेंसियों और न्यायालय द्वारा कानून के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इस समय जब अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई है और अग्रिम चरण में है, सीपीआईओ द्वारा धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट को सही ढंग से लागू किया गया है। इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।''

iii) सीआईसी ने अपील संख्या 39/आईसी (ए)/06 (फाइल नंबर सीआईसी/एमए/ए/2006/00083 दिनांक 15/05/2006) में कहा कि ''मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं अपीलकर्ता। यह वास्तव में महत्वपूर्ण

सार्वजनिक हित का मुद्दा है। न्यायालय मं् लंबित अभियोजन को देखते हुए, जो प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून के अंतर्गत एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, इस स्तर पर सूचना का प्रकटीकरण, अपराधियों के अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालना। ऐसे सभी मामलों में, धारा 8 (1) (एच) के अंतर्गत सूचना का खुलासा वर्जित है। इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा जाता है। ''

13 अप्रैल, 2009 को घोषित निर्णयः

प्रतिवादी द्वारा उद्धृत दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिवादी द्वारा उद्धृत आयोग के आदेशों के बाद पारित किया गया था। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3114/2007 में न्यायमूर्ति रवींद्र भट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है,

''13. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना तक पहुंच नियम है और धारा 8 के अंतर्गत छूट अपवाद है। धारा 8 इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह ठीक उसी अधिकार को शरण दे। धारा 8 के अंतर्गत, सूचना जारी करने से छूट दी जाती है यदि यह जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के अभियोजन में बाधा उत्पन्न करती हो। यह स्पष्ट है कि केवल जांच प्रक्रिया का अस्तित्व सूचना से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता है सूचना को रोकने वाले प्राधिकारी को संतोषजनक कारण बताना चाहिए कि ऐसी सूचना जारी करने से जांच प्रक्रिया में बाधा क्यों आएगी। इस तरह के कारण संबन्धित होने चाहिए, और प्रक्रिया में बाधा डालने की राय उचित और कुछ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। इस विचार के बिना, धारा 8(1)(एच) और ऐसे अन्य प्रावधान सूचना की मांगों को चकमा देने का अड्डा बन जाएंगे।

14. एक अधिकार आधारित अधिनियम एक कल्याणकारी उपाय के समान है, उसकी अधिनियम के समान ही उदार व्याख्या होनी चाहिए। अधिनियम की प्रासंगिक पृष्ठभूमि और इतिहास ऐसा है कि धारा 8 में उल्लिखित छूट, सूचना प्रदान करने के दायित्व से अधिकारियों को मुक्त करती है, इसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध बनाती है। इसलिए, ऐसे छूट प्रावधानों को उनकी शर्तों में समझा जाना चाहिएय इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले कुछ प्राधिकरण हैं (देखें नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता 2005 (2) एससीसी 201 बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य 2001 (7) एससीसी 231 और वी तुलासम्मा बनाम शेष रेड्डी 1977 (3) एससीसी 99)। एक अलग दृष्टिकोण अपनाने से अधिकारों का संकुचन होगा और अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों पर प्रतिबंध के न्यायिक रूप से अनिवार्य वर्ग को मंजूरी दी जाएगी, जो कि अनुचित है।''

इस फैसले ने इस मामले पर सीआईसी के पहले के आदेशों को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है। वर्तमान मामले में जांच स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है और इसलिए हमें केवल यह देखना होगा कि क्या सूचना जारी करने से अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बाधित होगी। यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का आधार सत्य है जैसा कि अभिलेखों में मौजूद है, तो यह समझना संभव नहीं है कि यह अपराधी के अभियोजन की प्रक्रिया को कैसे बाधित कर सकता है। यदि एसपी की रिपोर्ट में कोई विवरण है जो मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश के मन में कोई संदेह पैदा करेगा, तो निश्चित रूप से न्याय के हित में इसका खुलासा किया जाना चाहिए। आयोग सूचना देने से इंकार करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए आधारों से सहमत नहीं है, और यह नहीं देख सकता कि सच्चाई कैसे अभियोजन को बाधित कर सकती है। यदि कुछ भी

न्याय मांग करता है तो वह है कि सत्य को न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसलिए आयोग धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत सूचना को अस्वीकार करने में योग्यता नहीं पाता है।

हालाँकि हम धारा 8 (1) (जी) के प्रतिवादी के आधार में योग्यता देखते हैं। यदि कुछ लोगों ने सूचना दी है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया गया है, तो उनकी पहचान का खुलासा करने से उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, और उनकी पहचान का खुलासा करने से सूचना के स्रोत का भी पता चल जाएगा। आयोग निर्देश देता है कि पीआईओ धारा 10 के पृथक्करणीयता खंड को लागू करें और उन लोगों के नामों को शून्य कर दें जिन्होंने विश्वास में सूचना प्रदान की है।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ एसपी की रिपोर्ट और उक्त पत्र दिनांक 07ध12ध2000 की प्रति और फाइल के नोट वाले हिस्से जहां उक्त पत्र को सतर्कता निदेशालय में पेश किया गया था, अपीलकर्ता को पहले देगा।

5 मई 2009

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी

सुचना आयुक्त

13 अप्रैल 2009

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख किया।) (बीके)

अनुलग्नक 17.2

श्री एस के तिवारी बनाम श्री एस. पी. सिंह

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग, पुराना जेएनयू कैंपस,

बेर सराय के सामने, नई दिल्ली 110 067।

दूरभाषः 91 11 26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000512, 519/3164

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000512, 519

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता	:	श्री एस.के. तिवारी, सीपीडीई/डब्ल्यू.सी. रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक/पश्चिम मध्य रेलवे, इंदिरा मार्केट के सामने, जबलपुर (एमपी) –482001।
प्रतिवादी	:	श्री एस.पी. सिंह

पीआईओ
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
केंद्रीय प्रबंधक कार्यालय आरटीआई सेल,
जबलपुर।

आरटीआई आवेदन दायर : 12/09/2008
पीआईओ ने उत्तर दियाः 30/09/2008
पहली अपील : 07/11/2008 . को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : उत्तर नहीं दिया गया
द्वितीय अपील : 05/03/2009 . को दायर

अपीलार्थी ने स्टील चैनल स्लीपरों के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य हेतु दो निविदाओं के संबंध में सूचना मांगी थी जो जबलपुर मंडल द्वारा निविदा सूचना संख्या 73/04 दिनांक दि. 12.04.2004 और निविदा सूचना संख्या 95/04 दिनांक 10.5.2004 की थीं। इन निविदाओं के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं मांगी जाती हैंः–

(1) सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक ने पश्चिम मध्य रेलवे का निरीक्षण किया था और उपरोक्त 2 निविदा मामलों पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी। कृपया सीटीई/सीवीसी की निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करें।

(2) सभी फाइल नोटिंग के साथ सीटीई/सीवीसी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर डब्ल्यूसीआर के सतर्कता संगठन द्वारा की गई कार्रवाई और निविदाओं को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर तैयार की गई और रेलवे बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति।

(3) संचालन जांच के दौरान, डब्ल्यू.सी. के सतर्कता संगठन ने रेलवे की निविदाओं को अंतिम रूप देने में शामिल संबंधित अधिकारियों को कुछ प्रश्नावली जारी की हैं। अधिकारियों ने सतर्कता संगठन के सवालों का जवाब दिया था। कृपया अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों पर पश्चिम मध्य रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा दी गई टिप्पणियों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

(4) अधोहस्ताक्षरी के निम्नलिखित 8 पत्रों पर इस विषय पर लिखे गए सतर्कता संगठन, जांच अधिकारी, जीएम/डब्ल्यूसीआर और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की टिप्पणियाँ।

(1) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति डीटी। 2.01.2007 एसडीजीएम/डब्ल्यूसीआर को संबोधित।

(2) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति डीटी। 12.01.2007 एसडीजीएम/डब्ल्यूसीआर को संबोधित।

(3) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति डीटी। 25.05.2007 एसडीजीएम/डब्ल्यूसीआर को संबोधित।

(4) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति दिनांक। 26.06.2007 एसडीजीएम/डब्ल्यूसीआर को संबोधित।

(5) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति डीटी। 03.10.2007
जीएम/डबल्यूसीआर को संबोधित।

(6) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति डीटी। 20.03.2008
जीएम/डबल्यूसीआर को संबोधित।

(7) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति दिनांक। 05.05.2008
सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड को संबोधित।

(8) मेरा पत्र संख्या डब्ल्यू–मुख्यालय/सीपीडीई/सीओएन/प्रति दिनांक। 06.06.2008
सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड को संबोधित।

पीआईओ का जवाब

पीआईओ ने जवाब दिया था कि ''आपके आवेदन के संदर्भ में, सतर्कता शाखा के नोडल अधिकारी के रूप में सतर्कता शाखा और सीपीओ/डब्ल्यूसीआर से वांछित सूचना एकत्र की जाती है और आपके पास भेजी जाती है।

क्र.सं. 1 से 4 तक मदों पर टिप्पणी, जैसा कि आपके पत्र संख्या उपरोक्त उल्लिखित के साथ प्राप्त आवेदन में है, वह इस प्रकार हैः

चूंकि मामले में संबंधित आरोपित अधिकारी के खिलाफ मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और अभी भी आवेदक के खिलाफ चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पैरा 8(1)(एच) के अनुसार, इस स्तर पर कोई सूचना नहीं दी जा सकती है, जो जांच या गिरफ्तारी या ''अपराधियों के अभियोजन'' की प्रक्रिया को बाधित करेगी।

बिंदु संख्या 4 में मांगी गई सूचना आवेदक द्वारा किए गए अभ्यावेदन के संबंध में एसडीजीएम, जीएम और सदस्य (इंजीनियरिंग) की टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए आवेदक द्वारा अनुरोध को संदर्भित करती है। यह कहा गया है कि जीएमध्डब्ल्यूसीआर ने उपरोक्त अभ्यावेदन पर अपना विचार सदस्य (इंजीनियरिंग) को भेज दिया था। हालांकि, जीएम का विचार अनुबंध के संदर्भ में है, ''डब्ल्यू.सी. रेलवे के जबलपुर डिवीजन में विभिन्न गर्डर पुलों पर मौजूदा पुल की लकड़ी को हटाकर फिटिंग के साथ स्टील चैनल स्लीपरों का निर्माण, गैल्वनाइजिंग, आपूर्ति और फिक्सिंग और जांच पर उसका सीधा असर पड़ता है। चूंकि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर सामग्री का खुलासा करना उचित नहीं है।

मद के संबंध में क्र.सं. 4 अभ्यावेदन दिनांकित 02.01.2007 और 20.03.2008 से संबंधित फाइल में उपलब्ध नहीं हैं।''

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिया।

उत्तर नहीं दिया।

सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ता : श्री एस.के. तिवारी

प्रतिवादी : श्री एस.पी. सिंह पीआईओ

पीआईओ का कहना है कि डीआर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। रेलवे और सीटी जांच में इस मामले से निपटने वाले लोगों की राय शामिल है और एक बार जब इस स्तर पर खुलासा हो जाता है तो मामले से निपटने वाले लोगों की राय और मामले से निपटने वाले लोगों के नाम का भी जो शामिल हैं खुलासा हो जाएगा। यह संभावना है कि आरोपी जांच करने वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है।

अपीलकर्ता का कहना है कि अपीलीय प्राधिकारी को अपनी अपील में, सूचना से इनकार करने के लिए पीआईओ द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने उनकी अपील का जवाब देते हुए अपने पत्र दिनांक 08ध12ध2008 के माध्यम से कहा है कि ''यदि अभियोजन के निष्कर्ष से पहले आवेदक को सूचना दी जाती है तो यह सह–अभियुक्त को प्रभावित करने के माध्यम से चल रही जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए दस्तावेज धारा 8(1) (एच) के अंतर्गत अस्वीकृत हैं।'' अपीलकर्ता का कहना है कि विभाग द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सह–आरोपी और जांच अधिकारियों के नाम अलग किए जा सकते हैं। अपीलकर्ता का कहना है कि उसे दी गई विस्तृत चार्जशीट, सह–आरोपियों के नामों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है और पीआईओ इसे सूचना से इनकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

धारा 8 (1) (एच) पीआईओ पर जिम्मेदारी डालती है कि वह स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से बताए कि सूचना देने से 'जांच की प्रक्रिया में बाधा कैसे आएगी।' इस मामले में पीआईओ स्वीकार करता है कि जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र दिया गया है।

डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3114ध2007 में माननीय न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने दिनांक 03.12.2007 में अपने निर्णय में कहा है, ''13. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना तक पहुंच नियम है और धारा 8 के अंतर्गत छूट अपवाद है। धारा 8 इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह बहुत ही अधिकार को आश्रय दे। धारा 8 के अंतर्गत, सूचना जारी करने से छूट दी जाती है यदि यह जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के अभियोजन में बाधा उत्पन्न करती हो। यह स्पष्ट है कि केवल जांच प्रक्रिया का अस्तित्व सूचना से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता हैय सूचना को रोकने वाले प्राधिकारी को संतोषजनक कारण बताना चाहिए कि ऐसी सूचना जारी करने से जांच प्रक्रिया में बाधा क्यों आएगी। इस तरह के कारण विचाराधीन विषय से संबन्धित होने चाहिए, और प्रक्रिया में बाधा डालने की राय उचित और कुछ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। इस विचार के बिना, धारा 8(1)(एच) और इस तरह के अन्य प्रावधान सूचना की मांगों को चकमा देने का अड्डा बन जाएंगे।

पीआईओ ने आयोग को यह समझाने के लिए एक उचित आधार नहीं दिखाया है कि सूचना का खुलासा करने से 'जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी।' हालांकि आयोग पीआईओ को निर्देश देता है कि वह सह–आरोपी और जांच अधिकारियों के नामों को आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अलग करके शून्य कर दे।

निर्णयः

अपील की अनुमति है।

25 मई 2009 से पहले सह–आरोपी और जांच अधिकारियों के नाम अलग कर अपीलकर्ता को पूरी सूचना दी जाएगी.

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
11 मई, 2009

18 यदि सूचना देने से इनकार किया जाता है तो अपील का प्रारूप धारा 8(1)(एच) के अनुसार छूट प्राप्त है – सामयिक इनकार

अपील के लिए आधारः

छूट का दावा पूरी तरह से गलत है और तथ्यों और कानून द्वारा गुमराह किया गया है क्योंकि कानून केवल ''ऐसी सूचना को छूट देता है जिसे किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से अदालत की अवमानना हो सकती है''।

कानून यह नहीं कहता है कि सभी न्यायाधीन मामलों की सूचना छूट प्राप्त है। धारा 2 (बी) का दावा किया जा सकता है यदि कोई स्पष्ट आदेश है जिसमें निर्देश दिया गया हो कि कुछ सूचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। अदालत या न्यायाधिकरण से इस तरह के एक विशिष्ट आदेश की अनुपस्थिति में, सूचना से इनकार नहीं किया जा सकता है और प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि इस सूचना के प्रकटीकरण के खिलाफ ऐसा कोई विशिष्ट आदेश मौजूद है, तो ऐसे आदेश का हवाला दिया जाना चाहिए और उद्धृत किया जाना चाहिए।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप

से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

19. अपील का मसौदा यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक से संबंधित है और कैबिनेट नोट और विधेयक से संबंधित कागजात की सूचना धारा 8(1)(प) का हवाला देते हुए अस्वीकार की जाती है।

अपील के लिए आधारः

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(आई) "मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात" को छूट देती हैः

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण, और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, उसे निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया हैः

बशर्ते यह भी कि जो मामले इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया जाएगाय

इस प्रकार धारा के केवल अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि कैबिनेट के कागजात और मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड को तब तक छूट दी जाती है जब तक कि निर्णय नहीं लिया जाता है, और मामला पूरा या खत्म हो गया है। हालाँकि, परंतुक स्पष्ट रूप से इन पर स्वप्रेरणा से सार्वजनिक किए जाने और नागरिकों के साथ साझा किए जाने की परिकल्पना करता है। एक बार जब कैबिनेट निर्णय ले लेती है तो मामला पूरा हो जाता है और एक बार बिल सदन के पटल पर रख दिया जाता है तो मामला पूरा हो जाता है और जहाँ तक कैबिनेट का सवाल है।

कि यह भी पूर्व विधायी सार्वजनिक परामर्श नीति की आवश्यकता के अनुरूप है

इस प्रकार यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस सूचना को जनता के साथ साझा करे जो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों में एक आरटीआई आवेदक को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

[आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें]

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि के अनुसार बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

सीआईसी नं. 19365 का एक आदेश संलग्न है।

अनुलग्नक 19.1

श्री वेंकटेश नायक बनाम परमाणु ऊर्जा विभाग 26 जून, 2012

केंद्रीय सूचना आयोग

क्लब बिल्डिंग (डाकघर के पास)

पुराना जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली – 110067

दूरभाषः 91–11–26161796

निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/001023/19365

अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/001023

अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता	:	श्री वेंकटेश नायक बी–117, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एन्क्लेव नई दिल्ली– 110017
प्रतिवादी	:	श्री ए आनंदराजू, पीआईओ और ओएसडी (ईआर) परमाणु ऊर्जा विभाग

विशेष कार्य अधिकारी (ईआर) और सीपीआईओ
अणुशक्ति भवन
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग
मुंबई– 400001

आरटीआई आवेदन : 20/01/2012 को भरा गया
पीआईओ ने उत्तर दियाः 31/01/2012 और 07/02/2012
पहली अपील दायर की गईः 24/02/2012
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 16/03/2012
द्वितीय अपील : 27/03/2012 को प्राप्त हुई

क्रमांक	मांगी गई सूचना
1	सभी अनुलग्नकों के साथ लोकसभा में परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 को पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आपके विभाग द्वारा तैयार किए गए कैबिनेट नोट की एक स्पष्ट फोटोकॉपी। यह विधेयक 07 सितंबर, 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था
2	डीएई सचिवालय और इसकी इकाइयों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड और लाइव फाइलों की कुल संख्या जिन्हें सुरक्षा वर्गीकरण सौंपा गया हैः इस आवेदन की तिथि के अनुसार टॉप सीक्रेट', 'सीक्रेट' और गोपनीय'। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उपरोक्त वर्णित प्रत्येक प्रकार के सुरक्षा वर्गीकरण के साथ चिह्नित अभिलेखों और फाइलों की कुल संख्या जानना चाहता हूं, लेकिन प्रत्येक फाइल में पृष्ठों की कुल संख्या नहीं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सहायता प्राप्त संस्थान के बारे में सूचना नहीं चाहिए
3	प्रत्येक रिकॉर्ड और लाइव फाइल का विषय या विषय जिसे इस आवेदन की तिथि के अनुसार सुरक्षा वर्गीकरण 'टॉप सीक्रेट', 'सीक्रेट' और गोपनीय' सौंपा गया है तथा
4	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत डीएई द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत की गई सूचना की एक स्पष्ट फोटोकॉपीः 1 अप्रैल 2010–31 मार्च 2011 की अवधि के लिए
उत्तर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) (श्री दयालन)	
1	बिंदु संख्या 1ः आरटीआई आवेदन की एक प्रति आपको उत्तर देने के लिए पीआईओध्ओएसडी (ईआर) को भेजी जा रही है क्योंकि विषय वस्तु को ईआर अनुभाग, डीएई द्वारा निपटाया जाता है।

2	बिंदु संख्या 2 के लिए अनुरोधित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि केंद्रीय रूप से ऐसी फाइलों की कुल संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।
3	बिंदु संख्या 3 अनुरोध की गई सूचना को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई है
4	आरटीआई अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत डीएई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण संलग्न है
जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) (श्री ओ.टी.जी.नायर) का उत्तर – प्रश्न 1 आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपके द्वारा मांगी गई सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(स)(आई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।	

प्रथम अपील के लिए आधारः

पीआईओ ने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि मांगी गई सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (आई) के अंतर्गत छूट दी गई है, बिना कोई कारण बताए कि इसे कैसे और किस आधार पर छूट दी गई है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का आदेशः

एफएए ने कहा कि धारा 8(1)(आई) में ''निर्णय लेने के बाद'' और ''मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया'' के बीच में आने वाले शब्द 'और' का मतलब है कि दोनों शर्तें, यानी (i) निर्णय लिया गया हैय और (पप) मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया है, पूरी सूचना के प्रकटीकरण के लिए संतुष्ट होना चाहिए। विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा था और इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। जैसी कि सार्वजनिक जानकारी है, समिति ने रिपोर्ट पर विचार किया है और अपनी टिप्पणियों को माननीय सभापति, राज्य सभा और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया है। इस प्रकार, मामला स्थिर है और इसे आगे बढ़ाना है, और दूसरी शर्त यानी 'मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया है' इस मामले में संतुष्ट नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, मांगी गई सूचना इस स्तर पर प्रकटीकरण के योग्य नहीं है...

दूसरी अपील के लिए आधार

''यह निर्विवाद है कि मेरे द्वारा मांगी गई परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक से संबंधित सूचना एक कैबिनेट नोट की प्रकृति में है। हालांकि सीपीआईओ 1 छूट के प्रावधान की समग्र स्थिति की सराहना करने में विफल रहा है जिसे उन्होंने लागू करने की मांग की है। जबकि एक कैबिनेट नोट को शुरू में प्रकटीकरण से छूट दी जा सकती है, धारा 8 (एल) (प) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का निर्णय, उसके कारण और सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे निर्णय लेने के बाद और मामला पूरा होने या खत्म होने के बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए। परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक से जुड़े कैबिनेट नोट का प्रत्यक्ष उद्देश्य उक्त विधेयक में निहित मसौदा प्रावधानों और संसद में इसे पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी हासिल करने पर, लोक शिकायत और

पेंशन राज्य मंत्री ने सितंबर 2011 में लोकसभा में उक्त बिल को पेश किया। इसलिए कैबिनेट नोट का उद्देश्य कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने और संसद में बाद में टेबल पर रखे जाने पर पूरा हुआ। कैबिनेट नोट की सामग्री अब धारा 8(1)(प) के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण के योग्य है क्योंकि मामला समाप्त हो गया है। विधेयक का पारित होना संसद के दोनों सदनों की इच्छा पर निर्भर है और केंद्रीय मंत्रिमंडल विधेयक को पारित कराने का कार्य नहीं कर सकता है। अतः उक्त विधेयक के साथ संलग्न कैबिनेट नोट के सीमित उद्देश्य को समाप्त माना जा सकता है। हालांकि सीपीआईओ रु1 ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने यांत्रिक रूप से धारा 8(1)(i) को लागू किया है, इसके अंतर्गत निहित परंतुक पर कोई ध्यान दिए बिना जो मुझे उक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है।

''परमाणु ऊर्जा विभाग आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) के अनुसार आरटीआई अधिनियम में संशोधन की मांग के कारणों को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य है। चूंकि उन्होंने ऐसा स्वतः संज्ञान से नहीं किया है और चूंकि मामला कैबिनेट नोट से संबंधित है, जो धारा 8(1) के अंतर्गत आता है, मुझे औपचारिक अनुरोध के माध्यम से सूचना मांगने के लिए मजबूर किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग को आरटीआई अधिनियम के संशोधन पर सूचित बहस की सुविधा के लिए उक्त कैबिनेट नोट का खुलासा करना आवश्यक है। हालांकि सूचना के लिए मेरे औपचारिक अनुरोध के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह दूसरी अपील दायर की जा रही है।'' प्रश्न 1 पर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

18 मई 2012 को सुनवाई के दौरान सामने आए प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ताः श्री वेंकटेश नायक

प्रतिवादीः अनुपस्थित

"पीआईओ मुंबई एनआईसी–स्टूडियो में मौजूद नहीं था। आयोग ने संयुक्त सचिव को टेलीफोन नं. 022–22027815 पर फोन किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में सुनवाई का नोटिस नहीं मिला है और इसलिए मामले को स्थगित कर दिया जाता है। सुनवाई का एक नया नोटिस भेजा जाएगा।

मामले को स्थगित कर दिया गया।''

25 जून 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया था।

25 जून 2012 को सुनवाई के दौरान सामने आए प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अपीलकर्ताः श्री वेंकटेश नायक

प्रतिवादीः श्री ए आनंदराजू, पीआईओ और ओएसडी (ईआर) एनआईसी–मुंबई स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर

''अपीलकर्ता ने कहा है कि यदि प्रश्न –01 में मांगी गई सूचना का खुलासा किया जाता है तो वह संतुष्ट होगा।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि कैबिनेट नोट को कैबिनेट के सामने रखा गया है, और उचित मंजूरी के बाद संसद में एक बिल पेश किया गया है। मामला अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को भेजा गया है, जिसने सुझाए गए परिवर्तनों के साथ सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। पीआईओ का दावा है कि मामला तब तक पूरा नहीं होता है, जब तक कि बिल अधिनियमित नहीं हो जाता, विधिवत राजपत्रित हो जाता है, और एक अधिसूचना जारी की जाती है कि बिल लागू हो जाता है। अपीलकर्ता का कहना है कि, ''मैं तर्क देता हूं कि इस एनएसआरए विधेयक के संबंध में मामला संसद में बिल पेश किए जाने की तारीख को पूरा या खत्म हो गया है।'' उन्होंने आगे कहा, ''धारा 8 (2) बताती है कि यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को नुकसान से अधिक है, तो पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए मेरा तर्क लगभग 8(1)(प) को लागू करने के बजाय यांत्रिक रूप से उसे लागू अरने पर है। पीआईओ का कर्तव्य और बोझ इस तरह है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि बिल के इस चरण में कैबिनेट के कागजात की गोपनीयता से किन हितों की रक्षा करने की मांग की जाती है, जो कि सार्वजनिक हित में प्रकटन के प्रभाव से अधिक है। यदि पीआईओ द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को होने वाले नुकसान का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि छूट को अधिनियम की धारा 8 (2) द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए।

आयोग ने पीआईओ से पूछा कि क्या वह उस नुकसान की व्याख्या कर सकते हैं जो संरक्षित हित को हो सकता है यदि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्न –01 में मांगी गई सूचना का खुलासा किया जाता है। पीआईओ का कहना है कि चूंकि बिल अभी तक अधिनियमित नहीं हुआ है, इसलिए कैबिनेट नोट का खुलासा करना अनुचित हो सकता है और इसीलिए इसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उस नुकसान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जो सूचना का खुलासा करने पर हो सकता है।

अपीलकर्ता का कहना है कि एनएसआरए बिल ने आरटीआई अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और डीओपीटी ने संसद में कहा है कि आरटीआई अधिनियम में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता कहता है कि उसे कैबिनेट नोट की सामग्री को जानने की जरूरत है ताकि वह निर्वाचित प्रतिनिधियों को अभ्यावेदन दे सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापक परामर्श के बिना आरटीआई अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

पीआईओ कहता है कि बिल पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और इसलिए वह अपीलकर्ता के तर्क का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। आयोग ने सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित रख लिया।

आदेश सुरक्षित है।''

26 जून 2012 को घोषित निर्णयः

पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(आई) के अंतर्गत छूट का दावा किया है जबकि अपीलकर्ता ने कहा है कि उनके द्वारा मांगा गया कैबिनेट नोट उक्त छूट के दायरे में नहीं आता है। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के संदर्भ में, भले ही आयोग का नियम है कि सूचना धारा 8 (1) (आई) के अंतर्गत छूट प्राप्त है, प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित है, और इसलिए सूचना का खुलासा धारा 8 (2) के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

आरटीआई अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध किया है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। 'अधिनियम के प्रावधान जिसके द्वारा किसी नागरिक को किसी भी सूचना से वंचित किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 8 (1) की दस छूटों में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 8 (2), जिसमें कहा गया है, 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 में कुछ भी होने के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण में संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है' धारा 8 (1) की छूटों को ओवरराइड करेगा यदि प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित दिखाया गया है। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि कैबिनेट नोट का खुलासा धारा 8 (2) के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए, भले ही पीआईओ द्वारा धारा 8 (1) (आई) के अंतर्गत दावा की गई छूट को बरकरार रखा गया हो।

धारा 8 (1) (आई) जिसके अंतर्गत पीआईओ ने छूट का दावा किया है, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया है, ''मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजातः

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण, और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, उसे निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया हैः

बशर्ते यह भी कि जो मामले इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया जाएगा

इसलिए आयोग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के इस तर्क से सहमत है कि धारा 8(1)(आई) में ''निर्णय लेने के बाद'' और ''मामला पूर्ण या समाप्त हो गया है'' के बीच 'और' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि दोनों शर्तें, यानी (प) निर्णय लिया गया हैय और (पप) मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया है, पूरी सूचना के प्रकटीकरण के लिए संतुष्ट होना चाहिए।

अपीलकर्ता और पीआईओ द्वारा दिए गए तर्कों से आयोग द्वारा तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या ''निर्णय लिया गया है, और मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया है''। यदि निर्णय लिया गया है और मामला पूर्ण या समाप्त हो गया है, तो धारा 8(1)(आई) के अंतर्गत छूट उपलब्ध नहीं होगी। यदि निर्णय नहीं लिया गया है या मामला पूरा नहीं हुआ है या सूचना से अधिक छूट दी जाएगी। पीआईओ ने तर्क दिया है कि इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए कैबिनेट नोट बनाया गया था, – प्रस्तावित अधिनियम को पारित करना – समाप्त होना चाहिए। यदि इस तरह की व्याख्या दी जानी थी तो इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई अधिनियम जिसके लिए कैबिनेट नोट बनाया गया था, या तो संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, या राजपत्रित नहीं है, या अधिसूचित नहीं है, तो इस तरह के कैबिनेट नोट को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कभी भी प्रकट नहीं किया जाएगा। आयोग ने पीआईओ से यह बताने के लिए भी कहा था कि अगर सूचना का खुलासा किया गया तो किसी भी संरक्षित हित को क्या नुकसान हो सकता है। पीआईओ का यह बयान कि कैबिनेट नोट का खुलासा करना अनुचित हो सकता है, यह दिखाने का कोई कारण नहीं बताता कि कैबिनेट नोट के खुलासे से क्या नुकसान हो सकता है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि एक बार कैबिनेट निर्णय लेने के बाद परंतुक में यह शर्त है कि ''निर्णय लिया गया है'' पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एक बार जब संसद में बिल पेश किया जाता है तो ''मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया है'' क्योंकि कैबिनेट के फैसले का अनुपालन किया गया है। इसके बाद विधेयक संसद की संपत्ति है और इसलिए संसद में विधेयक की प्रस्तुति के साथ कैबिनेट नोट का उद्देश्य समाप्त हो गया है।

चुने हुए प्रतिनिधियों के दिमाग के ढांचे को समझने के लिए आरटीआई अधिनियम पारित करते समय संसद के दिमाग की एक झलक देखने लायक हो सकती है।

संसद में जब आरटीआई विधेयक पर बहस हुई, तो सांसद श्री वर्कला राधाकृष्णन ने कहा, ''सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राज्य के सचिवालय के साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालय में वास्तव में क्या हुआ है। हर नागरिक का अधिकार होगा क्योंकि यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुरक्षित होगा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवालयों में कई घटिया सौदे होते हैं और सूचनाओं को हमेशा छिपा कर रखा जाएगा। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारा गणतंत्र है। सचिवालय में क्या हुआ, यह जानने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। यहाँ तक कि कैबिनेट के कागजात भी, निर्णय लेने के बाद, इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकट किए जाने चाहिए। इसे दूसरों के ज्ञान से छिपाया नहीं जा सकता। इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले, कैबिनेट के कागजात गुप्त रखे जा सकते हैं। "(जोर दिया)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकटीकरण को रोकने का इरादा केवल उस समय तक था जब तक कि कैबिनेट के कागजातध्नोट्स पर कैबिनेट द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। एक बार कैबिनेट का निर्णय हो जाने के बाद, परन्तुक का पहला भाग जो निर्णय लिया गया था, पूरा हो जाएगा। विधेयक को संसद में पेश करने के साथ ही प्रावधान का दूसरा भाग कि मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया होगा, भी पूरा हो गया होगा। आयोग श्री वर्कला राधाकृष्णन के आगे के तर्कों को याद रखना चाहेगा, ''स्वतंत्रता के बाद, संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आयाय हमने आज तक नागरिकों को सूचना का मौलिक अधिकार नहीं दिया है। बहुत सी चीजें उनकी जानकारी के बिना की जाती हैं। उन्हें जानने का अधिकार है। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार के साथ–साथ संसद, साथ ही हर कोई लोगों के प्रति जवाबदेह है। इसमें न्यायपालिका भी शामिल हैय और हर कोई जनता के प्रति जवाबदेह है। उन्हें पता होना चाहिए और वे यह जानने के हकदार हैं कि देश के शासन में वास्तव में क्या हो रहा है। "

इस स्तर पर चूंकि कुछ पदाधिकारियों ने संदेह व्यक्त किया है कि सूचना का अधिकार वित्तीय संसाधनों को खत्म कर रहा है, यह याद रखना उचित है कि श्री मिलिंद देवड़ा, सांसद ने कहा था, "एक बार इस विधेयक का उपयोग परिपक्व हो जाने पर, यह सरकार की लागत को वास्तव में नीचे ले जाएगा। यह सरकार के लिए लागत वृद्धि नहीं है। यह सरकार की लागत को कम करने जा रहा है, यह कार्यान्वयन लागत को कम करने जा रहा है और यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि भारत के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा दी जाए। "

डीओपीटी मंत्री सुरेश पचौरी ने देश को आश्वासन दिया कि, ''यूपीए सरकार इस देश के लोगों को लोकतंत्र की चाबी सौंपना चाहती है। सरकार लोगों से ऐसी कोई सूचना नहीं छिपाना चाहती, जो राष्ट्रहित में हो। ''

लोकतंत्र की आत्मा की यह अवधारणा है कि प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक संप्रभु है, और वह राज्य को संप्रभुता का हिस्सा देती है, जिसके बदले में उसे कानून का शासन मिलता है। नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि कानून बनने से पहले कैबिनेट द्वारा किस आधार पर निर्णय लिए गए थे, जो कि संसद का स्पष्ट इरादा था। इससे देश में नागरिकों और उनके लोक सेवकों के बीच एक तर्कपूर्ण चर्चा और बहस की सुविधा होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसद का इरादा था, जैसा कि उन सांसदों ने उल्लेख किया है जिनके भाषणों को ऊपर उद्धृत किया गया है। लोकतंत्र की कुंजी हमारे देश के नागरिकों के पास होनी चाहिए।

पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए आयोग का नियम है कि कैबिनेट नोट एक सामग्री है जिसके आधार पर संसद में एक विधेयक पेश करने के लिए कैबिनेट का निर्णय लिया जाता है। एक बार कैबिनेट द्वारा संसद में बिल पेश करने का निर्णय लेने के बाद 'निर्णय लिया गया है'य जब संसद में विधेयक पेश किया जाता है तो 'मामला पूरा हो गया है या खत्म हो गया है' जहां तक मंत्रिमंडल का संबंध है। वर्तमान मामले में, चूंकि 'निर्णय लिया गया है, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया है:' पीआईओ द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (आई) के अंतर्गत दावा की गई छूट को बरकरार नहीं रखा गया है।

पीआईओ ने ऐसा कोई वैध कारण नहीं दिया है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कोई नुकसान किसी भी संरक्षित हित के लिए हो सकता है, जबकि यह स्पष्ट है कि यदि नागरिकों को कैबिनेट नोट की सामग्री के बारे में पता था जिसके आधार पर संसद ने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो इससे बेहतर सार्थक लोकतंत्र और बेहतर होगा और कानून का अधिनियमन वास्तव में लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि संसद में किसी भी नए विधेयक को पेश करने के संबंध में कैबिनेट नोटों का खुलासा करने में एक बड़ा सार्वजनिक हित है, जब कैबिनेट ने इस तरह के बिल को पेश करने का निर्णय लिया है और बिल पेश किया गया है। यह अधिनियम की धारा 4 (1) (डी) में आरटीआई अधिनियम द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण के मानदंड को पूरा करता है, जो यह कहता है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को 'प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना होगाय'। संसद द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून से नागरिक निश्चित रूप से गहराई से प्रभावित होते हैं, और इसलिए उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ये कानून किस आधार पर बनाए जा रहे हैं। जो नागरिक संसद सदस्यों को और इस प्रकार संसद की संस्था को वैधता देता है, उसे संसद द्वारा बनाए जा रहे कानूनों के पीछे कारण बताए जाने चाहिए। इसलिए आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव को इस कैबिनेट नोट और भविष्य में सभी कैबिनेट नोटों को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्देश देता है, जहां इस तरह के कैबिनेट नोट विधेयक को पेश किए जाने के 07 दिनों के भीतर संसद में पेश किए जाने वाले नए बिल के प्रस्ताव से संबंधित हैं। यह आदेश आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (8) (ए) (iii) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जा रहा है।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ को 20 जुलाई 2012 से पहले अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए कैबिनेट नोट की एक सत्यापित फोटोकॉपी प्रश्न–01 में सभी अनुलग्नकों के साथ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ऊपर उल्लिखित कैबिनेट नोट 20 जुलाई 2012 से पहले विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है और संसद में पेश किए जाने वाले नए बिलों के प्रस्तावों से संबंधित सभी कैबिनेट नोट्स भी संसद में बिल पेश करने के 07 दिनों के भीतर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

इस निर्णय की खुले चौम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

इस आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार कोई भी सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

शैलेश गांधी
सुचना आयुक्त
26 जून 2012

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।

प्रतिलिपिः

सचिव
परमाणु ऊर्जा विभाग
विशेष कार्य अधिकारी (ईआर) और सीपीआईओ
अणुशक्ति भवन
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग
मुंबई– 400001

20. अपील का प्रारूप यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह व्यक्तिगत सूचना है, और धारा 8(1)(जे) द्वारा अनिवार्य रूप से कोई बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित नहीं किया गया है।

अपील के लिए आधारः

धारा 8(1)(जे) केवल ऐसी सूचना को छूट देती है जो ''व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है जब तक कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

बशर्ते कि जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।''

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह व्यक्तिगत सूचना होनी चाहिए। आम बोलचाल में, एक तर्कसंगत व्यक्ति विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक विशेषता के रूप में बताता है जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है न कि किसी संस्था या कॉर्पोरेट पर। इसलिए, यह सुझाव देता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थानों, संगठनों या कॉर्पोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि चूंकि प्रावधान व्यक्ति की निजता के हनन की बात करता है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो।

कानून को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि अनुरोध की गई सूचना को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है:

ए) जहां मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना है और मांगी गई सूचना की प्रकृति ऐसी है कि इसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या

बी) जहां मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना है, और उक्त सूचना के प्रकटीकरण से व्यक्ति की निजता पर अवांछित आक्रमण होगा।

यदि सूचना व्यक्तिगत सूचना है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सार्वजनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप आई थी। आम तौर पर, सार्वजनिक रिकॉर्ड में अधिकांश सूचना सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न होती है। मेरे द्वारा मांगा गया विवरण एक सार्वजनिक गतिविधि का हैय इसलिए यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड पर है।

भले ही सूचना किसी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न हुई हो, फिर भी इसे छूट दी जा सकती है यदि इसे प्रकट करना किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर एक अनुचित आक्रमण होगा। खड़क सिंह के मामले और सुप्रीम कोर्ट के आर राजगोपाल के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार गोपनीयता घर के भीतर के मामलों, एक व्यक्ति के शरीर, यौन वरीयताओं आदि के साथ संबन्धित है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार के माध्यम से निजता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 (2) जो 'शिष्टता या नैतिकता' के हित में अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19 (2) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों,

सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में हितों में उक्त उप खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध की अनुमति देता है।''

केवल ऐसे शब्द जो गोपनीयता के उल्लंघन के मुद्दे पर लागू हो सकते हैं, वे हैं 'शालीनता या नैतिकता'।

यहां तक कि अगर यह महसूस किया जाता है कि सूचना किसी सार्वजनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है या इसका खुलासा करना किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर एक अनुचित आक्रमण होगा, तो सूचना को अस्वीकार करने से पहले इसे परंतुक के कठोर परीक्षण के अधीन होना चाहिएः 'बशर्ते कि सूचना, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।'

परंतुक एक परीक्षण के रूप में है जिसे धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली सूचना को अस्वीकार करने से पहले लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, जब कोई पीआईओ, एफएए, सूचना आयुक्त या न्यायाधीश धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट का आह्वान करते हैं, तो उन्हें पहले व्यक्तिपरक निष्कर्ष पर आना चाहिए कि वे सांसदों और विधायकों को भी सूचना प्रदान नहीं करेंगे और नागरिकों को जानकारी देने का इनकार करते समय इसे रिकॉर्ड करेंगे।

अपना निर्णय देने में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले यह निर्धारित करें कि मांगी गई सूचना एक निजी गतिविधि का परिणाम है या नहीं। दूसरी बात यह कि क्या यह व्यक्ति की निजता से संबंधित है और 'शालीनता या नैतिकता' का उल्लंघन करेगा। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक लागू होता है, तो कृपया अपना व्यक्तिपरक मूल्यांकन दर्ज करें कि आप इसे संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार कर देंगे। अन्यथा, इनकार आरटीआई अधिनियम या संविधान के अनुरूप नहीं होगा।

आपकी सुविधा और संदर्भ के लिए, मैं आर राजगोपाल एवं अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य (1994) एससी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार को भी उद्धृत कर रहा हूं, जो कहता हैः

''26. अब हम उपरोक्त चर्चा से आने वाले व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैंः

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा इस देश के नागरिकों को गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह ''अकेले रहने का अधिकार'' है।

नागरिक को अपनी, अपने परिवार, शादी, प्रजनन, मातृत्व, बच्चे पैदा करने और शिक्षा सहित अन्य मामलों की गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है। कोई भी उपरोक्त मामलों से संबंधित कुछ भी उसकी सहमति के बिना प्रकाशित नहीं कर सकता है – चाहे वह सच्चा हो या अन्यथा और चाहे वह प्रशंसनीय हो या आलोचनात्मक। यदि वह ऐसा करता है, तो वह संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और क्षति की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, स्थिति भिन्न हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को विवाद में डालता है या स्वेच्छा से आमंत्रित करता है या विवाद उठाता है।

(2) पूर्वोक्त नियम अपवाद के अधीन ऐसे है, कि उपरोक्त पहलुओं से संबंधित कोई भी प्रकाशन आपत्तिजनक हो जाता है यदि ऐसा प्रकाशन अदालत के रिकॉर्ड सहित सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित हो। यह इस कारण से है कि एक बार जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाता है, तो निजता का अधिकार नहीं रह जाता है और यह प्रेस और मीडिया द्वारा टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है। हालाँकि, हमारी राय है कि शालीनता के हित में ख्अनुच्छेद 19 (2), इस नियम के लिए एक अपवाद तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात, एक महिला जो यौन उत्पीड़न, अभिहरण, अपहरण, या किसी वैसी ही घटना की शिकार है। इस तरह के अपराध को आगे उसके नाम के अपमान और प्रेसध्मीडिया में प्रचारित घटना के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उपरोक्त (1) में नियम का एक और अपवाद है – वास्तव में, यह अपवाद नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नियम है। सार्वजनिक अधिकारियों के मामले में, यह स्पष्ट है, निजता का अधिकार, या उस मामले के लिए, नुकसान के लिए कार्रवाई का उपाय उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक उनके कृत्यों और आचरण के संबंध में उपलब्ध नहीं है। ऐसा तब भी होता है जब प्रकाशन उन तथ्यों और बयानों पर आधारित होता है जो सत्य नहीं होते हैं, जब तक कि अधिकारी यह स्थापित नहीं करता है कि प्रकाशन (प्रतिवादी द्वारा) सत्य के लिए लापरवाह अवहेलना के साथ किया गया था। ऐसे मामले में, प्रतिवादी (प्रेस या मीडिया का सदस्य) के लिए यह साबित करना पर्याप्त होगा कि उसने तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद कार्रवाई कीय उसके लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि उसने जो लिखा है वह सच है। बेशक, जहां प्रकाशन झूठा साबित होता है और द्वेष या व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित होता है, प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं होगा और नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। यह समान रूप से स्पष्ट है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक नहीं होने वाले मामलों में, सरकारी अधिकारी को किसी अन्य नागरिक के समान सुरक्षा प्राप्त होती है, जैसा कि

ऊपर (1) और (2) में बताया गया है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायपालिका, जो न्यायालय और संसद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से सुरक्षित है और विधायिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 104 क्रमशः द्वारा संरक्षित हैं, इस नियम के अपवादों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यह निर्णय प्रभावी रूप से यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले तब तक गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते जब तक कि यह 'शालीनता या नैतिकता' के उल्लंघन से संबंधित न हो। यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के सिद्धांत को भी दोहराता है। यह मेरा निवेदन है कि सभी व्यक्तिगत सूचनायेँ कानून द्वारा प्रकटीकरण से मुक्त नहीं है, इसलिए व्यापक जनहित स्थापित करने का कोई कारण नहीं है। यह तभी आवश्यक होगा जब सूचना मुक्त हो। सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

इसके अलावा, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि यदि इनकार सर्वोच्च न्यायालय के गिरीश रामचंद्र देशपांडे के फैसले पर आधारित है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह एक एसएलपी में दिया गया था और इसलिए कोई तर्क नहीं देता और कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा, आर, राजगोपाल निर्णय गिरीश देशपांडे के फैसले से पहले था। इसका स्पष्ट निर्णय का आधार भी है और इसलिए यह कानून बनाने की मिसाल कायम करता है। गिरीश देशपांडे का फैसला बाद का फैसला होने के कारण आर राजगोपाल के फैसले का खंडन या ओवरराइड नहीं कर सकता है।

आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें:

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं तो कृपया अपने आदेश में विधि द्वारा बिन्दुवार कारणों का उल्लेख करें।

इस विषय पर सीआईसी नं. के 3 आदेश संख्या 2336, 2926, 3062 संलग्न किए गए।

अनुलग्नक 20.1

डॉ प्रेम प्रकाश शर्मा बनाम. श्याम लाल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 415, चौथी मंजिल,
ब्लॉक IV, पुराना जेएनयू कैंपस,
नई दिल्ली –110067.
दूरभाषः 91 11 2616179
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2008/00275/2336
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2008/00275
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता	:	डॉ प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र डॉ मदन लाल शर्मा बी–51, फेज–II, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095
प्रतिवादी 1	:	डॉ. ओ पी शर्मा श्याम लाल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शाहदरा, नई दिल्ली–110032।

आरटीआई दायरः 04/08/2008
पीआईओ ने उत्तर दियाः 22/08/2008
प्रथम अपील : 02/09/2008 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आदेश : 06/10/2008
द्वितीय अपील दायर : 18/11/2008

मांगी गई जानकारीः

अपीलकर्ता ने अपने 15 प्रश्नों के माध्यम से पीआईओ–श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा, नई दिल्ली से कुछ सूचना मांगी थी।

1. हिन्दी विभाग में स्थायी व्याख्याता के रूप में नियुक्त 8 व्यक्तियों के पीएच.डी और एम. फिल के लिए उनके गाइड के साथ नाम प्रस्तुत करें।

2. 8 नियुक्त व्याख्याताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रमाणित प्रति विज्ञापन के आधार पर प्रस्तुत करें।

3. मेरे आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति।

4. प्रत्येक व्याख्याता के नियुक्ति पत्र की प्रमाणित प्रति।

5. कॉलेज द्वारा लगभग 900 नामों वाले चयन के लिए तैयार किए गए संपूर्ण सिनॉप्सिस की प्रमाणित प्रति।

6. दो विशेषज्ञ पैनल के नाम और विश्वविद्यालय के साथ पत्राचार की प्रतियां।

7. पहले पैनल को बदलने के कारण, ऐसे नियमों का आधार प्रस्तुत करें।

8. किस आधार पर डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल सेवानिवृत्ति के बाद भी चयन समिति में बैठे थे? क्या एक सेवानिवृत्त व्यक्ति विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति में बैठने के लिए पात्र है? यदि हां, तो ऐसे नियमों और विनियमों की प्रतियां दें।

9. तीसरे विषय विशेषज्ञ का नाम बताइए जिन्हें आपने बुलाया है?

10. जब तीसरे विषय के विशेषज्ञ ने आने से मना किया तो चौथे व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया? कारण दे।

11. मैंने सुना है कि आपने विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए वी.सी. नॉमिनी को बदल दिया है? ऐसे नियमों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें जिनके आधार पर परिवर्तन किए गए थे?

12. किस आधार पर एस.टी. पद भरा था? ऐसे नियमों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

13. मैं आपके कॉलेज में 16/10/1998 से 10 वर्षों से तदर्थ व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे 16/07/2008 को कार्यभार ग्रहण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन मुझे न तो नियुक्ति पत्र दिया गया और न ही मुझे शामिल होने के लिए कहा गया। जब मैंने आपसे इस संबंध में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। इस सब के कारण मेरी 10 साल की सेवा में ब्रेक अप हो गया है, जिसका असर मेरे कैरियर/भविष्य पर पड़ेगा।

14. कॉलेज ने मुझे कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मेरी सेवाएं समाप्त की गई हैं या नहीं? मुझे गर्मी की छुट्टी का भी वेतन नहीं मिला है। मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है?

15. मेरी योग्यता के अनुसार, कार्य अनुभव, परिणाम और अन्य गुण उत्कृष्ट थे इसलिए मैं नियुक्ति के लिए बेहतर व्यक्ति था लेकिन आपने मुझे नियुक्त नहीं किया, कृपया बताएं कि आपने यह अन्याय क्यों किया है? मैं अब भी नियुक्त होने के लिए बेहतर व्यक्ति हूं क्योंकि मैं हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा सकता हूं। क्या आप कृपया मानवीय आधार पर मेरी गुणवत्ता और योग्यता पर विचार कर सकते हैं? कृपया विस्तार से बताएं।

पीआईओ का जवाब :

पीआईओ ने अपने जवाब में कहा है कि ''मैं आपका ध्यान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा रही रिट याचिका की ओर आकर्षित करना चाह सकता हूं, जिसका नाम 5045/2008 है, जिसका शीर्षक डॉ प्रेम प्रकाश शर्मा बनाम श्याम लाल कॉलेज एवं अन्य है। कि रिट याचिका में भी व्याख्याताओं के समान चयन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है (जैसा आपने अपने आरटीआई आवेदन में मांगा है), जिसके लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.07.2008 के आदेश में कहा है कि चयन प्रक्रिया के उम्मीदवार पूरी तरह से रिट याचिका के परिणाम पर निर्भर होंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक ही राहत के लिए दो वैकल्पिक उपायों की तलाश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप या तो वर्तमान आवेदन या दायर की गई रिट याचिका को वापस ले लें।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दियाः

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिया कि ''माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.07.2008 द्वारा निर्देश दिया है कि श्याम लाल कॉलेज में हिंदी विभाग में नियुक्ति मामले में निर्णय के परिणाम के अधीन होगी। मैंने अपने कानूनी वकील श्री मोहित गुप्ता, अधिवक्ता, जो इस मामले में कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, से सलाह मांगी है और उनसे आपके आवेदन/अपील का बिंदुवार जवाब देने का अनुरोध किया है जोकि मैं आपको प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सूचित कर सकता हूं।"

कानूनी सलाहकार की सलाह के अनुसार एफ.ए.ए. ने अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर दिया।

26ध्02ध्2009 को सुनवाई के दौरान उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ता : डॉ प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र डॉ मदन लाल शर्मा

प्रतिवादी : डॉ ओ पी शर्मा पीआईओ

पीआईओ का तर्क है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मैनुअल 6–सेक्शन 4 (1) (बी) (अप) में जारी एक 'सूचना पुस्तिका' के आधार पर अधिकांश सूचना नहीं दी। जिस नोट पर वह भरोसा कर रहा है, उसमें कहा गया है, ''परीक्षाओं से संबंधित गोपनीय मामले, पेपर सेटिंग्स ... चयन समितियों की संरचना और कार्यवाही और विश्वविद्यालय न्यायालयध्ईसीध्एसी के कार्यवृत्त जब तक मुद्रित नहीं होते हैं, गोपनीय रहेंगे और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होंगे। '' उन्होंने कुछ तीसरे पक्षों से उनकी टिप्पणियों के लिए भी कहा जिन्होंने कहा है कि सूचना नहीं दी जानी चाहिए।

पीआईओ धारा 8(1) के किसी प्रावधान के आधार पर इनकार को सही ठहराने में सक्षम नहीं है। 'सूचना पुस्तिका' का नोट भ्रामक है और आरटीआई अधिनियम में मौजूद गैर–मौजूद छूटों को पढ़ने का प्रयास करता है।

पीआईओ तीसरे पक्ष के अधिकारों सहित कई तरह की आपत्तियों का दावा कर रहा है।

पीआईओ अचानक अपनी फाइल से लिखित निवेदन निकालता है और कहता है कि वह उन्हें जमा करना चाहता है। आयोग ने उन्हें रिकॉर्ड में ले लिया है।

आयोग ने सुनवाई को 6 मार्च 2009 को पूर्वाह्न 10.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

पीआईओ सूचना जारी करने पर अपनी लिखित आपत्तियां देगा और तीसरे पक्ष को भी सूचित करेगा जो आयोग में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं।

6/03/09 को जब सुनवाई हुईः

निम्नलिखित उपस्थित थेः

1,. अपीलकर्ताः डॉ प्रेम प्रकाश शर्मा, डॉ एम एल शर्मा, डॉ एस पी शर्मा

2. प्रतिवादीः श्री मोहित गुप्ता, पीआईओ श्याम लाल कॉलेज के वकील, श्री ओ.पी.शर्मा

3. तृतीय पक्षः

i. डॉ प्रभात शर्मा

ii. डॉ राज कुमार प्रसाद

iii. डॉ सत्य प्रिया पाण्डेय

iv. डॉ. (सुश्री) सुजाता ट्वीटिया

v. डॉ समरेंद्र कुमार

vi. श्री अमिताभ कुमार

vii. श्री राकेश कुमार मीणा

पीआईओ श्याम लाल कॉलेज के वकील श्री मोहित गुप्ता ने कहा कि सीआईसी नियमों के अनुसार कोई सत्यापन नहीं किया गया है और यह स्पष्ट करता है कि सूचना धारा 8 (1) (जे) के आधार पर गोपनीयता का हनन है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रश्न सूचना नहीं मांग रहे हैं, और आयोग ने सहमति व्यक्त की कि प्रश्न 13,14,15 अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित सूचना नहीं मांग रहे हैं और इसलिए इनके लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

डॉ. ओ.पी. शर्मा, पीआईओ ने आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय अपीलकर्ता को सूचना देने से इनकार करने को सही ठहराने के लिए लिखित निवेदन दिया जिसमें उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदु उठाए हैंः

1……..जाहिर है, डॉ. प्रेम प्रकाश शर्मा/अपीलार्थी के पास आवश्यक सूचना है जिसके आधार पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, फिर भी उन्होंने अपने आवेदन दिनांक 25.7.2008/4.8.2008 में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत यह सूचना मांगी है।

2. ……. डॉ. प्रेम प्रकाश शर्मा/अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने आवेदन दिनांक 4.8. 2008 में मांगी गई विभिन्न सूचना आठ व्याख्याताओं (बाद में संदर्भित) से संबंधित हैं। तीसरे पक्ष के रूप में) जिन्हें न तो अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील का नोटिस जारी किया गया है और न ही इस माननीय आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां रखने का कोई उचित अवसर उक्त तृतीय पक्षों को प्रदान किया गया है।

3. कि वर्तमान दूसरी अपील श्री प्रेम प्रकाश शर्माध्अपीलकर्ता द्वारा दायर भी अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारीध्अपीलकर्ता प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को उचित रूप से वह सूचना प्रदान की है जो उसे कानून के अनुसार प्रदान की जा सकती है और सूचना प्रदान नहीं करने के लिए उचित कारण, यदि कोई हो, निर्दिष्ट किया है जिसे भी आरटीआई, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत छूट दी गई है .....

• .....--अपीलार्थी ने अपने आवेदन दिनांक 4.8.2008 के माध्यम से, यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और उक्त व्यक्तियों की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है। यह प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है कि उक्त तीसरे व्यक्तियों, यानी 8 व्याख्याताओं से पूछा गया था कि क्या उनके बारे में ऐसी सूचना दी जाएगी या नहीं। जिस पर उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि उनसे संबंधित सूचना किसी भी निकाय को न दें.

अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 4.8.2008 के माध्यम से मांगी गई सूचना संख्या 3,5,6,9, और 10, चयन समिति की प्रक्रिया, संरचना और कार्यवाही से संबंधित है और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय सूचना पुस्तिका के अनुसार मैनुअल (6) क्लॉज 4(1)(बी)(iv) के अंतर्गत, चयन प्रक्रिया से संबंधित सूचना गोपनीय रहेगी और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होगी।

आयोग ने तीसरे पक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा कि उनके अनुसार कौन सी सूचना निजता के अंतर्गत आती है। तीसरे पक्ष ने कहा कि उनके फोन नंबर, पता और शैक्षणिक योग्यताएं व्यक्तिगत सूचना हैं और उनका खुलासा करना उनकी निजता में दखल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने बारे में अपीलकर्ता को सूचना देने में आपत्ति है.

आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

20 मार्च 2009 को घोषित निर्णयः

पीआईओ ने शुरू में अपीलकर्ता को यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया था, ''आप एक ही राहत के लिए दो वैकल्पिक उपायों की तलाश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि या तो आप वर्तमान आवेदन या दायर रिट याचिका को वापस ले लें।''

पीआईओ का तर्क त्रुटिपूर्ण है। आरटीआई का उपयोग करके आवेदक सूचना मांग रहा है और उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा है।

सुनवाई के दौरान और अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में पीआईओ ने दावा किया है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय सूचना पुस्तिका मैनुअल (6) खंड 4(1)(बी)(पअ) के अंतर्गत, 'परीक्षाओं, पेपर सेटिंग्स, ... संरचना और संबंधित गोपनीय मामलों' से बताता है। चयन समितियों की कार्यवाही और विश्वविद्यालय न्यायालय/ईसी/एसीसी के कार्यवृत्त जब तक मुद्रित नहीं होंगे तब तक गोपनीय रहेंगे और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होंगे। आरटीआई के अंतर्गत किसी भी सूचना को देने से इनकार करने का आधार कानून पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी एक पुस्तिका। आयोग इस अवसर पर विश्वविद्यालय को निर्देश देता है कि वह अपने मैनुअल में सुधार करे और छूट देकर अपने पीआईओ को गुमराह न करे। मैनुअल या गाइड बनाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी छूट न दें जो कानून में मौजूद

नहीं है। केवल धारा 8 (1) की छूटों को शब्दशः दर्ज करना ही समझदारी होगी, न कि इन्हें बढ़ाना।

दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री रवींद्र भट ने भगत सिंह बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य में स्पष्ट रूप से कहा कि, ''अधिकार आधारित अधिनियम एक कल्याणकारी उपाय के समान है, उसे अधिनियम की तरह, एक उदार व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए। अधिनियम की प्रासंगिक पृष्ठभूमि और इतिहास ऐसा है कि धारा 8 में उल्लिखित छूट, सूचना प्रदान करने के दायित्व से अधिकारियों को मुक्त करती है, इसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध बनाती है। इन प्रतिबंधों की व्याख्या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा निर्देश, नोट या नियमावली जारी करके नहीं की जा सकती है। यह एक गलत प्रथा है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी नियमावली में सुधार करे।

पीआईओ ने अपने लिखित निवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि अपील विचारणीय नहीं है। उनका यह तर्क कि तीसरे पक्ष को धारा 19(4) के अनुसार सूचना आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, सही है और इसलिए सूचना आयोग ने तीसरे पक्ष को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

अपीलार्थी को चयन समिति एवं प्रक्रिया का विवरण देने में जन सूचना अधिकारी की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है।

पीआईओ और तीसरे पक्ष ने चयनित उम्मीदवारों से संबंधित सूचना के लिए धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

अब हम इस विवाद की जांच करेंगे।

धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट दी गई सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

> ''ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को सही ठहराता हैः''

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सूचना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगाः

1. यह व्यक्तिगत सूचना होनी चाहिए।

कानून में शब्दों को आम तौर पर आम भाषा में दिए गए अर्थ दिए जाने चाहिए। आम भाषा में हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक ऐसे गुण से जोड़ेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है न कि किसी संस्थान या कॉर्पोरेट पर। इससे यह प्रवाहित होता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थाओं, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। (इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा 8 (1) (जे) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो।)

वाक्यांश 'जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है' की व्याख्या की जानी चाहिए, इसका अर्थ है कि सूचना का सार्वजनिक गतिविधि से कुछ संबंध होना चाहिए।

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कार्यों को करने में नियमित रूप से नागरिकों से 'व्यक्तिगत' सूचना मांगते हैं, और यह स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि है। जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है, या एक कर्मचारी के रूप में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने बारे में सूचना देता है, या अनुमति, लाइसेंस या प्राधिकरण मांगता है, तो ये सभी सार्वजनिक गतिविधियां हैं।

इसे हम दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं। राज्य को किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ असाधारण स्थितियां हैं जहां राज्य को एक नागरिक की गोपनीयता पर आक्रमण करने की अनुमति दी जा सकती है। उन परिस्थितियों में कानून के विशेष प्रावधान हमेशा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ लागू होते हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां राज्य नियमित रूप से नागरिकों से सूचना प्राप्त करता है, यह सूचना एक सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में है और गोपनीयता पर घुसपैठ नहीं होगी।

कुछ मानवाधिकार जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार सार्वभौमिक हैं और इसलिए सभी देशों में समान रूप से समान रूप से लागू होंगे। हालाँकि, 'गोपनीयता' की अवधारणा समाज से संबंधित है और विभिन्न समाज इन्हें अलग तरह से देखेंगे। भारत ने अभी तक इस अधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है, इसलिए नागरिकों के सूचना के अधिकार और व्यक्ति के निजता के अधिकार को संतुलित करने में नागरिकों के सूचना के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाएगा।

इसलिए हम स्वीकार कर सकते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से एकत्र की गई और व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली सूचना का प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण नहीं होगा और इस नियम के केवल कुछ अपवाद होंगे जो सूचना से संबंधित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है जैसे कि छापे या फोन–टैपिंग के मामले में।

तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को कुछ पदों के लिए चयनित होने के लिए प्रदान की गई थी, जो स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि है।

आयोग को उनके इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि उनके अनुभव या शैक्षिक योग्यता का खुलासा उनकी निजता पर आक्रमण होगा।

केवल व्यक्तिगत सूचना का प्रकटीकरण, जो गोपनीयता पर आक्रमण के रूप में योग्य हो सकता है, उनके पते और टेलीफोन नंबर हो सकते हैं।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ धारा 10 (1) के प्रावधान के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के टेलीफोन नंबर और पते को शून्य कर देगा, और अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई अन्य सभी जानकारी, प्रश्न 1 से 12 तक प्रदान करेगा।

यह सूचना अपीलार्थी को 10 अप्रैल 2009 से पूर्व निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
20 मार्च 2009

(इस निर्णय पर किसी भी पत्राचार में, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख किया।)

(आरएम)

अनुलग्नक 20.2

श्री सैयद इजहार–उल हसन बनाम श्री राज पाल सिंह
केंद्रीय सूचना आयोग
कमरा नंबर 415, चौथी मंजिल,
ब्लॉक IV, पुराना जेएनयू कैंपस,
नई दिल्ली –110067.
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/सी/2008/00443/एसजी/2926
अपील संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/सी/2008/00443/एसजी
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्य
अपीलकर्ता : श्री सैयद इजहार–उल हसन,
एफ–37, अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट–ए,
जामिया नगर, ओखला,
नई दिल्ली–110025.
प्रतिवादीः श्री राज पाल सिंह
अतिरिक्त उप आयुक्त और पीआईओ,
दिल्ली नगर निगम,
इंजीनियरिंग विभाग (मुख्यालय),
टाउन हॉल, दिल्ली–110006।
आरटीआई आवेदन दायर : 29/10/2007
पीआईओ ने उत्तर दियाः 11/04/2008
पहली अपील दायर की गईः उल्लेख नहीं किया गया।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : उल्लेख नहीं है।
द्वितीय अपील : 10/05/2008 को दायर की गई

अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन में श्री सैयद नसीरुल हसन निवासी 337–सी,/59, बाटला हाउस, ओखला, नई दिल्ली–25 की एमसीडी को घोषित चल–अचल संपत्तियों का विवरण और सर्विस बुक की प्रति के संबंध में पूछा था।

पीआईओ ने जवाब दिया।

तीसरे पक्ष का मामला होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के अंतर्गत सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिया।

उत्तर नहीं दिया।

25 मार्च को सुनवाई के दौरान सामने आए प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ताः श्री सैयद इजहार–उल हसन

प्रतिवादीः श्री राजपाल सिंह पीआईओ

पीआईओ का तर्क है कि उसने सूचना देने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह तीसरे पक्ष से संबंधित है और सूचना का खुलासा करना व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण होगा।

अपीलकर्ता का तर्क है कि श्री सैयद नसीरुल हसन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भ्रष्टाचार के मामलों का आरोप लगाया गया है। वह सेवा में अवस्थित है और सीबीआई ने 22 नवंबर 2001 को उनके घर पर छापा मारा था। इसलिए इस सूचना का खुलासा करने में एक बड़ा जनहित है।

पीआईओ ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने निर्णय में आईसी (ए) / सीआईसी / 2006 के इस तर्क को बरकरार रखा था कि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

आयोग को तीसरे पक्ष श्री सैयद नसीरुल हसन को मामले में निर्णय लेने से पहले सूचना जारी करने पर अपनी आपत्ति देने का अवसर देने की आवश्यकता है। आयोग श्री सैयद नसीरुल हसन के खिलाफ मामलों की स्थिति पर एमसीडी के सतर्कता निदेशक से एक लिखित रिपोर्ट भी चाहता है। सतर्कता निदेशक एवं तृतीय पक्ष श्री सैयद नसीरुल हसन 22 अप्रैल को सायं 5.00 बजे इस मामले की सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। श्री राजपाल सिंह सतर्कता निदेशक और तीसरे पक्ष श्री सैयद नसीरुल हसन को सुनवाई के लिए उपस्थित होने की सूचना देंगे।

मामला 22 अप्रैल 2009 को सायं 5.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया

22 अप्रैल 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्य

निम्नलिखित उपस्थित थे

अपीलकर्ताः श्री सैयद इजहार–उल हसन

प्रतिवादीः श्री यू.बी. त्रिपाठी निदेशक, सतर्कता विभाग।

श्री जुगल किशोर प्रधान लिपिक, अभियांत्रिकी, विभाग मुख्यालय

तृतीय पक्षः श्री एस.एन. हसन

निदेशक, सतर्कता श्री यू.बी. त्रिपाठी ने अनाधिकृत निर्माण से संबंधित 6 विभागीय मामलों की सूची दी है और श्री एस.एन. हसन के खिलाफ एक भवन को ध्वस्त करने के दौरान चोट पहुंचाने से संबंधित एक पुलिस के मामले की सूची दी है। मामले सात साल पुराने हैं और पूछताछ जारी है।

तीसरे पक्ष श्री एस.एन. हसन ने लिखित दलीलें देते हुए दावा किया है कि सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनकी निजता में घुसपैठ होगी। उन्होंने दी जा रही सूचना का विरोध किया और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता के इरादे अच्छे नहीं हैं। वह यह भी सबूत दिखाता है कि अपीलकर्ता दो सोसाइटियां चला रहा है जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास पंजीकृत नहीं हैं। अपीलकर्ता के विजिटिंग कार्ड का दावा है कि सोसायटी पंजीकृत हैं।

सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित

तीसरे पक्ष श्री एस.एन.हसन ने 24/4/2009 को फिर से लिखित निवेदन दिया कि अपीलकर्ता के इरादे अच्छे नहीं हैं और उसके बारे में आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने फिर से दलील दी है कि उनके बारे में सूचना धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत सुरक्षित है।

24/4/2009 को घोषित निर्णयः

आयोग अपीलकर्ता और तीसरे पक्ष द्वारा एक–दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि इससे पहले के मामले से उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

आयोग को अधिनियम की धारा 3 द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो सुरुचिपूर्ण ढंग से और शब्दों की एक बड़ी मितव्यवता के साथ कहता है, 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।' इस प्रकार संप्रभु नागरिक के अधिकार के लिए एकमात्र प्रतिबंध सूचना अधिनियम में छूट है।

आयोग मानता है कि उसका काम आरटीआई अधिनियम के अनुसार मामलों का फैसला करना है। अधिनियम की धारा 6 (2) स्पष्ट रूप से कहती हैः ''सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो।'' इस प्रकार किसी भी लोक प्राधिकरण या आयोग के पास आवेदक के पूर्ववृत्त या उद्देश्यों को देखने का कोई अधिकार नहीं है।

यह आयोग इस तथ्य से अवगत है कि यह आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और अधिनियम के अंतर्गत एक निर्णायक निकाय होने के नाते, यह विधायिका की भूमिका नहीं ले सकता है और अब तक प्रदान नहीं की गई किसी भी छूट को आयात कर सकता है। आयोग स्वयं छूट नहीं दे सकता है और संसद के विचारों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह अधिनियम न्यायनिर्णायक अधिकारियों के पास स्पष्ट रूप से बताए गए कानून से परे कानून को पढ़ने के लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है। अधिनियम में कोई अस्पष्टता नहीं है और व्यापक जनहित के नाम पर इसके साथ छेड़छाड़ करना न्यायनिर्णायक अधिकारियों के दायरे से बाहर है। न्यायनिर्णयन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नई छूट देना

अधिनियम की भावना के विरुद्ध होगा। छूट को अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार सख्ती से समझा जाना चाहिए।

इसलिए आयोग केवल अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत सूचीबद्ध छूटों के आधार पर सूचना को अस्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। तीसरे पक्ष और पीआईओ ने दावा किया है कि सूचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट दी गई सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

''ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को सही ठहराता हैः''

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सूचना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगाः

1. यह व्यक्तिगत सूचना होनी चाहिए।

कानून में शब्दों को आम तौर पर आम भाषा में दिए गए अर्थ दिए जाने चाहिए। आम भाषा में हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक ऐसे गुण से जोड़ेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है न कि किसी संस्थान या कॉर्पोरेट पर। इससे यह प्रवाहित होता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थाओं, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। (इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा 8 (1) (जे) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो।)

वाक्यांश 'जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है' का अर्थ है कि सूचना का सार्वजनिक गतिविधि से कुछ संबंध होना चाहिए।

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कार्यों को करने में नियमित रूप से नागरिकों से 'व्यक्तिगत' सूचना मांगते हैं, और यह स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि है। जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है, या एक कर्मचारी के रूप में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने बारे में सूचना देता है, या अनुमति, लाइसेंस या प्राधिकरण मांगता है, तो ये सभी सार्वजनिक गतिविधियां हैं। अपीलकर्ता द्वारा इस मामले में मांगी गई सूचना निश्चित रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि की खोज में प्राप्त की गई है।

इसे हम दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं। राज्य को किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ असाधारण स्थितियां हैं जहां राज्य को एक नागरिक की गोपनीयता पर आक्रमण करने की अनुमति दी जा सकती है। उन परिस्थितियों में कानून के विशेष प्रावधान हमेशा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ लागू होते हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां राज्य नियमित रूप से नागरिकों से सूचना प्राप्त करता है, यह सूचना एक सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में है और गोपनीयता पर घुसपैठ नहीं होगी।

कुछ मानवाधिकार जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार सार्वभौमिक हैं और इसलिए सभी देशों में समान रूप से समान रूप से लागू होंगे। हालाँकि,

'गोपनीयता' की अवधारणा एक सांस्कृतिक धारणा है, जो समाज और विभिन्न समाजों से संबंधित है' इन्हें अलग तरह से देखेगा। भारत ने अभी तक इस अधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है, इसलिए नागरिकों के सूचना के अधिकार और व्यक्ति के निजता के अधिकार को संतुलित करने में नागरिकों के सूचना के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाएगा।

इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक सेवक की संपत्ति जैसी सूचना के प्रकटीकरण को – जो कि लोक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से एकत्र किया जाता है और लोक सेवकों द्वारा नियमित रूप से प्रदान किया जाता है – को किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस नियम के केवल कुछ अपवाद होंगे जो उस सूचना से संबंधित हो सकते हैं जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राप्त की जाती है जैसे कि छापे या फोन–टैपिंग के मामले में। किसी अन्य अपवाद को विशेष रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए।

इस प्रकार इस मामले में अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना धारा 8 (1) (जे) की छूट के दायरे में नहीं आती है, और इसलिए सूचना प्रदान करनी होगी।

अपील की अनुमति है।

पीआईओ 5 मई 2009 से पहले अपीलकर्ता को सूचना प्रदान करेगा।

इस निर्णय की खुले चैम्बर में घोषणा की गयी है।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचनाआयुक्त
24 अप्रैल 2009

अनुलग्नक 20.3

श्री आर.सी. जैन बनाम दिल्ली जल बोर्ड, 4 मई 2009
केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग, पुराना जेएनयू कैंपस,
बेर सराय के सामने ,
नई दिल्ली – 110066
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000401/3062
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000401
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री आर.सी. जैन, निवासी डब्ल्यूजेड–596, वी.पी.ओ. पालम, नई दिल्ली–110045.
प्रतिवादी	:	पीआईओ,

दिल्ली जल बोर्ड,
कार्यालय सचिव, आरटीआई प्रकोष्ठ,
वरुणालय फेज– प्, करोल बाग,
नई दिल्ली।

आरटीआई आवेदन दायर : 28/08/2008
पीआईओ ने उत्तर दियाः 01/10/2008
पहली अपील : 05/10/2008 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : उत्तर नहीं दिया गया
द्वितीय अपील दायर : 02/02/2009

अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन में श्री प्रेम चंद जैन निवासी डब्ल्यूजेड–603 ए, पालम गांव की फाइलों के निरीक्षण के लिए कहा था जिनका डीजेबी के साथ दो पानी के कनेक्शन हैं। कृपया मुझे भी वही दस्तावेज (उसकी फोटोकॉपी) लेने की अनुमति दें।

कृपया यह भी बताएं कि डीजेबी ने उसे किस आधार पर उपरोक्त कनेक्शन की अनुमति दी है यानी इससे संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, जब मूल रूप से कनेक्शन की अनुमति दी गई थी।

पीआईओ ने जवाब दिया।

वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है। जेडआरओ ने नोटिस जारी किया है। (एसडबल्यू)–I से श्री प्रेमचंद जैन आरटीआई के अंतर्गत सूचना देने/साझा करने के लिए एनओसी देंगे।

श्री प्रेमचंद जैन ने किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देने पर आपत्ति जताई है।

इसलिए वांछित सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दियाः

उत्तर नहीं दिया।

28 अप्रैल 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे।

अपीलकर्ताः श्री आर.सी. जैन

प्रतिवादीः श्री संतोष डी. वैद्य पीआईओ की ओर से डॉ. बिपिन बिहारी

तृतीय पक्ष : श्री नरिंदर कुमार जैन पुत्र श्री पी.सी. जैन

तीसरे पक्ष का कहना है कि अपीलकर्ता विभिन्न सरकारी संगठनों से उनके बारे में व्यक्तिगत सूचना मांग रहा है और यह आरटीआई का दुरुपयोग है। अपीलकर्ता के पास अदालती मामले भी हैं और वह अदालती मामलों में सूचना का उपयोग करना चाहता है। तीसरा पक्ष सूचना देने पर आपत्ति करता है क्योंकि यह उसकी निजता का अतिक्रमण होगा, और इसलिए सूचना को धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत छूट दी गई है। तीसरा पक्ष यह भी कहता है कि अपीलकर्ता आरटीआई के अंतर्गत उसके बारे में बहुत सारी सूचना मांग रहा है।

प्रतिवादी का कहना है कि डीम्ड पीआईओ ने तीसरे पक्ष से एनओसी मांगा, जिसने इस आधार पर सूचना देने पर आपत्ति जताई कि यह उसकी निजता का हनन है।

सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित

आदेश 4 मई 2009 को सुनाया गयाः

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में सूचना देने से इंकार किया गया है, निर्धारित करती हैः

'1 1– (1) जहां एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अनुरोध पर किसी भी सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या आपूर्ति की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुरोध और इस तथ्य की लिखित सूचना दें कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को आमंत्रित करता है सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए, और तीसरे पक्ष के इस तरह के प्रस्तुतिकरण को सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगाः

बशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों के लिए किसी भी संभावित नुकसान या चोट को महत्व देता है।

(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को किसी सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में नोटिस दिया जाता है, तीसरा पार्टी को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर, प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को अवसर दिया गया है उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने के लिए, सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने या न करने के बारे में निर्णय लें और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना दें।

(4) उप–धारा (3) के अंतर्गत दिए गए नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि जिस तीसरे पक्ष को नोटिस दिया गया है, वह निर्णय के खिलाफ धारा 19 के अंतर्गत अपील करने का हकदार है।'

धारा 11 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। धारा 11 किसी तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने से इनकार करने के लिए अनर्गल वीटो नहीं देती है। यह केवल तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने के लिए अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का अवसर देता है। पीआईओ इन्हें ध्यान में रखेगा और सूचना से इनकार केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत छूट के आधार पर हो सकता है।

आयोग पहले तीसरे पक्ष की दलीलों से निपटेगाः

इसका खुलासा करना उनकी निजता में दखल होगा।

तीसरा पक्ष आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के संरक्षण का आह्वान कर रहा है।

धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट दी गई सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

''ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को सही ठहराता हैः''

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सूचना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगाः

1. यह व्यक्तिगत सूचना होनी चाहिए।

कानून में शब्दों को आम तौर पर आम भाषा में दिए गए अर्थ दिए जाने चाहिए। आम भाषा में हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक ऐसे गुण से जोड़ेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है न कि किसी संस्थान या कॉर्पोरेट पर। इससे यह प्रवाहित होता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थाओं, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। (इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा 8(1)(र) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो।)

वाक्यांश 'जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है' की व्याख्या की जानी चाहिए, जिसका अर्थ है कि सूचना का सार्वजनिक गतिविधि से कुछ संबंध होना चाहिए।

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कार्यों को करने में नियमित रूप से नागरिकों से 'व्यक्तिगत' सूचना मांगते हैं, और यह स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि है। जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है, या कर्मचारी के रूप में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने बारे में सूचना देता है, या अनुमति, लाइसेंस या प्राधिकरण मांगता है, तो ये सभी सार्वजनिक गतिविधियां हैं।

इसे हम दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं। राज्य को किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ असाधारण स्थितियां हैं जहां राज्य को एक नागरिक की गोपनीयता पर आक्रमण करने की अनुमति दी जा सकती है। उन परिस्थितियों में कानून के विशेष प्रावधान हमेशा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ लागू होते हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां राज्य नियमित रूप से नागरिकों से सूचना प्राप्त करता है, यह सूचना एक सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में है और गोपनीयता पर घुसपैठ नहीं होगी।

कुछ मानवाधिकार जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार सार्वभौमिक हैं और इसलिए सभी देशों में समान रूप से समान रूप से लागू होंगे। हालाँकि, 'गोपनीयता' की अवधारणा समाज से संबंधित है और विभिन्न समाज 'इन्हें अलग तरह से देखेंगे।

भारत ने अभी तक इस अधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है, इसलिए नागरिकों के सूचना के अधिकार और व्यक्ति के निजता के अधिकार को संतुलित करने में नागरिकों के सूचना के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाएगा।

इसलिए हम स्वीकार कर सकते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से एकत्र की गई और व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली सूचना का प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण नहीं होगा और इस नियम के केवल कुछ अपवाद होंगे जो सूचना से संबंधित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है जैसे कि छापे या फोन–टैपिंग के मामले में।

1. तीसरे पक्ष को अपने बारे में सूचना देने से इनकार करने का अधिकार है, और जब तक एक बड़े जनहित को स्थापित नहीं किया जा सकता, तब तक सूचना का खुलासा नहीं किया जाएगा।

2. किसी कानूनी प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है।

3. तीसरे पक्ष का यह तर्क कि अपीलकर्ता के साथ अदालती मामले हैं, अपीलकर्ता की सूचना की मांग के लिए प्रासंगिक नहीं है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देना नियम है और इनकार अपवाद। कानून की स्पष्ट मंजूरी के बिना भारत के संप्रभु नागरिक को सूचना को सीमित करने या अस्वीकार करने का कोई भी प्रयास कानून के शासन के खिलाफ होगा। नागरिक को सूचना देने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसकी साख की जाँच की जानी चाहिए। यदि तीसरे पक्ष को सूचना देने में आपत्ति है, तो लोक सूचना अधिकारी को अपनी आपत्तियां लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि धारा 8(1) की कोई छूट धारा लागू होती है या नहीं। यदि कोई छूट खंड लागू होता है, तो पीआईओ यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या प्रकटीकरण में कोई बड़ा सार्वजनिक हित है। यदि छूट का कोई भी खंड लागू नहीं होता है, तो सूचना देनी होगी।

धारा 8(1)(जे) की छूट के बारे में आयोग के समक्ष तीसरे पक्ष की आपत्तियां अस्वीकार्य हैं। इसलिए सूचना देनी होगी।

निर्णय

अपील की अनुमति है।

पीआईओ 15 मई 2009 से पहले अपीलकर्ता को सूचना देगा।

इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
4 मई 2009

(किसी भी मामले में इस निर्णय पर पत्राचार, पूर्ण निर्णय संख्या का उल्लेख करें।)

21. अपील का प्रारूप यदि पीआईओ सूचना से इनकार करता है तो यह दावा करता है कि यह तीसरे पक्ष की सूचना है या आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के कारण इनकार कर रहा है या कह रहा है कि वह धारा 11 के आधार पर सूचना से इनकार कर रहा है

अपील के लिए आधारः

सूचना प्रदान करने की छूट केवल धारा 8 और 9 में है जैसा कि धारा 7(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के शब्दों में किसी सूचना के अधिकार के आवेदन को धारा 11 के आधार पर खारिज किए जाने पर विचार नहीं किया गया है।

धारा 11 एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रभावित तीसरे पक्ष को सूचना जारी करने पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है जिससे उसके हितों को नुकसान हो सकता है।

पीआईओ से धारा 11 की प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा तब की जाती है जब वह ''किसी भी सूचना या रिकॉर्ड का खुलासा करने का इरादा रखता है''। इसका मतलब है कि सूचना मौजूद है, और पीआईओ ने निष्कर्ष निकाला है कि सूचना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त नहीं है। यदि पीआईओ ने निष्कर्ष निकाला है कि तीसरे पक्ष की सूचना धारा 8 या 9 के अनुसार छूट प्राप्त है, तो उसे आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए और तदनुसार आवेदक को सूचित करना चाहिए।

यदि पीआईओ को नहीं लगता कि यह छूट प्राप्त है, लेकिन सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या प्रदान की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है, तो पीआईओ को तीसरे पक्ष को पांच दिनों के भीतर सूचित करना चाहिए कि वह 'सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से,' का खुलासा करने का इरादा रखता है।

धारा 11(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा जाएगा'। इस प्रकार, धारा 11 की प्रक्रिया तब प्रभावी होती है जब सूचना मौजूद होती है और पीआईओ का विचार है कि छूट नहीं है, और तीसरे पक्ष ने इसे गोपनीय माना है।

यदि सूचना 'किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या प्रदान की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है' तो पीआईओ को तीसरे पक्ष को पांच दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह 'सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा

करने का इरादा रखता है,' । धारा 11 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा जाएगा'। इस प्रकार, धारा 11 की प्रक्रिया तब प्रभावी होती है जब सूचना मौजूद होती है और पीआईओ का विचार है कि छूट नहीं है, और तीसरे पक्ष ने इसे गोपनीय माना है।

पीआईओ को आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को एक पत्र भेजना होगा जिसमें कहा गया है कि वह सूचना का खुलासा करने का इरादा रखता है। पीआईओ केवल सूचना का खुलासा करने का इरादा कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह छूट नहीं है। उसे तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यदि तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटीकरण पर आपत्ति है, तो पीआईओ इसे ध्यान में रखेगा और यह तय करेगा कि तीसरे पक्ष की आपत्तियां धारा 8 या 9 के अंतर्गत छूट से उचित हैं या नहीं। यदि वह आश्वस्त नहीं है कि सूचना इनमें से किसी धारा 8 या 9 की छूट द्वारा कवर की गई है तो, वह तीसरे पक्ष को तदनुसार सूचित करेगा। यदि वह आश्वस्त है कि वह आवेदक को संबंधित धारा का हवाला देते हुए और यह कैसे लागू होता है इसका कारण बताते हुए सूचना से इनकार करेगा। धारा 8 (2) के अनुरूप अधिनियम फिर से दोहराता है कि यदि प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित होता है, तो संभावित नुकसान से अधिक होने पर सूचना दी जा सकती है। हालांकि, बड़े सार्वजनिक हित ओवरराइड में एक अपवाद है।

यदि कोई तृतीय पक्ष आपत्ति करता हो और पीआईओ यह निष्कर्ष निकालता हो कि सूचना धारा 8(1)(डी) (व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य) के अंतर्गत आती है जो तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी हित को नुकसान पहुंचा सकती है, तो सूचना नहीं दी जाएगी, भले ही एक बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित किया गया हो। यह एकमात्र अपवाद है जिसे एक पूर्व कानून के लिए तैयार किया गया है। मामले में व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों का खुलासा प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है, आरटीआई अधिनियम पहले के कानून को ओवरराइड नहीं करता है। निहितार्थ और विशेष रूप से धारा 22 के अंतर्गत, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अधिनियम किसी भी अन्य कानून में इसके साथ असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा।

जब पीआईओ तीसरे पक्ष के संदर्भ को रखता है, तो उसका विचार है कि सूचना छूट नहीं है और तीसरे पक्ष को किसी भी आपत्ति को आवाज देने का मौका दे रही है जो अधिनियम के अंतर्गत छूट पर आधारित हो सकती है। केवल अगर तीसरे पक्ष की आपत्ति धारा 8 या धारा 9 के अंतर्गत छूटों में से एक के अनुरूप है, तो

पीआईओ फिर से इस मुद्दे की जांच करेगा। यदि वह आश्वस्त है कि छूट लागू होती है, तो उसे धारा 8 या 9 के प्रासंगिक उपखंड के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली सूचना का खुलासा करने और इनकार करने के लिए अपनी पहले की स्थिति को बदलना होगा। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दे को केवल लागू करने की आवश्यकता है यदि छूट स्थापित है। अन्यथा, प्रकटीकरण में कोई सार्वजनिक हित स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि अगर तीसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो सूचना का खुलासा करना होगा, क्योंकि पीआईओ ने निष्कर्ष निकाला है कि सूचना छूट नहीं है।

यह मेरा निवेदन है कि सभी व्यक्तिगत सूचना कानून द्वारा प्रकटीकरण से मुक्त नहीं है, इसलिए व्यापक जनहित स्थापित करने का कोई कारण नहीं है। यह तभी आवश्यक होगा जब सूचना मुक्त हो।

सूचना से इंकार करना कानून के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह एक त्रुटि है।

ख्आवेदक उपरोक्त पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें:

1. मैं सुनवाई में शामिल होना चाहूंगा या

2. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में भाग लेना चाहता हूं या

3. मैं सुनवाई के लिए नहीं आना चाहता और आपसे मेरे लिखित निवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं।,

मांगी गई राहतः

कृपया पीआईओ को 7 दिनों के भीतर सूचना भेजने का निर्देश दें, क्योंकि इनकार कानून के अनुसार नहीं है। कृपया उन्हें धारा 7 (6) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निः शुल्क सूचना भेजने का निर्देश दें क्योंकि सूचना 30 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर प्रदान नहीं की गई है।

यदि, फिर भी आप मेरे तर्कों से असहमत हैं, तो कृपया अपने आदेश में कानून के अनुसार बिंदुवार कारणों का उल्लेख करें कि आप ऊपर बताए गए आधारों से कैसे असहमत हैं।

अनुलग्नक 21.1

केंद्रीय सूचना आयोग
क्लब बिल्डिंग, पुराना जेएनयू कैंपस,

बेर सराय के सामने,
नई दिल्ली – 110066
दूरभाषः 91 11 26161796
निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000401/3062
अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2009/000401
अपील से उभरने वाले प्रासंगिक तथ्यः

अपीलकर्ता	:	श्री आर.सी. जैन, निवासी डब्ल्यूजेड–596, वी.पी.ओ. पालम, नई दिल्ली–110045.
प्रतिवादी	:	पीआईओ, दिल्ली जल बोर्ड,

कार्यालय सचिव, आरटीआई प्रकोष्ठ,
वरुणालय फेज– प्प, करोल बाग,
नई दिल्ली।
आरटीआई आवेदन दायर : 28/08/2008
पीआईओ ने उत्तर दियाः 01/10/2008
पहली अपील : 05/10/2008 को दायर की गई
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश : उत्तर नहीं दिया गया
द्वितीय अपील दायर : 02/02/2009

अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन में श्री प्रेम चंद जैन निवासी डब्ल्यूजेड–603 ए, पालम गांव की फाइलों के निरीक्षण के लिए कहा था जिनका डीजेबी के साथ दो पानी के कनेक्शन हैं। कृपया मुझे भी वही दस्तावेज (उसकी फोटोकॉपी) लेने की अनुमति दें।

कृपया यह भी बताएं कि डीजेबी ने उसे किस आधार पर उपरोक्त कनेक्शन की अनुमति दी है। यानी इससे संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, जब मूल रूप से कनेक्शन की अनुमति दी गई थी।

पीआईओ ने जवाब दिया।

वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है। जेडआरओ ने नोटिस जारी किया है। (एसडबल्यू)–प से श्री प्रेमचंद जैन आरटीआई के अंतर्गत सूचना देनेध्साझा करने के लिए एनओसी देंगे।

श्री प्रेमचंद जैन ने किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देने पर आपत्ति जताई है।

इसलिए वांछित सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दियाः

उत्तर नहीं दिया।

28 अप्रैल 2009 को सुनवाई के दौरान उभरे प्रासंगिक तथ्यः

निम्नलिखित उपस्थित थे।

अपीलकर्ताः श्री आर.सी. जैन

प्रतिवादीः श्री संतोष डी. वैद्य पीआईओ की ओर से डॉ. बिपिन बिहारी

तृतीय पक्ष : श्री नरिंदर कुमार जैन पुत्र श्री पी.सी. जैन

तीसरे पक्ष का कहना है कि अपीलकर्ता विभिन्न सरकारी संगठनों से उनके बारे में व्यक्तिगत सूचना मांग रहा है और यह आरटीआई का दुरुपयोग है। अपीलकर्ता के पास अदालती मामले भी हैं और वह अदालती मामलों में सूचना का उपयोग करना चाहता है। तीसरा पक्ष सूचना देने पर आपत्ति करता है क्योंकि यह उसकी निजता का अतिक्रमण होगा, और इसलिए सूचना को धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत छूट दी गई है। तीसरा पक्ष यह भी कहता है कि अपीलकर्ता आरटीआई के अंतर्गत उसके बारे में बहुत सारी सूचना मांग रहा है।

प्रतिवादी का कहना है कि डीम्ड पीआईओ ने तीसरे पक्ष से एनओसी मांगा, जिसने इस आधार पर सूचना देने पर आपत्ति जताई कि यह उसकी निजता का हनन है।

सुनवाई के दौरान आदेश सुरक्षित

आदेश 4 मई 2009 को सुनाया गयाः

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में सूचना देने से इंकार किया गया है, निर्धारित करती हैः

'11– (1) जहां एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अनुरोध पर किसी भी सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या आपूर्ति की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुरोध और इस तथ्य की लिखित सूचना दें कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को आमंत्रित करता है सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए, और तीसरे पक्ष के इस तरह के प्रस्तुतिकरण को सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगाः

बशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों के लिए किसी भी संभावित नुकसान या चोट को महत्व देता हो।

(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को किसी सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में नोटिस दिया जाता है, तीसरा पक्ष को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर, प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को अवसर दिया गया है उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने के लिए, सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने या न करने के बारे में निर्णय लें और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना दें।

(4) उप–धारा (3) के अंतर्गत दिए गए नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि जिस तीसरे पक्ष को नोटिस दिया गया है, वह निर्णय के खिलाफ धारा 19 के अंतर्गत अपील करने का हकदार है।'

धारा 11 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। धारा 11 किसी तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने से इनकार करने के लिए अनर्गल वीटो नहीं देती है। यह केवल तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने के लिए अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का अवसर देता है। पीआईओ इन्हें ध्यान में रखेगा और सूचना से इनकार केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत छूट के आधार पर हो सकता है।

आयोग पहले तीसरे पक्ष की दलीलों से निपटेगाः

इसका खुलासा करना उनकी निजता में दखल होगा।

तीसरा पक्ष आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के संरक्षण का आह्वान कर रहा है।

धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत छूट दी गई सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

> ''ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को सही ठहराता हैः''

इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सूचना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगाः

1. यह व्यक्तिगत सूचना होनी चाहिए।

कानून में शब्दों को आम तौर पर आम भाषा में दिए गए अर्थ दिए जाने चाहिए। आम भाषा में हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक ऐसे गुण से जोड़ेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है न कि किसी संस्थान या कॉर्पोरेट पर। इससे यह प्रवाहित होता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थाओं, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। (इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा 8(1)(जे) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉरपोरेट्स से संबंधित हो।)

वाक्यांश 'जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है' की व्याख्या की जानी चाहिए, जिसका अर्थ है कि सूचना का सार्वजनिक गतिविधि से कुछ संबंध होना चाहिए।

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कार्यों को करने में नियमित रूप से नागरिकों से 'व्यक्तिगत' सूचना मांगते हैं, और यह स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक गतिविधि है। जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है, या कर्मचारी के रूप में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने बारे में सूचना देता है, या अनुमति, लाइसेंस या प्राधिकरण मांगता है, तो ये सभी सार्वजनिक गतिविधियां हैं।

इसे हम दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं। राज्य को किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ असाधारण स्थितियां हैं जहां राज्य को एक नागरिक की गोपनीयता पर आक्रमण करने की अनुमति दी जा सकती है। उन परिस्थितियों में कानून के विशेष प्रावधान हमेशा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ लागू होते हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि जहां राज्य नियमित रूप से नागरिकों से सूचना प्राप्त करता है, यह सूचना एक सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में है और गोपनीयता पर घुसपैठ नहीं होगी।

कुछ मानवाधिकार जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार सार्वभौमिक हैं और इसलिए सभी देशों में समान रूप से समान रूप से लागू होंगे। हालाँकि, 'गोपनीयता' की अवधारणा समाज से संबंधित है और विभिन्न समाज इन्हें अलग तरह से देखेंगे। भारत ने अभी तक इस अधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है, इसलिए नागरिकों के सूचना के अधिकार और व्यक्ति की निजता के अधिकार को संतुलित करने में नागरिकों के सूचना के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाएगा।

इसलिए हम स्वीकार कर सकते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से एकत्र की गई और व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली सूचना का प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण नहीं होगा और इस नियम के केवल कुछ अपवाद होंगे जो सूचना से संबंधित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है जैसे कि छापे या फोन–टैपिंग के मामले में।

1. तीसरे पक्ष को अपने बारे में सूचना देने से इनकार करने का अधिकार है, और जब तक एक बड़े जनहित को स्थापित नहीं किया जा सकता, तब तक सूचना का खुलासा नहीं किया जाएगा।

2. किसी कानूनी प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है।

3. तीसरे पक्ष का यह तर्क कि अपीलकर्ता के साथ अदालती मामले हैं, अपीलकर्ता की सूचना की मांग के लिए प्रासंगिक नहीं है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देना नियम है और इनकार अपवाद। कानून की स्पष्ट मंजूरी के बिना भारत के संप्रभु नागरिक को सूचना को सीमित करने या अस्वीकार करने का कोई भी प्रयास कानून के शासन के खिलाफ होगा। नागरिक को सूचना देने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसकी साख की जाँच की जानी चाहिए। यदि तीसरे पक्ष को सूचना देने में आपत्ति है, तो लोक सूचना अधिकारी को अपनी आपत्तियां लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि धारा 8(1) की कोई छूट धारा लागू होती है या नहीं। यदि कोई छूट खंड लागू होता है, तो पीआईओ यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या प्रकटीकरण में कोई बड़ा सार्वजनिक हित है। यदि छूट का कोई भी खंड लागू नहीं होता है, तो सूचना देनी होगी।

धारा 8 (1) (जे) की छूट के बारे में आयोग के समक्ष तीसरे पक्ष की आपत्तियां अस्वीकार्य हैं। इसलिए सूचना देनी होगी।

निर्णय

अपील की अनुमति है।
पीआईओ 15 मई 2009 से पहले अपीलकर्ता को सूचना देगा।
इस निर्णय की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाए।

शैलेश गांधी
सूचना आयुक्त
4 मई 2009

भाग 8

अपील के लिए सामान्य आधार

कृपया अपनी अपील के लिए प्रासंगिक बिंदुओं का चयन करें

1. अपीलकर्ता का मानना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा (19) किसी भी व्यक्ति को माननीय आयोग के समक्ष अपील करने की अनुमति देती है यदि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधित किसी भी सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है या वह मानता है कि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना को अधूरा, भ्रामक या गलत दिया गया है या पीआईओ ने सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधा डाली है।

2. अपीलकर्ता का मानना है कि प्रतिवादियों ने दुर्भावना से सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया है। रिकॉर्ड की सामग्री स्पष्ट रूप से आरटीआई अधिनियम को लागू करने में उत्तरदाताओं के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाती है। उत्तरदाताओं की इस तरह की कार्रवाई आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुपालन में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने आरटीआई अधिनियम को बहुत ही लापरवाही से लिया है।

3. सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार में निहित है, जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्तरदाताओं ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से सूचना को नकार कर ऐसा किया है।

4. चूंकि ये मामले सीधे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित हैं, अपीलकर्ता बहुत ही सामयिक और निस्तेज दृष्टिकोण के साथ आरटीआई अधिनियम को लागू करने के प्रतिवादी के नाजायज कृत्य को रोकने के लिए इच्छुक है। इसके अलावा, अधिनियम के गैर–अनुपालन को नहीं रोकने से, सूचना का अधिकार अधिनियम के घोषित उद्देश्य, अर्थात् एक सूचित नागरिक बनाना और सरकार में पारदर्शिता के एक व्यावहारिक शासन की स्थापना सुनिश्चित करना विफल हो जाएगा।

5. अपीलकर्ता का मानना है कि अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति के संबंध में आरटीआई अधिनियम में और

मार्गदर्शन उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत यदि केंद्रीय सूचना आयोग को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के अभ्यास के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण का अभ्यास इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो यह हो सकता है प्राधिकरण को इस तरह की अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए एक सिफारिश दें।

6. सूचना देने से इंकार करने के समर्थन में पीआईओध्एफएए ने कारण नहीं बताए हैं (धारा 7(8)(प) आरटीआई अधिनियम)।

7. कि एफएए और पीआईओ ने बेईमान इरादों और उल्टे औरध्या भ्रष्ट मकसद के साथ सूचना प्रदान नहीं की, जैसा कि जाहिर तौर पर दूसरों के साथ आपराधिक साजिश के अनुसरण में किया गया था, जिनके निहित स्वार्थ दांव पर थे और इस तरह कानूनी दुर्भावना से प्रतिबद्ध थे।

8. यह कि एफएए ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए पीआईओ के खिलाफ सूचना आयोग के कार्यालय को किसी भी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है और निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है–

9. डब्ल्यू.पी. (सी) 900/2021 निर्णय/आदेश की तिथिः 22/01/2021 राकेश कुमार गुप्ता बनाम केंद्रीय सूचना आयोग (दिल्ली उच्च न्यायालय)) राकेश कुमार गुप्ता बनाम केंद्रीय सूचना आयोग (दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च न्यायालय ने कहा किः

(i) सीपीआईओध्पीआईओ उचित कारण के बिना सूचना को रोक नहीं सकते

(ii) पीआईओ/सीपीआईओ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है यदि उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अनुमत वैध आधार पर मांगी गई सूचना को वास्तव में अस्वीकार कर दिया है। सीआईसी की ओर से केवल राय के अंतर से आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है

(iii) सरकारी विभागों को सूचना के खुलासे से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि सूचना उपलब्ध नहीं है या पता लगाने योग्य नहीं है, उक्त विभागों द्वारा गहन तलाशी और पूछताछ करके परिश्रम किया जाना चाहिए

(iv) सूचना का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, और अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर निहित स्वार्थों के लिए सूचना के दमन के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा

(v) पीआईओ/सीपीआईओ केवल ''डाकघरों'' के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान की जाती है

(v) पीआईओध्सीपीआईओ को अपना दिमाग लगाना होता है, सामग्री का विश्लेषण करना होता है और फिर प्रत्यक्ष प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण के लिए कारण बताना होता है। पीआईओ अधीनस्थ अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकता

(vi) अनुपालन का कर्तव्य पीआईओ/सीपीआईओ पर है। पीआईओ/सीपीआईओ द्वारा शक्ति का प्रयोग वस्तुनिष्ठता और गंभीरता के साथ होना चाहिए, पीआईओ/सीपीआईओ उनके दृष्टिकोण में आकस्मिक नहीं हो सकते।

(vii) उचित कारण के बिना सूचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. धारा 7(1) आरटीआई अधिनियम के अनुसार पीआईओ और एफएए 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं।

11. एफएए यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि पीआईओ ने यह साबित करने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करके जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 19(5) के अंतर्गत अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था।

12. एफएए और पीआईओ ने जानबूझकर, बेईमानी से, दुर्भावनापूर्ण और गलत मंशा के साथ, जानबूझकर अवहेलना की और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) से खंड (जे) के प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सूचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। संसद या राज्य विधानमंडल को किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने से इनकार नहीं किया जाएगा कि मांगी गई सूचना की प्रकृति प्रकृति की है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. एफएए और पीआईओ आरटीआई अधिनियम की प्रशंसनीय प्रस्तावना को नोट करने में विफल रहे, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण और उक्त अधिनियम के

कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और उक्त अधिनियम सूचना के नागरिक के वैधानिक अधिकार को देता है। लेकिन इसके विपरीत एफएए और पीआईओ ने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना को स्पष्ट रूप से भ्रष्ट मकसद से नकारने के लिए दुर्भावना से काम किया। कि अपीलकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य के मामले में 2011 की सिविल अपील संख्या 10787–10788 (एसएलपी (सी) संख्या 32768–32769/2010), 12–12–2012 को निर्णीत, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो संविधान पीठ के निर्णयों पर निर्भर करता है, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहे। और इस प्रकार एफएए और पीआईओ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की, जिसके लिए पहले अवमानना कार्यवाही शुरू करना सूचना आयोग का बाध्य कर्तव्य है।

14. 30/08/2010 को ट्रीसा आयरिश बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी में केरल उच्च न्यायालय, डबल्यूपी(सी).संख्या 2006 (सी) के 6532 में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 7 (9) सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकटीकरण से इसे रोकने या छूट देने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह धारा लोक प्राधिकरण को इतनी शक्ति प्रदान करती है कि वांछित रूप में सूचना उपलब्ध कराने के स्थान पर उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। वास्तव में अधिनियम में इस आधार पर सूचना देने से इंकार करने का कोई प्रावधान नहीं है कि सूचना की आपूर्ति का अनुपातिक रूप से विचलन होगा। सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधन, जिसका उद्देश्य उन लोगों को सूचना की आसान आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है जो इसके लिए आवेदन करते हैं।

15. टेलर के (1सीएच डी426 1876) निर्णय के समय से यह एक समय–सम्मानित सिद्धांत रहा है कि यदि कानून में कोई प्रावधान किसी विशेष तरीके से कुछ करने का प्रावधान करता है तो इसे सिर्फ उसी तरीके से किया जा सकता है और प्रदर्शन के सभी अन्य तरीके अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित हैं। (सीआईसी निर्णय संख्या शिकायत संख्या सीआईसी/पीबीएसईसी/सी/2020/100025, विजयकीर्ति बनाम प्रसार भारती सचिवालय, 17 दिसंबर, 2021)

16. एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 3 का भी उल्लंघन किया।

17. चूंकि एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन

किया और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लंघन किया, यह माननीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध करने के लिए एक उचित मामला है जिसमें एफएए और पीआईओ के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए, जिसने अपीलकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई सूचना को गलत तरीके से अस्वीकार करके मानसिक तनाव और पीड़ा का कारण बना दिया।

18. सूचना के अधिकार का सम्मान करने के लिए मुख्य मुद्दों पर एफएए और पीआईओ द्वारा पूरी तरह से गैर–अनुप्रयोग दिमाग दिखाया है और यह कि सूचना देना नियम है और इसका खंडन आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के संकीर्ण दायरे के भीतर है।

दूसरी अपील के लिए अन्य आधार, तथ्य, संदर्भ

1. किसी कानून के प्रावधानों या व्याख्याओं में अंतर उसी कानून की प्रस्तावना से दूर हो सकता है जो उस कानून का निष्कर्ष है। कठिनाइयों को दूर करके उचित जनहित कानून का भी पालन किया जाना है, इसलिए अपीलकर्ता जनहित में आरटीआई कानून बनाने के उद्देश्यों पर निर्भर है, जो हैं: 'प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए'। . 'भ्रष्टाचार को रोकने के लिए' .. 'सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए' .. लोकतांत्रिक आदर्शों को पूरा करने के लिए'।

2. यदि कानून में कोई विशिष्ट विधि निर्धारित की गई है तो करने की किसी विशिष्ट विधि को निर्दिष्ट किया गया है, केवल उस विधि को लागू किया जाना है और उसका पालन करना है, निपटान की कोई अन्य विधि वर्जित है।

3. जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दीपचंद धव बनाम राजस्थान राज्य , 1996 सीआरआईएलजे 54, 1996 (1) डब्ल्यूएलसी 572 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह एवं अन्य, 1963 एआईआर 358, 1964 एससीआर (4) 485, उपरोक्त सिद्धांत को भी मान्यता दी है। वर्तमान मामले में, पीआईओ और एफएए ने जानबूझकर अपने कदाचार को छिपाने के लिए सूचना देने से परहेज किया है, जो कि आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है, साथ ही संसद, विधान सभा, माननीय आयोग और माननीय न्यायालय की अवमानना है, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

4. आईपीसी की धारा 52 के अनुसार, जिसमें स्पष्ट रूप से ''सद्भावना'' कहा गया है – ''सद्भावना'' में कुछ भी किया या विश्वास किया जाता है, जो बिना

सावधानी और ध्यान के किया या माना जाता है। वर्तमान अपील में न तो पीआईओ या एफएए, जिस कार्य के लिए पीआईओ ने सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण लिया है, जो जनता का पैसा है, द्वारा उचित सतर्कता और ध्यान नहीं दिया गया है।

5. धारा 19(5) के अनुसार अनुरोध को अस्वीकार करने को साबित करने का भार पीआईओ पर है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग ... बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 1961 एआईआर 1170 में स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानमंडल ने प्रत्येक शब्द को एक उद्देश्य से जोड़ा है और यह कि विधियों की व्याख्या में अदालत हमेशा यह मानती है कि विधायिका ने उसके हर हिस्से को एक उद्देश्य के लिए डाला है और विधायी इरादा यह है कि कानून के हर हिस्से का प्रभाव होना चाहिए।

7. प्रिटी बनाम सोली (1) में (पेज 205, 5वें संस्करण में परिनियम कानून पर क्रेज में उद्धृत) रोमिली, एमआर ने इस नियम का उल्लेख कियाः ''नियम यह है कि जब भी कोई विशेष अधिनियम और एक सामान्य अधिनियमन होता है वही कानून और बाद वाला, अपने सबसे व्यापक अर्थों में लिया गया पूर्व विशेष अधिनियम को रद्द कर देगा (1) (1859) 26 बीव. 606, 610।

8. 12 दिसंबर, 2011 को मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य बनाम मणिपुर और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हैः

''सूचना के लिए इस तरह के अनुरोध के बाद, अनुरोध पर विचार करने का प्राथमिक दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है जैसा कि धारा 7 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इस तरह के अनुरोध को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या तो सूचना प्रदान की जाएगी या इसे धारा 8 और 9 के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी कारण से अस्वीकार किया जा सकता है। धारा 7 का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जब यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के लिए संबंधित है, तो अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी। धारा 7 की उप–धारा (2) यह स्पष्ट करती है कि यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, 30 दिनों की अवधि के भीतर उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना देने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।''

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 40 में दोहराया कि विधायिका बर्बाद करने के लिए या बिना परेशानी के या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई शब्द नहीं जोड़ती है।

इसलिए, अपीलकर्ता आरटीआई अधिनियम की धारा 2(जे), 5(3), 6(3), 7(1), 7(6), 7(8) के प्रावधानों में से प्रत्येक पर निर्भर हैं, जिसका पीआईओ पालन नहीं करता। जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने पीआईओ को चेतावनी दी है कि सरकार का कोई भी स्तर संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों से ऊपर और अधिक नहीं है।

10. जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक वस्तुतः प्रत्येक लोक सेवक और पूरी कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का सही अर्थों में पालन करे। आरटीआई अधिनियम पीआईओ पर दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है, इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री मंगला राम जाट बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालसीआईसी/ओके/ए/2008/00860 /एसजी/0809 के निर्णय में 'स्वयं के लिए' लिखा है। केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे अधिनियम में एक न्यायनिर्णयन निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ''यह आयोग इस तथ्य से अवगत है कि यह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है और अधिनियम के अंतर्गत एक निर्णायक निकाय है। यह अपने आप में विधायिका की भूमिका नहीं ले सकता है और अब तक प्रदान नहीं की गई नई छूट आयात कर सकता है। आयोग स्वयं छूट नहीं दे सकता है और संसद के विचारों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह अधिनियम न्यायनिर्णायक अधिकारियों के पास स्पष्ट रूप से बताए गए कानून से परे कानून को पढ़ने के लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है। अधिनियम में कोई अस्पष्टता नहीं है और व्यापक जनहित के नाम पर इसके साथ छेड़छाड़ करना न्यायनिर्णायक अधिकारियों के दायरे से बाहर है। निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा नई छूट देना अधिनियम की भावना के विरुद्ध होगा।'' इसलिए कोई भी प्राधिकरण नई छूट नहीं दे सकता और इस प्रक्रिया में नागरिकों के सूचना के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। संप्रभु नागरिकों को सूचना देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व पूर्ण है और केवल धारा 8 और 9 द्वारा सीमित है। अधिनियम, अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई छूटों के अलावा नई छूट आयात करने के लिए निर्णय लेने वाले अधिकारियों को कोई गुंजाइश नहीं देता है और इस प्रकार सूचना से इनकार हो जाता है। लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है और इसलिए इस सूचना तक पहुंचने के मालिक के अधिकारों का बहुत सावधानी से सम्मान किया जाना चाहिए।

11. चूंकि धारा 3 में यह कहा गया है कि 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा', यह इस प्रकार है कि सूचना से इनकार केवल अधिनियम में छूट के आधार पर हो सकता है और इनकार के लिए कोई भी अन्य आधार मान्य नहीं हैं।

12. संप्रभु नागरिक द्वारा प्राप्त की जाने वाली सूचना के लिए कोई सार्वजनिक हित स्थापित करने की अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं हैय न ही 'किसी बड़े जनहित की रक्षा' स्थापित करने की कोई आवश्यकता है।

13. इसीलिए 'अधिनियम के प्रावधानों के धर्मनिष्ठ, ईमानदार और सही कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना विकसित करेगी।

अपील में प्रार्थना

(कृपया अपनी प्रार्थनाओं के लिए प्रासंगिक बिंदुओं का चयन करें)

अपीलकर्ता प्रार्थना करता है कि माननीय आयोग इस पर कृपा करें:

1. इस अपील को स्वीकार करें और मेरी अपील का निपटारा करते समय मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें

2. धारा 19(8)(ए)(आई) के अंतर्गत एसपीआईओ को तुरंत मुफ्त में सूचना देने का निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें

3. धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी भी नुकसान या अन्य हानि के लिए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें

4. प्रतिवादी को निर्देश दें कि आरटीआई से संबंधित किसी भी मामले का जवाब देते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर ध्यान से अपना दिमाग लगाएं

5. आरटीआई अधिनियम की धारा (20)(1) के अनुसार प्रतिवादी पर दंड लगाने के लिए धारा 19(8)(सी) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करें और आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार उत्तरदाताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए

6. सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए प्रतिवादियों की सर्विस बुकध्वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रविष्टि करने का निर्देश देना तथा

7. किसी अन्य निर्देश या सिफारिश को जारी करने के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें जैसा कि वह उचित समझे।

8. अपीलकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि यह माननीय आयोग पीआईओ और एफएए के मामले में वेबसाइट पर अपलोड करने में विफलता और मांगी गई सूचना प्रदान नहीं करने के कारण उत्पीड़न और एफएए सूचना प्रदान करने में विफलता के मामले में उपयुक्त हो सकता है। आरटीआई धारा 19(8) और आईपीसी धारा 44।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना निःशुल्क प्रदान की जाए।

10. अपीलकर्ता पीआईओ के लिखित जवाबी बयान को सुनवाई की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले रिकॉर्ड में लेने के लिए दृढ़ता से प्रार्थना करता है और जोर देता है। इसकी प्रति अपीलार्थी को सुनवाई के 10 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। यदि लिखित बयान प्रदान नहीं किया जाता है तो एफएए / सूचना आयुक्त आरटीआई नियमों और विनियमों के उल्लंघन में अपील का संचालन करेंगे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

11. उपरोक्त काउंटर स्टेटमेंट का उपयोग कारण बताओ नोटिस और कार्यवाही से बचने के लिए जुर्माना लगाने और उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा जिससे विभाग के समय और ऊर्जा की बचत होगी। यह धारा 4(15) विनियमों के अंतर्गत रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करेगा।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8), 20(1), 20(2) के अंतर्गत संबंधित पीआईओ के खिलाफ अनिवार्य कार्रवाई का आदेश दिया जाए।

13. पीआईओ पर दो सौ पचास (रुपये 250–ध) प्रतिदिन के साथ अधिकतम रु. 25000ध– के रूप में शास्ति लगाए जाने का आदेश।

14. धारा 19(8)(अ) के अंतर्गत अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर तत्काल आधार पर प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान करें

15. माननीय सूचना आयुक्त, उ0प्र0 के नियम 9, उप नियम (2) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा करें। सूचना का अधिकार नियम, 2015 जो प्रदान करता हैः "राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसके खिलाफ शिकायत या अपील दायर की गई है, सुनवाई के दौरान स्वेच्छा से उपस्थित हो सकता है। हालांकि, आयोग अपने विवेक पर राज्य लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि वह पर्याप्त वरिष्ठता का अधिकारी हो।

16. माननीय सूचना आयुक्त कृपया द्वितीय अपील का तब तक निपटारा न करने की कृपा करें:

- जब तक अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना माननीय आयोग के समक्ष प्रदान नहीं की जाती है और अपीलकर्ता के हस्ताक्षरध्पावती के अंतर्गत उसके कार्यालय द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है।
- जब तक अपीलकर्ता द्वारा यह पुष्टि नहीं कर दी जाती है कि उसके द्वारा अपने आरटीआई अनुरोध आवेदन के माध्यम से मांगी गई सभी जानकारीध्दस्तावेज प्रदान कर दिए गए हैं और
- जब तक अपीलकर्ता की उपस्थिति में कारण बताओ नोटिस का निर्णय नहीं हो जाता और आदेश पारित नहीं हो जाते।

17. खंडन की तैयारी के लिए सुनवाई के 10 दिनों से पहले हलफनामे पर पीआईओ के लिखित निवेदन प्रदान किए जाने चाहिए। क्योंकि ये दस्तावेज आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीआईओ के खिलाफ मुकदमा चलाने के साथ–साथ धारा 166, 167 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सबूत हैं।

18. यह अनुमति किन्हीं आधारों को जोड़ने, उचित समझे जाने वाले आधारों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए दी जाती है।

19. ऐसा अन्य आदेश पारित करना जो उचित और आवश्यक समझे।

20. यह कि अपीलकर्ता इस माननीय प्राधिकारी से किसी भी आधार को जोड़ने, बदलने या उचित समझे जाने वाले आधारों में संशोधन करने की अनुमति चाहता है।

5. अपीलकर्ता इस अपील पत्र में मांगी गई प्रार्थना या राहत में कोई संशोधन करने या इस मामले में जब भी आवश्यक हो अतिरिक्त तर्क और प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कि यह अपील आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर की गई है।

भाग 9

प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ कारण

- यह कि एफएए और पीआईओ ने बेईमान इरादों और गुप्त और/या भ्रष्ट मकसद के साथ जानकारी प्रदान नहीं की, और यह स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ आपराधिक साजिश के अनुसरण में किया गया था, जिनके निहित स्वार्थ दांव पर थे और इस तरह कानूनी दुर्भावना को अंजाम दिया।
- धारा 7(1) आरटीआई अधिनियम के अनुसार पीआईओ और एफएए 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं।
- सूचना देने से इंकार करने के समर्थन में पीआईओ ने कारण नहीं बताए हैं (धारा 7(8)(i) आरटीआई अधिनियम)
- यह कि एफएए ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए पीआईओ के खिलाफ सूचना आयोग के कार्यालय को अनुशंसित किसी भी कार्रवाई को अग्रेषित नहीं किया है और इसके अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की है–
- एफएए और पीआईओ ने जानबूझकर, बेईमानी से, दुर्भावनापूर्ण और गलत मंशा के साथ, जानबूझकर अवहेलना की और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) से खंड (जे) के प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने से इनकार नहीं किया जाएगा कि मांगी गई जानकारी की प्रकृति प्रकृति की है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही किया जा सकता है।
- यह कि एफएए और पीआईओ आरटीआई अधिनियम की प्रशंसनीय प्रस्तावना को नोट करने में विफल रहे, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के

नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और उक्त अधिनियम ने नागरिकों को सूचना का वैधानिक अधिकार। लेकिन इसके विपरीत एफएए और पीआईओ ने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से भ्रष्ट मकसद से नकारने के लिए दुर्भावना से काम किया।

- यह कि अपीलकर्ता 2011 की सिविल अपील संख्या 10787–10788 (एसएलपी (सी) संख्या 32768–32769/2010), 12–12–2012 को निर्णय लिया, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो संविधान पीठ के निर्णयों पर निर्भर करता है, और एफएए और पीआईओ माननीय सर्वोच्च द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में न्यायालय, और इस प्रकार एफएए और पीआईओ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय की अवमानना की, जिसके लिए पहले अवमानना कार्यवाही शुरू करना सूचना आयोग का बाध्य कर्तव्य है। माननीय बंबई उच्च न्यायालय।

- कि एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 3 का भी उल्लंघन किया।

- चूंकि एफएए और पीआईओ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपीलकर्ता के मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लंघन किया है, यह एक उपयुक्त मामला है एफएए और पीआईओ के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध करते आदेश पारित करें, जिसने अपीलकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को गलत तरीके से अस्वीकार करके मानसिक तनाव और पीड़ा का कारण बना दिया।

- सूचना के अधिकार का सम्मान करने के लिए मुख्य मुद्दों पर एफएए और पीआईओ द्वारा पूरी तरह से गैर–अनुप्रयोग दिमाग है और सूचना देना नियम है और इसका खंडन आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के संकीर्ण दायरे के भीतर है।

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएँ जिसके अंतर्गत पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के खिलाफ दर्ज की जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जा सकती है

भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120बी, 166, 166ए, 167, 175, 176, 177, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 211, 217, 218, 219, 389, 405, 408, 409, 415, 418, 420, 425, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 499 और भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत।

धारा 34 – जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो।

धारा 120बी – आपराधिक साजिश की सजा – जैसा कि संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, आईपीसी की धारा 120बी में कहा गया है,

(1). "जो कोई मौत, आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए एक आपराधिक साजिश का एक पक्ष है, जहां इस तरह की साजिश की सजा के लिए इस कोड में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। , उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने इस तरह के अपराध को उकसाया था।

(2). जो कोई भी पूर्वोक्त दंडनीय अपराध करने के लिए एक आपराधिक साजिश के अलावा एक आपराधिक साजिश का एक पक्ष है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

धारा 120बी आईपीसी की सजा को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आपराधिक साजिश शब्द का क्या अर्थ है।

आपराधिक साजिश के अपराध को आईपीसी की धारा 120ए के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है, "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास, या दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, या ऐसा अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, तो समझौता एक आपराधिक साजिश आईपीसी नामित किया गया है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 166 – लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है – लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है –

जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचेगी, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 166ए – "लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है" – जो कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी होते हुए, विधि द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की अवहेलना करता है एवं वह कानून के खिलाफ जाता है तो वह इस श्रेणी में आयेगा। एवं विधि के किसी ऐसे निर्देश की, जो किसी अपराध में जांच के प्रयोजन या किसी अन्य मामले के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा करने से उसे प्रतिषिद्ध करता जानते हुए अवज्ञा करेगा अथवा अन्वेषण को गलत ढंग से संचालित करेगा। ऐसा करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल पड़ेगा, यह जानते हुए अवज्ञा करेगा तो वह सरकारी कर्मचारी धारा 166। के अंतर्गत दोषी होगा।

इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम् 6 मास के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

- यह एक संज्ञेय अपराध है।
- यह एक जमानतीय अपराध भी है।
- यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- एवं यह अपराध समझौता योग्य नही है।

धारा 167–लोक सेवक क्षति कारित करने के आशय से गलत दस्तावेज तैयार करता है कृ जो कोई लोक सेवक होते हुए और (ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का विनिर्माण, रचना या अनुवाद) ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 175 – दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक–सेवक को पेश करने का लोप – जो कोई किसी लोक–सेवक को, ऐसे लोक–सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 176 – सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप – जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,अथवा,

यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,अथवा,

यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 18981 (1898 का 5) की धारा 565 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 177 – मिथ्या इत्तिला देना – जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा

कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा, यदि वह इत्तिला, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 179 – अगर जो कोई व्यक्ति जो कि लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) से किसी ऐसे विषय पर जो कि सत्य बात रही हो और वह एक वेद रूप से अवैध होते हुए ऐसे किसी अन्य लोक सेवक यानी कि (सरकारी कर्मचारी) द्वारा उस विषय के बारे में कोई प्रश्न पूछता है एवं वह उत्तर देने से इंकार कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो रुपए 1000 तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 182 – जो भी कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके निराधार होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देगा कि वह उस लोक सेवक को

तद्द्वारा प्रेरित करे कि वह –

(क) कोई ऐसी काम करे या छोड़े जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या छोड़ता, अथवा

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

(ख) तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 187 – लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिये विधि द्वारा आबद्ध हो –

जो कोई किसी लोक–सेवक को, उसके लोक–कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये, ऐसी सहायता देने का साशय लोप

करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिये वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गयी किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किये जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाये, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

धारा 188 - लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा – जो कोई भी यह जानता है कि वह, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी भी आदेश द्वारा, इस तरह के आदेश को प्रख्यापित कर सकता है, किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्य करने या कोई विशेष व्यवस्था करने से बचने के लिए कानूनी रूप से सशक्त है अपने कब्जे में, या उसके प्रबंधन के अंतर्गत इस तरह के निर्देश की अवहेलना की, अगर इस तरह की अवज्ञा कानूनी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या क्षति या बाधा, झुंझलाहट या क्षति का कारण बनती है या होती है। साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि इस तरह की अवज्ञा का कारण बनता है, मानव जीवन, स्वास्थ्य, या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, या दंगा या दंगा का कारण बनता है, या उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टीकरण– यह आवश्यक नहीं है कि अपराध का उद्देश्य नुकसान पहुँचाना हो या अवज्ञा से नुकसान होने की संभावना हो। यह पर्याप्त है कि उसे उस आदेश का ज्ञान है जिसकी वह अवज्ञा करता है और यह कि उसकी अवज्ञा करने से नुकसान होने की संभावना है। धारा 188 एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से प्रख्यापित (जारी) किए गए किसी भी आदेश की अवज्ञा करने के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित करती है। धारा 188 के अंतर्गत प्रदान किए गए अपराध के लिए, निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है – ;पद्ध कि लोक सेवक का आदेश वैध है, (पप) आदेश लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से जारी किया गया है, ;पद्ध लोक सेवक सक्षम है आदेश जारी करने के लिए, ;पपद्ध आरोपी को आदेश का ज्ञान है, (ए) आरोपी व्यक्ति ने उक्त आदेश की अवहेलना की है, (ऊपर) इस तरह की अवज्ञा के कारण किसी भी कानूनी रूप से

नियोजित व्यक्ति और खतरे में बाधा, संकट या नुकसान हुआ है। मानव जीवन का स्वास्थ्य और सुरक्षा।

धारा 189 - जो कोई किसी सरकारी कर्मचारी/मुलाजिम को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका सरकारी मुलाजिम या अधिकारी होना उसको मालूम हो कि वह सरकारी कर्मचारी है और ऐसे किसी भी कार्य के प्रति धमकी देना। जिसमें सरकारी कर्मचारी को उत्प्रेरित किया जाए यानी कि जोर जबरदस्ती करके उस कार्य को करवाया जाए, या फिर ना करवाया जाए, या फिर उस कार्य को करवाने में देरी (विलम्ब) करवाई जाए। जिससे कि उस समय वह कार्य ना हो पाए। तो ऐसा किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी भांति के कारावास से, जो कि 2 वर्ष तक की हो सकेगा एवं आर्थिक दंड से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 190 - जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से सरकारी नौकर को संरक्षण के लिए आवेदन देने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को क्षति व धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी किसी सरकारी कर्मचारी/सरकारी मुलाजिम से शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा ऐसा कह कर के वह किसी भी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी व मुलाजिम के पास जाने के लिए रोके। जबकि उस लोक–सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 1991 – मिथ्या साक्ष्य देना – जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुये, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास

है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है।

धारा 192 – जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या '(किसी पुस्तक या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति. मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति. मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम

के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए । वह "मिथ्या साक्ष्य गढ़ता हैं, यह कहा जाता है।

धारा 196 – उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है – जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गड़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।

धारा 197 – मिथ्या प्रमाण–पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना– जो कोई ऐसा प्रमाण–पत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से सम्बन्धित हो जिसका वैसा प्रमाण–पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण–पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

धारा 198 – प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना – जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुये कि वह किसी तात्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण–पत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्डित किया जायेगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

धारा 199 – ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन – जो कोई अपने द्वारा की गयी या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिये कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो उस उद्देश्य के लिये तात्विक हो जिसके लिये वह घोषणा की जाये या उपयोग में लाई जाये, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

धारा 200 – ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना – जो कोई किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुये कि वह किसी तात्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।स्पष्टीकरण–कोई घोषणा, जो केवल किसी अप्ररूपिता के आधार पर अग्राह्य है, धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अन्तर्गत घोषणा है।

धारा 202 – इतिला देने के लिए आबद व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का साशय लोप किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार, जो कोई या तो यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई अपराध किया गया है, इस अपराध के बारे में कोई इतिला, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आपद हो, देने का साक्ष्य लोग करेगा, वह 6 मास तक के सादा या कठिन कारावास से, या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 211 – व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिये कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करेगा, या करवायेगा, या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगायेगा कि उसने अपराध किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

तथा यदि ऐसी दाण्डिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाये, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 217 – जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा उससे दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, तद्द्वारा कम दंड दिलवाएगा या संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 218 – किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना – जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए. उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा कारित करेगा यह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा किसी

संपत्ति को ऐसे समपहरण या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः तदद्वारा बचाएगा या जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 219 – न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना – जो कोई लोक सेवक होते हुए. न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक द्वेगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 389 – उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना – जो कोई उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलायेगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दण्डनीय है, तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 405 – आपराधिक न्यासभंग – जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।

धारा 408 – लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग – जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संमत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 409 – लोक–सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग – जो कोई लोक–सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी अख्तयार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 415 – छल – जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण– तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत प्रवंचना है।

धारा 418 – इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है – जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए. जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा, या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 420 – तात्पर्य है जो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छल करेगा बेईमानी करेगा या बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिषद कर दे या किसी बहुमूल्य प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रा अंकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में सम परिवर्तित किए जाने योग्य है

साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसके साथ छल कपट धोखाधड़ी करके किसी भी प्रकार से उसकी संपत्ति प्राप्त कर लेता है

या उसके दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर कर लेता है उसे किसी प्रकार के शारीरिक आर्थिक मानसिक हानि पहुंचाता है यह है कृत्य धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

धारा 425 – रिष्टि – जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह

"रिष्टि" करता है।

स्पष्टीकरण 1 – रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे।

स्पष्टीकरण 2 – ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी।

धारा 463 – कूटरचना – जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।

धारा 464 – मिथ्या दस्तावेज रचना – "उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है.– पहलादृजो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से–

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित. हस्ताक्षरित. मुद्रांकित या निष्पादित करता है;

(ख) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है;

(ग) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई अंकीय चिह्नक लगाता है;

(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या अंकीय चिह्नक की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है, कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या अंकीय चिह्नक की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है ; या

दूसरा–जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या अंकीय चिह्न लगाए जाने के पश्चात्, उसे रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है ; अथवा

तीसरा–जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को या परिवर्तन के रूप को, विकृतचित्त या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने अंकीय चिनक लगाया जाना कारित करता है ।

धारा 466 – न्यायालय के अभलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना – जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक–सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की, जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई हैं, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा

हो, कूटरचना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्टर" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है।

468 – छल के प्रयोजन से कूटरचना –जो कोई कूटरचना इस आशा से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश – धारा 468 के अधीन अपराध "सत्र न्यायालय '' द्वारा विचारणीय है।

(देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन 2008 की धारा 41 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22–2–2008 पृष्ठ 157–158 पर प्रकाशित ।)

धारा 469 – ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना – जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 470 – कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख – वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख कहलाती है।

धारा 471 – कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना – जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो।

धारा 474 – धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना – जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लायी जाएगी, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति का हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह दस्तावेज धारा 467 में वर्णित भांति की हो तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 499 – मानहानि –जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है। कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

भाग 10

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रारूप

सेवा में,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय,

पुलिस थाना,

जिला।

विषय : प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बावत् अन्तर्गत धारा 164(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता।

प्रार्थी ..... पुत्र ....., उम्र ..... जाति ....., निवासी .....

मोबाईल नम्बर .....

अभियुक्त बनाम 1. .....

2. .....

महोदय जी,

प्रार्थी, संज्ञेय अपराध की निम्रतः अपराधिक इतला प्रस्तुत करता है :

01. धारा 34, 120 बी, 166, 166 (ए), 167, 175,176,177, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200 202, 211, 217, 218, 219, 389, 405, 408, 409, 415, 418, 420, 425, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 499 और भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामले के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है। । **(उन अनुभागों को हटा दें जो आपके मामले में लागू नहीं हैं)**।

02. यह है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक ..... को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना चाहने हेतु अभियुक्त संख्या 1 के समक्ष आवेदन जरिये रजिस्टर्ड डाक के द्वारा प्रेषित किया गया जो दिनांक ..... को अभियुक्त संख्या 1 के कार्यालय में प्राप्त हो चुका है।

03. यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने के 30 दिन की अवधी तक सूचना उपलब्ध कराना होता है जबकि अभियुक्त संख्या 1 लोक सेवक होते हुए विधि के निर्देशों की अवज्ञा करते हुए तथा सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 7(2) व 7(8) का उल्लंघन करते हुए विधि के निर्देशों की अवज्ञा जानबूझकर करते हुए मुझ प्रार्थी द्वारा पेश प्रतिलिपि शुल्क का क्षति कारित करने के आशय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

04. यह है कि अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर मुझ प्रार्थी द्वारा अभियुक्त 2 संख्या के समक्ष दिनांक ..... की जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रथम अपील सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत आवेदन किया गया जो दिनांक ..... को प्राप्त होने पर अभियुक्त संख्या 2 द्वारा भी लोक सेवक होते हुए विधि के निर्देशों की पालना 30 दिन में अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित करना होता है व एक प्रति आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होती है। उनके द्वारा भी जानबूझकर विधि के निर्देशों की अवज्ञा करते हुए मुझ प्रार्थी को क्षति करने के आशय से व मेरे द्वारा चाही गई सूचना में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता को छुपाने के आशय से सूचना उपलब्ध कराने का आदेश नहीं किया गया तथा चाही गई सूचना के कूटरचित दस्तावेज में हेराफेरी करने के कारण और गलत मंशा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

05. यह है कि इस प्रकार उक्त अभियुक्तगण ने प्रार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर हानि कारित करने के लिये विधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन कर लोक सेवक होते हुए विधि के निर्देशों की अवज्ञा जानबूझकर करने तथा लोक सेवक द्वारा साम्यक रूप से प्रख्याति आदेश की अवज्ञा की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा धारा 34, 120 बी, 166, 166 (ए), 167, 175,176,177, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200 202, 211, 217, 218, 219, 389, 405, 408, 409, 415, 418, 420, 425, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 499 और भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामले के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है। । **(उन अनुभागों को हटा दें जो आपके मामले में लागू नहीं हैं)**। भारतीय दण्ड संहिता (संज्ञेय अपराध) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करावें।

नोट 1. माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के प्रकरण ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य [(2012) 4 SCC 1] में निर्णित किया गया कि

संज्ञेय अपराध में संबंधित परिवाद प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर भीतर एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए एवं एफ.आई.आर. की निःशुल्क प्रति प्रार्थी को तुरन्त दी जानी चाहिए। 2. संज्ञेय अपराध में पारिवाद दर्ज कर जांच करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एक्शन मस्ट वी टेकन कहा है यानि ऐसे थानाधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. यदि कोई पुलिस अधिकारी विधि की अवज्ञा कर संज्ञेय अपराध में एफ.आई. आर. दर्ज नहीं कर जांच करता है तो उसके विरुद्ध धारा 166, 217 आई.पी.सी. में प्रसंज्ञान लेकर वारंट जारी करने की शक्तियां न्यायालय के पास मौजूद है।

3. यदि आप द्वारा उक्त संज्ञेय अपराध की लिखित इत्तला पर एफ.आई.आर दर्ज नहीं की गई तो पुलिस अधिनियम 2007 31 के अंतर्गत आपके उच्च अधिकारी को आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आपके सेवा अभिलेख में अभिलिखित करना बाध्यकारी होगा।

4. सभी राज्य सरकारों और पुलिस विभागों में धारा 154 Cr PC के अंतर्गत प्राथमिकी के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में इस केंद्रीय गृह मंत्रालय की 10 मई 2013 और 5 फरवरी 2014 की एडवाइजरी का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

5. सभी राज्य सरकारों और पुलिस विभागों में धारा 154(1) के अंतर्गत प्राथमिकी के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में इस केंद्रीय गृह मंत्रालय की 10 मई 2013 और 5 फरवरी 2014 की एडवाइजरी का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

6. इन एडवाइजरी में यह स्पष्ट किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 154(1) के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली ऐसी जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बावजूद प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। संज्ञेय अपराध कर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने वाले थानाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाना बाध्यकारी बताया गया है।

7. यह है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 के प्रभाव में आने के पश्चात् सी.आर.पी.सी. की धारा 197 के अंतर्गत धारा 166 ए.आई.पी.सी. का संज्ञेय अपराध कारित होने पर पूर्व मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है यानि ऐसे अपराध पर धारा 197 सी.आर.पी.सी. लागू ही नहीं होती है।

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम प्रार्थी .....

दिनांक .....

01. दिनांक ..... को पेश सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन सूचना चाहने के दोनों आवेदन की फोटोप्रति मय दिनांक ..... की डाक डिलेवरी की ऑनलाईन प्रमाण प्रति

02. दिनांक ..... को पेश प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील पेश दोनों आवेदन मय दिनांक ..... की डाक डिलेवरी की ऑनलाईन प्रमाण प्रति

भाग 11

असद्भावना से की गयी कार्य वाहियां और दंड विधान

☞ **प्रथम अपील तक का स्तर और असद्भावना से की गयी कार्य वाहियां और दंड विधानः**

1. PIO द्वारा कोई जवाब नहीं देना (धारा–7(2) (The RTI Act)
2. PIO द्वारा धारा–7(8) The RTI Act का उल्लंघन धारा– 166 I,167 IPC
3. PIO द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है (धारा– 166A, 167,420, 468 – 471 IPC)
4. FAA द्वारा कोई धनणवय नहीं धकया जाना (धारा– 166A,188 IPC)
5. FAA के समक्ष PIO द्वारा सुनवाई से बाद सम्यक सूचना के भी गैर हाजिर रहना (धारा– 175,176,188, 420 IPC)
6. FAA द्वारा धनवय करने के बाद भी सूचनाएं नहीं देना (धारा– 188, 420 IPC)
7. आवेदक को मिकाना (धारा– 506 IPC)
8. शुल्क लेकर भी सूचना नहीं देना (धारा– 406, 420 IPC)
9. लिखित में ऐसे कथन करना जिसका झूठ होना PIO/FAA को ज्ञात हो और इससे आवेदक को सदोष हानि हो (धारा– 193, 420, 468,471 IPC)

☞ FIR No. – 124/2013 Dated–22.01.2013 पलिस थाना – कोपुितली, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज.) राजसथान

- पुलिस के लोक सूचनाधिकारी के पास उपलब्ध सूचना को भी यह कहकर देने से इनकार किया गया था कि सूचना उपलब्ध नहीं हैं। 6 माह बाद तीसरे आवेदन में वही सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गयी थी। नतीजा FIR र्दज हुई व प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 738/2019 DATED–07.09.2019, पलिस थाना – कोपुितली, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज.)

- इस प्रकरण में लोक सूचनाधिकारी नें अपने कार्यालय के र्कमचारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपने कार्यावलय में मौजूद मूल सूचनाओं में कांट छांट करके, दस्तावेजात में से सूचनाओं को मिटा कर आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाई गयी थी। नतीजा FIR दर्ज हुई व प्रकरण वतमान में वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 981/2013 DATED–10.011.2013, पलिस थाना – कोपुितली, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज.)

- इस प्रकरण में राजथथान पुलिस के लोक सूचनाधिकारी के पास उपलब्ध सूचना में से अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गयी थीं और आवेदक को देर रात फोन करके धमकाया गया था। नतीजा FIR दर्ज हुई व प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 1006/2013 DATED–19.11.2013, पलिस थाना – कोपुितली, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज.)

- इस प्रकरण में पुलिस विभाग के लोक सूचनाधिकारी नें अपने कार्यावलय में मौजूद मूल सूचनाओं के बजाय कूट रचित सूचनाएं तैयार करके आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाई गयी थी अ नतीजा नतीजा FIR दर्ज हुई व प्रकरण र्वतमान में में माननीय न्यायालय में में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 76/2015 DATED–23.02.2015, पुलिस थाना – माडल टाउन, जिला रेवारी, (हरियाणा)

- इस प्रकरण में पुलिस विभाग के लोक सूचनाधिकारी नें अपने कार्यालय में मौजूद मूल सूचनाओं के छुपाया और बजाय सम्पूर्ण व सूचनाओं के आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाई गयी थी। नतीजा FIR र्दज हुई व प्रकरण र्वतमान में माननीय न्यायालय में में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 528/2015 DATED–15.09.2015, पुलिस थाना – माडल टाउन, जिला रेवारी, (हरियाणा)

- इस प्रकरण में पलिस विभाग के लोक सूचनाधिकारी नें अपने कार्यालय में मौजूद मूल सूचनाओं के छुपाया और दुर्भावनापूर्ण पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवाया और नाजायज अड़चन डालकर आवेदक को सदोष हानि कारित की गयी । नतीजा FIR हुई व प्रकरण र्वतमान में माननीय न्यायालय में में विचाराधीन है।

☞ FIR NO. – 397/2021 DATED–15.08.2021, पुलिस थाना – प्रागपुरा जिला– जयपुर ग्रामीण (राज.)

- इस प्रकरण में लोक सूचनाधिकारी नें भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित Chinese App "Cam Scanner" का इस्तेमाल करते हुए जो सूचनाएं जरीये ई–मेल उपलब्ध उनमें से अपने पूर्ववर्ती दस्तावेज में अपने कार्यालय में हुई वित्तीय अनियमितताओं और विभागीय नियमों के विरुद्ध किये गए कृत्यों से खुद और अधीनसथ कार्मिकों को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचकर कटू रचित पत्र (पहले वाले पत्र के पत्र क्रमांक डालकर) सूचनाएं उपलब्ध करवाई गयीं जोकि कटू रचित थीं । नतीजा उक्त FIR दर्ज हुई प्रकरण वर्तमान में जैर अनुसन्धान है।

भाग 12

क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को दंडित किया जा सकता है?

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम के माध्यम से, उसे एक आरटीआई आवेदन के लिए डीम्ड पीआईओ बनाकर, प्रश्नों को उचित तरीके से रखकर दंडित किया जा सकता हैः

इस व्यावहारिक स्थिति पर विचार करें।

1. एक आरटीआई आवेदक एक आवेदन फाइल करता है।
2. उसे पीआईओ से जवाब नहीं मिलता/असंतोषजनक जवाब मिलता है।
3. आवेदक एफएए को पहली अपील करता है।
4. एफएए पहली अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है।

फिर, इस स्थिति के अंतर्गत, उपयुक्त प्रश्नों के साथ एक अलग आरटीआई आवेदन दायर किया जा सकता है, जो इस मामले में एफएए, डीम्ड पीआईओ को उल्लंघन के मामले में दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह आवेदन एफएए को पिछले आरटीआई आवेदन के लिए पहली अपील का फैसला करने के लिए मजबूर करेगा, जिसमें विफल रहने पर उसे उक्त आरटीआई आवेदन में एक डीम्ड पीआईओ के रूप में अपनी भूमिका में दंडित किया जाएगा, यदि पीआईओ द्वारा उक्त आरटीआई आवेदन के लिए कोई जवाब नहीं दिया जाता है।

1. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के अंतर्गत पीआईओ द्वारा की गई आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी वाले रिकॉर्ड की प्रति प्रदान करें (सार्वजनिक प्राधिकरण में एफएए के आधिकारिक पदनाम का उल्लेख करें) क्रम में 45 दिनों की अवधि के बाद भी प्रथम अपील पर निर्णय न लेने के दर्ज कारणों की जानकारी प्रदान करने के लिए (पिछले आरटीआई आवेदन के लिए भेजी गई पहली अपील के संदर्भ का उल्लेख करें)।

2. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(5) के अंतर्गत (सार्वजनिक प्राधिकरण में एफएए के आधिकारिक पदनाम का उल्लेख करें) जो कि डीम्ड पीआईओ भी है, द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में जानकारी वाले रिकॉर्ड की प्रति प्रदान करें।

पीआईओ, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के अंतर्गत मांगी जा रही सहायता के लिए, पैरा.1 में मांगी गई जानकारी के आलोक में।

3. यदि पैरा 1, पैरा 2 से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पीआईओ का नाम और पदनाम और उसमें दर्ज कारणों वाले रिकॉर्ड की प्रतियां।

इन तीन प्रश्नों के साथ आरटीआई आवेदन दाखिल करने के बाद, यदि आवेदक को इस आवेदन के लिए कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह सीधे पीआईओ और डीम्ड पीआईओ को दंडित करने के लिए धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके द्वारा डीम्ड पीआईओ (जो वास्तव में एफएए) आयोग द्वारा दंडित किया जाएगा।

एफएए पर दंड के संबंध में मेरे उपरोक्त विश्लेषण और व्याख्या के संबंध में, आरटीआई आवेदन में प्रश्नों को उचित रूप से तैयार करके उन्हें डीम्ड पीआईओ बनाकर करे।

1. मेरे पूर्वोक्त तर्क में आरटीआई आवेदन का मुख्य फोकस केवल उन दस्तावेजों/रिकॉर्ड से संबंधित है, जिनके आधार पर एफएए 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रथम अपील का निपटान करने में विफल रहा। धारा 4(1)डी के अनुसार, एफएए द्वारा प्रतिक्रिया की कमी के संबंध में प्रभावित पक्ष के लिए प्रदान किए जाने वाले अर्ध न्यायिक निर्णयों के कारण और एफएए पहली अपील का निपटान करने में अर्ध न्यायिक कार्य करता है!

2. इसके अलावा, एफएए का आदेश प्रथम अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अधिकतम समयावधि के भीतर केवल एफएए और किसी अन्य निकाय द्वारा पारित किया जाना है।

3. इस स्थिति के अंतर्गत, यदि मेरी पिछली पोस्ट में सुझाए गए प्रश्नों के साथ दूसरा आरटीआई आवेदन दायर किया गया है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत पीआईओ संबंधित अधिकारी से सहायता मांगेगा, जिसमें कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है। पीए और उस अधिकारी को भी शामिल करता है, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एफएए की भूमिका निभाता है, अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर, एक बोलकर आदेश द्वारा अपील का निपटान नहीं करने के रिकॉर्ड किए गए कारणों से युक्त जानकारी / रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए।

4. इस स्थिति के अंतर्गत, एफएए को सीपीआईओ को निर्देश देने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वह एफएए के आदेश की प्रति को धारा 8(1), 9 के अंतर्गत अनुमत

छूट के अंतर्गत उचित औचित्य के अधीन जानकारी प्रदान/अस्वीकार करे। आवेदक या एफएए स्वयं कारणों के अधीन जानकारी प्रदान/अस्वीकार करेगा।

5. सूचीबद्ध क्वेरी की प्रकृति के कारण, यदि एफएए न तो आरटीआई अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत पीआईओ को सहायता प्रदान करता है, तो 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान नहीं करने के लिए दर्ज कारणों को प्रदान करने के लिए, न ही अपील का निपटारा करता है, तब एफएए, आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन के उद्देश्य से डीम्ड पीआईओ बन जाता है, जो उसे इस परिस्थिति में, सूचना आयोग द्वारा, जब धारा 18 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जाती है, डीम्ड पीआईओ के रूप में दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है। आवेदक द्वारा सूचना आयोग को पीआईओ और डीम्ड पीआईओ (इस मामले में एफएए कौन है) पर दंड के लिए।

6. इसलिए, जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है, आरटीआई आवेदन में उपयुक्त प्रश्नों के द्वारा, एफएए को डीम्ड पीआईओ बनाकर, एफएए को आयोग द्वारा दंडित किया जा सकता है।

हां, एफएए को दंडित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अर्ध न्यायिक नियुक्ति माना जाता है, लेकिन हां 24 अक्टूबर, 2008 को श्री विनोद सुराणा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, शिकायत संख्या सीआईसी/ एटी/ए/2007/ 01502 जहां श्री ए एन तिवारी, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में एफएए के खिलाफ वांछित / व्यापक जनहित के खिलाफ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए एक प्रशासनिक कार्रवाई की सलाह दी है।

आरटीआई अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी परेशानी, बोझिल और समय लेने वाले तरीके से जानकारी प्रदान करना है।

यह सच है कि एफएए को अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके अपील का फैसला करना है। विनोद सुराना बनाम पब्लिक ऑटोरिटी एलआईसी मामले में यह बरकरार रखा गया है कि एफएए को अदालत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है या न्यायिक प्राधिकरण के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में प्रासंगिक पैरा 21 और 22 को नीचे उद्धृत किया गया है:

> 21. "आरटीआई अधिनियम प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एए) को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन केवल धारा 19(1) में वर्णन करता है कि उसे (एए) सार्वजनिक प्राधिकरण का एक सेवारत अधिकारी होना चाहिए और उसे वरिष्ठ होना चाहिए सीपीआईओ के लिए रैंक। (यहां तक कि तीसरे पक्ष को भी प्रथम

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का अधिकार प्रदान किया गया है।) इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसलिए, न्यायिक तरीके से कार्य करना आवश्यक है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सभी कार्यवाही 'अर्ध–न्यायिक' हैं। एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी किसी मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय देने के लिए बाध्य होता है।

लेकिन क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को न्यायालय के समान माना जा सकता है या न्यायिक प्राधिकारी के रूप में माना जा सकता है? उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक में है। तथ्य यह है कि आरटीआई अधिनियम एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन केवल यह वर्णन करता है कि यह एक अधिकारी होगा जो सीपीआईओ के रैंक में वरिष्ठ होगा, यह स्पष्ट करता है कि ऐसे अधिकारी को न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है, न ही उसकी तुलना किसी न्यायालय से की जा सकती है, हालांकि यह अपेक्षा की जाती है कि एक ही विभाग/लोक प्राधिकरण का अधिकारी होने के नाते, वह एक सूचना–साधक और पीआईओ के बीच एक तटस्थ अंपायर होगा।

22.. "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एक अधीनस्थ अपीलीय प्राधिकारी है और इसके आदेश आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत गठित सूचना आयोग के समक्ष अपील योग्य हैं। लेकिन ऐसा प्राधिकरण प्रशासनिक रूप से आयोग के अधीनस्थ नहीं होता है। आयोग का निर्णय तभी बाध्यकारी होगा जब प्रतिवादी के रूप में आयोग के समक्ष ऐसा अधिकार हो। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी लोक प्राधिकरण का एक हिस्सा है और सीपीआईओ के रैंक में वरिष्ठ है। कई अवसरों पर, एए स्वयं सूचना का धारक हो सकता है, या पीआईओ पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है और अन्यथा आवेदक को सूचना देने से इनकार करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाए और यदि आवश्यक हो या आवश्यक समझा जाए तो उसे उपस्थित होने और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया जाए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कर्तव्य की प्रकृति और सूचना प्रक्रिया के प्रसार में इसकी भागीदारी इसे अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण के बजाय अधिक प्रशासनिक बनाती है। "